राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2] षष्ठम् विधान सभा के दूसरे सत्र का दसवां दिवस [संख्या 8

बृहस्पतिवार,

दिनांक 15 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री नवरंग सिंह ।

वरिष्ठ अध्यापकों की संग्रथित वरिष्ठता सूची

193. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक ही विज्ञापन में विज्ञापित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों एवं आई. टी. आई. के अनुदेशकों की इन्टर-सी वरिष्ठता सूची किस प्रकार बनायी गयी है ?

(2) इन दोनों सूचियों में वरिष्ठता निर्धारण में क्या आधारभूत अन्तर है और अन्तर होने के आधार और औचित्य क्या है ?

(3) क्या वरिष्ठ अध्यापकों की संग्रथित वरिष्ठता सूची गलत नहीं है ? अगर यह दोषपूर्ण आधार पर निर्मित है तो इसकी दुरुस्ती के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षामंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) प्रश्न स्वयं में अस्पष्ट है । शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापक और आई. टी. आई. के अनुदेशक भिन्न भिन्न राज्य सेवा में हैं अतः इनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची बनाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) प्रश्न (1) में उत्तर दे दिया गया है ।

(3) प्रश्न (1) में उत्तर दे दिया गया है ।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वरिष्ठता सूची के कुछ न कुछ आधार होंगे जिनके आधार पर आगे प्रमोशन होता है ? साथ ही यह जो वरिष्ठता की सूची बनी है आई.टी.आई. और एस.टी. सीनियर टीचर की वह क्या अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग आधार पर बनाई गई है ?

2

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दो केटेगरी बताई गई हैं इनमें से वरिष्ठ अध्यापक एजूकेशन से सम्बन्धित हैं और आइ.टी.आइ के अनुदेशक आई.टी.आई. से सम्बन्धित है दोनों विभाग अलग अलग हैं। इन्टर-सी सीनियरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री नवरंग सिंह : राज्य सरकार तो एक है, दूसरी तो है नहीं। एक ही नियम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दिया है। नेक्स्ट

राजस्थान नहर के निर्माण की योजना

194. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के निर्माण की योजना भूतपूर्व चीफ इन्जिनियर सिचाई विभाग श्री कंवरसेन द्वारा बनाई गई थी? यदि हां, उक्त योजना कब बनाई गई? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया? कारणों सहित विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार बाड़मेर जिले को राजस्थान नहर से किस प्रकार लाभान्वित कर सकेगी?

मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री केदारनाथ) : (1) जी नहीं। श्री कंवरसेन राजस्थान सिंचाई विभाग के कभी भी मुख्य अभियन्ता व चीफ इन्जिनियर नहीं रहे, लेकिन वे भूतपूर्व बीकानेर रियासत के चीफ इन्जिनियर थे। अलबत्ता श्री कंवरसेन राजस्थान नहर परियोजना पर दिनांक 1-12-1958 से प्रशासक व दिनांक 23-12-58 से दिनांक 14-10-61 तक अध्यक्ष रहे।

(2) राजस्थान नहर परियोजना की रिपोर्ट बनाने का कार्य सन् 1955 में केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा आयोग, दिल्ली द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस आयोग ने सर्वे करने के पश्चात् अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में राजस्थान नहर बनाने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात् राजस्थान सरकार ने विस्तृत सर्वे का कार्य अपने हाथ में लिया वह उसी के आधार पर 66.47 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना तैयार की गई जिसको राजस्थान सरकार ने योजना आयोग की सिफारिश पर सन् 1957 में मन्जूरी दे दी। इस योजना के अनुसार राजस्थान नहर के निर्माण का कार्य जून 1958 में शुरू किया गया।

(3) राजस्थान नहर परियोजना के वर्तमान तखमीने के अनुसार बाड़मेर जिला राजस्थान नहर से किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना में कंवरसेन, जो चीफ इन्जीनियर बीकानेर थे, जिस वक्त चेयरमैन थे उस वक्त योजना बनी थी उसमें बाड़मेर जिले का काफी एरिया कवर होता था। इसके बारे में आप छानबीन करें। यह योजना सन् 1960 के अन्दर तैयार हुई थी। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर बाड़मेर जिले को राजस्थान नहर से लिफ्ट इरिगेशन में नहीं रखेंगे, बाड़मेर जिले को राजस्थान नहर

Page No 3

(3)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

से लाभान्वित नहीं करेंगे तो, सिचाई का प्रश्न तो है ही, पीने के पानी की समस्या भी उठ खड़ी होगी। यह रेगिस्तानी क्षेत्र रेगिस्तान ही रह जायेगा। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, डेजर्ट एरिया में वे इन्ट्रेस्ट रखते हैं, गंगानगर-बीकानेर एरिया भी डेजर्ट एरिया है।

श्री केदारनाथ : श्री कंवरसेन ने 1948 में आब्जर्वेशन पेश किया था। यह सारी योजना 10 करोड़ की बनी थी। 96 माइल्स की योजना थी। 9 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना थी। वह आब्जर्वेशन का पेपर मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा। इसमें रन आफ कच्छ तक राजस्थान कैनाल को उन्होंने पहुंचाया था। बाड़मेर को कवर करने की उस वक्त भी बात नहीं थी। परन्तु माननीय सदस्य के जो सेन्टीमेंट्स हैं मैं भी मानता हूं पीने के पानी की कमी है। जो पांच लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई गई थीं वे सेन्ट्रल को भेज दी गई हैं। अगर पैसा आ गया तो राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : पांच वर्ष पूर्व बाड़मेर जिले से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को और केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किये गये थे। यह सिफारिश की गई थी कि बाड़मेर जिले में दो छोटी नहरें राजस्थान कैनाल से लाई जायें और सिंचाई के लिये, पशुपालन के लिये, चरागाह के लिये उन नहरों से पानी दिया जाये। क्या इसकी जानकारी राज्य सरकार को है ?

श्री केदार नाथ : इस सवाल के तहत नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यकता ही नहीं उत्तर देने की।

नैक्स्ट।

श्री मूलचन्द, श्री कुंजीलाल।

चरागाह अथवा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

195. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी घोषणा हो जाने के पश्चात् भी चरागाह अथवा सिवाय चक भूमियों पर इस बार भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, कृपया स्थगित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट।

पंचायत हैड क्वार्टरों को बस रूट से जोड़ने की योजना

196. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मांडलगढ़ क्षेत्र में पंचायतों के ऐसे मुख्यालय भी है जिन्हें आज तक बस रूट से नहीं जोड़ा गया है ?

(2) क्या हर पंचायत के हैडक्वार्टर को बस रूट से जोड़ने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

यातायात मंत्री (श्री केदार नाथ): (1) जी हां।

(2) परिवहन विभाग ने जिला भीलवाड़ा की परिवहन योजना तैयार की है जिसके अनुसार मांडलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में नये मार्गों का सर्वे कराया जावेगा। इन मार्गों के जुड़ जाने से इस क्षेत्र की और भी पंचायतों के मुख्यालय बस मार्गों से जुड़ जाने की आशा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने जो खुलवाया, उसके लिये धन्यवाद। क्या इसी साल मन्जूरी हो जायेगी ताकि वहां कइयों ने बस नहीं देखी है कम से कम जनता पार्टी के आते ही बस को देख लें।

श्री केदारनाथ : सर्वे शीघ्र करा दिया जायेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यही प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रार्थना, धन्यवाद बाद में करें।

नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 197

श्री औंकारलाल चौहान।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री दिग्विजय सिंह।

तहसील उनियारा व देवली में सैटलमेंट का कार्य

198. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा व देवली, जिला टोंक में भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के ग्रामों का सैटलमेंट 1940 में भूतपूर्व जागीरदार द्वारा कराया गया था?

(2) क्या यह सही है कि वही सैटलमेंट आज तक भी प्रचलित है जिसे लगभग 37 वर्ष हो गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि उन ग्रामों में आज भूमि की स्थिति बदल चुकी है और सीटें इत्यादि सही हालत में नहीं हैं जिससे राजस्व विभाग व काश्तकारों दोनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(4) क्या करीब तीन वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने दुबारा सैटलमेंट कराने के आदेश भी दिए थे पर उन्हें फिर से वापस ले लिया? यदि हां, तो क्यों और अब दुबारा आदेश कब प्रदान किये जावेंगे।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। किन्तु दुबारा सैटलमेंट कराने के आदेश वापस नहीं लिये गये। भू-प्रबन्ध विभाग के स्टाफ एवं बजट में कमी हो जाने के कारण और पूर्व में चल रहे कार्य को पहले पूरा कराने की दृष्टि से एवं उनियारा तहसील का कार्य जिलाधीश टोंक के तत्वावधान में भू-अभिलेख आदिनांक करने की योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ कर देने से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा इस तहसील का पुनः बन्दोबस्त करने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब उपरोक्त तहसील का सर्वे एवं भू-अभिलेख कार्य सन् 1977-78 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Page No 5

(5)

प्रश्न संख्या 199

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री प्रद्युम्नसिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट । श्री एच. एन. शर्मा ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, रावतभाटा

200. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा में नोटीफाइड एरिया कमेटी का निर्माण होने के पश्चात् उसने सुचारुरूप से कार्य किया तथा राज्य सरकार को अच्छी आय दी ? यदि हां, तो किन कारणों से इसको निरस्त किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य-सरकार को रावतभाटा में नगरपालिका बनाने हेतु जनता से एवं अन्य संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी ने 17 माह ही कार्य किया और राज्य सरकार को सभी खर्चे निकाल कर 1 लाख 30 हजार की आमदनी कराई ?

(4) क्या यह सही है कि इस नोटीफाइड एरिया को निरस्त करने का कारण केवल व्यापारी वर्ग और प्रमुख सिनेमा मालिक को मनोरंजन कर से मुक्ति दिलाना था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां । चूंकि नोटीफाइड एरिया कमेटी का दखल केवल कुछ झोंपड़ियों एवं पुरानी दुकानों आदि पर ही रह गया था, क्योंकि वहां पर बसी हुई बस्तियां अणु शक्ति कालोनी, राणा प्रताप सागर कालोनी एवं आर. एस. इ. बी. का सारा क्षेत्र डिफेन्स आफ इण्डिया सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया हुआ है, इसलिये इस क्षेत्र को नोटीफाइड एरिया घोषित करने के पश्चात् काफी कठिनाइयां आ रही थीं । विकास भी अवरुद्ध हो रहे थे ।

(2) जी हां । जिलाधीश से टिप्पणी प्राप्त की जा रही है ।

(3) जी हां । आमदनी नोटीफाइड एरिया कमेटी को हुई, सरकार को नहीं ।

(4) जी नहीं ।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न और पूछना चाहूंगा । पहला तो यह है कि 26 हजार की आबादी होने के बावजूद वहां ग्राम पंचायत बनाये रखना कहां तक उचित है ? दूसरा यह है, क्या पुरानी सरकार ने लोक सभा चुनावों के पूर्व व्यापारियों को सुविधा देने हेतु और उनके वोट प्राप्त करने हेतु नोटीफाइड एरिया को खत्म कराया ? क्या भूतपूर्व मंत्री गुलाबसिंह जी शक्तावत ने 8 हजार रुपये सिनेमा मालिक को मनोरंजन कर से मुक्ति दिलाने हेतु लिये और नोटीफाइड एरिया को ....

(6)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : He cannot make any allegation against a person who cannot defend himself.

श्री एच. एन. शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि जिलाधीश से जानकारी प्राप्त की जा रही है। क्या जिलाधीश को अधिकार था नोटिफाइड एरिया घोषित करने का ? यह सारी जानकारी एक्स. इ. इन से प्राप्त की गई है, जो गलत है। सारे एक्स.ई.एन. को लैटर लिखा है। कृपया मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द एक्सपन्ज कराये जायं जो माननीय सदस्य ने कहे, 8 हजार रुपये गुलाबसिंह जी शक्तावत ने लिये This is a completely defamatory statement against an ex-Member of this House. कृपा करके एक्सपन्ज करिये इन शब्दों को।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय सदस्य, जिससे लिये हैं उससे एफीडेविट दिलावा दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह रूल्स में है कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो उन पर मुकद्दमा करिये। आपको थोड़ा ध्यान तो रूल्स का रखना चाहिये।

श्री एच. एन. शर्मा : जिलाधीश ने जो लैटर लिखे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं अभी हमारे सामने स्थिति यह है कि वहां पंचायत है उसको नोटीफाइड एरिया बनाने की या उसको नगरपालिका बनाने की जिलाधीश महोदय से रिपोर्ट मांगी जाती है। जिलाधीश वहां का सर्वे करते हैं, कितनी आबादी है, आबादी का क्षेत्र कौन कौन सा है। वैसे आपने जिक्र किया है, उस क्षेत्र में पापूलेशन क्या है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाहर की आबादी क्या है, जन संख्या क्या है, यह सारी रिपोर्ट के आने पर सरकार विचार करती है। इसलिये जिलाधीश से रिपोर्ट मांगना आवश्यक है।

श्री एच. एन. शर्मा : जिलाधीश महोदय ने जो पत्र एक्स. ई. एन. को लिखे हैं, क्या वह उचित था ? दूसरा मैं निवेदन कर दूं, 17 महीने नोटीफाइड एरिया कमेटी ने काम किया है। 17 महीने काम करने के बाद और सारा खर्चा करने के बाद, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आपातकाल के बाद और लोक सभा के चुनावों के पहले नोटीफाइड एरिया को निरस्त किया गया है। उसे निरस्त क्यों कर दिया गया और अब तुरन्त कब बहाल किया जायगा ?

प्रश्न संख्या 201

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्योपत सिंह मकासर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।

प्रश्न संख्या 202

श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(विराम)

श्री खेतसिंह राठौड़ : Absent minded.

जयपुर नगर में बढ़ रहे प्रदूषण का सर्वे

203. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी आबादी है ? क्या यह आबादी विगत वर्षों में बढ़ी अथवा घटी है ?

(2) नगर में बढ़ रहे प्रदूषण का क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या नगर के कचरे और मल-मूत्र को खाद के रूप में उपयोग करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है ?

एबसेन्ट माइन्डेड नहीं हूं। अभी आया हूं।

एक माननीय सदस्य : टाइम के पंक्चुअल हैं। एन वक्त पर आये हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जयपुर की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 2,986 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर प्रति किलो-मीटर आबादी का औसत नीचे गिरा है।

(2) नगरपरिषद्, जयपुर की ओर प्रदूषण सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण नहीं किया से गया है।

(3) जी हां।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह क्यों नहीं किया गया, इसका कोई जवाब है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जयपुर में बढ़ रहे प्रदूषण के लिये नगरपालिका से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है एक नया संस्थान स्थापित किया गया है जिसका नाम जल प्रदूषण निवारक मण्डल है। वह केवल जल प्रदूषण का ही कार्य करता है, वायु प्रदूषण निवारण का नहीं। जल प्रदूषण का सर्वेक्षण सम्बन्धित विभाग द्वारा करवाया गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या खाद का प्लान्ट लगाने के लिये संजय गांधी द्वारा ट्रीटमेंट प्लान्ट योजना का आपातकालीन स्थिति के दौरान उद्घाटन किया गया था ? यदि उद्घाटन हुआ था, तो वह कौनसी फर्म थी जिसके द्वारा इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को लगाने का विचार कर रहे हैं ? यह प्लान्ट कब तक लग जायेगा और अब तक क्यों नहीं लगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्व-पूर्ण इसलिये है कि जयपुर शहर की आबादी 8 लाख की है। जो चिमनी, मोटरों आदि द्वारा धुंआं फैलता है उससे प्रदूषण होता है। यह जयपुर की आबादी को प्रदूषण से बचाने के लिये प्रश्न किया है। यह पिछली सरकार से ही सम्बन्धित प्रश्न है इसलिये जिन्होंने संजय गांधी के आगमन पर भाषण दिया था, स्वागत किया था श्रीमान खेतसिंह जी ने इस ट्रीटमेंट प्लान्ट के बारे में उनसे ही पूछ लीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे तो नहीं पूछेंगे मंत्री महोदय ही बतायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जयपुर नगर में कचरे व मल मूत्र आदि से खाद बनाने का एक संयंत्र 45 लाख रुपये के अनुमानित खर्च से निर्माणाधीन है जिसमें प्रति दिन 200 टन कचरे से 100 टन खाद बनाया जावेगा। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद् द्वारा कूड़ा करकट इकट्ठा करने तथा उठाकर शहर के बाहर ले जाने के लिये वाहन, डम्पर्स व्हील बेरोज आदि खरीदने की 22 लाख रुपयों की स्वीकृति हुई है। इसमें से 11 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार देगी तथा शेष 11 लाख रुपये नगर परिषद् स्वयं वहन करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 8,61,000 रु० दिये जा चुके हैं तथा इस राशि में नगर परिषद् का व्यय मिलाकर कुछ वाहन एवं उपकरण खरीद लिये गये हैं तथा शेष की खरीद का प्रश्न विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त नगर के सीवेज के लिये दो ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किये जाने की भी योजना है। यह योजना 6 करोड़ 65 लाख की होगी। इस योजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रीटमेंट के बाद स्लेज का उपयोग खाद के रूप में किया जावेगा। यह योजना नार्थ जोन एवं साउथ जोन के नाम से क्रियान्वित होगी।

श्री मूलचन्द डागा : कृपा करके यह बतायें.......

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना पर लाखों रुपया खर्च किया गया है। उद्घाटन का पत्थर बनाने के लिये 1861. 36 रुपया व्यय किया गया मंच बनाने पर 6317.30 रु० खर्च किया गया, शामियाना तथा छोलदारी पर 16 हजार 500 रु० व्यय किये गये, बिजली और साज सज्जा पर 3777) रु० खर्च किया गया और, उपाध्यक्ष महोदय, निमन्त्रण कार्ड और उनके वितरण पर 1004 रु० खर्च किये गये। उस योजना का क्या हुआ ? वह योजना लागू होगी या नहीं ? यह मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि आपकी सरकार, मेरी सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने ही बताया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप मंत्री तो है नहीं, क्या बता रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल ओथ ले रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसका जिक्र मत करिये नहीं तो आपको और कुछ जवाब सुनना पड़ जायगा। आपका जो प्रश्न है संख्या 86 जिसका 3-8-77 को उत्तर दिया है, मैं पूछता हूं उसका क्या हुआ ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो खर्चा किया गया है उसकी जानकारी कर लूंगा। जो योजना बनाई गई है जिसके बारे में अभी आपने कहा, उस योजना का क्या हुआ, यह मालूम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संजय गांधी ने उद्घाटन किया था। जयपुर का मल-मूत्र साफ करने का संजय गांधी ने जो ठेका लिया था उसके लिए कम से कम मन्त्री जी उनको धन्यवाद तो दे दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : साठ हजार रुपया उस स्वागत समारोह में खर्चा किया गया है। प्रदूषण साफ करने की जो योजना बनी थी क्या अब उसको छोड़ दिया गया है ?

श्री रतनलाल वर्मा : वह इसलिए छोड़ दी कि वह ख्वामाख्वाह के शहजादे थे। उनको छूट में दे दिया वह रुपया।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, प्रदूषण के मामले में एक बात उन्होंने कही कि जल प्रदूषण बोर्ड काम कर रहा है। तो महरबानी करके बताइये कि जयपुर में कितनी योजना अब तक उन्होंने हाथ में ले ली हैं और कितनी जगह जो जल प्रदूषण था उसको रोक दिया है और कितना खर्चा आज तक हुआ है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने उत्तर दिया है, श्रीमान्, प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपने साफ कहा है अपने जवाब में।

श्री उपाध्यक्ष : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने जनरल सवाल पूछा है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जब संजय गांधी आए थे, तब ट्रीटमेंट प्लांट योजना के उद्घाटन के नाम पर सुन्दर डाकू को मरवाने का षड्यन्त्र करने के लिए आए थे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। नैक्स्ट। श्री ढाबरिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना कब तक लागू हो जाएगी ? कम से कम यह तो बता दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मन्त्री जी का उत्तर आपने सुना नहीं ! उन्होंने कहा है कि पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग से ताल्लुक रखती है यह योजना। उन्होंने यह भी बताया है कि यह छः करोड़ की योजना है और इसका ताल्लुक पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट से है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने उत्तर तो दे दिया, हमें मालूम है कि आपके नाम पर निमन्त्रण पत्र छपे थे। आप तो इतना बतला दें कि यह योजना कब तक लागू हो जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जैसे ही धनराशि उपलब्ध हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सप्लीमेन्ट्री बहुत हो चुके हैं।

नैक्स्ट। श्री ढाबरिया।

Page No 10

(१०)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, मेगरास की जांच

204. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव मेगरास तहसील बनेड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समिति के घोटालों की जांच की मांग उसके सदस्यों द्वारा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा को भी घोटालों की जांच के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन : (1) जी हां।

(2) जांच से समिति के 102 सदस्यों की ओर 56,058) रु० गलत ऋण दिया जाना पाया गया।

(3) जी हां। जिलाधीश द्वारा मूल प्रार्थना-पत्र सहायक रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पठा दिया गया। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जांच में पाई गई अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री शकूर खां, अध्यक्ष एवं श्री शेर खां, व्यवस्थापक के विरुद्ध राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत केसेज रजिस्टर कर लिये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए मन्त्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल ही मेरा एक ऐसा ही प्रश्न था। यह प्रश्न भी वैसा ही है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेक्रेटरी हैं, श्री शकूर खां, वे बनेड़ा तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। जैसा आपने बताया कि 56 हजार का घोटाला है, वह 56 हजार का नहीं बल्कि 1 लाख 20 हजार का घोटाला है। इसके लिए वहां के कलेक्टर ने आपके रजिस्ट्रार आफिस को भी लिखा है। इसकी वसूली सारी की सारी किसानों की तरफ दिखाई गई है और किसानों से भी वह वसूली होने लग गई है। जिस आदमी ने 1 लाख 20 हजार रुपया किसानों के नाम लिख कर खा लिया है अभी तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कल भी मैंने उच्छवाल के सम्बन्ध में कहा था कि उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे आदमियों को गिरफ्तार करके मुकद्दमा दायर करना चाहिए। जो सहकारिता को बदनाम करते हैं और सहकारिता के रुपयों का दुरुपयोग करते हैं। जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि श्री शकूर खां के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? इस में आपने शेर खां का नाम लिया है। उसका बारह हजार रुपया इस सहकारी समिति में जमा था। इस शकूर खां ने वह रुपया अपने काम में लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मन्त्री महोदय ने दे दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 21-1-77 को जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। दिनांक 14-7-77 को जांच रिपोर्ट आई। 15-7-77 को राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही चालू कर दी गई। केस की आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 30-9-77 है। जांच के दौरान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध दोष पाया गया है उनके विरुद्ध पुलिस में केस रजिस्टर कर दिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या मन्त्री महोदय, आप आश्वासन देने का कष्ट करेंगे कि जब तक यह कार्यवाही पूरी न हो तब तक जिन किसानों के नाम पर झूठे और जाली दस्तावेज बनाए गए हैं उन किसानों से जो रुपया वसूल किया जा रहा है उसको स्थगित रखेंगे। यह आश्वासन दीजिए कि उसकी वसूली नहीं होगी। कलेक्टर को आर्डर दे दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय इतने बड़े घोटाले की जांच कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : इस सहकारी समिति को निम्न तिथियों में निम्न प्रकार ऋण दिया गया है :

दिनांक 31-3-70 को 60,760) रुपये
दिनांक 31-3-71 को 69,100) रुपये

कुल 1,29,860) रुपये का ऋण दिया गया है। इसमें 102 सदस्यों को 56,048 रुपया वितरित नहीं किया गया और इस राशि में से 45,128) रुपये के बोण्ड भर लिए गए जो अपूर्ण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। किसानों से जो वसूली हो रही है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं ? आपने बताया कि नकली दस्तावेज बनाए हैं तो फिर किसानों से किस प्रकार जबरदस्ती वसूली करना चाहते हैं !

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसके सम्बन्ध में जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी वह की जायगी ताकि किसानों पर किसी प्रकार का कोई भी अनुचित दबाव न पड़े और न किसानों को अनावश्यक रुपया चुकाना पड़े।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बात तो साफ हो गई है कि फर्जी नामों पर लोगों ने रुपया उठाया है तो किसानों से फिर किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री रतनलाल वर्मा : आवश्यक कार्यवाही क्या होती है! स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि वसूली नहीं होगी। बहुत बड़ी रकम उनसे वसूल हो रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी ने कह दिया है। फिर क्या बहुत गम्भीर मामला है ?

श्री रतनलाल वर्मा : आदेश तो जारी होने चाहिये कि वसूली नहीं होगी। उन गरीबों से वसूली नहीं होगी, यह साफ कहें।

Page No 12

(12)

श्री उपाध्यक्ष : काफी हो गया।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री ईश्वर चन्द्र।

भवानी मन्डी नगरपालिका में ग्राम पंचायत पचपहाड़ का विलय

205. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत पचपहाड़ का भवानी मण्डी नगरपालिका में विलय का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) अगर विचाराधीन है तो कब तक विलीनीकरण हो सकेगा?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जिलाधीश से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही विचार सम्भव होगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पचपहाड़ गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है जिसके बारे में जनरल टाड ने भी राजपूताना के इतिहास में जिक्र किया है। इस गांव की कांग्रेस शासन ने घोर उपेक्षा की है। उस गांव के लोगों का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक कि उसका विलीनीकरण भवानी मण्डी नगरपालिका में नहीं हो जाता। भवानी मण्डी नगर-पालिका ने और पचपहाड़ पंचायत ने भी प्रस्ताव पास कर दिए हैं और कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट दे दी है। अब तो मंत्री महोदय की सहमति चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री महोदय यह घोषणा कर दें कि नगरपालिकाओं के जो प्रस्तावित चुनाव हैं उनसे पूर्व पचपहाड़ का विलीनीकरण भवानीमण्डी नगरपालिका में हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की घोषणा यहां पर अभी कैसे कर सकते हैं? म्यूनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी।

श्री ईश्वर चन्द्र : झालावाड़ कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी है। इस पर जल्दी कार्यवाही कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

ग्राम पंचायत चौहटन के सरपंच के विरुद्ध जांच

206. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, चौहटन, जिला बाड़मेर के खिलाफ घोटालों व गबन के मामलों की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब कब क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई? पूर्ण विवरण शिकायतों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सरपंच के खिलाफ और अन्य क्या क्या शिकायतें कब कब से हैं तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई?

(3) अब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) इन शिकायतों पर अब तक कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रही हैं । शिकायतों के आधार पर जांच करवाई जा रही है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । सरपंच के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर विस्तृत जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी बाड़मेर से करवाई जा रही है ।

(4) विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने से इस मामले में कार्यवाही नहीं हो सकी है । अतः इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1972 में अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने इसकी विस्तृत जांच कर के रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी। फिर अभी तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): पांच वर्ष हो गये हैं सरपंच के खिलाफ जांच हुए परन्तु कार्यवाही नहीं हुई । चौहटन में तीन लाख रुपये का गबन है । इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : अब यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया है । इसकी फाइल भी मंगवा ली गई थी । जो अभी तक नहीं आ पाई थी अब वह आ गई है । अब इस पर निश्चित तौर से उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है यह 13-7-72 की है जिसमें अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने सरपंच के खिलाफ गम्भीर आरोप साबित किए हैं । अब तक राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने निवेदन किया है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट में जांच चल रही थी । अब जैसे कि तथ्य सामने आये हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, निश्चित रूप से जैसी माननीय सदस्य की भावना है, मन्शा है, जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या वर्ष भर में उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी ?

श्री हरजीराम बुरडक : रिपोर्ट आने के लिए कितना समय लगना चाहिए ?

श्री कैलाश मेघवाल : यहां पर सरपंचों के बारे में इसी तरह के कई प्रश्न उठाए गए हैं । जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कई पत्रावलियां 5,7 साल तक दबी रहीं । उन पर अब कार्यवाही की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ही जवाब दे दें ।

Page No 14

(14)

श्री कैलाश मेघवाल : ये पत्रावलियां दबी हुई थीं। अब उनको निकलवा कर उन पर तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिए जा रहे हैं। सब पत्रावलियां मंगवा ली गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तीन से ज्यादा सप्लीमेन्ट्री कर चुके हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या आगामी चुनाव के पहले पहले कार्यवाही हो जाएगी?

श्री मूलचन्द सामरियां : क्या किसी भी सरपंच के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने के पूर्व प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के बाद उस पर विस्तृत जांच करा कर विस्तृत रिपोर्ट लेना आवश्यक है?

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी जानकारी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह कानूनी जानकारी नहीं है। पहले, उपाध्यक्ष महोदय, सरपंचों को मात्र एवीडेन्स के आधार पर, एफीडेविट के आधार पर सस्पेन्ड कर दिया जाता था। जब प्रारम्भिक रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद विस्तृत जानकारी लेने का क्या औचित्य है?

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था मन्त्री महोदय से कि यह रिपोर्ट कहां पड़ी रही, किस के पास रही? इसका उत्तर नहीं आया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर दूं कि यह प्रश्न पहले भी यहां पर उठा था। सरपंच को सस्पेन्ड करने के लिए कानूनी प्रावधान यह है, राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) (ए) के अन्तर्गत सरपंच को निलम्बित करने का अबाध अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न उठाया है। पहले प्रारम्भिक जांच की एक प्रक्रिया है। नियमों में प्राथमिक जांच की व्यवस्था है। उसके बाद सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण लिया जाता है। यदि राज्य सरकार उसके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न हो, तो विस्तृत जांच कराने के बाद उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

एक माननीय सदस्य : पहले एफीडेविट के आधार पर सरपंच को सस्पेन्ड किया गया है। क्या अब नहीं किया जा सकता है?

श्री मूलचन्द सामरिया : प्रारम्भिक जांच और एफीडेविट के आधार पर कार्यवाही करने में इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अन्तर है?

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरपंच के काम में अन्तर है या न्याय में अन्तर है? यह अन्तर कैसे है?

श्री कैलाश मेघवाल : जो प्रश्न माननीय सदस्य हरजीराम बुरडक ने पूछा है, उसकी पत्रावली जिला स्तर पर पड़ी रही थी। उसको स्मरण-पत्र दे दिया गया है। विस्तृत जांच रिपोर्ट के बारे में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 17 (4) (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार को जो अबाध अधिकार प्राप्त हैं, उनका प्रयोग करने के पूर्व राज्य सरकार के पास पर्याप्त सामग्री उसके निलम्बन के सम्बन्ध में होनी चाहिए, जो शपथपत्र हो उसके आधार पर यह साबित होना चाहिए कि सरपंच को निलम्बित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्योंकि पंचायत के कोष का दुरुपयोग हो रहा है, या पंचायत की सम्पत्ति को बेजा तरीके से खुर्द बुर्द कर रहा है। यह सन्तुष्टि हो जाए तो यह राज्य सरकार को अधिकार है कि वह सरपंच को निलम्बित करे। ऐसे मामले में राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि कोई सरपंच ऐसी गड़बड़ी कर रहा है तो राज्य सरकार को यह अधिकार है और उसका प्रयोग करने में राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं करेगी

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। इस सरपंच को निलम्बित करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : No more supplementaries on this question.

श्री रघुनन्दन व्यास : यह जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि जब मैं सदस्य के रूप में बैठता था तो माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है, विभागीय जांच करायी जाती है, यह सब यहां पर बता दिया था। फिर भी बार बार उसी प्रक्रिया के बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : एफीडेविट के आधार पर निलम्बित करें।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का इन्टरप्रिटेशन आप मंत्री महोदय से मत करवाइये।

श्री मूलचन्द सामरिया : नियम 17 (4) (ए) के अन्तर्गत मंत्री महोदय आथोराइज्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री समरथलाल।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये। मैं इस प्रश्न पर आगे डिबेट अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय, यह लाखों रुपयों का घोटाला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा—

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दीजिये। आप बैठ जाइये। आप अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क: एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री माणकचन्द ठाकोर (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्नोत्तर काल में एक ही प्रश्न पर सदन का अधिक समय व्यर्थ न हो, इसलिए माननीय सदस्यों को आप रोकने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आशा है, माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे।

एक माननीय सदस्य : ये मंत्री गण तो कांग्रेस के मंत्रियों की तरह ही जवाब दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस की ही कुर्सियों पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(व्यवधान)

आप बिराजिए।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है 17 (4) (ए) में राज्य सरकार को अबाध अधिकार प्राप्त हैं''''

श्री उपाध्यक्ष : आप इन अधिकारों के बारे में उनसे चेम्बर में जाकर पूछ लें। मैं इस बारे में कोई प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा यह निवेदन है कि यदि प्राइमाफेसी केस बनता है, तो राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार नहीं करती है तो आप कोर्ट में चेलेन्ज कीजिए। इनके खिलाफ रिट कीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : प्रश्न काल के बाद इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा रखी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लें।

प्रश्न संख्या 207

श्री सगरथलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

मनोहर थाना में सब तहसील कायम करने की मांग

208. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना (झालावाड़) में सब तहसील कायम करने के लिए वहां की जनता कितने समय से मांग कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अकलेरा में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार दोनों का हैड-क्वार्टर है ? यदि हां, तो नायब तहसीलदार का कार्यालय मनोहरथाना परिवर्तन करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है जब कि प्रशासनिक व्यय में किसी प्रकार का भार नहीं पड़ता है और जनता को बड़ी भारी राहत मिलती है ?

(3) क्या जिलाधीश झालावाड़ एवं रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने भी इस सम्बन्ध में अपनी सहमति राज्य सरकार को भेजी हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इस सम्बन्ध में आदेश प्रदान कर सकेगी ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) मनोहरथाना (झालावाड़) में सब तहसील कायम करने के लिए गत दो वर्ष से मांग की जा रही है।

(2) जी हां, अकलेरा में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार का हैड-क्वार्टर है। मनोहरथाना में उप तहसील कायम करने के लिए अनुमानतः रुपये 26,000/- अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय वार्षिक होगा, जिसे राज्य को वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में राजस्व मंडल अजमेर से राय मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना संभव होगा।

(3) जिलाधीश झालावाड़ की राय इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है, किन्तु राजस्व मंडल की राय अपेक्षित है जिसके प्राप्त होने पर उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना संभव होगा। विचार करते समय वित्तीय स्थिति और अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय के संबंध में विचार करने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल दो साल से सरकार के विचाराधीन है इतने समय में भी राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राज्य के वर्तमान मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि मनोहरथाना में नायब तहसीलदार हैड क्वार्टर कायम कर दिया जाएगा । नायब तहसीलदार हैड क्वार्टर कायम करने में क्या तकलीफ है ?

श्री उपाध्यक्ष : उसकी तो घोषणा होगी तभी होगी ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : दो साल से मामला सरकार के विचाराधीन है । आखिर सरकार कितने समय में निर्णय लेगी?

श्री मूलचन्द डागा : याद करोगे हर वक्त कांग्रेस को ।

श्री ईश्वर चन्द्र : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि दो साल से राजस्व मण्डल से कोई जवाब नहीं आया है । "बाद मरने के अगर उनका सलाम आया" तो क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : आप तो अच्छे शायर हैं ।

श्री रामेश्वर (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन मेरा भी है । तहसील और सब तहसील कायम करने के बारे में सरकार ···

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसमें शामिल नहीं हो सकता है ।

श्री रामेश्वर : मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

श्री रामेश्वर : मेरा दूसरा प्रश्न और है ।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या राज्य सरकार और तहसीलें खोलने का विचार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रामेश्वर : 14 मार्च, 77 को चौमू में नयी तहसील कायम करने के बारे में गजट नोटिफिकेशन किया गया था । मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री ईश्वर चन्द्र : झालावाड़ जिले के बारे में····

श्री मूलचन्द सामरिया : जिले की कई ऐसी तहसीलें हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मूलचन्द जी, आप बिराजिये ।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न की परिधि में यह आता नहीं है । इस प्रश्न के सम्बन्ध में जिलाधीश की राय प्राप्त हो गई है । राजस्व मण्डल से तहसील, सब तहसील और नायब तहसील

(श्री कैलाश मेघवाल)

के बारे में राय आते ही तुरन्त क्रियान्विति को जायेगी। उस समय आपकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आज के पांच रोज पहले ही राय आ सकती थी। आप विधान सभा में स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : कितने दिनों में निर्णय ले लेंगे।

कोटा शहर में क्रमोन्नत किये गये स्कूल

209. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष कोटा शहर में कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में तथा कितनी उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान के हर जिले में कुल कितनी कितनी उच्च प्राथमिक शालाएं हैं ? इस वर्ष कितनी कितनी क्रमोन्नत कर माध्यमिक शालाएं की गई हैं ?

(3) इस वर्ष 10+2 की योजना के तहत राजस्थान की कितनी शालाओं को लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान के विभिन्न जिलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें क्रमोन्नत की गई माध्यमिक शालाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

विभिन्न जिलों में 30-9-76 को उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति—

क्र.सं.	नाम जिला	उच्च माध्यमिक विद्यालय	क्रमोन्नत कर माध्यमिक शालाएं बनाई गई उनकी संख्या
1	2	3	4
1	अजमेर	213	12
2	अलवर	284	17

श्री उपाध्यक्ष : यह लम्बी सूची है, उन को लिखित में दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 26 जिलों का पढ़कर सुनाएंगे तो आधा घण्टा लग जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पढ़ने का कारण यह है कि कल यह प्रश्न उठा था तो यह कहा गया था कि हम तभी मानेंगे जब आप पढ़कर सुना दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सुना दें।

श्री रतनलाल वर्मा : उनको कापी दे दें।

एक माननीय सदस्य : आप पढ़कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो पढ़कर सुना दें।

श्री मूलचन्द डागा : यह सुनाइये कि कितने क्रमोन्नत किये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी उत्तर ही पूरा नहीं हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :—

1	2	3	4
1	अजमेर	213	12
2	अलवर	284	17
3	भरतपुर	274	27
4	जयपुर	436	42
5	झुंझुनूं	187	9
6	सीकर	273	16
7	सवाई माधोपुर	219	21
8	टोंक	123	8
9	बीकानेर	123	7
10	चूरू	171	12
11	गंगानगर	280	19
12	बाड़मेर	127	5
13	जैसलमेर	44	3
14	जोधपुर	235	4
15	जालोर	114	3
16	सिरोही	72	4
17	नागौर	221	14
18	पाली	167	10

श्री मूलचन्द डागा : बाप रे, क्या निर्णय है एक कलम से काट दिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:-

1	2	3	4
19	कोटा	218	23
20	बूंदी	96	13
21	झालावाड़	114	8
22	बांसवाड़ा	131	8
23	भीलवाड़ा	218	11
24	डूंगरपुर	111	6
25	चित्तौड़गढ़	187	13
26	उदयपुर	360	35

(3) अभी राजस्थान में 10×2 की योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में पाठ्यक्रम आदि के बारे में एक उच्चस्तरीय समिति विचार कर रही है। उसके बाद ही राजस्थान में इस पर कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : इस सूची में जालोर का नाम नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी पढ़ा है, 114, 3।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ नाम भूल गये हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया है जबकि मंत्री महोदय ने अपने क्षेत्र में छः स्कूल क्रमोन्नत किये हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह गलत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गलत नहीं है। मेरे पास लिस्ट है। मैं हर मामले में गलत नहीं हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि 3 साल तक मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने 50 50 स्कूल क्रमोन्नत किये हैं। बड़ी मुश्किल से क्रमोन्नत हुए हैं। 40 साल से कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ। आपके राज्य के 10 साल में 4 स्कूल क्रमोन्नत किये गये थे।

श्री एच. एन. शर्मा : इनके बारे में गलत बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे कोई एतराज नहीं है, दाऊदयाल जी। आपके कोटा में जो किया गया है, वह मैं जानता हूं। वहां के लिए माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे। कम से कम ठीक रेश्यो तो रखते, दूसरी जगह पर 33 और 42 का रेश्यो है। यह ऐसा रेश्यो है जो कोई मान नहीं सकता है। इतनी संकुचित विचार धारा नहीं रखनी चाहिए। कम से कम 8 और 10 का अन्तर रखना चाहिए था। क्या मंत्री महोदय इस तरह का प्रावधान रखेंगे ?

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : यह प्रश्न नहीं कर रहे सुझाव दे रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज्य में उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : तीस साल में इतना पक्षपात नहीं किया गया है जितना आपने एक साल में कर दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : यह गलत आरोप लगाया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमको बोलने का अवसर मिलेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : अपनी गलती को मत छुपाओ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में 127 स्कूलों में से 5 को क्रमोन्नत किया गया और जालोर जिले में 114 स्कूलों में से केवल 3 को क्रमोन्नत किया गया। यह दोनों ही पिछड़े जिले हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी नहीं क्रमोन्नत किया गया, जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है :

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : इस क्षेत्रीय विषमता को आपने जन्म दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी अपना सप्लीमेंट्री साथ ही पूछ लूं। मेरे पाली क्षेत्र में एक स्कूल भी नहीं खोला गया।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक स्कूल अभी खोला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया आप बिराजें।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : मैं भी एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछिये, आप मेरे सपोर्टर हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : श्री खेत-सिंह ने अपने मंत्री काल में अपने क्षेत्र में बहुत स्कूल खोले, क्या आप भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के जवाब के दौरान तालियों के बीच यह घोषणा की गई थी कि ग्राम विकास के मामलों में सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी। यह सुनकर हमने भी तालियां बजाई थीं....

एक माननीय सदस्य : यह कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पक्षपात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हम पक्षपात नहीं करेंगे, बराबर न्याय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें। माननीय महिला सदस्या पूछ रही है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे यहां तो स्कूल खोला ही नहीं गया और पैसा पता नहीं कहां चला गया ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मैं एक मौलिक प्रश्न पूछना चाहती हूं। इस वर्ष जो स्कूल खोले गये या क्रमोन्नत किये गये, वह किन आधारों पर किये गये ? क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय सदन मे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की मांग पर कटौती प्रस्तावों के समय भी आप इन प्रश्नों को उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह निर्णय ठीक है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, समय बहुत कम है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं। आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि जवाब न दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की भावनाओं की मुझे जानकारी है, लेकिन सदन की भावनाओं का भी मुझे खयाल रखना है। मुझे यह अधिकार है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब सप्लीमेंट्री हो चुके हैं, तो उनका उत्तर आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में जो स्कूल खोले गये हैं, उनके बारे में आप जांच करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत हो गया है। अब मैं स्थगित प्रश्न संख्या 44 ले रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, आप जवाब दीजिये।

एक माननीय सदस्य : मेरा भी एक सप्लीमेंट्री है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। पहले मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

श्री हरीसिंह यादव : मेरा केवल एक सप्लीमेंट्री है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, अब और कोई सप्लीमेंट्री नहीं अलाउ करूंगा। आप कृपया विराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार पिछले 30 वर्षों से यह स्थिति बनाये रखी गई है कि आबादी का कोई विचार नहीं रखा गया। आबादी के आधार पर जितने विद्यालय होने चाहिये उनकी घोर उपेक्षा की गई।

(व्यवधान)

केवल जानकारी के लिए.......

श्री मूलचन्द डागा: हमारा निवेदन है कि मौलिक आधार क्या था ? वह आधार बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उच्च माध्यमिक शालायें आबादी के हिसाब से जोधपुर में 220 होनी चाहिए जब कि वहां पर पहले ही 234 थीं और कोटा में माध्यमिक शालाएं और उच्च माध्यमिक शालाएं जहां 65 होनी चाहिए थीं; वहां पर 58 ही हैं। इस असमानता को अब दूर किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह बदले की भावना है, रांडी रोवना है और कुछ नहीं।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्न के सम्बन्ध में अब कोई विवाद करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह क्षेत्रीय असमानता समाप्त की जाय, श्रीमान्।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, इस से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री नवनीत पालीवाल : तीस वर्ष तक लूटकर रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा, कृपया सुनिये।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो सवाल पूछा गया है, उसका हाउस में जवाब नहीं दे रहे है, यह मेरा एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अटरू ग्राम में देशी शराब के ठेके की दुकान

197. श्री औंकारलाल चौहान (अटरू): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अटरू ग्राम जिला कोटा में आबादी के बीच में देशी शराब के ठेके की दुकान है ? यदि हां, तो इस दुकान को हटाने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में अपराधों की संख्या

199. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में 31 मार्च, 1977 से 30 जुलाई, 1977 और 31 मार्च, 1976 से 30 जुलाई, 1976 तक अपराधों की संख्या कितनी रही ?

उत्तर

राज्य में 31 मार्च, 1976 से 30 जुलाई, 1976 तक 18289 एवं 31 मार्च 1977 से 30 जुलाई, 1977 तक 21664 अपराध भा० दं० के अन्तर्गत घटित हुये।

राजनैतिक बन्दियों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

201. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या आपातकाल के दौरान मीसा के अन्तर्गत बन्दी व डी. आई. आर. में बन्द राजनैतिक बन्दियों ने अधिकारियों के खिलाफ जेल से शिकायतें की थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनकी जांच करेगी ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

(2) 27 जुलाई, 1975 से 29 जनवरी, 1977 तक अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें आईं ? जेलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है। जांच किये जाने की दृष्टि से उन शिकायतों का अध्ययन किया जा रहा है।

(2) विभिन्न प्रकार की कुल 88 शिकायतें प्राप्त हुईं। जेल वाइज सूची मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

Page No 24

(२५)

ग्राम पंचायत बासड़ी में हुई अनियमितताओं की जांच

202. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत बासड़ी में क्या क्या अनियमिततायें हुई हैं और वे किस किस के द्वारा कब कब की गई हैं ?

(2) उपरोक्त पंचायत की अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और क्या कार्यवाही करना बाकी है ?

(3) इस पंचायत में किस किस सरपंच उप सरपंच, कार्यवाहक सरपंच व पंचों में पंचायत का धन बकाया है ? यदि हां, तो उसके लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है?

(4) क्या इन व्यक्तियों के विरुद्ध राजपंचायत अधिनियम 1953 की धारा 73 के तहत कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां. तो कब और किस की जांच रिपोर्ट पर ?

उत्तर

(1) 1) श्री शंकरलाल कार्यवाहक, सरपंच बासड़ी पंचायत समिति कोटपूतली द्वारा पंचायत कोष की राशि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कोटपूतली में अपने निजी खाते में अनियमित रूप से दिनांक 23-8-69 को 10,570/- जमा करवाई गई ।

(2) श्री शंकरलाल द्वारा पंचायत कोष की राशि श्री मंगलाराम पंच को रु. 1,25,723/- अनियमित रूप से अग्रिम दिये गये ।

(3) श्री शंकरलाल द्वारा बैंक की जमा राशि में से 3357-24 पैसे अनियमित तौर पर निकाले गये ।

(4) श्री शंकरलाल द्वारा सन् 1971 से 1972 तक 8610-95 पैसे अनियमित तौर पर अग्रिम प्राप्त किये गये ।

(5) श्री मोतीराम पंच को वर्ष 72-73 में अनियमित रूप से रु. 17,30,69|- का अनियमित अग्रिम भुगतान किया गया ।

(6) खसरा नं० 158 ग्राम बासड़ी का रकबा 12 बीघा आबादी भूमि को अनियमित तौर पर बिना नीलामी विक्रय की कार्यवाही की गई ।

(7) खसरा नं० 158 में से हरे वृक्षों की नीलामी अनियमित तौर पर की गई ।

(8) ग्राम पंचायत बासड़ी की सब्जी मंडी में पंचायत कोष से दस दुकान व दस चौबारे अनियमित तौर पर बनवाये गये ।

(9) श्री भूरामल भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत कोष की राशि 795-93 पैसे चार्ज में नहीं संभलवाये गये ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस पंचायत को दिनांक 27-5-75 को भंग कर दिया है तथा विकास अधिकारी कोटपूतली को इस पंचायत का प्रशासक नियुक्त कर दिया है । जहां तक अनियमितताओं का प्रश्न है इस बारे में अंकेक्षण विभाग से विशेष आडिट कराया जा रहा है । इस मामले को पुलिस में देने बाबत भी कार्यवाही की जा रही है ।

(उत्तर)

(3) ग्राम पंचायत में निम्नलिखित व्यक्तियों के जुम्मे जांच के आधार पर पंचायत की धनराशि बकाया है :—

1. श्री शंकरलाल कार्यवाहक सरपंच — 4925–75/-
2. श्री मंगलाराम पूर्व सरपंच — 14316-60/-
3. श्री भूरामल पूर्व सरपंच — 795–90/-
4. श्री उमरावमल पंच — 1000–00/-

उपरोक्त व्यक्तियों से बकाया राशि वसूल करने के बारे में पंचायत का विशेष आडिट करवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) हां, राज्य सरकार द्वारा पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 73 के तहत कार्यवाही की गई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27–5–75 को इस पंचायत को भंग कर दिया गया है। यह कार्यवाही पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच पर की गई है। इस पंचायत के लेखों का विस्तृत अंकेक्षण कराये जाने के लिये परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लिखा गया है।

सहायक अभियन्ताओं को विभागीय परीक्षाएं

207. श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ताओं की विभागीय परीक्षाएं होती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ता यदि विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर पाता तो उसे नौकरी से हटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राजस्थान सिविल सर्विसेज विभागीय परीक्षाएं नियम 1959 की धारा 19 के तहत प्रत्येक सहायक अभियंता को 5 वर्ष की अवधि और तीन अवसर में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा धारा 22 (4) के तहत सेवामुक्त किया जा सकता है अथवा अन्य निम्न पद पर ग्रहणाधिकार हो, उस पर पदावनत किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : प्वाइंट आफ आर्डर, सर मैंने श्रीमन् की सेवा में एक प्रिविलेज मोशन दिया था, और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जवाब दिया था कि आपका मोशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप चेम्बर में आकर मिल लीजिये, विचार कर लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सारे अखबारों में छपा है और हाउस की इज्जत खराब हो गई।

श्री रामकरणसिंह : मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव अतिवृष्टि और बाढ़ के लिए दिया था। अतिवृष्टि और बाढ़ से हजारों पशु मर गये हैं, और मनुष्यों को नुकसान हुआ है। उसका जवाब सरकार से आ गया है लेकिन सचिवालय के अधिकारी उसको दबाये बैठे हैं। आपने कहा था, मुझसे चेम्बर में मिलें। मैं आपसे चेम्बर में भी मिला था। इस तरह का पक्षपात किया जाता है, यह मेरा बहुत गम्भीर आरोप है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से आप चेम्बर में मिल लीजिये। उस समय किस हैसियत में मैं आपसे मिला था, यह भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जहां तक आपके स्थगन प्रस्ताव का सवाल है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं मालूम करूंगा, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था, अभी जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैंने खुद पूछा है, माननीय सचिव महोदय ने कहा कि जानकारी आ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इसमें कोई संशय है तो आप चेम्बर में मिल लीजिये, मैं आपको बता दूंगा। मैं कोई बात कन्सील नहीं करूंगा, सेक्रेटेरियट लेवल पर भी कोई बात हैं तो उससे आपको सन्तुष्ट कर दूंगा कि यह जानकारी सही है। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि यह जानकारी सही है, आप मुझसे चेम्बर में मिल लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, चार पांच दिन हो गये······

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल भी प्रश्न पूछा था और आज भी, उसका उत्तर नहीं मिला है,

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में आपके पास उत्तर पहुंच जायगा, जो भी नियम है, उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैंने आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। वह मैंने यह दिया था कि राजस्थान के ढाई लाख कर्मचारी संघर्ष की राह पर हैं। सबसे पहले हमारे माननीय कैलाशजी ने स्टेटमेंट दिया था कि राज्य कर्मचारी और हमारे बीच में शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वार चल रही है। यह तो मेघवालजी ने कहा और उन्होंने यह भी कहा, सड़क पर खड़ा कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार होम मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था। सरकार ने उसको विथड्रा कर लिया, मुझे इसमें एतराज नहीं है लेकिन न्यायालय में विश्वास नहीं करके और केस विथड्रा कर लिया····

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने ही व्यग्र हैं तो चेम्बर में मिल लीजिये। सदन का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री केदार नाथ (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, डागाजी विटनेस थे, यह अब होस्टाइल हो गये हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है, आपके सचिवालय की विशेष कृपा से मुझे एक परेशानी पैदा हो गई है। तीन माधोसिंह हैं सदन में, उनके भाषण मेरे पास आते हैं और मेरी चिट्ठियां उनके पास चली जाती है। एक लिफाफा मिला है जिसमें माधोसिंह कछवाह लिखा है और अन्दर सवाल उसमें माधोसिंह रेवदर के हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं निवेदन करूंगा कि सदन में नहीं कहें, चेम्बर में मिल लीजिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : ऊपर माधोसिंह रेवदर लिखा है और अन्दर क्वेश्चन माधोसिंह कछवाह के है, यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

आधे घण्टे की चर्चा

परिवार नियोजन में ज्यादतियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें (तारांकित प्रश्न संख्या 8)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको अपने पास ही रखिये।

आधे घण्टे की चर्चा श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न संख्या 8 (16/मि. म.) के विषय में उठायेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा और श्री दिग्विजयसिंह इसका समर्थन करेंगे। श्री ललित चतुर्वेदी इसका उत्तर देंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर प्रश्न की ओर स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सदन के सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नसबन्दी में जो ज्यादतियां हुई हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सदन का नहीं, भार्गव साहब, मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी बैठे हैं ना।

श्री मूलचन्द डागा : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में हमेशा ध्यान मन्त्री महोदय का आकर्षित किया जाता है, यह रूल 131 में स्पष्ट दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : डागाजी, यह तो आपके ही पापों की तरफ मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। इससे कोई फायदा नहीं कि आप उनकी ओर इशारा करके बोलें और वह आपकी ओर इशारा करके बोलें। इसका परिणाम यह होता है कि आप दोनों की वजह से मुझे परेशानी होती है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम का थाना) : यह तो आपने जो पाप किये थे उसका परिणाम अब खुल कर बाहर आ रहा है। उस वक्त तो जिसको चाहा उसी को पकड़ कर जेल में धर दिया और चाहे जिसको पकड़ कर नसबन्दी कर दी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अभी तो आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : आपको हटाया सत्ता से इसलिये यह कह रहे हैं क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। कुछ माननीय सदस्य, बाऊदयालजी वगैरह हाथों से जो इशारा कांग्रेस के माननीय सदस्यों, की तरफ करते हैं यह उचित नहीं है। सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। यह असंगति है। इनको चाहिये कि जो भी इशारा करना हो वह चेयर के सामने इशारा करें। नहीं तो मुझे डर हैं कि कहीं यहां कोई बड़ा झगड़ा नहीं हो जाय। हो सकता है सदन में कभी कोई बड़ा हंगामा हो जाय। इसलिये आप इस पर व्यवस्था दें। यहां हाउस की पहले भी परम्परा यह रही है कि कभी कोई बात हुई तो हमेशा इशारा चेअर की तरफ ही किया जाता है। कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये, शान्त रहिये, माननीय सदस्य। मैं जबाब दे दूंगा। वर्माजी, बैठिये।

हो सकता है कि ऐसा इशारा करने की माननीय सदस्य की कोई स्वाभाविक मुद्रा हो।

श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के बन्धुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों को जेल में डाल दिया गया था और किस तरह से जबरदस्ती लोगों को पकड़-पकड़ कर उनकी नसबन्दी कर दी गई थी। उन्हीं पापों के कारण आप लोगों को इधर से उधर जाकर बैठने की नौबत आई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'कांग्रेसी बन्धुओं की वजह से हुआ' कहना बिलकुल गलत है और संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन रहे हैं यह जनता पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : क्या यह अपने को कांग्रेस बन्धु होने से इन्कार कर रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस वाले किसी प्रकार इस आधे घन्टे की चर्चा को बीच बीच में बोल कर टाल रहे हैं। यह इसी प्रकार बोल बोल कर आधे घन्टे का समय समाप्त कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखलाल सैंयुचा : क्या गिरधारीलाल जी भार्गव की नसबन्दी नहीं हुई ? यह भी बता दें बोलने के पहले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं नसबन्दी में विश्वास नहीं करता। आप यह तो बताइये कि आपके भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी हरिदेव जोशी ने नसबन्दी करवायी या नहीं ? उनके लड़के दिनेश जोशी ने नसबन्दी करवायी नहीं ? यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिह जी गिरधारीलाल जी भार्गव को मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं और यह अपना गुस्सा हम पर उतार रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से कांग्रेस वालों को नसबन्दी के नाम से ही अब नफरत हो गयी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अरे इनकी नसबन्दी तो जनता ने कर दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ज्यादा मत बोलो। थोड़े दिन ही हो। इतने उतावला मत हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े मन्त्री महोदय ने मुझे प्रश्न संख्या 8 के जवाब में दिये उसमें यह दिया गया कि 26-6-75 से लेकर अब तक कुल 133 शिकायतें आयीं, इनमें से 75 मामलों में नसबन्दी के कारण मृत्यु हो गयी और बाकी के केस जो हैं।......

श्री मूलचन्द डागा : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, यह गलत है। रूल्स आफ प्रोसीजर के अनुसार माननीय सदस्य द्वारा सिर्फ मन्त्री महोदय का काल अटेन्शन नोटिस की तरफ का ही ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसके बाद में मंत्री महोदय का जवाब होता है। उस जवाब के बाद ही माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को पूछते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव थोड़े ही है।

(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत समझ रहे हैं। यह तो 131 के अन्तर्गत चर्चा करने का कहते हैं जब कि श्री गिरधारीलालजी भार्गव ने रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल 135 के अन्तर्गत नोटिस दिया था।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, यह मेरी गलती हुई। ठीक है, यह तो आधे घन्टे की चर्चा इन्होंने उठाई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक आधे घन्टे की चर्चा इस सदन में उठायी है। आपातकालीन समय में हम लोग तो पकड़े जाकर जेल में डाल दिये गये। हमें यह बताया गया कि किस तरह से राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री जी के आदेशों से लोगों की जबरन नसबन्दी की गयी। नसबन्दी के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, बाद में हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा की कि जिन लोगों की परिवार नियोजन के कारण नसबन्दी के दौरान अगर मृत्यु हो गयी या जिन लोगों की नसबन्दी के कारण हालत बिल्कुल ही खराब हो गयी उनको या उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से पांच हजार रुपये दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा हमारे मुख्य मन्त्रीजी श्री हरिदेव जोशी जी, जो कि तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी थे, ने जाते जाते वाहवाही लूटने के लिये की। नसबन्दी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गयी उनके परिवार वालों को पांच हजार रुपये दिये जायेंगे व नसबन्दी के दौरान जिनकी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हालत खराब हो गयी उनकी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त चिकित्सा की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह रुपये दिये गये और कितनों की चिकित्सा मुफ्त की गयी? कितने लोगों को चिकित्सा के लिये आने-जाने का भत्ता दिया गया? यह जो आप आंकड़े देते है वह गलत हैं। इसमें कई लोगों के नाम नहीं हैं जिनकी नसबन्दी के दौरान मृत्यु हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अभी एक नाम बताता हूं, चूरू जिले में एक हुरतालिका गांव है जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को नसबन्दी की गयी। वह नसबन्दी का आपरेशन बिगड़ गया और वह व्यक्ति कुछ काम का नहीं रहा। इससे वह दुखी होकर बेचारा कुए मे छलांग लगाकर आत्म हत्या कर बैठा। तो मेरा निवेदन है कि कई ऐसे कैसेज हैं जिनके परिवार वाले बरबाद हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो उस वक्त जेल में धर लिये गये थे। हमें पता है क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि किस प्रकार भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी श्री हरिदेव जोशी ने मेडिकल विभाग और परिवार नियोजन विभाग के लोगों को बुलाकर दोपहर में यह कहा था कि यह टार्गेट पूरे होने चाहिये और अगर परिवार नियोजन अधिकारी इन टार्गेट्स को पूरा नहीं करेंगे तो मैं उन्हें देख लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिदेव जोशी जी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री राजस्थान ने इसके लिये सभी विधायकों को पत्र लिखा और जिले के कलेक्टर्स तक को लिखा कि आप सभी लोग मुझे सहयोग दें। इसके साथ अधिकारियों को डाट डपट की जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ट्रकों में भर कर ले गये और वहां ले जाकर उनकी नसबन्दी कर दी गयी। कई जगह पर गांवों में महिलाओं को पकड़ लिया और यह कहा कि अपने पुरुषों को लाओ। पुरुषों के आने पर महिलाओं को छोड़ा गया और बाद में कई जगह पर उन पुरुषों को रस्से से जबरदस्ती हाथ पांव बान्ध कर ट्रकों में पकड़ कर डाल दिया और ले जाकर उनकी नसबन्दी जबरदस्ती कर दी। जिलाधीशों को कहा कि अगर टार्जेट पूरे नहीं हुए तो उनके खिलाफ में सख्त कार्यवाही होगी। अपनी वाहवाही लूटने के लिये, हरिदेव जोशीजी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजी करने के लिये, उनकी नजरों में चढ़ने के लिये, उनके पुत्र भारत के शहंशाह संजय गांधी को खुश करने के लिये यह कहा कि राजस्थान में नसबन्दी के लक्ष्यों को दुगना पूरा किया जायेगा। इसका, उपाध्यक्ष महोदय, ज्वलन्त उदाहरण है कि किस प्रकार से बांसवाड़ा में भी दिनेश जोशी को शील्ड दी गया, श्री चंदनमल बैद को भी शील्ड दी गयी, श्री एल. सी. गुप्ता, जो कि बांसवाड़ा में कलेक्टर थे, को शील्ड दी गयी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भार्गव साहब ने हृदय सम्राट, और शाहजादा आलम और पता नहीं क्या क्या कह दिया। यह संजय गान्धी न तो कोई मन्त्री था न कोई एम. एल. ए. था, इन शब्दों को इस सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। भविष्य में उसके लिये ऐसे शब्द काम में नहीं लिये जाने चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर माननीय सदस्यों को इससे आपत्ति हो कि मैंने संजय गांधी को भारत का शहंशाह क्यों कह दिया, इसको अगर आप सदन की कार्यवाही से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : वह भारत के सम्राट नहीं, भारत के शहंशाह नहीं। उन्हें तो ख्वामख्वाह का शहजादा कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें कई लोगों को शील्ड मिली सिर्फ उस व्यक्ति को राजी करने के लिए जो कुछ नहीं था, न एम. एल. ए. था, न एम. पी. था। हरिदेव जोशी ने उसको राजी करने के लिये, मैं पूछना चाहता हूं, क्या खुद अपनी नसबन्दी करवायी थी? क्या उन्होंने अपने किसी भी लड़के की नसबन्दी करवायी थी? अगर नहीं करवायी तो फिर बांसवाड़ा में बेचारे हजारों की तादाद में गरीब आदिवासी लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर, डरा-धमका कर उनकी नसबंदी क्यों कर दी गयी? उन लोगों को शील्ड देने के लिये संजय गांधी गया था। इसकी लोगों में, अखबारों में, खूब धूम मची। इसके बारे में आप चाहें तो उन दिनों के अखबार देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में जो नसबन्दी की गई थी यह उसी तरह का जबरदस्त काण्ड था जैसा कि कांग्रेस सरकार ने तुर्कमान गेट पर किया था। मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी ने बांसवाड़ा में वाहवाही लूटने के लिये, संजय गांधी को राजी करने के लिये आदिवासी क्षेत्र के हजारों-लाखों की तादाद में लोगों के नसबन्दी के आपरेशन करवाये।

मैं समझता हूं कि यह बात अशोभनीय है।

श्री मूलचन्द डागा : फिर जीत कर आये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाखों की नसबन्दी की गई। नसबन्दी के भय से लोग जंगलों में जाकर छिपे। उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बांसवाड़ा में ज्यादा बहादुर लोग हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं? बांसवाड़ा को क्या इसीलिए चुना था पिछले मुख्य मन्त्री जी ने? माननीय मन्त्री जी, आप हिसाब निकालिये। आप मन्त्री हैं, कितनी बार अधिकारियों को ताड़ना दी गई और चिट्ठी लिखी गयी? माननीय मन्त्रीजी, क्या आपके ध्यान में यह नहीं था? आप भी मेरे साथ जेल में थे। आप भी आपातकाल की स्थिति में मीसा के नाम पर बन्द रखे गये थे। उस समय कई लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। उनको कहा, टार्गेट पूरे करो वरना नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। चार-चार महीने का वेतन लोगों का रोक दिया गया। एक आर्डर की कापी मेरे पास है, उसमें लिखा है, तुम या तुम्हारी पत्नी अमुक तारीख तक नसबन्दी करा लो वरना वेतन नहीं मिलेगा। मेहनत से अर्न किया हुआ वेतन राज्य सरकार ने रोक लिया। यही नहीं, लोगों के राशन कार्ड छीन लिये गये। नसबन्दी नहीं कराओगे तो राशन नहीं मिलेगा। राशन लोगों को नहीं मिला और वे भूखे मरे। इस प्रकार सारी बातें हुई हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिये, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य कर्मचारियों पर अत्याचार हुए, गरीब लोगों पर अत्याचार हुए। रिक्शा चलाने वालों को

Page No 32

(32)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कहा, बिना नसबन्दी कराये लाइसेंस नहीं मिलेगा। पटरी पर बैठकर जो धन्धा करना चाहता है या अन्य धन्धा करना चाहता है जो लाइसेन्स लेना चाहता है उसको कहा तुम्हें लाइसेन्स नहीं मिल सकता जब तक तुम नसबन्दी न करा लो। आप कहते हैं कि हम केवल नसबन्दी का प्रचार करते हैं। कांग्रेस सरकार ने यह अन्याय किया राजस्थान की जनता के साथ। जो नसबन्दी करने चले आज उन कांग्रेस के लोगों की नसबन्दी कर दी राजस्थान की जनता ने और उनको दूसरी ओर ले, जाकर बैठा दिया।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास सरकारी आंकड़े होंगे। आप क्या यहां वाहवाही लूटने के लिये आये हैं? जनता पार्टी के आप विधायक हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं नसबन्दी के आधार पर भारत की जनता पर, राजस्थान की जनता पर जिस प्रकार अत्याचार किये। जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा कि जनता पार्टी का राज आने पर जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जावेगा, जिनकी नसबन्दी की गयी और वह बिगड़ गयी उनका उपचार किया जावेगा, जिनके परिवार इस कारण बरबाद हो गये उनको बसाने का काम किया जावेगा। जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बहुत बड़े विषय हैं, भारत की जनता के सामने बड़े विषय हैं, गम्भीर विषय हैं और सुन्दर आंकड़ों और सरकारी स्तर से आपको उठ कर विचार करना होगा।

श्री मूलचन्द डागा : शाह कमीशन बैठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने डिस्कशन अलाऊ कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : 2 मिनट का समय दिया जाय।

श्री नाथूराम (बागीदोरा): बांसवाड़ा से आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। केवल 5 मिनट।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने इतने ही अत्याचार नहीं किये। मैं अपने चुनाव के दौरों में मेरे क्षेत्र में गयी हूं। मुझे उस समय वहां के लोगों ने बताया कि पन्द्रह पन्द्रह दिन तक टीबों के पीछे उनको छिपना पड़ा। नसबन्दी के शिविर लगते थे उस समय गांवों के लोगों को टीबों में छिपना पड़ता था। दादागिरी और हठधर्मी से इस नसबन्दी के काम को अपनाया गया। जिस तरीके से शालीनता के साथ इसको अपनाया जाना चाहिये था इसको नहीं अपनाया गया। भूखे प्यासे नागरिक 15-15 दिन तक छिपते फिरे। उनके अविवाहित बच्चों को इस प्रकार पटक पटक कर उनके ओपरेशन किये गये। नागरिकों को सताया गया। उनके आंकड़े माननीय मन्त्रीजी कृपा करके दे सकेंगे?

बच्चों को एडमिशन के लिये स्कूलों के अध्यापकों ने कहा कि अपने पिताजी की नसबन्दी का सर्टिफिकेट लाइये या अपनी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माताजी के ओपरेशन का सर्टिफिकेट लाइये तब आपको अपनी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। कोई बच्चा अपने मां-बाप को जाकर कैसे कहेगा कि सर्टिफिकेट दीजिये या ओपरेशन करवा कर सर्टिफिकेट दीजिये वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। नसबन्दी की कोई सीमा होनी चाहिये थी।

इस प्रकार उन दिनों आपातकाल की स्थिति के पीछे अत्याचार हो रहे थे। लोग बोल नहीं सकते थे, अपनी पीड़ा कह नहीं सकते थे। इस प्रकार से लोगों को दुखी किया गया, सताया गया। जयपुर में जगह-जगह पर लोगों को रोक कर, रिक्शा वाला है तो उसको पकड़ कर बैठा लिया गया और शिविरों में ले जाकर उसका आपरेशन कर दिया गया। स्कूल और सड़कों पर खड़े हैं, साइकिल हैं तो रोक कर उसको गाड़ी में पटक दिया गया और आपरेशन करके फेंक दिया गया। उसने कहा कि मेरी साइकिल को सम्भाल लूं, घर को सूचना दे दूं। लेकिन उसको इतना समय तक नहीं दिया गया। उठा-उठा कर शिविरों में लेजा कर उनकी नसबन्दियां की गयीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोगों को कहा गया आपको लाइसेन्स तब दिया जावेगा जब आप नसबन्दी का सर्टिफिकेट लाओगे। ठेके वालों को कहा गया, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया तब भी नसबन्दी कर दी गयी। इन सब अत्याचारों से कितने लोग बरबाद हुए हैं क्या माननीय मंत्री जी के पास आंकड़े हैं?

लोगों को कहा गया जब तक सर्टिफिकेट नहीं लाओगे राशन नहीं दिया जावेगा। सारा वातावरण गन्दा कर दिया गया। नसबन्दी के सर्टिफिकेट को लेकर लोगों के साथ अन्याय किया गया। मैं यह कहना चाहूंगी कि सही सही आंकड़े उनके पास नहीं है कि वे यह मानें कि सही नहीं मिले हैं। अपने को बचाने के लिये लोगों ने, अधिकारियों ने आंकड़े नहीं दिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि नियमों के अन्दर केवल आधा घण्टे की चर्चा है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लड़का कैलाशचन्द्र सन आफ मनफूल ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री दाउदयाल जोशी : सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का है और वह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए अस्पताल में 13 तारीख को भर्ती हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको अजेण्डा का मालूम था तो आप इस समय इसे क्यों उठा रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे सुन तो लीजिये। यह बच्चा अस्पताल में भर्ती हुआ 13 तारीख को। 15 तारीख को इसका आपरेशन कर दिया गया। ...

(व्यवधान)

Page No 34

(३५)

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट का समय मुझे अवश्य दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : मुझे केवल दो मिनट का ही समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बार बैठें तो सही।

श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नसबन्दी की ज्यादतियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया गया है इसलिये मैं अधिक नहीं कहूंगा लेकिन यह अवश्य है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी किसी पोस्ट के लिए एप्लाई करते समय भी जब तक नसबन्दी का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फार्म के साथ नहीं दिया जाये तब तक वह फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जायेगा, इस तरह की ज्यादतियां हुई। तो यह बहुत ही शर्मनाक था और इसकी सही सही जांच होनी चाहिए और आंकड़े आने चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल एक मिनट।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कानसिंह कमीशन को सारी जानकारी जो मिलनी चाहिए वह सारी जानकारी यहां पर ही आप इन्ट्रोड्यूज करना चाहते है तो आप ही सोचें इसके बारे में।

श्री दाऊदयाल जोशी : सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का वह लड़का है और वह यहां 13 तारीख को अस्पताल में भर्ती हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी बाद में दे देना।

श्री दाऊदयाल जोशी : 13 तारीख को भर्ती हुआ और 15 तारीख को आपरेशन कर दिया गया। मेरा अर्ज करना यह है...

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी आप दे चुके हैं, मैं सुन चुका हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग से प्रश्न पूछ लेना।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी जो जन्मांध था और कंवारा था वह कानसिंह आयोग में पहुंच नहीं सकता। ग्राम दीवलखेड़ा तहसील पिड़ावा का रहने वाला है। उसको पकड़ कर के नसबन्दी करवा दी। वह जन्मांध था और कंवारा था। वह नर्स जिसने यह नसबन्दी करवाई उसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कि मैं इस बारे में सी.एम.ओ. को कह चुका हूं और माननीय मंत्री महोदय को भी कह चुका हूं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी कान्सटीट्यूएन्सी का एक आदमी अभी तीन दिन पहले...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : मेरी कान्सटीट्यूएन्सी का आदमी बद्री तीन दिन पहले भर्ती हुआ और उसकी कोई नस नहीं जोड़ी गई और आखिर उसको वापस भेज दिया गया। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि नसबन्दी के मामले में इतने अत्याचार किये हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बस। बिराजिये।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, को एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई उदयपुर आये थे तो एक 14 वर्ष के आदिवासी बालक को वहां की सार्वजनिक सभा में पेश किया था। कृपया उसकी जानकारी भी हमें देने की कृपा करें कि क्या हुआ ? मैंने फोटोग्राफ्स भी दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पर डिस्कशन होता है तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन्स हो सकते हैं जिनकी आधा घण्टे में पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिये अब मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह उत्तर दें।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन यह है कि सर्टिफाइड कापी एस.डी.ओ. और तहसीलदार के यहां जैसा अधिकार है लोगों को लाने का वहां भी लोग सर्टिफाइड कापी लेने गये तो कहा गया कि आप अपनी नसबन्दी का सर्टिफिकेट देंगे तो कापी मिलेगी। इसके आंकड़े भी प्रस्तुत करें कि ऐसे कितने लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई जानकारी नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : आप जांच करवाइये....

(व्यवधान)

बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोगों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती पकड़ कर नसबन्दी करवाई गयी और लोग मर गए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई रिकार्ड नहीं किया जाये।

कृपया बिराजिये। आप इस तरह की चर्चा करेंगे तो मैं इसको बहुत बुरा मानूंगा।

श्री अमृतलाल : इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको मौका नहीं दूंगा। आप बिराजिये। इस समय मैं समय नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का कोई शब्द रिकार्ड में नहीं लाया जाये।

× × ×

(उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार रिकार्ड नहीं किया गया)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह क्या रवैया है ? पिछले दो तीन दिन से हम देख रहे हैं कि आप एक्सपंज कराते हैं, रिकार्ड नहीं करें— यह कहते हैं, फिर भी यह क्या शोभनीय व्यवहार है ? इस सदन की अपनी परम्परा है, गरिमा है संसदीय शिष्टाचार है, संसदीय नियम हैं। माननीय सदस्य खड़े होकर कोई बात हो उसे ठीक से कहें। इस तरीके से इशारे और हाथ पांव क्यों नचाते हैं ? दो तीन दिन से लगातार देख रही हूं पता नहीं क्या हाथ से इशारे कर करके बोल रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी, बिराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : और सुमित्रा जी को अधिकार दे दिया क्या पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने का ?

श्री रामकिशनदास गुप्ता : माननीय सदस्या ने जनता पार्टी के विधायकों की ओर दिशा करके बात कही है, यह उचित नहीं है। इनके सदस्यों की ओर से भी तो कई बार ऐसे ही कहा जाता है। शोभनीय व्यवहार का ठेका क्या इनका ही लिया हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो बात मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं उसे आपको भी महसूस करना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस संतप्त वेदना से इस विषय को सदन में रखा है और मुझे अवगत कराया है, मैं इनकी भावनाओं का आदर करता हूं। जैसा उन्होंने वर्णन किया है आपातकाल में उतना नहीं था, उतना सा ही नहीं था किन्तु इतना था कि जिसकी कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती और शब्दों में वह बातें प्रकट ही नहीं की जा सकती। शायद उसी के कारण उस समय की, तत्कालीन सरकार को आज यह समय देखना पड़ रहा है। एक निवेदन मैं निश्चित रूप से करना चाहूंगा आपातकाल के समय नसबन्दी के विषय को लेकर जो सारी बातें हुई हैं, जिन जिन को कष्ट हुए हैं जो बन्धु दिवंगत हो गए हैं, जिनको आगे जीवन में कार्य करना मुश्किल हो गया है सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है कि किसी भी सीमा से ऊपर जाकर उनको सहायता देगी। जो आंकड़े पहले प्रस्तुत किये गये थे, जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उसकी चर्चा थी। जानकारी और की गई है। जिला केन्द्रों से भी, जो कार्य उन्होंने निपटा दिये हैं, 713 शिकायतें और प्राप्त हुई हैं, जिनका डिटेल्स दी जा सकती हैं। उपचार करने की कोशिश जिला स्तर पर की गई। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स ग्रेसिया के रूल्स बने उनके तहत जो जो भी सुविधा देना संभव होगा दी जाएगी। उस एक्स ग्रेसिया रूल्स की चर्चा मैं फिर सदन में कर रहा हूं। राज्य सरकार ने 24 नवम्बर, 76 को एक्स ग्रेसिया के रूल्स जारी किये जिसके अन्तर्गत परिवार नियोजन स्वीकार कर्ता को राहत देने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत ऐसे परिवार नियोजन स्वीकारकर्ता को जिन की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई या काम्प्ली-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

केशन हो गये पुरुष की नसबंदी या महिला के लूपप्रविष्टि के अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि ऐसी सूचना हमको दी जायेगी कि जिनकी मृत्यु हो गई या मृत्यु हुई नहीं जिनका जीवन कार्य चलाना मुश्किल हो गया है एक्स ग्रेसिया रूल्स के अन्तर्गत किस प्रकार की उन सारी शिकायतों पर अविलम्ब कार्यवाही की जाएगी और किसी अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ेगा। इस बात की गारन्टी देना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निर्धारित फार्म पर आवेदन पत्र देकर सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित एवं सिफारिश करवाकर देने का प्रावधान है। अगर व्यक्ति ने दवाइयां खरीदी हों तो उसके साथ केस मीमो मरीज के नाम से प्रमाणित करवाकर प्रेषित करता है तो निश्चित रूप से देय है। किसी भी केस में अगर काम्प्लीकेशन चार सप्ताह में हो जाए और उसके लिए इलाज किसी संस्थान में आउटडोर इनडोर में करवाया जावे तो दवाइयों पर किया गया व्यय मिल जाता है अगर इलाज किसी प्राइवेट डाक्टर से करवाया जावे तो रकम देय नहीं होगी। इसी प्रकार सहायतार्थ राशि केवल उन दवाइयों के लिए दी जाती है जो चिकित्सा के लिए आवश्यक हैं लेकिन यह टानिक के लिए देय नहीं होगी। मजदूरी पर न जाने में नुकसान की पूर्ति एवं ड्यूटी पर गैर हाजिर होने पर प्रावधान इन एक्स ग्रेसिया रूल्स में किए गए हैं। इन नियमों के अन्तर्गत अगर कोई परिवार नियोजन आपरेशन स्वीकारकर्ता अपनी ड्यूटी से काम्प्लीकेशन के इलाज के लिए गैर हाजिर होता है तो विशेष अवकाश पुरुष के 6 दिन व महिला को 14 दिन दिया जाता है और उसके साथ 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दिया जाता है। राज्य कर्मचारी का अवकाश स्वीकार किया जाता है।

परिवार नियोजन के आपरेशन के स्वीकारकर्ता तथा लूप प्रविष्टि के पश्चात 10 दिवस के अन्दर मृत्यु होने पर चाहे वह किसी भी कारण वश हुई हो, 5000 रुपये तक की धनराशि मृतक के सही वारिस को देय है अगर किसी केस में काम्प्लीकेशन आपरेशन करवाने के 4 सप्ताह होने के बाद में मृत्यु हो जावे तो 5000 रुपये की धन-राशि देय है।

उसी के साथ साथ जिला कमेटियां जो प्रत्येक जिले पर बनी हुई हैं उनकी विशेष व्यवस्था की गई है। उन कमेटियों में जिलाधीश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोषाधिकारी होंगे। विशेष मामलों में जो उपरोक्त नियम में नहीं आते हैं, जिला स्तरीय कमेटी 500 रुपये तक राज्य सरकार 5000 रुपये तक देने के लिए सक्षम है अगर वह यह समझे कि ऐसा करना प्रोग्राम के हित में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना राज्य सरकार की तरफ से बनी है इस दृष्टि से आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

राज्य सरकार ने यह तय किया है कि दो नवम्बर से दो माह के लिये एक ऐसा केम्पेन राजस्थान भर में चलाया जाये किसी कारण शायद सम्भव हो कई लोग

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रार्थना-पत्र ठीक रूप से, ठीक स्थान पर नहीं पहुंचा सके हों, इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जायें। जिसकी चर्चा में आगे चल कर करूंगा जिला केन्द्र से टीम बनकर प्रत्येक ब्लाक केन्द्र पर जायेगी। तीन दिन तक वहां रहेगी उनके जाने की विज्ञप्ति पूर्व में ही प्रकाशित कर दी जायेगी कि परिवार नियोजन से जो भी बन्धु इस तरह पीड़ित हों तीन दिन में ब्लाक केन्द्र पर आयें उनकी देख भाल की जायेगी, उपचार करने की व्यवस्था की जायेगी। अगर अन्य स्थान पर ले जाना आवश्यक समझा गया, तो वहां ले जाया जायेगा। अगर जिला औषधालय ले जाने की आवश्यकता हुई तो जिला औषधालय ले जाया जायेगा। अगर जयपुर लाना होगा, तो जयपुर लाया जायेगा।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि राज्य सरकार के पास जो भी सूचना उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं यह अनिवार्य समझता हूं कि इसके लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जावे ताकि माह नवम्बर के अन्त तक समस्त राजस्थान के जिलों की जानकारी प्राप्त की जा सके और जहां भी आर्थिक लाभ देने का प्रश्न हो, नियमों के प्रावधान के अनुसार, उनको राहत दी जाये। इन्हीं सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए निम्न योजना बनाई जा रही है।

राज्य स्तरीय समिति का निर्माण किया गया है। प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कालेज उसके सदस्य होंगे। अधीक्षक, एस.एम.एस. एवं जनाना अस्पताल, सदस्य होंगे। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सदस्य होंगे। विशेषाधिकारी, राजस्थान परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर सदस्य होंगे और राज्य परिवार कल्याण अधिकारी कन्वीनर सदस्य होंगे।

उक्त कमेटी राज्य स्तर पर इस योजना का संचालन करेगी तथा जिलों में उच्च-स्तरीय अधिकारियों को समय समय पर भेज कर इसके संचालन का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस योजना की विधिवत शुरुआत 2-10-77 से कर दी जावेगी।

इसी प्रकार जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कन्वीनर सदस्य होंगे। दो सर्जन सदस्य होंगे, गायनालॉजिस्ट सदस्य होगा, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य होगा। जहां मेडिकल कालेज मुख्यालय है वहां कालेजों से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जावेगी। यह कमेटी अपना कार्यक्रम बना कर उसे लोकल प्रेस द्वारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों द्वारा सारे जिले की जनता को अपने कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी देगी। जो टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जावेगी वहां वह कम से कम 3 रोज रहेगी तथा उसमें जाने वाले चिकित्सकों के नाम व तिथि भी कार्यक्रम के साथ ही प्रकाशित कर दी जावेगी। जिला स्तरीय कमेटियां पंचायत समिति वार अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी को तुरन्त भिजवायेंगी जिसमें उनके द्वारा किये कार्य का सम्पूर्ण विवरण होगा जो निम्न प्रकार है :—

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(1) सब शिकायतों का पंजीकरण।

(2) जिन नसबन्दी के बीमारों को जहां निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, कराई जावे।

(3) जिन केसेज को चिकित्सा सुविधा के लिए जिला मुख्यालय अथवा मेडिकल कालेज अस्पतालों को भेजना हो उसका उसी प्रकार निःशुल्क प्रबन्ध किया जावे।

(4) जिन पीड़ितों को नियमों के प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता देनी हो वह जिला स्तरीय समिति द्वारा उनके सीमित अधिकारों तक दिलाया जावे तथा जिन मामलों को राज्य स्तर पर भेजना हो उन्हें तुरन्त भिजवायें।

(5) जहां यह शिकायत हो कि पीड़ित का पंचायत हैड क्वार्टर या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आना सम्भव नहीं हो उनको उनके स्थान पर देखकर ऊपर बताये गये बिन्दुओं के मुताबिक राहत पहुंचाना।

इस सारे कार्यक्रम को इस प्रकार संचालित किया जावेगा ताकि 30-11-77 तक सारे जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाकर किये गये कार्य का विस्तृत विवरण राज्य स्तरीय कमेटी को माह दिसम्बर के मध्य तक प्रस्तुत किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा जो सचमुच पीड़ित हैं और जिनकी जबरन नसबन्दी की गई है, जिस कारण से पीड़ित हैं मैं आपके माध्यम से समस्त बन्धुओं को निवेदन करना चाहूंगा उसके लिए दो अक्टूबर को रखने का प्रावधान किया है, छुट्टी का दिन है इसलिए मैं चाहूंगा जो कार्यक्रम बने माननीय विधायक पहुंचे ताकि ऐसा कोई केस न रहे कि जो पुरानी सरकार द्वारा पीड़ित हो, उनका यह सरकार सहायता न दे सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस कमेटी में जन प्रतिनिधि नहीं रखे गये हैं। जिलेवाइज जन प्रतिनिधियों को सूची देनी चाहिये थी जिससे वास्तव में जो अन्याय हुआ है वह बता सकें। दूसरा मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में जांच होना आवश्यक है। इन दोनों प्रश्नों पर माननीय मंत्री महोदय प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर इस सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे। जैसा कि कई जगह देखा गया है कुंआरों की नसबन्दी कर दी गई है इसलिये जन प्रतिनिधियों को लेना बहुत आवश्यक है।

श्री सुखलाल सैंणचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा जिन्होंने ज्यादतियां की हैं वे अब शासन से बाहर हैं। यह सजा तो मिल चुकी है लेकिन यह बताया जावे कि भविष्य में परिवार नियोजन, जिसे आपने अब परिवार कल्याण का नाम दिया है, के सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है, क्या नीति है और आपके क्या टार्गेट्स हैं? ग्रामीणों को उत्साहित करने के लिये क्या करना चाहते हैं? प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी ने यह बात कही है कि अगले 10 साल में बेरोजगारी मिटा देंगे एक तरफ अगर इस तरह ही आबादी बढ़ती रही तो यह किस प्रकार सम्भव होगा?

Page No 40

(५०)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दीजिये ।

श्री सुखलाल सैणचा : इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है, बता दें ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह योजना उन पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये है, जो आप लोगों के द्वारा नसबन्दी से पीड़ित हो गये हैं । आप लोगों ने 15-16 साल के बच्चों की भी नसबन्दी कर दी है, यह उनको सहायता पहुंचाने के लिये है । आप अभी किस हवा में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि जो वास्तविक सूचनाएं हैं, उनका माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से पता है और उनका जनता से सम्पर्क रहता है । सरकारी अधिकारियों द्वारा दिये गये आंकड़े तो फिर वही आंकड़े आयेंगे और उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विचार किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, वह ठीक है । जिले में जिन जिन ब्लाक्स में जाना होगा और जो जो ब्लाक जिस जिस विधान सभा क्षेत्र में होंगे वहां के विधायक उस कमेटी के लिए वहां पधारेंगे ही, मैं चाहता हूं एक एक जिले से तीन तीन माननीय सदस्यों को ब्लाक में बांटकर सहयोग ले लिया जायगा ताकि इस काम को और भी अधिक सुचारु रूप से किया जा सके । जहां तक इन्क्वायरी का प्रश्न है कानसिंह कमेटी को सारी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं । माननीय सदस्यों द्वारा जो जानकारी दी जायगी, उसकी जांच कराने के लिए भी आश्वासन देना चाहता हूं ।

श्री सुखलाल सैणचा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । परिवार नियोजन के लिये

श्री रतनलाल वर्मा : जितने कांग्रेसी राजी खुशी आपरेशन करायेंगे, हम सबका कर देंगे ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24, शिक्षा की प्रस्तुती

श्री उपाध्यक्ष : अब जो कार्य सूची में है अनुदानों की मांगों पर विचार.......

(विराम) I am sorry.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 24 मुख्यशीर्षक शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 101 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत की गई ।

मांग संख्या 24 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल):

1. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति को रोजगार उन्मुख बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की तीनों अकादमियों का विलय करके एक विभाग बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगीत कला संस्थान के अन्तर्गत कत्थक कला केन्द्र खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के रवीन्द्र मंच पर होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

5. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु छात्रों को स्कूलों में शिक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में केवल लोगों को साक्षर ही नहीं बना कर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बधिर, मूक और अंधे विश्वविद्यालय और अधिक खोलने एवं उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकार लाल चौहान (घटरू) :

9. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में शिक्षा का अधिक प्रसार कर उसे रोजगारोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

10. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री अजीतसिंह (टोंक):

11. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया :

12. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में जिला शिक्षाधिकारी का कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये)

श्री अजीत सिंह :

13. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को तुरन्त व्यवसायिक शिक्षा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्कूल और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

15. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा से अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में साल भर अध्यापकों की कमी रहने से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों मे अध्यापकों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)

17. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में राजकीय विद्यालय खोलने की अपेक्षा शहरों में अधिक व्यय किये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

18. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा जो चपरासी पार्ट टाइम के नाम पर दो तीन वर्षों से लिये गये हैं, उन्हें स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के खोले जाने में पक्षपात एवं भेद-भाव की नीति अपनाने के कारण जोधपुर डिवीजन की जनता में व्याप्त तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दोषपूर्ण शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार में राज्य सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर, जैसलमेर एवं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बीकानेर सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती छात्रावासों के अनुदान की राशि को राज्य से प्राप्त करने में बहुत देर हो जाती है जिससे छात्रावासों का प्रबन्ध बिगड़ जाता है, अतः अनुदान की राशि की प्राप्ति सचिव शिक्षा विभाग से न होकर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी एवं हायर सैकेन्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्तन कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के राजकीय महाविद्यालय, छात्रावास के भवन निर्माण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान न देने से विद्यार्थियों में व्याप्त तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)

26. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

27. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कन्या शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक छात्रावास सांचोर के लिये अनुदान देने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में डूङसण प्राथमिक पाठशाला एवं नलदरा प्राथमिक पाठशाला बिना कारण बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

32. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांचोर जिला-जालौर में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नलदरा प्राथमिक पाठशाला जो चल रही थी, को बन्द कर ग्रामीण लोगों के साथ अन्याय करने पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर सार्वजनिक छात्रावास के लिए अनुदान देने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन निर्माण एवं भवन मरम्मत के लिए विभाग द्वारा बजट प्रावधान करने में उपेक्षा की चर्चा के लिए)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

36. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिजड़ों को स्कूलों में भर्ती नहीं करने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में महिला शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के छात्रों में चरित्र की गिरावट व स्कूलों व कालेजों में व्याप्त अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के शिक्षकों की दयनीय आर्थिक स्थिति व समाज में उचित आदर भाव के अभाव से छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यवसायिक शिक्षा की कमी के कारण बढ़ती हुई बेकारी एतदर्थ दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में न तो चरित्र निर्माण ही होता है और न ही व्यक्ति अच्छा नागरिक ही बनता है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों की क्रमोन्नति में किए गए सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

44. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना में क्रमोन्नत की गई उच्च प्राथमिक शाला के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

45. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई सरकार द्वारा स्वीकृत स्कूलों को रद्द करने की अनियमित कार्यवाही पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में कायरत पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पद स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)

47. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अस्थायी चपरासी केवल सत्तर रुपये माहवार पर नियुक्त करने पर चर्चा के लिए)

48. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के अध्यापकों की सर्विस बुकों की डुप्लीकेट उन्हें न देने की चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव गरनिया व कालेषा में स्वीकृत मिडिल स्कूलों की स्वीकृति रद्द करने की चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा राजनैतिक दृष्टिकोण से कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):

51. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में कालेज के अध्यापकों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के खोले जाने में आपाधापी बरतने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (स्कूल खोलने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर कालेज में स्नातकोत्तर कक्षा न खोलने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 46

(११८)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्ति में सरकार द्वारा पक्षपात बरते जाने पर चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्ति में आर० एस० एस० के लोगों को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) :

58. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामदेव (मूण्डवा) :

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई स्कूलों के खोलने में पक्षपात पूर्ण रवैये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

60. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन स्कूलो को खोलने में सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) :

61. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (80 प्रतिशत सहायकों को दिये जाने वाले कालेजों विशेष कर संस्कृत कालेजों को विभाग द्वारा टेक ओवर नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

62. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर-सिरोही जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों की भयंकर कमी को मिटाने हेतु चर्चा के लिये) ।

63. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में संस्कृत शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जिला पुस्तकालयों में पुस्तकों, साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्रों की खरीद में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में राजस्थानी भाषा के विकास की ओर दुर्लक्ष्य को मिटाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

66. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में एक कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

Page No 47

(५१)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल):

67. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (भीनमाल व मोरसीम की उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन):

69. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौहटन क्षेत्र जिला बाड़मेर में कोई पाठशाला नहीं खोलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर):

70. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर, दांतराई व सोलदर उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं):

71. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत भारत के एवरेज के मुकाबले में कम होने एवं शिक्षा के गुणात्मक विस्तार पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बुडानिया ग्राम जिला झुंझुनूं की उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किये जाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शाला भवनों तथा उच्च प्राथमिक शाला भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के संधारण हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल पेरन (नसीराबाद):

75. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद में बालिका हितकारिणी उच्च माध्यमिक विद्यालय को राज्याधीन की जाकर उसे बालिका महाविद्यालय में परिणित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर नगर में विश्वविद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

77. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को विभाग में पंजीयन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितता के कारण देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रीड़ा परिषद् में दैनिक वेतन व भत्ते पर रखे जाने वाले व्यक्तियों को वाउचर बेसिस पर वेतन देने के कारण परिषद् को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

80. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय में पी. एम. टी. सन् 1976 एवं 1977 के परीक्षाफल में कुछ परीक्षार्थियों को गलत व भ्रष्ट तरीकों के साथ फेल कर देने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

81. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं की दयनीय स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा घोर उपेक्षा करने पर चर्चा लिये)।

82. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये स्कूल और कालेज खोलने उन्हें सहायता देने में क्षेत्रीयवाद व सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

83. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में नैतिक शिक्षा हेतु पर्याप्त कक्षा, सभी के लिये कम्पलसरी किये जाने हेतु चर्चा के लिए)

85. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्याधीन करने के बारे में चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सैकन्डरी स्कूल तक की शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री नवरंगसिंह)

87. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिक छात्रवृत्तियां दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देश में झुन्झुनूं जिले से सबसे अधिक सैनिक देश-सुरक्षा के लिये अर्पित करता है किन्तु राज्य सरकार इस जिले में सैनिक स्कूल खुलाने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में छोटे बच्चों के पढ़ाने के समय में पारी परिवर्तन हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :

90. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में परिवर्तन कर तकनीकी शिक्षा विशेष कर औद्योगिक शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकन्डरी स्कूल में चपरासियों की तादाद कम की जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़):

92. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकन्डरी स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है इन परीक्षाओं में जिन अध्यापकों ने सैकेन्डरी स्कूल्स में अध्यापन कार्य किया है वे ही भाग ले सकते हैं, के संबंध में चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमती सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ जि० चुरू को फिलहाल 40 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाता है, अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक शाला में अस्थायी तौर पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें दो रुपया पचास पैसा प्रतिदिन दिया जाता है, उनकी मजदूरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हेमासर-डरड़ा, लालपुरा, बाड़ा भोजलाई, रणधीसर बास, कुहाड़िया त० सुजानगढ़ जि० चुरू के गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा चाड़दास ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ में सैकेन्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री रावतराम आर्य)

97. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती गांवों की प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन):

98. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनोपयोगी होने पर चर्चा के लिये)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

99. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यक्ति के चरित्र निर्माण हेतु शिक्षा में समुचित व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये)।

100. श्री नारायण (लसाड़िया) :

श्री गुलाबचन्द कटारिया :

101. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चल पुस्तकालय कोटा की मोटर में पेट्रोल की खपत में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चल पुस्तकालय कोटा के भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा धन का दुरुपयोग जांच में सिद्ध हो जाने पर भी उसका कोर्ट में चालान पेश करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर के भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध जांच में अनियमितताओं व गबन व अपव्यय सिद्ध हो जाने पर भी उनका कोर्ट में चालान पेश करने में सरकार द्वारा विलम्ब करने पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) :

104. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी उच्च स्तरीय तकनीकी पुस्तकों को हिन्दी में उपलब्ध करने में विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारे राजस्थान में निरक्षरता मिटाने के लिये साक्षर सेवा बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को पूर्णत: समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वयस्क शिक्षा के लिये साक्षर सेना बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

कम कर दिया जाय (हुशामपुर तह० नीम का थाना में सैकेन्डरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

109. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमला, डेरा, अकेरी भूंड़ी जिला अलवर को उच्च प्रा० वि० में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)

110. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजपुर, पलवा, पाटन जिला अलवर को उच्च मा० वि० में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)

111. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजकीय उच्च मा. वि. राजगढ़ (अलवर) में कामर्स विषय खोला जावे, इस पर चर्चा के लिये]

112. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कराये जाने हेतु चर्चा के लिये]

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

113. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवर्तमान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देने से व संस्कृत शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के समान वेतनमान नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

114. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में जो धौलपुर क्षेत्र की उपेक्षा की गई है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

115. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में शाला भवन निर्माण के बारे में पक्षपात की नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में शाला भवन निर्माण कराने में शिक्षा विभाग द्वारा भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मिडिल स्कूल भवन, मा. वि. एवं उच्च मा. वि. भवन राज्य सरकार के अधीन लेने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

118. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों की पदोन्नति के आधार पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के 1-9-76 को परिवर्तित वेतनमानों में स्थिरीकरण नहीं होने की चर्चा के लिये)।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

120. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र में शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया-कम कर दिया जाय (शिक्षा की बुनियादी नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है व छात्रों की मौजूदा शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

122. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के बारे में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को अनिवार्य किये जाने तथा स्कूल के अध्यापकों के फिक्सेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ कस्बे में डिग्री कॉलेज की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

127. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर कॉलेज में विज्ञान संकाय खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा):

128. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क):

129. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में बहुत अनियमितता व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री पद्मसिंह (निम्बाहेड़ा):

130. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई):

Page No 53

(53)

श्री शिवराज सिंह (बस्सी) :

131. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी व बांदीकुई चुनाव क्षेत्रों के स्कूलों के भवनों की कमी का पूर्ति करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी व बांदीकुई चुनाव क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) :

133. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले के स्कूलों के लिए बजट प्रावधान कम होने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सागवाड़ा में कालेज खुलवाये जाने पर पर चर्चा के लिये)।

श्री नवनीत कुमार (नाथद्वारा) :

135. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय शिक्षा संस्थाओं द्वारा मनमाना शुल्क वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानान्तरण सम्बन्धी अव्यवहारिक असंतुलित नीति के कारण शिक्षकों व शिक्षा पर होने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों के शोषण पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैयक्तिक, राजनैतिक या प्रशासनिक कारणों से किये जाने वाले स्थानान्तरणों से पड़ने वाले अर्थ भार पर चर्चा के लिये)।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) :

139. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली जिला पाली में स्कूल क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

140. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

141. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना जरूरी है इस पर चर्चा के लिये)।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

142. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों में व्याप्त अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये) ।

143. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकाल में मैरिट फार्मूला से हुए अन्याय एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

144. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के प्रधानाध्यापकों के अगस्त 77 में टाटगढ़ में हुए सम्मेलन की अनावश्यकता एवं फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये) ।

145. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कुवाथल, दवेर, कूकड़ा एवं कालादेह में माध्यमिक विद्यालयों एवं बस्सी में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ग्राम भीम में बालिका माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम में वाणिज्य एवं कृषि विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

147. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी क्षेत्रों की ओर अध्यापकों की बढ़ती हुई रुचि के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की नीति द्वारा केवल अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है, स्वर्ण निर्धन छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने हेतु चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान में विद्यालयों में कृषि शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा किये जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

150 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में इस वर्ष छात्राओं की पर्याप्त संख्या होते हुए भी कोई नवीन राजकीय महाविद्यालय न खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं को पुनः शिक्षा विभाग के अधीन करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(श्री करतारसिंह)

153. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों में खेल मैदान व खेल सामग्री की पर्याप्त कमी के बारे में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की दृष्टि से अजमेर के महत्व को देखते हुए विश्व विद्यालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में छात्रावास के अभाव से ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में हो रही कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा को कम महत्व दिये जाने से ग्रामीण जनमानस में उत्पन्न निराशा के बारे में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा छात्र शिक्षकों की तुलना में छात्राओं की शिक्षा पर बहुत ही कम ध्यान देने के बारे में चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष नवीन स्कूल खोले जाने, विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में बरते गये भेदभाव से जनसाधारण में उत्पन्न असन्तोष के बारे में चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहले से ही गत वर्षों के क्रमोन्नत विद्यालयों व नवीन खोले गये विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के बावजूद भी इस वर्ष और अधिक विद्यालय खोलने तथा क्रमोन्नत करने व अभी तक पर्याप्त अध्यापक न पहुँचने के फलस्वरूप छात्रों को विद्या अध्ययन में हो रही हानि के बारे में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों में भवनों के अभाव के फलस्वरूप बालकों को हो रही परेशानी के बारे में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों में पर्याप्त अध्ययन सामग्री के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के साथ किये जा रहे शोषण के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

163. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों को

Page No 56

56

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

दिये जाने वाले अनुदानों का दुरुपयोग एवं आन्तरिक परीक्षा राजस्थानी, विद्यार्थी एवं खिलाड़ियों की उपेक्षा की वर्तमान शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री नूरा (मसूदा) :

164. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल एवं तकनीकी शिक्षा में रिजर्वेशन कम करने एवं सीटें बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के स्थानान्तरण में राजनैतिक पक्षपात किये जाने एवं शिक्षक संगठनों की मान्यता के बारे में चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पूरा वेतन समय पर दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

167. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

168. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में सिन्डीकेट के गठन में विलम्ब करने से विश्वविद्यालयों के सुचारु कार्य में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवम् प्राध्यापकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और उसको रोकने के उपाय पर चर्चा के लिए)।

170. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने के नियम (ग्रान्ट–इन–एड रूल्स) सरलीकरण व सुधार करने हेतु चर्चा के लिए]।

171. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाविद्यालयों में विभिन्न परीक्षा प्रणाली का प्रचलन एवं तृतीय श्रेणी को कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय से हटाने हेतु चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में क्रीड़ा एवं खेलकूद को बढ़ावा एवं उत्साह देने की असफल नीति पर चर्चा के लिए)।

(श्री मथुरादास माथुर)

173. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूलों एवं कालेज भवनों के बनाने हेतु धनराशि नहीं उपलब्ध कराने तथा शिक्षण संस्थाओं (सरकारी एवं गैर-सरकारी) भवनों का समय समय पर निरीक्षण नहीं करने में राज्य सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न कक्षाओं में उर्दू विषय पढ़ाने पर सरकार की नीति एवं उस पर अमल कराने हेतु चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई शिक्षा प्रणाली 10+2+3 के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

176. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक, माध्यमिक, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों तथा स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अव्यवस्थित ढंग से खोलने तथा भेदभाव की नीति अपनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

177. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना तहसील के ग्राम कलसाडा के सैकेण्डरी स्कूल की आज्ञा निरस्त करने की अनियमित कार्यवाही पर चर्चा के लिए)।

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) :

178. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा नई पाठशालाओं के खोलने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

179. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा उच्च प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत कराने बाबत चर्चा के लिए)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

180. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई पाठशालाएं एवं कालेज खोलने में सरकार द्वारा घोर पक्षपात करने पर चर्चा के लिए)।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

182. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नई पाठशालाएं खोलने में सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

(श्री शीशराम ओला)

183. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय को क्रमोन्नत करने में सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा प्रसार के बारे में सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):

185. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना निर्वाचन क्षेत्र में और हाई स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):

186. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा):

187. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल खोलने में वर्तमान सरकार द्वारा पक्षपात किये जाने व राजनैतिक आधार पर खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां):

189. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपायों पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं):

190. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय माध्यमिक स्कूल, गीजगढ़, जिला जयपुर के अध्यापकों को गैरकानूनी तरीके से निलम्बित करने और जांच प्रारम्भ किये बिना ही अनिवार्य सेवा निवृत्त करने के मामले पर चर्चा के लिये)

191. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजला कालेज के छात्रों द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खेल परिषद् द्वारा की जा रही मनमानी व अनियमितताओं को देखते हुए परिषद को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)

193. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

194. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजला कालेज में छात्रावास बनाने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों व कर्मचारियों की सेवाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाल ही में खोले गये स्कूलों में अध्यापकों को भेजने में की गई देरी पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों के रहने के लिये मकान बनाने का कार्य सरकार अपने हाथ में नहीं ले रही है जिससे पढ़ाई स्तर में गिरावट आने पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (सैकेन्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर चयन के लिए प्रार्थी को सैकेन्डरी स्कूल में पढाने के अनुभव को मुख्य आधार मानकर प्रमोशन करने पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकेन्डरी स्कूल सालासर, जिला चूरू के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भयंकर घोटालों के आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

200. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरसागर व फलोदी क्षेत्र में पाठशालाओं को क्रमोन्नत किया जाय इस प्रयोजन हेतु चर्चा के लिये)।

श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) :

201. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी शिक्षा की बढ़ोतरी बाबत तथा चित्तौड़गढ़ में इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों हेतु, जो कि ग्रामीण अंचल में विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, आवास की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावत भाटा अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का केन्द्र होने पर भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उस पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर पंचायत समिति में न्यूनतम शिक्षा के अनुसार हा० सैकेण्डरी तक की शिक्षा की सहूलियत प्राप्त कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

205. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अभी तक शिक्षा नीति पर कोई निर्णय नहीं लिया है कि 10+2+3 लागू क्यों नहीं की जा रही है और कब तक यह निर्णय लिया जावेगा इस पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक निरीक्षक द्वारा मास्टरों के तबादले किए गये उन पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निवारिया, त० देवली में भवन व लड़कों की पर्याप्त व्यवस्था होते हुए भी वहां पर इस वर्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा उच्च महाविद्यालय को एग्रीकल्चर कालेज में पदोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी):

209. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी कालेज की छतें टूटी हुई हैं और लाइब्रेरी अधूरी है इस पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी हायर सैकेण्डरी स्कूल में कमरे बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हायर सैकेण्डरी स्कूल में कमरे बढ़ाने बाबत, कालेज लाइब्रेरी पुस्तकालय को पूरा किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) :

212. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन हाई स्कूल में लड़के एवं लड़कियों के कॉमन रूम की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

213. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में प्राइमरी स्कूलों का अभाव तथा सरकार द्वारा अपेक्षित नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रिड़मलसिंह (सीकर) :

214. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इलाके में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

215. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल जो खुले हैं वे क्राइटेरिया के बगैर खुले हैं इससे इलाके में असन्तोष है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

216. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर क्षेत्र में कॉलेज नहीं खोले जाने से व्याप्त जन-आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री बहादुर सिंह: (नोहर):

217. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल):

218. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूली शिक्षा के साथ साथ दो घन्टे प्रतिदिन उत्पादन श्रम कार्य अनिवार्य करने बाबत चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की संस्थायें हैं वहां छात्रावास सुविधा बाबत चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा पंचायत क्षेत्र में लागू शिक्षा कर को केवल प्राइमरी स्कूल में ही दिया जाता है मिडिल व सैकेन्डरी स्कूल में नहीं इस बाबत चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन शिक्षकों के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की जायं उन्हें दुरुस्त स्थानों पर स्थानान्तरण करने बाबत चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कालेजों के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान अविलम्ब 1-1-1973 से प्रदान कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के महाविद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण संबंधी स्पष्ट नीति की घोषणा करने और उसकी अनुपालना करने संबंधी चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले स्कूल भवनों को सरकारी सहायता दिलाने की चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये विद्यालयों में शिक्षक, स्टाफ एवं अन्य अव्यवस्थाओं की बाबत चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च शिक्षा के महाविद्यालय खोलने के बजाय तकनीकी शिक्षा केन्द्र प्रत्येक जिले में स्थापित करके बाबत चर्चा के लिये)।

Page No 62

(62)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

227. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित बाल विद्या मन्दिर, मांडल को आपात स्थिति में सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लेने पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले के शिक्षकों को पेपर सीनियोरिटी प्रदान की जाय ताकि वरिष्ठता के आधार पर जब से पदोन्नति के हकदार होते हैं, उनकी पदोन्नति के प्रश्न पर वरिष्ठता के आधार पर निर्णय करने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा, वेतन आदि की सुरक्षा हेतु सेवा सुरक्षा बिल विधान सभा में सरकार द्वारा अविलम्ब प्रस्तुत करने बाबत चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां प्राथमिक व अन्य विद्यालय है वहां अनिवार्य रूप से प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर न दी जाकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान करने संबंधी चर्चा के लिये)।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

232. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों का अभाव तथा मेंडी स्कूल से छात्रों की अधिकतम संख्या होते हुए भी क्रमोन्नत नहीं होने से हो रहे असन्तोष के साथ साथ विश्वविद्यालयों में असमय परीक्षायें तथा प्रशासन में अव्यवस्था पर चर्चा हेतु)।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

233. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की पोस्ट को समाप्त करना चाहिए जिससे कि राज्य कोष में बचत हो सके इस पर चर्चा के लिये)।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) :

234. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

235. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में स्कूलों के लिए समुचित भवन व्यवस्था कराने में विभाग द्वारा कोई निश्चित नीति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामकिशोर मीणा)

236. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मेघराज (चूरू) :

238. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू कस्बे में अब तक गर्ल्स कालेज न खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में राजकीय प्राइमरी स्कूलों में क्राइटेरिया के मुताबिक अध्यापकों की नियुक्तियां न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कालेज, चूरू में लॉ क्लासेज चालू कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

241. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा स्तर में गिरावट की रोक एवं भविष्य में सावधानी बरतने पर चर्चा के लिये)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

242. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले के स्कूल भवनों की दुर्दशा को ठीक कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर दयाल (चौमूं) :

243. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों, कालेज आदि में व्याप्त अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

244. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बाड़मेर जैसे अभाव-ग्रस्त जिलों में स्कूल भवनों की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर बालोतरा में इस वर्ष कालेज की स्थापना न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम होते हुए भी इस वर्ष नये एवं क्रमोन्नत स्कूलों में इस जिले को पर्याप्त हिस्सा न देने पर चर्चा के लिये)।

(64)

(श्रीमती मदन कौर)

247. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला):

248 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की अपेक्षाकृत उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देश के सर्वांगीण विकास हेतु काम पर आधारित शिक्षा का स्वरूप देने में असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना डिग्री कालेज में पी. जी. कक्षाएं चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

251, मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर-झुंझुनूं जिलों में सैनिक स्कूल चालू करवे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):

252. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ललित कला अकादमियों द्वारा विदेशी ढंग के स्थान पर भारतीय ललित कलाओं के पुराने घरानों व लोक संगीत व नृत्य आदि की छाप के व्यापक प्रसार हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहता हूं। जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और जिनकी लम्बी सूची मेरे पास है और जो वाद-विवाद में भाग लेंगे उन सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनकी संख्या काफी है। करीब 85 की सूची है, और आपके पास समय काफी कम रह गया है। इसलिए मैं यह अपेक्षा करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में वे अपने विचार रखेंगे और जो विचार किसी पूर्व-वक्ता ने प्रकट कर दिये हैं, उनको रिपीट नहीं करेंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा, सभी सदस्य भाग ले सकते हैं लेकिन तीन दिन की छुट्टियां आ रही हैं। मैं यह सबसे अपेक्षा करता हूं कि सदन का काम सुचारुरूप से हो जाय। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि तीन दिन की छुट्टियों में शीघ्र जाने का न सोचें और सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलने दें।

श्री रतनलाल वर्मा : इसलिये पांच बजे तक ही....

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप पांच बजे तक ही रखना चाहते हैं, मुझे पता नहीं आपका नाम इसमें है या नहीं, तो फिर।

(व्यवधान):

पांच मिनिट भी प्रत्येक सदस्य को दूंगा तो

(श्री उपाध्यक्ष)

भी वह सूची शायद पूरी नहीं होगी। जहां तक मेरा अनुभव है पांच मिनट देने पर भी कोई माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त समय पर नहीं करते हैं। मैं समय की पाबन्दी को देख कर निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखें।

श्री गिरधारीलाल जी आरम्भ करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 19.07 है। जम्मू-काश्मीर और सिक्किम को छोड़ कर राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत सबसे कम है। राजस्थान का शिक्षा की दृष्टि से भारत में 21 वां स्थान है। गुजरात में शिक्षा का प्रतिशत 35.08, पंजाब में शिक्षा का प्रतिशत 33.07, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत 21.08 तथा मध्य प्रदेश में 22.01 प्रतिशत है। हमारा राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जहां शिक्षा का औसत सबसे कम है। राजस्थान में 6 से 11 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत 67.04 है जबकि देश में 82.07 प्रतिशत है। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का औसत 32 है राजस्थान में जबकि देश में यह प्रतिशत 36 है।

राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री जी से कि जो शिक्षा की नीति जनता पार्टी के शासन में बनाई गई है, वह क्या होगी ? कम से कम वह नीति निर्धारण तो करें, जो घोषणाओं में बार बार कहा जा रहा है, शिक्षा मन्त्री जी, कि कौनसी नीति चलेगी, यह स्पष्ट करना चाहिए था। नवीं कक्षा में जब बालक आता है तो प्रवेश की समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे घोषणा-पत्र में कहा गया है कि हम विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा देंगे लेकिन अभी तक व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य नहीं हुई। जैसे चीन में व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य है।

आपको मैट्रिक पास तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिये। बिहार ने इसकी घोषणा कर दी है तो मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिये कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा, जो टेक्निकल शिक्षा है, भी दें तो मैं समझता हूं मुनासिब होगा। इसके साथ-साथ गांवों में शिक्षा पार्ट टाइम होनी चाहिये, गांवों में बच्चों को सुबह शिक्षा देनी चाहिये ताकि दोपहर को वे अपने खेतीबाड़ी का काम भी कर सकें। फिर सायंकालीन शिक्षा देनी चाहिये ताकि किसानों के बच्चों को भी हम शिक्षित कर सकें। मैं समझता हूं सरकार को इसमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये और नहीं तो पुराने शिक्षाविद् लोगों की इस बारे में एक कमेटी बना देनी चाहिये।

इसके बाद कालेजों में प्रवेश की समस्या रहती है। प्रवेश नहीं मिलने पर कालेज छात्र आन्दोलन करते हैं, और जब आन्दोलन का दबाव पड़ता है तो सीटें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस पर भी राज्य सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ला-कॉलेज के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा. ला-कॉलेज में धुआंधार एडमिशन दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूं राजस्थान सरकार ला-कॉलेज का क्या स्टेन्डर्ड रखना चाहता है? आज मेडिकल कालेज का स्टेन्डर्ड है इसीलिये मेरा निवेदन है कि लॉ-कालेज का भी स्टेन्डर्ड ठीक रखें ताकि वहां से अच्छे वकील निकल कर आ सकें, क्योंकि अच्छे वकीलों को मुकदमों की पैरवी के लिये हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है।

भाषा नीति के बारे में आपको किसी प्रकार की घोषणा करनी चाहिए। कोरसपांडेंस कोर्स का एक जो विभाग बना हुआ है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि वह इस प्रकार से हिन्दुस्तान में इतनी बड़ी दुकानदारी करने वाला कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता। उसने पिछले सालों में 17 लाख रुपया कमाया है छः लाख रुपया तो अभी कमा कर दिया है और इस प्रकार 25 लाख की आमदनी की है। आपने पैसा छीन करके उनको भली प्रकार की सुविधा नहीं दी है। जो पाठ पढ़ाये जाते हैं, पाठ तैयार करने वाले व्यक्ति को, एक पाठ लिखने वाले व्यक्ति को 125) रुपया दिया जाता है। इस तरह से उनको कम रुपया दिया जाता है। इस प्रकार से कोरसपोंडेंस कोर्स से कमाई साधन बनाया गया है। शिक्षा मंत्री जी, यह कमाई का साधन नहीं होना चाहिए।

इसके बाद मैं निवेदन करूं, शिक्षा मंत्रीजी, आपातकाल के दौरान राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में अनुचित रूप से परिवर्तन किया गया है। शिक्षा सेवा नियमों में शत-प्रतिशत मैरिट का प्रावधान किया गया और उसके आधार पर पक्षपातपूर्ण चयन किए गए। जून, 77 में आप से लोग मिले तो आपने आश्वासन दिया कि विभागीय मैरिट के सिद्धान्त को रिव्यू करने का राज्य सरकार ने आदेश दिया है। आपातकाल में चयनित व्यक्तियों को स्थाई न करने और विभागीय पदोन्नति समिति का अगले निर्णय तक संयोजन करने के आदेश जारी करने का आपका आश्वासन है और उस सम्बन्ध में काम किए गए हैं। अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है उस सम्बन्ध में आपका दिनांक 27-8-77 का आश्वासन है और राज्यपाल महोदय का भी मेरे पास पत्र मौजूद है उन्होंने आपको आदेश दिया है कि आप इस मैरिट सूची के आधार पर पदोन्नति नहीं करें। मेरे पास अध्यापकों के नाम मौजूद हैं परन्तु खेद का विषय है कि 27-8-77 को आपके द्वारा दिए हुए आश्वासन के बावजूद, राज्यपाल महोदय के हुकुम के बावजूद उसी मेरिट सूची में से लोगों को क्रमोन्नत करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कम से कम आपको अपने दिए हुए आश्वासन पर कायम रहना चाहिए।

इसी प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय में 1962 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कांस्टीट्यूशन में, उसके संविधान में संशोधन हुआ। आपने सदन में घोषणा की थी कि 1962 के बाद के सारे मामलों की जांच करवायेंगे। कम से कम 1962 से जांच नहीं करवायें तो सन् 75, 76 और और 77 में राजस्थान विश्वविद्यालय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में जिन लोगों का गलत चयन हुआ है उसके बारे में जांच करवा लें तो ही आपकी बड़ी कृपा होगी।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जयपुर शहर से सम्बन्धित है और वह है रवीन्द्र मंच का। इस रवीन्द्र मंच की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में तीन एकेडेमीज हैं। ललित कला, संगीत नाटक और साहित्य अकादमी और इसके अलावा है एक खेलकूद परिषद। जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय यही भावना थी कि तीनों एकेडेमीज को एक ही स्थान पर रखा जाय। और इस भावना से रवीन्द्र भारती के नाम पर इन सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया था। निवेदन करना यह है कि इन तीनों एकेडेमीज को एक ही स्थान पर रखना चाहिए। आंध्र में तो एक कल्चरल विभाग अलग से है और उसका एक सम्बन्धित मन्त्री है। राजस्थान में भी इसके बारे में मुख्य मन्त्री महोदय को विचार कर अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। कलाकारों को यदि हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो थोथे नारों से कलाकारों का विकास नहीं होने वाला है। आज कलाकारों की हालत क्या है? एक कलाकार को राजस्थान सरकार में चपरासी बना रखा है। एक कलाकार जो जगह जगह घूमता रहता है उसको आप चपरासी की तनख्वाह देते हैं। अगर कलाकारों की यही हालत रही तो कलाकार राजस्थान छोड़कर चले जायेंगे। राज्य सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। आंध्र में अलग से विभाग हैं, गोआ में है, गुजरात में खेल परिषद् है, जम्मू में है, केरल में है, मध्यप्रदेश में हैं, यू. पी. में तो एक आई. ए. एस अधिकारी को बिठाया हुआ है। महाराष्ट्र में है। मेरा निवेदन है कि तीन जगह एकेडेमी रखने से खर्चा ज्यादा होता है। आठ लाख के इसके बजट में से 60 प्रतिशत खर्चा तो केवल एस्टेब्लिशमेंट पर होता है और 20 प्रतिशत का प्रावधान अन्य खर्चों के लिए है। इसकी उपलब्धि क्या है? एक भी कलाकार राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जा सका, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तो बात ही दूर है। फाइन आर्ट्स कालेज बड़ोदा, जे. जे. स्कूल आर्ट आर्ट बोम्बे, उड़ीसा, मद्रास और कलकत्ता ये इस प्रकार के प्रान्त हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक गये हैं। लेकिन राजस्थान बिल्कुल इस बारे में असफल रहा है। कत्थक डान्स, नृत्य का केन्द्र जयपुर है जो हिन्दुस्तान भर में मशहूर है लेकिन उसका स्कूल केन्द्रीय सहायता से यहां पर नहीं खुला और वह स्कूल जाकर खुला है, लखनऊ में। यह सब राज्य सरकार की उदासीनता के कारण हुआ है। कत्थक जयपुर का नृत्य है। इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये। रवीन्द्र मन्च का प्रबन्ध राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और पैसे कमाने का एक साधन बना लिया। वहां पर ड्रामा किया जाता है और जादूगर, जो आज कल रामलीला मैदान में जादू दिखा रहा है, को एक महीने के लिए रवीन्द्र मंच बुक कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि बाकी शिक्षण संस्थायें क्या करेंगी। मेरा निवेदन है कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कुछ लड़कियों का या बच्चों का डान्स वहां पर करा दिया क्या इससे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है? यह सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, यह मनोरंजन का कार्यक्रम है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राजस्थान की संस्कृति वह है जो राजस्थान भर के दूसरे स्थान पर है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इन सारे स्थानों के लोग हैं वे किस प्रकार का गायन करते हैं, किस प्रकार का उनका नृत्य है, किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है, यह संस्कृति होती है। लड़कियां नचा देने से, छोटे मोटे बच्चों को बुला कर नचा देने से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है। मेरा निवेदन करना है कि यदि आप राजस्थान के गौरव को ऊंचा करना चाहते हैं, तो जो आपकी योजना थी कि तीनों एकेडेमियां एक स्थान पर हों, उनका एक डायरेक्टर अलग से बनाया जाय और उसको अलग से स्वायत्त शासी संस्था बना दें। पिछली सरकार मे जो भी गबन घोटाले किए है उनकी जांच करें। एक कमीशन बिठायें और तीनों एकेडेमीज, को हाई कोर्ट का जो पुराना भवन है उसमें जगह खाली है वहां पर रखें। उनका एक आर्ट काम्पलेक्स बना कर काम करना चाहिए तभी कलाकारों की उन्नति होगी वरना राजस्थान प्रदेश कलाकार छोड़ कर चले जाएंगे। राजस्थान का कलाकार आज राजस्थान में चपरासी बना हुआ है, आप उसको राजस्थान के चपरासी का पैसा दे रहे हैं। यहां रेडियो स्टेशन पर अच्छे अच्छे कलाकार नहीं मिलते हैं। राजस्थान के कलाकार बाहर जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में विचार करें।

पर्यटन विभाग जिस प्रकार से आय का साधन है उसी प्रकार हमारा गला भी हमारी आय का साधन है। अगर अच्छे कलाकार आपके पास नहीं होंगे तो पर्यटन विभाग क्या करेगा? अभी जो आप जयपुर की 250वीं शताब्दी मना रहे हैं तो उस समय विदेशियों को राजस्थान की संस्कृति में क्या दिखायेंगे जब आपके पास यहां के कलाकार ही नहीं होंगे? होगा यही कि बाहर से दूसरे लोगों को बुला कर फैंसी ड्रेस का शो करवा देंगे, नाटक करवा देंगे। इससे पूरा पड़ने वाला नहीं है। आखिरकार राजस्थान की अपनी संस्कृति है उसको विदेशियों को दिखाया जाना चाहिये।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि पुरातत्व संग्रहालय के लिए पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि हवामहल में पुरातत्व संग्रहालय खोला जाएगा लेकिन अभी तक हवामहल में नहीं खुला। हवामहल का विकास किया जाना चाहिए, वहां से आफिसों को हटाकर पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिये। जन्तर मन्तर का विकास किया जाना चाहिए। यह पुरातत्व वैसे भी हमारे पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। यहां पर पुरातत्व की शिक्षा देने के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत कालेज के अध्यापक हैं उनके वेतनमान समान नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी आप तारीफ करते नहीं थकते, द्वारा आज तक उसके रिजल्ट घोषित नहीं हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय की इस गलती के कारण, रिजल्ट घोषित नहीं होने के कारण न तो वे आगे प्रवेश ले सकते हैं, न किसी नौकरी में जा सकते हैं। आप विश्वविद्यालय पर इतना बर्डन बढ़ा रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से 160

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कालेज सम्बद्ध हो गए हैं जिससे जालौर और जोधपुर के विद्यार्थियों को भी यहां तक आना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए आपको और कालेज खोलने चाहिए, डिविजनल कालेज खोलने चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सुविधा होगी, अधिक छात्र पढ़ सकेंगे। इसी तरह से कृषि विश्वविद्यालय भरतपुर और अलवर में खोलने चाहिए।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप दो बार तो अन्त कर चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बार-बार यह आश्वासन दिया गया है कि यू. जी. सी. के वेतनमान लागू किये जाएंगे लेकिन पिछले तीन वर्षों से उल्लंघन हो रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केवल चार राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यू. जी. सी. के वेतनमान लागू हैं। आपने भी कहा था कि इसे जुलाई में लागू कर देंगे, फिर कहा कि 31 अगस्त तक लागू कर देंगे, फिर सितम्बर के अन्त तक कर दिया। अब सितम्बर भी पूरा होने वाला है। अध्यापकों में बड़ा असन्तोष है इस यू. जी. सी. के वेतनमान को लागू नहीं करने से। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जब वे अपना भाषण दें तो इस बारे में जरूर घोषणा कर दें। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि तीस सालों में जितना स्कूलों कालेजों का विस्तार नहीं हुआ उतना इन दिनों में आपने किया है। आपने स्थानान्तरण की नीति भी बनाई है लेकिन नौकरशाही के कारण उस नीति का भली प्रकार पालन नहीं हो रहा है। ट्रांसफर्स आज भी गलत तरीके से एक्जीक्यूट कराये जा रहे हैं जिससे राजस्थान भर के 1 लाख 25 हजार मास्टरों में भयंकर असन्तोष है। राजस्थान विश्वविद्यालय को भी थोड़ा चैक करियेगा। माननीय विधायकों में भी इससे बड़ा असन्तोष है। इस ओर निश्चित तौर से गम्भीरतापूर्वक ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। वरना आपको ध्यान है इस ट्रांसफर के मामले में, छंगानी जी, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे, पांच हजार ट्रांसफर किए थे और उन पर कई प्रकार के आरोप लगाये गये। आखिर आपने भी यह ट्रान्सफर की गलत नीति अपनायी है। छंगाणी जी की नीति भी गलत साबित हुई थी। आपने भी यदि उनकी नीति को अपनाया तो यह आपको भी ले डूबेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

श्री मथुरादास माथुर : अब छंगानी जी आपकी तरफ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमारी तरफ कहां हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जनता पार्टी में हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सुनिए।

तीनों विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट आपने भंग कर दी है। इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। वाइस चांसलर भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपने एडहाक बनाया है। कुलपतियों का चुनाव किस प्रकार होगा, इस सम्बन्ध में भी आप शीघ्र से शीघ्र निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट लूंगा।

इस सम्बन्ध में भी शिक्षा मन्त्री जी विचार करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का असन्तोष बढ़ रहा है। इसके सम्बन्ध में भी एक कमेटी बनायी जाए। उनकी जो वाजिब मांगें हैं उनको तुरन्त मान लिया जाय। पिछली बार भी जो स्कूल के भवन हैं, उनके बारे में कहा था। प्राइवेट स्कूलों की आप बात करते हैं। जो स्कूल सरकार चलाती हैं, उनके भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनको भी आप ठीक करावें।

पाठ्य पुस्तक मण्डल के सम्बन्ध में भी एक मिनट कहना चाहूंगा। श्री लक्ष्मी-नारायण ने कागज खरीदे। उन कागजों पर विद्यार्थियों की किताबें छपनी चाहिए परन्तु जो कागज खरीदे गये उन पर इन्दिरा गांधी के पोस्टर छपवाए गए जब कि वे कागज किताबों के लिये आये थे। इन्दिरा गांधी के इन पोस्टरों को छापा है. श्री लक्ष्मीनारायण ने। इनके दोनों लड़के अमेरिका में पढ़ रहे हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आपने रख रखा है। कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भूगोल की आठवीं कक्षा की एक पुस्तक है वर्ण शंकर, इस प्रकार की पुस्तकें पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा छा गयी हैं। पंचायत समितियों में अध्यापक नहीं हैं और दूसरी तरफ 8 हजार अध्यापक जो ट्रेन्ड हैं, वे इधर-उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तीन हजार की आबादी के गांव में स्कूल होगा परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर 300 परिवार हैं वहां पर भी जनता पार्टी की यह सरकार एक स्कूल खोलने का प्राव-धान करेगी और एक अध्यापक देगी। मैं समझता हूं कि इस से जनता पार्टी का घोष-णा पत्र सही साबित होगा।

इसके अलावा राजस्थान पंचायत सेवा आयोग में गबन है। एक लाख की कोठी बनाई है

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है। समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन्यवाद ही दे रहा हूं। लोगों का चयन होता है तो उनके सर्टिफिकेट गायब कर दिये जाते हैं, इन्टरव्यू में नहीं लिया जाता है, प्रार्थना-पत्र गायब हो जाते हैं, मैरिट से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। कांग्रेस पार्टी में साधारण काम करने वाला व्यक्ति राजस्थान पंचायत सेवा आयोग का अध्यक्ष बन कर बैठा हुआ है, यह दुर्भाग्य की बात है। जनता पार्टी के राज्य में भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह गलत बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने जो नीति बनायी है, उसकी कल्पना करते समय जो कुछ भी खामियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिये निश्चित रूप से आप उस पर विचार करेंगे। भ्रष्ट कांग्रेसी आप पर हावी होना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनको तुरन्त इस पद से हटा कर राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को पवित्र करने की ओर आप ध्यान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि क्या कोई स्पष्ट नीति शिक्षा के बारे में बनायी गयी है ? इसी भाषा को बार बार दोहराया जाता है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा इसकी कोई स्पष्ट नीति उभर कर हमारे सामने आवे । जैसे अस्त-व्यस्तता है, उस सम्बन्ध में कोई एक नीति, शिक्षा नीति बनायी जानी चाहिए । हिन्दी को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है । हिन्दी हमारी राजभाषा है । इस सम्बन्ध में आपके विभाग को कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए । इसी सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो 10+2+3 की शिक्षा नीति है, इससे बड़ी असमंजसता है । इसको भी स्पष्ट रूप से आकार दिया जाना चाहिए ।

इसी सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगी कि जो तीन विश्वविद्यालय हैं, उनके उप कुलपति अभी कार्यवाहक हैं । उनके बारे में भी आपको शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बार बार यह प्रश्न आता है कि हमारे जो छात्र हैं, वे आन्दोलन करते हैं उच्छृंखल हैं । उनको अनुशासन में रहना चाहिए । उनमें जो उच्छृंखलता है, जो असन्तोष है, वह किस वातावरण से हो रहा है, उसकी ओर भी समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो मेरा यह मानना है कि छात्र अनुशासित हो सकते हैं । अनावश्यक रूप से टाइम का अपव्यय करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है । छात्रों के असन्तोष के जो कारण हैं उनको पहले से ही दूर कर दिया जाना चाहिए ।

जो आपने इस बार स्कूल खोले हैं, मैं समझती हूं कि वह एक प्रशंसनीय कार्य है । परन्तु इन स्कूलों के लिए जो नियुक्तियां की जाएंगी, जो स्थान भरे जाएंगे, उसके लिए बजट में पैसे का समुचित प्रावधान नहीं किया जा सका है । पहले ही कई स्थानों पर आपने स्कूल तो खोल दिए हैं परन्तु वहां पर मास्टर नहीं हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं परन्तु वहां पर एक मास्टर है । उसको मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया है तब भी वहां पर दूसरे शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है । इसी प्रकार से नयाबास का स्कूल है । वहां पर एक मास्टर दो घण्टे पढ़ा कर चला जाता है और फिर दूसरे स्कूल को अटेन्ड करता है । मैं यह कहना चाहती हूं कि स्कूलों में जितने बच्चे हों, उसके अनुपात में ही मास्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, उनको मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूं परन्तु हमारे सामने एक प्रस्ताव है । हिन्दी ग्रन्थ अकेडमी और खेल-कूद परिषद् को शामिल करके, उनका एक संगम की तरह आर्ट काम्पलेक्स बनाया जाए । कोर्ट की बिल्डिंग खाली पड़ी है हमारे कई दफ्तर चलते हैं । उसको लेकर यह बनाया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे प्राचीन ग्रन्थ हैं । वे पोथीखाने में पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं निवेदन है कि सरकार इन ग्रन्थों को ले लें और इस तरह के ग्रन्थों की माइक्रो फिल्म बनायी जाये । दूसरा मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा

(72)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के प्रचार प्रसार में टी. वी. रेडियो की अधिक सहायता ली जावे और जो नीचे स्तर के गन्दे गाने होते हैं, उनके समय में कटौती करके शिक्षा के लिए समय को बढ़ाया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। भाषा विभाग का इस समय दूसरे विभाग में विलय किया जा रहा है। विलय तो किया जाए परन्तु मैं यह चाहती हूं कि इस विभाग के स्वरूप को नहीं बदला जाना चाहिए। भाषा विभाग अलग से काम करता है। यह विभिन्न प्रान्तों के साथ सम्पर्क कर के अलग अलग नामों पर काम कर उनमें सामंजस्य बिठाता है। जो राष्ट्रीय शब्द हैं, उन शब्दों को एक दूसरे से मिलाने के लिए काम करता है। यह हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काम करता है इसलिए इसके स्वरुप को नहीं बदलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी समय में जिस समय माननीय सुखाड़ियाजी मुख्य मन्त्री थे, भूगर्भ विज्ञान की कक्षाएं उदयपुर ले जाकर खोली गई थीं, वह कक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय में वापस आनी चाहिए। वहां पर 150 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसमें 9 सीटें उदयपुर के लिए हैं। 10 सीटों में सारा राजस्थान है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन कक्षा में सीटों को बढ़ाया जाये और उस कक्षा को राजस्थान विश्वविद्यालय में लाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समय हो चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा कटौती प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्य विद्यालय हैं, उनमें जो उत्पादन का सामान है, उसका बाजार में विक्रय हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। "सीखो और कमाओ" में बाजार से सामान खरीद खरीद कर बेच रहे हैं। लड़कियों के स्कूल में खोला गया है। यह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह कहां पर है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह चौड़ा रास्ता पर लड़कियों का स्कूल है उस स्कूल की बिल्डिंग के कमरे को लेकर यह बनाया गया है। यह वहां से तुरन्त हटाया जाना चाहिये। इसी प्रकार से महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी प्रावधान होना चाहिये था। सरकारी स्तर पर उसको खोला जाना चाहिये जिसमें कि उनको दस्तकारी की शिक्षा दी जा सके। बच्चों को भी रोजगार की शिक्षा मिलनी चाहिये, ताकि उनको उपयोगी शिक्षा मिल सके। उनको शिक्षित किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में एक बात और कहना चाहूंगी। वह यह है कि हमारे प्रदेश के जो संस्कृत विद्वान् हैं, उनका राजकीय स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इन सभी बातों के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय प्रावधान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जो मांग पत्र प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ा खेदजनक विषय रहा है कि 30 साल के बाद भी आज तक शिक्षा के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं हमारा देश आगे बढ़े और हम संसार में अपना स्थान बना सकें। 30 सालों में एक कमीशन बैठा है। उसकी एक रिपोर्ट आई है। लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जब तक कोई रिपोर्ट सामने आती है तब तक कोई न कोई नीति आड़े आ जाती है और वह पूर्णरूप से लागू नहीं हो पाती है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स हुई है। उसमें यह चर्चा हुई है। समझ में नहीं आता है कि इसके अन्दर कौन-सी बाधा है, जिससे अभी तक राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जा सकी है। आज जो टीचर हैं उनकी क्या स्थिति है? छात्रों में अनुशासन का ह्रास हो रहा है। यह सब देखते हुए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय नीति को बनाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में मोरल और स्प्रिचुअल दोनों का ही समन्वय होना चाहिये। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण हो। उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की जो प्रगति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें लिखा है कि इस क्षेत्र के लोगों की संख्यात्मक और गुणात्मक वृद्धि हुई है। संख्यात्मक तो समझ गया पर यह गुणात्मक का क्या मतलब है? इसमें गुणात्मक का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। गुणात्मक में कौन-सी चीज पैदा करना चाहते हैं? साथ ही मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उपर्युक्त तालिका से यह भी प्रकट होता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो पुस्तिका पढ़ रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : I am sorry, I will take some time.

फीमेल एजूकेशन के बारे में हम किस प्रकार सन्तोष करें। अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा है-I will explain something.

"This is more true about female literacy. The five backward States of India have all female literacy below 11% and Rajasthan tops the list from below".

यह क्या स्थिति है? जहां तक फीमेल एजूकेशन का सवाल है Female Education में 4.03 है। टोटल कुल मिला कर 8.46% बनता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि हमारा देश प्रगति कर सके। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, यह जो 10+2+3 पालिसी बनाई गई है, उसके बारे में अभी तक यह है कि यह लागू की जाये या नहीं। इस सम्बन्ध में पेज नम्बर पांच पर कहा गया है। अभी तक यह कहा गया है कि यह प्रणाली लागू नहीं होगी। बात यह है कि उसे लागू करने के बाद स्टूडेण्ट को एक साल और वेट करना पड़ेगा। उसकी एज में फर्क

(श्री ओंकारलाल चौहान)

पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप की जो यह 10 जमा 2 योजना है, यह उपयोगी नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं लेकिन उसका इतना हैवी सिलेबस है कि मेरी समझ में नहीं आता है। रूरल एरिया में तो लोग उसको समझ ही नहीं सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

इसके लिए प्रेक्टिकल लेबोरेट्री का प्राविजन ही नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली कारगर नहीं हो सकती है। जितना खर्चा हो रहा है वह व्यर्थ जायगा। उसको रोका जाना चाहिए। एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने एक रेफरेण्डम में इस बारे में कहा है। वह शिक्षा मन्त्री महोदय पढ़ कर देखें। उन्होंने साफ लिखा है लेकिन उस समय पेपर्स में आया हुआ, पब्लिश हुआ कि एजूकेशन मिनिस्टर और एजूकेशन आफिसर्स इस बात के लिए रेडी हैं कि 10+2 की योजना लागू की जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर लागू करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। क्या शिक्षा मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी ग्रामीण स्तर पर गांवों में जो अध्यापक हैं उनके पास में जो छात्र हैं उनके बारे में इस योजना की चर्चा की गई है कि वे इसको अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे और वहां के जो बच्चे हैं वे इसको फालो कर पायेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर इस योजना को ग्रामीण से प्रारम्भ करना है तो उनकी सहमति से, उनके विचार जानकर और उनकी मर्जी से ही इसको लागू करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल खोले गये, अभी माननीय सदस्य भार्गव साहब, जो किशनपोल से आये हैं, ने कहा कि बहुत से स्कूल खोले गये, स्कूल खोलने ही हैं, यह मैं मानकर नहीं चलता। क्या आपका स्कूल खोलने के सम्बन्ध में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कहीं पर तो स्कूल खोल दिये गये हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं हैं, कहीं बिल्डिंग हैं तो अध्यापक नहीं हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह की बातें हैं। मैं समझता हूं इस तरह की बुरी हालत है कि इस हालत में स्कूल नहीं खोले जायं तो कोई आपत्ति नहीं, कोई अकाल नहीं पड़ जाएगा। बहुत ही दयनीय हालत है। इसलिए आपको कोई क्राइटेरिया तय करना चाहिए। इस तरह से आप हेप-हेजर्ड में वे स्कूल खोलते चले जायेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी और शिक्षा का स्तर गिरता चला जायगा, छात्रों का विकास नहीं होगा और उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकेगा। इस तरह स्कूल खोलना ठीक नहीं है। कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। चाहे हमको कुछ कम स्कूल ही खोलने पड़ें लेकिन अच्छे स्कूल होने चाहिए, उनकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं प्रोफेसर रह चुके हैं, वे अवश्य इस विषय में विचार करने की कृपा करेंगे।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह आता है कि किस जगह स्कूल खोले गये और खोले जाने चाहिएं। इस रिपोर्ट में ट्राइबल के सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है कि "अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष योजना बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों की छः तहसीलों तथा चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील के लिए तैयार की गई जिसमें इस वर्ष चार आश्रम विद्यालय खोलने हेतु रुपये 3.00 लाख स्वीकृत कराये गये जिसमें दो आश्रम विद्यालय बांसवाड़ा में, एक उदयपुर में तथा एक डूंगरपुर में खोला जायगा।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या बांसबाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ही ट्राइबल्स रहते हैं, कोटा जिले में शाहबाद में नहीं है ? शहरिया लोग इतने अभावग्रस्त और पीड़ित हैं कि कोई हद नहीं-आप मुझ से सहमत होंगे, उनकी इस प्रकार दयनीय स्थिति है कि तीस साल के बाद भी आज उनके पास रहने का कोई साधन नहीं, खाने पीने का कोई साधन नहीं है उनकी हालत बहुत ही खराब है। क्या ट्राइबल एरिया में सिर्फ उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सलूम्बर तहसील ही आती हैं ? कोटा जिले की शाहबाद पंचायत समिति नहीं आती है ? अगर उसको ट्राइबल एरिया में शामिल नहीं किया जाता है तो बहुत ही अन्याय होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ और शाहबाद को भी ट्राइबल प्लान में जोड़ा जाय जिससे उनको भी शिक्षा के साधन और सुविधाएं मिल सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के सम्बन्ध में एक यूनिफाइड पैटर्न हमारे राज्य में नहीं है, कोई यूनिफाइड तरीका नहीं है। जब तक यह नहीं होगा तब तक शिक्षा का स्टेन्डर्ड गिरेगा। आज भी यह स्थिति पैदा हो रही है कि स्कूल खोलने जा रहे हैं और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। टीचर लोग अप एण्ड डाउन करते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका शीघ्र ही नोटिस लें और जल्दी से जल्दी कोई कारगर कदम उठायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी खत्म कर रहा हूं।

क्रीडा परिषद् का यह हाल है कि कोई भी इसके कार्य-कलापों का स्वागत नहीं करता। मेरा निवेदन है कि इसका पुनर्गठन होना चाहिये। नहीं तो बहुत ही अशोभनीय बात होगी क्योंकि खेलों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, न हाकी के खेल की व्यवस्था है, न फुटबाल की और न वालीबाल की। जब तक आप इसमें पोलिटिकल कन्सीडरेशन से काम करते रहेंगे, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए इसका पुनर्गठन किया जाकर उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं उर्दू के लिए अर्ज करना चाहूंगा। यह ठीक है कि 16 जिलों में आपने उर्दू के अध्ययन की व्यवस्था की है। यह अच्छी बात है। उर्दू एक बहुत अच्छी भाषा है। मेरा निवेदन है कि इसको 26 जिलों में ही चालू करना चाहिये जिससे उर्दू का विकास हो सके और यह ठीक प्रकार से चल सके।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो जयप्रकाश नारायण की तरह से बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : That is right.

श्री ओंकारलाल चौहान : इसके साथ ही हमको इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें अधिकतर रिटायर्ड आदमी है, यह रिटायर्ड आदमियों का बना हुआ है। उनसे किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है। जो आफिसर रिटायर हो जाय वह इसका मेम्बर बना दिया जाता है। इसका भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये। इसमें बाहर के भी योग्य लोग आ सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे ठीक प्रकार से मूल्यांकन हो सकेगा। इसका पुनर्गठन हो तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाप्त करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। जहां हम छात्रों के बारे में विचार करते है, उसके साथ ही हमको अध्यापकों के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये, उनके हितों के बारे में भी हमको सोचना चाहिये। आज समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि स्कूलों के अन्दर किस प्रकार की प्रवृत्तियां पनप रही हैं। उन प्रवृत्तियों से देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है....

(व्यवधान :)

डागा साहब, ताली मत बजाइये।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी वाणी पर फिदा हैं हम।

श्री ओंकारलाल चौहान : आज स्थिति बदलती जा रही है। बदलती हुई परिस्थिति में छात्रों और अध्यापकों में कोई कोआर्डिनेशन होना चाहिए, कोई तालमेल बिठाकर चलना चाहिये। मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी बहुत ही योग्य हैं। मुझे उम्मीद है कि वे कोई नई बात हमको कहेंगे नीति के बारे में जिससे सम्पट बैठ सके। यह नहीं कि पोलिटिकल प्रेसर पड़ रहा हैं इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। सारे दिन ट्रान्सफर में लगे हुए हैं इसलिए रीति-नीति के बारे में विचार करने का कोई समय ही नहीं मिलता है,

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा तरीका है कहने का।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को सोचें और नीति की ओर ध्यान देने की कृपा करें जिससे हमारी शिक्षा की तरक्की हो, शिक्षा अच्छी प्रकार दी जाय।

"The mistake of a doctor lies buried in the grave.

The mistake of a lawyer lies buried in his files.

The mistake of an engineer is cemented with bricks.

Whereas the mistake of a teacher is reflected in the nation."

(By-Ravinder Nath Tagore)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यहां जो अंग्रेजी में शब्द बोले गए हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री ओंकारलाल चौहान : ये मेरे खुद के शब्द नहीं हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बात गांवों की कर रहे हैं और बोल अंग्रेजी में रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कोटेशन्स होते हैं वे उसी भाषा में बोले जा सकते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : तो मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि इन चीजों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर ठीक हो और राजस्थान तरक्की करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष जी, मेरे पास वाले माननीय सदस्य मुझे बार बार तंग कर रहे हैं कि इस एयर-कन्डीशनर की हवा से जोड़ों में दर्द होने लगा है। हम तो गांव के रहने वाले हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : ऊनी कपड़े पहन कर आओ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : थोड़ा कम कर दिया जाए। हमारे प्रधान मंत्री भी कहते हैं कि ऐसे कामों में हमारा पैसा खराब न हो तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था इम्प्रूव हो सकती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गांव का आदमी 51 रुपये प्रतिदिन का भत्ता लेता है, फर्स्ट क्लास में यात्रा करना जानता है, वे चीजें यदि आप छोड़ें तो एयर-कंडीशनर भी न हो। आप 51 रुपये से कम लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा जवाब दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जरूरी नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न मांग संख्या 24 की राशि।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपके जरिए शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज मांग पेश की है वह 101 करोड़, 90 लाख, 88 हजार की पेश की है जब कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पैरा 45 में कहा था, कि शिक्षा के मद में 99.08 करोड़ रुपये के स्थान पर परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 102.81 करोड़ रुपये व्यय होंगे। शिक्षा मन्त्री को पूरा अधिकार है कि वह अपनी मांग को कम करके पेश करें। मगर माननीय सदस्यों को पूछने का अधिकार है कि जो वित्त मंत्री ने खुलासा करके 3 करोड़ की बात कही है कि "पिछली सरकार ने इस सम्बन्धी जो घोषणायें चुनाव में फायदा उठाने के उद्देश्य मात्र से बिना वित्तीय प्रावधान जुटाए ही की थीं, उनको साकार एवं सक्रिय करने के लिए शिक्षा के मद में इस वर्ष के शेष महीनों के लिए ही लगभग 3.73 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है"। उसके बाद में पहले वाले 99.08 करोड़ में 3.78 करोड़ रुपए जोड़कर वित्त-मन्त्री ने कहा है कि 102.81 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आपने जो मांग प्रस्तुत की है वह 101,90,88 000) रु० की पेश की है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा आइटम वित्त मन्त्री जी ने जोड़ा था जिसको आपने बाद में निकाल कर मांग पेश की है? आप अपनी मांग को ठीक करें। वित्त-मन्त्री ने जो कहा है और आपकी मांग जो है उसमें जो अन्तर है उसके कारण जानने का माननीय सदस्यों का प्रिविलेज है। आप बताइए किस मांग को हम वोट करें? यदि आपकी मांग को तो फिर कहां खर्चा कम किया जायगा, यह बता दीजिए।

Page No 78

78

श्री मूलचन्द डा[illegible]ा : मन्त्री जी तो शाखायें लगाने में व्यस्त [illegible] हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि[illegible] इस पाइन्ट पर डिस्कशन इनीशिएट किय[illegible] जाता है ...

श्री मूलचन्द डागा : It is a very important point.

श्री उपाध्यक्ष : मैं [illegible] यह नहीं कह रहा हूं । अगर वह कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे दें ।

श्री मथुरादास माथुर : इस समय बहस हो रही है, अधिकारियों से पूछकर ठीक करके जवाब दें । नई सरकार आई है, गलतियां हो सकती हैं, हम अकामोडेट करने को तैयार हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो बजट में प्रावधान है उसका टोटल 101, 90,88,000 ही है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपने वित्त मन्त्री से कहलवाइए ।

श्री मथुरादास माथुर : आप पूरा टोटल लगायें । अगर वित्त मन्त्री ने कहा है तो वित्त विभाग के कहने के बाद कहा है और 102.81 करोड़ रुपये व्यय होने की बात कही है । इसमें 90.12 लाख का डिफरेंस है । आप जस्टीफाइ कीजिए या कह दीजिए कि गलत है । हम आपकी बात को मान लेंगे । या कह दीजिए कि मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं । यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा सदन का ।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन कन्टीन्यू किया जाए । जो पाइन्ट उठाया गया है एग्जामिन उसको किया जाए और जवाब दिया जाए ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं पूछकर बता दूंगा । टोटल तो यही है ।

श्री मथुरादास माथुर : Finance Minister's speech is a part of the budget as provided under the Constitution. दोनों में से कौनसा फीगर सही है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अधिकारियों से पूछ लीजिए ।

श्री रावतराम: वित्त मंत्री ने जो आंकड़ा दिया है ....

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आप अपनी डिमांड को अमेंड करें, मौका है ।

श्री उपाध्यक्ष : सारी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप अपने विभाग की मांग को कम कर रहे हैं, यह सीरियस मामला है ।

मांग संख्या 24 पर अग्रेत्तर विचार ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को दे रखी है, पंचायत समितियों में राजनैतिक अखाड़ेबाजी के कारण अध्यापकों की दुर्दशा हो रही है और विद्यालयों की भी दुर्दशा हो रही है । अतः प्राथमिक शिक्षा को वापस शिक्षा विभाग को दे दीजिए । आप मानेंगे कि इस स्तर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वहां का वातावरण ठीक नहीं होगा तो

Page No 79

(79)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

प्रारम्भ में ही बच्चों पर एक बहुत ही गलत असर पड़ेगा। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

आज स्थिति यह है कि जो पंचायत समिति में टीचर्स होते हैं वह लोग सरपंचों, प्रधानों को खुश करने में रहते हैं। इसके अलावा टीचर्स राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। उनका ध्यान बच्चों की पढ़ाई में बिलकुल नहीं लगता। इसका नतीजा यह होता है कि गांवों में शिक्षा पूरी तरह से नहीं दी जा रही है। एक प्रकार से आप शिक्षा का गांवों में प्रसार नहीं कर रहे हैं बल्कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि आप इस प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों से वापस लेकर इसे शिक्षा विभाग के नीचे दे दें तो उपयुक्त रहेगा।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, आज जापान और स्विटजरलैण्ड में छोटे बच्चों को स्कूलों में पढ़ते वक्त ही दरियां बनाना और दूसरे काम सिखाये जाते हैं। बच्चा पढ़ता भी रहे और अपनी कुछ कमाई भी करता रहे, ऐसी व्यवस्था है। वहां पर बच्चा अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लेता है। इससे वहां काफी फायदा होता है। उसी प्रकार अगर यहां पर भी छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ न कुछ सिखलाते रहें तो वह पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करते रहेंगे। वैसी ही व्यवस्था की जाय जैसी कि जापान और स्विटजरलैण्ड में है तो हमारे यहां पर जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मैट्रिक के बाद भी कुछ न कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाय ताकि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी ट्रेनिंग का डिप्लोमा ले सके। मैं यह नहीं कहता कि आप उन स्कूलों को कारखानों में परिवर्तित कर दीजिये मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन बच्चों को सिर्फ किताबों तक ही सीमित मत रखिये, उनको आप प्रेक्टिकल ज्ञान भी दीजिये जिससे कि स्कूलों की पढ़ाई समाप्त होने के बाद में वह जब बाहर निकलें तो जिस काम में भी उन्होंने दक्षता हासिल की हो उसके डिप्लोमा के साथ निकलें। आप इसके लिये ऐसी व्यवस्था भी करें कि उन्होंने जिस काम में दक्षता हासिल की है उसके औजार भी उनको दें ताकि वह लोग बाहर आकर बेकार नहीं रहे और कम से कम अपनी रोटी-रोजी तो पैदा कर सके। इससे आप देखेंगे कि बेरोजगारी में कमी होगी। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति कालेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता अतः ऐसी स्थिति हो जाय कि वह बच्चा अपनी आजीविका तो पूरी चला सके, ऐसी व्यवस्था मैट्रिक पास करने के बाद की जाये। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हो सकता है कि जब बच्चा आगे पढ़ लिखकर चाहे कालेज से, चाहे यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलता है तो उसके भी कुछ स्वप्न होते हैं। वह ख्याली दुनिया में होता है। वहां से निकलते ही जब वह नौकरी की तलाश में निकलता है

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तो उसको नौकरी के लिये बहुत सी जगह पर भटकना पड़ता है। उस वक्त उसे कई लोगों के पास जाना पड़ता है। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उसके कम पढ़े-लिखे भी होते हैं। उस वक्त वह जब नौकरी नहीं पाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कितनी खोटी प्राप्त की है उस वक्त उसे अपनी गलती महसूस होती है और वास्तविकता का पता चलता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कालेज या विश्वविद्यालय में उन्हीं लड़कों को दाखिला दीजिये जो कि सैकन्डरी में फर्स्ट क्लास हो अन्यथा दाखिला नहीं दें सैकन्डरी तक उस लड़के की रुचि क्या है, क्या उसका टेस्ट है यह देख लें और उसी के अनुसार उसे ट्रेनिंग दें या काम धन्धा सिखा दें अन्यथा होता ऐसा है कि मैट्रिक के बाद जो मेधावी होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रार्डिनरी होते हैं वह बेचारे गरीबी के कारण आगे कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जो अमीरों के बेटे होते हैं और ठोठ होते हैं वह कालेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। वह लड़के प्रायः पढ़ाई करने वाले नहीं होते हैं वह कालेज या यूनिवर्सिटी जाकर सिवाय दलबन्दी करने, मौज शौक करने या झगड़ा करने के कोई काम नहीं करते हैं। उन्हें या तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ती है या थर्ड डिविजन में पास होते है। बेचारे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं पर गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ सकते हैं, कालेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं उन्हें मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। वह आगे पढ़ने से वन्चित रह जाते हैं, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप उन्हीं लड़कों को कालेज में एडमिशन दें जो कि फर्स्ट क्लास हो या एक्स्ट्रा आर्डिनरी हों या फिर आप कम्पीटेटिव परीक्षा द्वारा ही कालेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें ताकि ऐसे थर्ड क्लास और ठोठ लड़के वहां जाकर अपना वक्त जाया नहीं करें। इसके अलावा जो फर्स्ट क्लास लड़के होते है वह चाहे गरीब हों आप उन्हें पढ़ने का खर्चा दीजिये ताकि वह पढ़ सकें। अन्यथा जो लड़के पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं वे जाकर बैठ जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप बच्चों की साइकोलोजी पहले देख कर उन्हें उसके अनुसार एजूकेशन दें। जो अच्छे बच्चे हों उनके विकास को रोका नहीं जाना चाहिये। चाहे वह गरीब हों उनको आगे पढ़ाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि आप प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही उनकी साइकोलोजी देख लें और फिर उसी के अनुसार उनकी शिक्षा का विकास करें तो उपयुक्त रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट का समय सभी के लिये निर्धारित है।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक मिनट और। सिर्फ एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो 12 जिलों में औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की है इससे बच्चे रात को या सुबह अपने काम के अलावा पार्ट टाइम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही आपने जो गांवों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिये साक्षरता अभियान शुरू किया

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है वह भी ठीक है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि वहां पर भवन नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी। मेरा तो यह निवेदन है कि आप एक मास्टर ही वहां भेज दें, टाट-पट्टी है या नहीं, या स्कूल का भवन है या नहीं—इसका विशेष ध्यान नहीं दें। आप तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारे यहां पर 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चे साक्षर हों। आप अच्छे मकान, वैभवशाली चीजें, पंखे वगैरह की ओर ध्यान नहीं दें। आप तो ऐसी व्यवस्था करें कि गांवों में बच्चे साक्षर हो जायें।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है। इतनी भारी मांग आपने बजट में रखी हैं, करीब 101 करोड़ रुपये की इसे आप किस तरह खर्च करेंगे-यह देखने की बात है। आज हर माननीय सदस्य यह मांग करता है कि उसके क्षेत्र में स्कूल खोली जाय। आप सभी गांवों में स्कूल खोल पायेंगे या नहीं? इतना भार आप शिक्षा के नाम पर सरकारी कोष पर डाल रहे हैं तो यह देखने की बात है। आप इस धनराशि का उपयोग स्कूल खोलने में या लोगों को रोजगार देने में करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार यह चाहती है कि हर जगह स्कूल खुले, सभी लोग पढ़े लिखे हों। मैं समझता हूं कि जब तक आप सभी लोगों को गांवों में साक्षर नहीं कर देंगे और गांवों में बच्चों के लिये शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं कर देंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। गांवों में जो स्कूल चलते हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। आपने पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा दे रखी है लेकिन स्कूलों के लिये भवन नहीं हैं। न ही वहां पर टाट पट्टी है, न ही पूरा इन्तजाम है। आपने शहरों में जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं उनमें पूरे मास्टर भी हैं, उनके भवन भी हैं और टाट पट्टियों का भी इन्तजाम कर रखा है। गांवों में आपने यह काम पंचायत समितियों को दे दिया है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा यह आपने शहरों में और गांवों में फर्क क्यों रखा है? इसके अलावा पहले स्कूलों के भवन बनाने के लिये राज्य सरकार एड दिया करती थी। इसमें आधा पैसा पंचायत समिति अपने यहां पर पैसा वसूल करके खर्च करती थी और आधा राज्य सरकार एड के रूप में देती थी। वह एड आपने इस बजट में बन्द कर दी है। यह तो पहले की सरकार भी देती थी। आपने उल्टे उस व्यवस्था को बन्द करके गांव वालों के साथ अन्याय किया है।

इसके अलावा पंचायत समितियां पहले हाउस टैक्स एक खुला टैक्स लेती थी जिससे कि शिक्षा के लिये भवन व दूसरी व्यवस्था हो जावे। आपके द्वारा एड भी बन्द कर देने से अब खुला टैक्स भी वसूल करके पूरी व्यवस्था स्कूल भवन की नहीं हो सकेगी। इसके अलावा आपने ऐसी व्यवस्था और कर दी है कि बच्चों को स्कूल में ड्रेस पहन कर आना जरूरी है। बेचारे गरीब बच्चे कहां से ड्रेस लायेंगे। किताबों का भार ही बहुत ज्यादा है, पैसे भी उनके ज्यादा लगते हैं तो आप यह क्या शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं? इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आपको मेरा सुझाव है कि शिक्षा सस्ती, सुलभ हो और सभी को मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। आप ऐसी व्यवस्था

(82)

(श्री अजीतसिंह)

करें कि सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। इसके लिये आपको इन सारी बातों के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

(2.00 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, गांवों में स्कूलों के नीचे फार्म दिये हुए हैं जहां पर खेती होती है। यह करीब दस-दस और बारह-बारह बीघा जमीन के फार्म होते हैं ताकि उससे जो आमदनी हो वह शिक्षा, के भवन आदि के लिये खर्च की जाय। जो आमदनी उन फार्म्स से होती है वह हैड मास्टर के पास रहती है वह ही उसका जिम्मेदार होता है आज वही सारा पैसा हजम कर जाता है। उसका हरसाल आडिट होना चाहिये पर आज ऐसी स्थिति है कि उन फार्म्स से आमदनी तो होती है पर उसका आडिट नहीं होता है। इस कारण खाने वाले खा जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: यह आपाधापी है।

श्री अजीतसिंह : उनकी सुचारुरूप से व्यवस्था आप कर सकते हैं। मुर्गी पालन और अन्य कई प्रकार के काम हैं जिनके द्वारा उन स्कूलों को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। उन स्कूलों को ऋण मिल जाय और उसकी आप व्यवस्था करें तो उनसे जो अटेच्ड फार्म हैं वे सुचारुरूप से चलेंगे और आपका भार भी कम करने में वह सहायक होंगे। अमेरिका में इस प्रकार से कई कालेज और यूनिवर्सिटी चलती है। उदयपुर यूनिवर्सिटी अमेरिकन पेटर्न के आधार पर खोली थी। उसमें साथ बड़े फार्म लगाये गये। फिर भी बजट के ऊपर उनका भार आता है तो शिक्षा मंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस आधार पर यह खोली गई थी। अतः प्राथमिक स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षण संस्थाओं के साथ यदि फार्म सुचारुरूप से चलें और उसकी व्यवस्था कर दें तो आपका बहुत बड़ा खर्चा बच जावेगा।

स्कूल भवन निर्माण के लिए आप गांव वालों को सहयोग दें। वे हर तरह से सहयोग देने को तैयार हैं। पुराने पार्ट टाइम चपरासी हैं लेकिन आप नए चपरासी भरती करते हैं। नए न रख कर उनमें से ही आपको रखने चाहिए और उन्हीं में से सलेक्शन करना चाहिये। आपने यह घोषणा की है कि उनको भी फुल ग्रेड दी जावेगी। बड़ी अच्छी बात है लेकिन जब तक आप फुल ग्रेड न दे सकें आपको सलेक्शन उन लोगों में से ही करना चाहिये।

सभापति महोदय, आज बहुत बड़ी मांग है मास्टरों की अपने जिले में तबादले की। मैं निवेदन करूंगा कि आपने तबादलों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है वह अच्छा है। मास्टरों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने में बड़ी भारी असुविधा होती है। आप एक जगह बैठ कर इन सारे मसलों को हल कर लीजिये जो मास्टर जिले से बाहर हैं उनको जिले में लाइये।

मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे बोलने दीजिये।

श्री सभापति : उनको ईद के लिये जाना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे 3 बजे की बस से जाना है।

श्री सभापति : दो मिनट ही बोलेंगे। आप बाद में बोल लीजिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय सभापति महोदय एवं सदन के माननीय सदस्यों, मैं आपको ईद मुबारकबाद पेश करता हूं।

शिक्षा मंत्री महोदय से मकराना क्षेत्र की शिक्षा के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं।

नागौर जिला करीब 12॥ लाख की आबादी वाला जिला है। उस जिले में एक कालेज नागौर में है और एक डीडवाना में है जो बांगड़ जी के नाम से चलता है लेकिन है गवर्नमेंट का। उसमें बहुत सा बांगड़जी का अनुदान है इसलिए नाम लेना उचित समझा। मेरा अनुरोध है, सभापति महोदय, इस जिले का बहुत बड़ा आबादी वाला भाग बच जाता है जहां कालेज नहीं है। इसलिए गांवों के बच्चे दूर जाकर खास-तौर से जोधपुर-जयपुर जाकर शिक्षा लेते हैं। पूरे जिले की आबादी के हिसाब से, वहां के बच्चों की जो तादाद है उसको देखते हुए उन कालेजेज में एडमिशन मिलना सुम्भव नहीं होता है। इसलिए इस बजट में एक कालेज मकराना में खोलने का प्रावधान रखा जाय ताकि डेगाना, परवतसर और नापासर के तमाम स्टूडेन्ट्स को फायदा पहुंचे। नये कालेज को फीड करने के लिए काफी मात्रा में हाई स्कूल हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। इस विषय में जनता की ओर से बिल्डिंग बनाने में सहयोग होगा। वहां के लोगों ने इसका विश्वास दिलाया है उसी आधार पर मैं यहां पर आपको विश्वास दिला रहा हूं। इसलिए वहां कालेज खोलने में सरकार उदारता बरते इस सत्र में नहीं तो आने वाले सत्र में।

दूसरी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज में से एक आनन्द स्वरूप सेठ लैक्चरार को निकाल दिया था, उनको 76-77 में रिइन्स्टेट कर दिया। उनके आचरण की जांच की बात थी। 14 जनवरी की पत्रिका में यह समाचार छपा था। शिक्षा मंत्री ने अपने विचार उस पर प्रकट किये थे। उसको रिइन्स्टेट करने से 32 हजार रुपये का नुकसान होता है। मैं अनुरोध करता हूं, सभापति महोदय, यदि आनन्द स्वरूप मिसकन्डक्ट है, 12 बार सस्पेन्ड हो चुके हैं जैसी मुझे जानकारी दी गयी है, तो कृपया ऐसे लेक्चरार को कभी रिइन्स्टेट मत कीजियेगा। ऐसे लोगों को रखने में कोई लाभ नहीं है। सरकार को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा।

कालेज के लिये जैसा मैंने निवेदन किया एक कालेज मकराना में खोला जाय। उसमें संगमरमर के सिलसिले का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाय, विशेष रूप से इसका ज्ञान उसमें कराया जाय। जो कुछ भी संगमरमर का ज्ञान है, टेक्निकल कहिये या जो कुछ है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीख कर आये हैं वह ही है। इसको एक अच्छे तरीके से इन्जिनियरिंग माध्यम से, आर्टिजन के

Page No 84

(८५)

(श्री अब्दुल अजीज)

माध्यम से विकसित करने से इसके विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। इस सब्जेक्ट को 11 वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को पढ़ायें। यह मेरा सुझाव है आप इसको निगाह में रखें। इतना ही कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री रामकरणसिंह : क्या मेरा नम्बर नहीं है ?

श्री सभापति : आपको जाना है। आपका नम्बर भी आवेगा।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा के संबंध में 9 कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनके संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। नयी सरकार बनने के एकदम बाद शिक्षा मंत्री जी ने जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमोन्नत किये और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत किये और क्रमोन्नत करने में जो नीति अपनाई है वह बिलकुल पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा था उसके अन्दर भी साफ उल्लेख है और उनका जवाब खुद ही कहता है कि पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई गई है। जनसंख्या के आधार पर यदि लिया जाये तो भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जालोर डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को क्रमोन्नत करने के संबंध में पूरी तरह से अवहेलना की गयी है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। पहले भी इन क्षेत्रों में स्कूल कम थे। जनसंख्या के आधार पर भी, क्षेत्रफल के आधार पर भी यह डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है इसलिये वहां पर प्राइमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में और मिडिल स्कूल का सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी 8 लाख से ज्यादा हो चुकी है और जालोर डिस्ट्रिक्ट की भी 7 लाख की आबादी है तो जनसंख्या के आधार पर देखें, क्षेत्रफल के आधार पर देखें, पिछड़े हुए इलाके के आधार पर भी देखें तो यहां पहले ही सबसे कम स्कूल खोले गये थे और अब भी कम खोले गये हैं। पहले भी उदयपुर डिविजन में अधिक प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, प्राइमरी से मिडिल स्कूल भी काफी संख्या में क्रमोन्नत किये गये थे। कांग्रेस के राज्य में भी उदयपुर डिविजन में ज्यादा स्कूल खोले गये और अब भी उदयपुर डिविजन में ही ज्यादा खोले गये हैं। मैंने केलकुलेशन लगाया है और मैं चेलेन्ज करता हूं कि पूरी तरह से उदयपुर डिविजन में जनता पार्टी पावर में आई है इसलिये अभी भी वहां ज्यादा स्कूल खोले गये हैं।

एक माननीय सदस्य : कोटा में भी ज्यादा खोले गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोटा की पहले भी अवहेलना नहीं की गयी थी और पहले भी बराबर कोटा को हिस्सा मिला था लेकिन अब तो बिलकुल स्पष्ट दीखता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। मैं आपको सलाह देता हूं कि श्री चन्दनमल जी वैद जब शिक्षा मंत्री थे तब जिला आयोजना समिति का गठन किया गया था। उसमें एम.एल.ए. होता था, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स सदस्य होता था। कलेक्टर उसका चेयरमैन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होता था। वह समिति देखती थी कहां कहां स्कूल होना आवश्यक है और उस आधार पर स्कूल खोले जाते थे। अभी देखा जाये तो कोई आधार नहीं अपनाया गया है। जो रिकमन्डेशन इन्सपेक्टर आफ स्कूल को भेजी गयी और जो क्राइटेरिया के आधार पर सिफारिश भेजी गयी उसकी भी अवहेलना की गयी है। सरकार में आने के बाद पहला ही काम शिक्षा मंत्री जी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर किया है। हमने तो 30 वर्ष शासन किया, पावर में रहे पावर करप्ट कर देती है लेकिन आपको पावर मिली और पावर मिलते ही एकदम आपने इतने सारे स्कूल बिना किसी आधार के और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर खोले दिये। सब स्कूल इसी वर्ष में खोले जा रहे हैं। आपको भी क्या पड़ी थी कि स्कूल अधिक से अधिक खोलें? अधिक से अधिक स्कूल खोलकर आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया आपका जो शिक्षा का दृष्टिकोण चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ट्रान्सफर की नीति पर बहुत जोर देती थी लेकिन मैं उसको भी कतई पसन्द नहीं करता था। आप भी जो ट्रान्सफर की नीति अपना रहे हैं वह नीति भी ठीक नहीं है। ट्रान्सफर के बारे में भी नीति दुरुस्त की जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह तो एक ही इश्यू आया है। दो तीन इश्यूज पर और कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, खासतौर से मेरे जिले की जो मांग है वह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की है। इसकी वहां बहुत आवश्यकता है। विभिन्न जिला हेडक्वार्टर्स पर आज 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं और बाड़मेर जिले में इस प्रकार का कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। इस प्रशिक्षण संस्थान की इसलिए आवश्यकता है कि आज कोई भी प्रशिक्षण, गलीचा बनाने का प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो वह भी इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जा सकता है। वायरमैन, ड्राइवर, फिटर आदि कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, इसका दो साल का कोर्स होता है, बाड़मेर हेडक्वार्टर्स पर यदि प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो तो वह प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हमारी ऐसी स्थिति है कि जो हमारी पानी की योजना है वह सब योजना ठंडी पड़ी है। उसका कारण यह है कि कोई भी वेल्डिंग का या बिजली के काम का एक्सपर्ट नहीं मिलता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आदमी वहां सर्विस में आना नहीं चाहते हैं। तो जो योजनायें है, जलप्रदाय योजना की उनके लिए टेक्निकल आदमी नहीं मिलने के कारण उनमें अवरोध पैदा होता है। वहां पर इलेक्ट्रिशियन्स भी नहीं हैं इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए मैं निवेदन करता हूं कि इसकी बहुत ही आवश्यकता है और बाड़मेर नगर में इसकी स्थापना सरकार को करनी चाहिये।

तीसरी बात विश्वविद्यालय के कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर वेतनमान निर्धारित कर दियें तो कालेजेज के लेक्चरार्स के भी वेतनमान आपको यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन के आधार पर निर्धारित करने चाहिये। अगर नहीं करेंगे तो यह स्थिति पैदा होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लेक्चरार्स हैं उनका स्टेन्डर्ड अच्छा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं होगा। वह पी० एच० डी० नहीं होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की शिक्षा का स्तर गिरेगा। यह भी असमानता होगी शहरों और ग्रामीणों के बीच। ग्रामों में शिक्षा के स्तर में कमी होगी क्योंकि लेक्चरार स्टेन्डर्ड के नहीं होंगे। पी. एच. डी. वह होंगे तो जिला हैडक्वार्टर्स पर क्यों आयेंगे जब कि यूनिवर्सिटी में अच्छे वेतनमान मिलते है ? इसलिए यह बहुत आवश्यक है और इसके बारे में गवर्नमेंट को निर्णय लेना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य ने बहुत ही अजीब सी बात फर्मा दी कि स्कूल खोले गये यह अच्छा नहीं हुआ और अपने एरिया में स्कूल खोलने की मांग भी कर ली है। तो यह दोनों बातें कैसे होंगी ?

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला मेरा प्रस्ताव है कि स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की कमी रहती है। जिस देश में और जिस प्रान्त में शिक्षा नहीं होती वह बहबूदी वाला देश या प्रान्त नहीं होता। एक तरफ आप किसान को, मजदूर को और गरीब को तरक्की देना चाहते है और उनका स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा न देकर उनके बच्चों को आवारा बनाते हैं। 50 लड़के हैं या 100 लड़के हैं उनके ऊपर आप एक अध्यापक रखते हैं। मिडिल स्कूल में एक अध्यापक ? यह कमी एक दिन नहीं बल्कि साल भर चलती है। शिक्षा मन्त्री जी, पहले की सरकार ने यदि कोई गलती की है तो वह परम्परा आप नहीं अपनायें। अभी तक आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया है। आपके नीचे के अधिकारी वही परम्परा और आदत अपनाये हुए है जो कि पहली सरकार की थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन लड़कों को आप पढ़ाना चाहते हैं और जो स्कूल आप खोलना चाहते हैं, जो स्कूल खुल गये हैं और जो स्कूल बहुत पुराने समय से चल रहे हैं उनको लेकर आपको सामने आना चाहिये। उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कितने लड़कों के पीछे कितने अध्यापकों का प्रावधान है और उसकी पूर्ति है या नहीं। जब पूर्ति नहीं होती है तो बतायें कि उनके संरक्षकों की क्या हालत होती है और उन बच्चों की क्या हालत होती है ? जब आगे स्कूलों में या कालेजों में प्रवेश होते हैं तो प्रवेश के लिए उनके अंक कहां से आयेंगे ? कई विषय तो ऐसे होते हैं कि उनमें साल भर तक अध्यापक ही नहीं होता। उसके बाद इम्तिहान देने जाते हैं तो अंक कम मिलते हैं इस कारण प्रवेश नहीं मिलता। आप इस तरह से किसी को दुविधा में मत डालिये। आप बड़े बुद्धिमान हैं, समझदार हैं आपको ऊंच और नीच का ज्ञान है इसलिये बहुत सतर्क होकर अपने अधिकारियों को आगाह कीजिये। मैं चाहूंगा 15 दिन के अन्दर 2 आप इस तरह का उदाहरण बना दें कि हर स्कूल में जितने बजट के हिसाब से पद हैं उनमें से जो रिक्त पड़े हैं उनकी पूर्ति हो जाये। इधर आपके कई ट्रेन्ड अध्यापक बेकार हैं उधर आपके स्कूलों में रिक्त स्थान हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सतर्कता बरतें।

Page No 87

(87)

(श्री रामकरण सिंह)

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह है अध्यापकों के लिये आवास की समस्या के सम्बन्ध में। आप जानते हैं एक स्कूल खोला जाता है और अध्यापक को वहां भेज दिया जाता है। वह वहां जाकर मकान के लिये तरसता है, भटकता है, । इसके अलावा एक शहर में से दूसरे शहर में तबादले कर देते हैं, आपके अधिकारी किसी अध्यापक से रुष्ट हुये तो जी चाहे जहां अध्यापक को फेंक देंगे। टीचर एक ऐसा आदमी है जो होमलैस व्यक्ति होता है। उसकी तरफ भी आप देखिए। एक अध्यापक को आप नई जगह भेजते हैं, बाड़मेर भेज देते हैं, जैसलमेर भेज देते हैं, कहीं से कहीं उसका ट्रान्सफर कर देते हैं तो उसको वहां जाने के बावजूद मकान उपलब्ध नहीं होता है। उस को वहां बैठने की जगह नहीं मिलती, खाने को जगह नहीं मिलती है, रहने को जगह नहीं मिलती है। उससे फिर आप आशा करते हैं कि स्कूल में जाकर पढ़ायेगा ? उस का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। 24 घन्टे उसके दिमाग में रहने की, खाने की, बैठने आदि की व्यवस्थाएं घूमा करती हैं । यही कारण है कि जब वह स्कूल में आता है तो दूसरे अध्यापकों से, लड़कों से पूछता है कि कहां रहने की जगह मिलेगी, कहां पीने को पानी मिलेगा, कहां खाने की व्यवस्था होगी। उसका रात को क्या हाल होगा, कहां जायगा, कहां बैठेगा, किससे बात करेगा-ये बातें उसके दिमाग में घूमा करती हैं। आप शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है अध्यापकों के लिये रहने का, आवास का प्रबन्ध करिये और उस की अन्य सारी व्यवस्था का भी ध्यान रखिये।

शहरों के अन्दर यदि एक कालेज से काम चलता है तो चला लीजिये, कमी कर दीजिये, लेकिन अध्यापकों के आवास का प्रबन्ध करिये ताकि उनका दिमाग स्थिर रहे और बालकों को पढ़ाने की क्षमता बढ़े, यह मेरा विशेष निवेदन है। इसके अलावा आपने स्कूल खोलें, स्कूलों के लिये तो हम धन्यवाद देंगे लेकिन दुर्भाग्य है कोटपूतली पंचायत समिति का जहां आपने एक भी स्कूल नहीं दिया। जिस दृष्टि से आपने बंटवारा किया है वह ठीक नहीं किया है। जनता पार्टी के व्यक्ति की वहां जमानत जब्त हुई है लेकिन वह पार्टी की जमानत जब्त नहीं हुई बल्कि व्यक्ति की हुई है इसलिये मैं कहता हूं उदारता से आपको सोचना चाहिये। मेरी पंचायत समिति में एक भी स्कूल नहीं दिया जब कि नीचे के अधिकारियों ने वहां चार स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। वे बड़े सतर्क थे। आपके मापदण्ड में वे स्कूल पूरे आते थे लेकिन आपने हमारी पंचायत समिति में एक भी स्कूल नहीं खोला।

इसके अलावा एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। पावटा कस्बे में स्टेट के टाइम पर एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल चलता था। उसका अपना बहुत बड़ा भवन है। उस भवन के नीचे 30 बीघा पक्की जमीन है। जो वहां ट्रेनिंग में जाने वाले थे उनसे खेती-बाड़ी का काम भी कराते थे और आलीशान तरीके में स्कूल चलता था। दुर्भाग्य है, दो-तीन साल से वह बन्द कर दिया गया। वह बहुत बड़ा भवन लाखों रुपयों में तैयार नहीं हो सकता···

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री रामकरण सिंह)

सभापति महोदय, उसके साथ में 30 बीघा पक्की जमीन थी, बढ़िया किस्म का कुआ था, जिसमें बहुतायत से पानी मिलता है। इसलिये मेरा विशेष निवेदन है कि या तो अलग से प्रबन्ध करें या फिर पावटा में ही एग्रीकल्चर स्कूल चालू करवायें। एक तरफ आप चाहते हैं कि किसान अधिक उत्पादन पैदा करे और दूसरी तरफ आप उसके अधिक उत्पादन करने की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है पावटा में एग्रीकल्चर स्कूल चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः निवेदन करता हूं कि जिन स्कूलों में रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति शीघ्र से शीघ्र करवाई जाय।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री जी का ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्राइमरी स्कूल आपने जगह-जगह खोल रखे हैं लेकिन पंचायत समिति सांचोर में 50 पर्सेन्ट स्कूलों में टीचर्स नहीं है। स्कूल खोल देते हैं लेकिन टीचर्स नहीं देते हैं, इसका आप विशेषरूप से अध्ययन करें। आज 50 पर्सेन्ट स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। आप सलेक्शन करवा कर टीचर्स का पोस्टिंग करवाने की चेष्टा करें ताकि जो प्राइमरी स्कूलों की उपेक्षा की जा रही है, वह न हो अन्यथा जो नीति है राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की वह फेल हो जायगी और जो आपने घोषणा की है और केन्द्र सरकार ने भी घोषणा की है 11 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य हो, वह फेल हो जायगी।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल भवन के बारे में बहुत भेदभावपूर्ण नीति है, इस नीति में संशोधन करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत गरीब होते हैं कोई वहां धनीमानी लोग नहीं रहते हैं। एक ही तरफ आप धड़ाधड़ स्कूल खोलते जा रहे हैं और आपने यह भी कहा है कि पिछले 29 वर्षों में जो काम पूरा नहीं हुआ था वह आपने किया है। उसके बावजूद भी मेरा, सभापति जी, निवेदन है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों की भयंकर उपेक्षा की जा रही है, मेरा ऐसा मानना है कि आपका ध्यान एक तरफ ही रह गया है दूसरी तरफ गया ही नहीं है। मेरा निवेदन है आप पुनः विचार करें। वहां 3-4 मील में भी स्कूल खोल दें तो उसका पूरा उपयोग होगा। इसलिये जो क्षेत्र रह गये हैं कुछ उनके लिये करने की भी कोशिश करें। इस साल नहीं तो अगले साल के बजट में उसको रखिये।

माननीय सभापति जी, ग्राम नवदरा ग्राम पंचायत सांचोर में स्कूल खोल रखे थे, 6 महीने से स्कूल चलता है। उसके अन्दर 50 लड़के पढ़ रहे थे, लेकिन चलते हुए स्कूल को बन्द कर दिया। मेरे ख्याल से चलते हुए स्कूल को बन्द करने का आदेश कैसे हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आता है। गांव वालों के कहने पर चार साल से स्कूल खाली था और एक अध्यापक पढ़ा रहा था, वह बन्द क्यों कर दिया, इसको भी आप देखें। वहां 5-5 मील में स्कूल नहीं है। एक सिंगल गांव में स्कूल था वह स्कूल क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौनसा गांव बताया आपने ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : नवदरा, पंचायत समिति सांचोर। एक चलते हुए स्कूल को बन्द करने की नीति मेरे ख्याल से सरकार की भी नहीं होगी, फिर क्यों बन्द कर दिया यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पांच मील में कोई स्कूल नहीं है। उस स्कूल को चालू करवाने का पुनः आदेश प्रदान करें। बच्चे स्कूल खुलने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आप उन बच्चों के साथ स्कूल खोल कर न्याय करें।

माननीय सभापति, सांचोर में छात्रावास है हायर सैकण्डरी स्कूल का एक छात्रावास है और गरीब लड़के पढ़ते हैं। यह रजिस्टर्ड संस्था है। स्टेट टाइम में गवर्नमेंट का होस्टल चलता था परन्तु बाद में प्रशासन ने उसको ग्रान्ट एन एड नहीं दी। एक दो बार दो-तीन हजार की दी थी। परन्तु अब राज्य सरकार ने उसको मान्यता दे दी है अतः पूरी ग्रान्ट इन-एड दें तो अच्छा होगा। गरीब बच्चों पर असर पड़ता है इसलिये ग्रान्ट-इन-एड दें। सरकारी होस्टल चल रहा था, अब उसके बारे में ध्यान दें।

सभापति जी, इसके अलावा रूरल एरिया के अन्दर अत्यधिक वर्षा से स्कूल भवन गिर गये। जिन छात्रावासों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चे रहते थे अधिक वर्षा होने से उनकी बिल्डिंग गिर गई। पिछली साल कोशिश करके भवन खाली करा कर दूसरी जगह बच्चों को रखा है। इस पर भी अभी तक राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे एरियाज में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चे रहते हैं और जहां कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं हो, तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का संशोधन करके भवन बनाना चाहिये। जो भवन है मिडिल स्कूल का और हायर सैकण्डरी स्कूल का भवन है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस भवन की मरम्मत के लिये सरकार अनुदान कुछ नहीं देती है। वर्षा से भवन बिल्कुल गिर चुका है राज्य सरकार को रूरल एरिया में ध्यान देना चाहिये ताकि वहां कुछ काम चल सके।

सभापति जी, इसके अलावा बच्चों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी में, कालेज में, हायर सैकण्डरी स्कूल में सब जगह जो अनुशासनहीनता की भावना बढ़ रही है, इस तरह की जो प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है उस ओर राज्य सरकार ध्यान दें। अब तक इस तरह की भावना रही जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी में तीन बार एक्जामिनेशन हुए, बार बार कापियां फाड़ी गई। सितम्बर तक परीक्षायें नहीं हुई। पर्चे फाड़े गये, कापियां फाड़ी गई। अब शिक्षा का क्या हाल होगा ? इस ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे।

श्री मदनसिंह दांता : उनको संघ की शाखा में भेज दो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी, इसके अलावा····

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जिला जालोर में विशेष तौर से रूरल क्षेत्र में आपने स्कूल खोलने में बड़ा पक्षपात किया है। हमारा जिला बहुत पिछड़ा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हुआ रहा है । इस ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मन्त्री जी, मैं आपसे पक्षपात की ऐसी अपेक्षा नहीं करता था। हम सोचते थे आप शिक्षक रहे हैं इसलिये स्कूल खोलने में आप न्याय करेंगे। इस साल तो हो गया, आइन्दा ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरे शिक्षकों के तबादलों के मामले के अन्दर सब लोग मन्त्रीजी को घेरे रहते हैं। पहले भी यही वातावरण था, अब भी यही है। जिसकी सिफारिश है वह एक जगह बैठा है, जिसकी सिफारिश नहीं है चाहे महिला शिक्षक हो, चाहे मेल शिक्षक हो वे वर्षों से हार्ड पोस्टिंग पर बैठे हैं। आप मानवीय दृष्टिकोण रखिये, हार्ड एरिया में बैठे हुए हैं, उनको विशेष अलाउंस भी नहीं देते हैं। इस बारे में राज्य सरकार का न्यायपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तबादलों के मामलों में और प्रमोशन के मामलों में शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिये। यह मैं चाहूंगा, आप कोई न कोई नियम बनायें। यह नहीं कि विधायक तबादला करा दें। वे हमारे को परेशान करें यह नहीं होना चाहिये। नियम होने चाहिये कि सबको हार्ड एरिया में भी रहना पड़ेगा, शहरों में भी रहना पड़ेगा तो आपकी नीति कार्यान्वित हो सकेगी वरना जिसकी सिफारिश होगी वह शिक्षक एक ही जगह पर रहेंगे, बाकी फिरते फिरेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, समाज में कोई भी ऐसा बच्चा पैदा न करें जो शिक्षक बन जाये।

एक माननीय सदस्य । तीस साल बाद अनुभव हुआ है।

एक माननीय सदस्य : जानवरों का डाक्टर बन जाये।

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा मन्त्री जी ने शिक्षक दिवस पर बहुत अच्छा भाषण दिया और उस सुन्दर भाषण में यह कहा, शिक्षकों के प्रति मेरा नतमस्तक है। शिक्षा मन्त्री जी, आप पहले अच्छे शिक्षक थे वह राज छोड़कर यहां क्यों आ गये ?

एक माननीय सदस्य : आपके दर्शन करने।

श्री मूलचन्द डागा : सच बात बतलाइये। हिन्दुस्तान के अन्दर, मैंने कई बार कहा है, अगर कोई समाज का बहिष्कृत कोई व्यक्ति है तो वह शिक्षक है। आपके ऐसे भाषण के उल्लेख के साथ में चार लाइन पढ़ना चाहता हूं जो अभी 7 सितम्बर के एक दैनिक पत्र के एडीटोरियल में लिखी हैं :

"It would be wrong to say that the Central and State Governments and their educational overseers are not aware of the teachers' plight. It is too obvious to escape notice. Things are wrong at every step. Gone are the days when a man choose to become a teacher for the lover of the enabling taste and the unreserved respect he recei-

(श्री मूलचन्द डागा)

ved from students and society. Now, more often than not, he becomes a teacher as a last resort because he cannot find a more lucrative job."

किसी को कोई नौकरी नहीं मिले तो शिक्षक बन जाय। शिक्षकों में से ऐसे मिनिस्टर पैदा हो गये, यह सारी दुनिया को राजस्थान बताना चाहता है।

(व्यवधान:)

शिक्षा मन्त्री जी से बात करने दीजिए।

विधि मन्त्री जी, हिन्दुस्तान का सबने मिलकर सत्यानाश किया है। शिक्षा के मामले में हमारी कोई नीति बनी नहीं। आप कहते हैं कि आप आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। यह आमूलचूल परिवर्तन क्या है। भगवान जाने, तीस साल हो गये, 25 साल हो गये, लेकिन अभी तक राजस्थान की नीति नहीं बनी। शिक्षा के मामले में हमारी अभी तक नीति नहीं बनी यह मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। हमारे छोटे छोटे नन्हें नन्हें बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, उन्हें इन शिक्षकों के हाथ में मत छोड़ें। राजस्थान के बच्चों का भविष्य बिगड़ता है तो कौन दोषी है ? जहां हमारे छोटे-छोटे बच्चों की नींव पड़ती है, जहां उसका भविष्य बनता है उन मंदिरों को उन आदमियों के हाथ में छोड़ दें जो वास्तव में शिक्षक नहीं हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : इन दो महीनों में हुआ क्या, डागा जी ?

श्री मूलचन्द डागा : आप मेहरबानी करें। मुझे घन्टी का डर लगता है।

शिक्षा मन्त्री जी, कितना सुन्दर भाषण आपने दिया, मैं नतमस्तक हूं। परन्तु, चतुर्वेदी जी, आपका सुन्दर उपदेश उन शिक्षकों के लिये यह हो कि शिक्षा के द्वारा उन बच्चों का भविष्य सुन्दर बनाइये। जीवन की जो नींव पड़ती है....

(व्यवधान:)

श्री मूलचन्द डागा : XX शिक्षा शास्त्री बनना चाहिये था। XXX जितनी सुन्दर औरत यहां क्यों आई ? वी. वी. गिरि छोड़कर गये, समर गुहा छोड़कर गये।

श्रीमती विद्या पाठक : इमोशन से न बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा : औरत के प्रति इमोशन नहीं होगा तो किसके प्रति इमोशन होगा, विद्या जी !

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे हैं।

श्री सभापति : अपना भाषण कटौती प्रस्ताव तक सीमित रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं शिक्षकों के बारे में जो शोषित है। विश्वविद्यालय में जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके समान लेक्चरार्स की तनख्वाह कीजिये। जो अनट्रेन्ड हैं उन्हें ट्रेन्ड कीजिये और जो सबसे अच्छे शिक्षक हों उन्हें रखिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह मन्दिरों के कलश, मस्जिदों की मीनार और गिरजाघरों के क्रास....

XX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापतिजी, "XX जैसी सुन्दर औरत" शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं उन्हे प्रासिडिंग्स में से निकालिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने क्या बात कही है उसका मतलब समझिये। मैंने सुन्दर कहा है, मेहरबानी करके उसका मतलब समझिये। 'सुन्दर' का मतलब कोई दूसरा नहीं है। मैंने यह कहा था....

(व्यवधान:)

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री नवनीत पालीवाल : XX शब्द बोला है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो बात कही है मेरा मतलब यह नहीं है....

(व्यवधान:)

श्री मदनसिंह दांता : शिवाजी ने भी कहा था कि XX जैसी सुन्दर मां होगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस भावना से अभिव्यक्ति सदन में की है, मैं भी उससे सहमत हूं। सहमत इस आधार पर हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य राज्य मन्त्री जी को सम्बोधित कर रहे थे तब उन्हीं को सम्बोधित कर रहे थे। पहले नहीं, जब राज्य मन्त्री जी ने कहा तब उनको सम्बोधित करके उन्होंने कहा। जो पहली बात उन्होंने कही उससे मैं सहमत हूं लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनकी भावना उनके प्रति अपमानजनक नहीं थी। श्रद्धा के बतौर उन्होंने यह बात कही है। 'सुन्दरता' का मतलब सत्यम् सुन्दरम् है, दूसरा कोई डेरोगेटरी नहीं था।....

(व्यवधान:)

कभी डेरोगेटरी नहीं था।

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनिए।

श्री परसराम मदेरणा : अगर आप कार्यवाही से निकालना चाहते हैं तो हमको कतई ऐतराज नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : XX शब्द पर हमको एतराज है।

(व्यवधान:)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए....

श्री मदनसिंह दांता : यहां 'सुन्दरता' का क्या मतलब है। इन्होंने यह कहा है कि आप जैसी सुन्दर स्त्री यहां क्यों आ गई। इसका क्या मतलब है? राजस्थान में कहते हैं कि यहां क्यों आ गई, इसका मतलब है, खराब जगह आ गई। क्या यह खराब जगह है?....

(व्यवधान:)

श्री नवनीत पालीवाल : इन्होंने यह बोला है कि XX जैसी सुन्दर औरत कैसे आ गई। इसको शालीन भाषा में भी कह सकते थे। आप जैसी सुन्दर महिला आ गई, यह भी कह सकते थे। यह XX और "औरत" जो शब्द काम में लिए हैं उन पर हमको आपत्ति है।

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : किसी भी विवाद में....

श्री नवनीत पालीवाल : आप ये शब्द कार्यवाही से निकालिये।

श्री परसराम मदेरणा : निकाल दीजिये। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : हम हमेशा सदन को पवित्र और अच्छा स्थान मानते हैं। इनके कहने का मतलब है कि यह खराब स्थान है जहां पर वे आ गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैंने तो इनके इन्टेशन का जिक्र किया है। जो कुछ नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसी का समर्थन किया है। मुझे कतई ऐतराज नहीं है अगर आप इसको कार्यवाही से हटा दें।

श्री नवनीत पालीवाल : मैंने निवेदन किया है कि ये जो शब्द है "XX जैसी सुन्दर औरत".......

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, बैठिये। मैं रिकार्ड को देखने के बाद निर्णय दूंगा।

(व्यवधान:)

मैंने आपके तर्क सुन लिये हैं, मैं रिकार्ड देख कर निर्णय दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इस मसले पर नहीं कहना चाहता। मेरा यह सवाल नहीं है कि उस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय या नहीं निकाला जाय। सवाल यह है कि क्या इस सदन के अन्दर इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि हम एक दूसरे को सम्बोधित करें और इस तरह से लूज बात कहें? यह एकदम लूज टाक है। एक माननीय सदस्य को सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। इस तरह से लूज बात बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री नवनीत पालीवाल : अपनी बात आये तब तो यह कहें। लेकिन कल श्रीमती सुमित्रा जी जब....

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चेयर को एड्रेस कर। किसी सदस्य को एड्रेस नहीं करें, सिर्फ चेयर को एड्रेस करें।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदय, कल हमारे माननीय सदस्य.......

श्री सभापति : मैंने कह दिया, मैं कार्यवाही देखकर निर्णय दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, अगर किसी तरह से....

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : बैठिए, माननीय सदस्य! बैठिए।

(व्यवधान:)

श्री रतनलाल वर्मा : बहुत जरूरी है, सभापति महोदय। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कटमोशन दिया है

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१९५)

(श्री रतनलाल वर्मा)

हीजड़ों को स्कूल में नहीं पढ़ाने के सम्बन्ध में, वे उस बारे में ही कहें। दूसरी बात क्यों कहते हैं। अगर ऐसे ही कहते रहेंगे तो सदन का बहुत सा समय लग जायगा।

श्री सभापति : आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक निवेदन है कि जिसने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, प्रधान मंत्री के पद को सुशोभित किया उस स्त्री जाति के लिए इस प्रकार के शब्द कहना कतई ठीक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे कहता हूं....

(व्यवधान:)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से और जिस रेफरेंस से, जिस वे में ये शब्द कहे हैं वे निश्चित रूप से असंसदीय हैं। न केवल असंसदीय ही हैं किन्तु उनके पीछे की भावना भी बिल्कुल अपमानजनक है समस्त महिला जगत के लिए। इसको कार्यवाही से ही नहीं निकाला जाना चाहिए बल्कि उन को माफी मांगनी चाहिए, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि रिकार्ड मैंने अभी मंगवाया है, उसको देख कर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें डिसएग्री करने वाली बात ही कौनसी है ? इन्होंने ये शब्द हम सबके सामने कहे हैं।

श्री सभापति : वह शार्टहैंड में है, अभी मैं रिकार्ड देख लूंगा।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लें। हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे बोल रहे हैं आप उनको बोलने नहीं देते....

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान:)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसी कौन सी लम्बी चौड़ी बात हो गई ?

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य या तो शब्द वापस लें....

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य या तो शब्द वापस लें या कार्यवाही से निकाले जायं।

श्री सभापति : बैठिये। मैंने रिकार्ड मंगवाया है अभी।

श्री नवनीत पालीवाल : कार्यवाही से शब्द तो आप अभी निकाल सकते हैं।

(व्यवधान:)

(195)

श्री मदनसिंह दांता : उनकी इंटेशन बिल्कुल साफ नहीं थी। इस तरह से कह कर यहां पर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम इतना भी नहीं समझते हैं ? बिल्कुल गलत बात है, यह कोई कहने का तरीका नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : शब्दों को वापस लेना होगा, सभापति महोदय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब तक आप रिकार्ड देखें तब तक हाउस को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री सभापति : स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल पेरन : आप स्थगित कर दें। आगे कार्यवाही तभी चलेगी जब ये शब्द वापस ले लेंगे।

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय सभापति महोदय, आप हाउस में व्यवस्था करिये। एक सदस्य खड़े होकर इस तरह से बोलते रहें कि यह नहीं करेंगे वह नहीं करेंगे।......

(व्यवधान:)

श्री सभापति : बैठिये। बैठिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सभापति : मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आप हाउस की प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए....

श्री सभापति : आप कृपया शान्त रहें। बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस तरह से नहीं होने दूंगा।

श्री सभापति : मैं अभी व्यवस्था दूंगा। रिकार्ड आ रहा है, उसका इन्तजार कीजिए।

(व्यवधान:)

श्री नवनीत पालीवाल : आप असंसदीय भाषा बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया जाएगा।

श्री रतनलाल वर्मा : अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी और अपने शब्दों को वापस लेना होगा।

श्री सभापति : बैठिये। बैठिये। रिकार्ड मंगाया गया है। उसका कंसेप्शन देख कर अपना निर्णय दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें रिकार्ड क्या करेगा ? आप, हम सब के सामने कहा गया है। इसमें शक की क्या बात है ?

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री नवनीत पालीवाल : पहले फैसला होगा। बोलने का प्रश्न ही नहीं है...

श्री मूलचन्द डागा : मैं खुद कहता हूं।

96

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से इस सदन के हर माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, परम्परा, खूबसूरती माननीय सदस्यों की भाषा और विचारों पर मुनहसिर करती है। मैं समझता हूं कि अगर कोई बात हो गई है तो उनको स्वयं को चाहिए, सदन की भावना का आदर करते हुए, सदन की इज्जत बढ़ाने के लिए न केवल शब्द ही वापस लें बल्कि माफी मांग लें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय.......

कई माननीय सदस्य : नो, नो, नहीं बोल सकते।

(व्यवधान:)

श्री सभापति : गलती से जो कहा है और कृषि मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो राज्य मंत्री जी ने कहा कल......

(व्यवधान:)

एक माननीय सदस्य : श्रीमती गांधी के लिए ऐसा शब्द यूज किया था ?

(व्यवधान:)

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप सब के सब बैठिये। Please sit down. बैठिये।

श्री रतनलाल वर्मा : ये क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान:)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होगा, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा, अगर सदन के माननीय सदस्यों के मन में किसी भी प्रकार की व्यथा हुई हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं हजार बार अपना सिर झुकाने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : अभी भी आप यह कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन एक बात आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने माननीय मन्त्री महोदया विद्या बहिन के खिलाफ एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा। मेरी भावना ऐसी नहीं थी। 'सुन्दर' का मतलब यह होता है....

श्री नवनीत पालीवाल : आपने सौन्दर्य की परिभाषा नहीं की है। आपने यह कहा है कि आप जैसी सुन्दर औरत यहां कैसे आ गई ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा प्रस्ताव है....

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : ये माफी मांग लेंगे लेकिन इनके साथ राज्य मंत्री जी को भी कल के लिए माफी मांगनी चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : ये गलती करेंगे तो इनको भी माफी मांगनी पड़ेगी।

Page No 97

(497)

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सदस्य के लिए ऐसे शब्द कहे जायेंगे तो क्या वह उचित मानेंगे ?

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दूंगा। आप बैठिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी प्रकार से एक बार एक प्रश्न उपस्थित किया गया था। आपके नेता होते हुए भी उन्होंने माफी मांगी थी। विद्या जी पर उन्होंने झूठे आरोप लगाये थे। आज फिर माननीय सदस्य मूलचन्द जी डागा जैसे व्यक्ति ने ऐसे शब्द कहे, जो संसद के सदस्य रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये। बैठिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अनेक वर्षों तक विधान सभा के सदस्य रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये Please sit down.

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था। व्यवस्था आने में कुछ देरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैडम पाठक या इस सदन का कोई भी आदमी या महिला हो हम उसकी इज्जत करते हैं। डागा जी ने खुद ने माफी मांग ली है। फिर भी मैडम पाठक जिस भाषा में कहें या लिखकर दें, वह उसी तरह से माफी मांग लेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह मामला सदन का है। यह व्यक्तिगत नहीं है। जिस बात से सदन सन्तुष्ट होगा, वही होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जो कुछ कहा है, मेरे पास उसकी कापी आ गई है। आप बैठिये।

माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने प्रसंगवश यह कहा— XX शिक्षा शास्त्री बनना चाहिए था। XX जितनी सुन्दर औरत यहां क्यों आई ?"

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। यह क्या तरीका है ?

यह जो वाक्य है, XX जैसी सुन्दर औरत यहां क्यों आई ?" मैं इसको एक्सपंज करना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। माफी मांगें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री सम्पतराम : माननीय सभापतिजी, अभी जो माननीय माथुर साहब ने कहा है वह मेरी समझ में संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। जो प्रश्न उठाये जाते हैं, वह सभी माननीय सदस्यों के होते हैं। वह क्या फील करते हैं या नहीं, यह अलग बात है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही लज्जाजनक शब्द हैं, शर्मनाक शब्द है। यह महसूस करते हुए उनको माफी मांगनी चाहिए।

XX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य माफी मांग लें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, मैं माफी मांग चुका हूं। सभी से माफी मांग चुका हूं। मेरी यह भावना नहीं थी। मैं यह बात कहता हूं कि मेरी श्रद्धा की भावना थी। उसके उपरान्त भी आप कह रहे हैं तो मुझे माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं फिर माफी मांगता हूं।

एक माननीय सदस्य : और मंगवाना चाहते हों तो और मंगवालें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : चाहे कोई भी हो, किसी नाम से हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट ऑफ आर्डर। जो राज्य मन्त्री श्री विज्ञान मोदीजी ने मोटर गैरेज की गाड़ियों के बारे में शब्द कहे थे, वह भी उठाकर देख लें। आपको जैसा जचे वैसा करें। उन्होंने कहे जरूर थे। सबने सुने हैं।

(व्यवधान)

फिर कहते हैं कि क्या हुआ ? चाहे मन्त्री हो चाहे सदस्य हो किसी को भी अपमानजनक शब्द नहीं कहने चाहिये थे। यह सदन का फर्ज है। सब माननीय सदस्यों के प्रिविलेज समान हैं और इसमें कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, आपके सचिवालय द्वारा कल रात को ही एक पुस्तक बांटी गई है। जो असंसदीय शब्द हैं, अब तक प्रासीडिंग्ज में आये हैं और आसन द्वारा उसके प्रासीडिंग में से निकालने के बारे में निर्णय दिये गये हैं उनका संकलन हमको कल रात को ही बांटा गया है। माननीय सदस्यों को शायद वह पुस्तक देरी से मिली है इसलिए इसको नहीं पढ़ सके हैं, भविष्य के लिए उस पुस्तक में देख सकते हैं कि कौन कौन से असंसदीय शब्द एक्सपन्ज किये गये हैं। जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य, जो सांचौर से आये हैं, ने उठाया है, मैं कल सदन में उपस्थित नहीं था, उन्होंने कहा कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर राज्य मन्त्रीजी ने तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी के लिए असंसदीय शब्द इस्तेमाल किये। तो आप कृपया उस दिन की प्रोसीडिंग मंगवा लीजिये। वह भी एक्सपन्ज होना चाहिए।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं व्यवस्था का प्रश्न कल उठाना चाहिए था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह कभी भी उठाया जा सकता है।

श्री सभापति : कल उस बात पर कोई आपत्ति नहीं की थी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो आपका डिसाइड करना है।

श्री सभापति : मैं उसको देख लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, वह नहीं हटाया तो लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे।

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति महोदय, चाहे ट्रेजरी बेंचेज पर या विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य हों सभी

(श्री सम्पतराम)

माननीय सदस्यों को अपना कर्त्तव्य निभाना पड़ता है। जो कुछ कहा जाता है उससे किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंचती है तो कोई भी हो, चाहे बड़ा आदमी हो किसी भी पक्ष का हो, उसको माफी मांगनी चाहिए लेकिन यह राजनैतिक तरीके से प्रश्न उठाया गया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप प्रोसीडिंग मंगा कर देख लीजिये।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, बीच बीच में माननीय सदस्यों में एक्सचेंज आफ थाट हो जाता है। लेकिन किसी ने भी ध्यान आकर्षित किया होता तो उस समय विचार हो जाना चाहिए था।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, इस सदन की आप कल की प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री सभापति : कल तो व्यवस्था का प्रश्न उठा कर कोई आपत्ति नहीं की गई।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : सभापति महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है उसमें टुंटिया शब्द नहीं था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, कल प्रश्न काल में यह प्रश्न आया था, इसके लिए व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। लेकिन आसन से कहा गया कि प्रश्न-काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री सभापति : मुझे पता नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर यह सवाल कल उठा था तो इसके बारे में क्या रूलिंग हुई थी उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाय। किन्हीं माननीय सदस्य ने उसको एक्सपन्ज करने की या वापस लेने की बात कही थी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, आपको जानकारी तो कुछ है नहीं, ऊट-पटांग बोलते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, ये बार-बार हमको सिखाने की बात कर रहे हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : सभापति महो-महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कल की प्रोसीडिंग्स देख लीजिये और फिर निर्णय दे दीजिये। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया गया था। किस शब्द पर क्या आपत्ति हुई है, क्या रिकार्ड हुआ है उसको श्रीमान् मंगा कर देख लें और अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि ऊट-पटांग बोलते जा रहे हैं, इस पर व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चेयर को एड्रेस करना चाहिए।

मेजर श्री फतह सिंह : सभापति महोदय, मैं सबसे क्षमा चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही

(मेजर श्री फतहसिंह)

ठीक प्रकार से चले उस सम्बन्ध में कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 272 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं। वे इसका अध्ययन करेंगे तो मेरी निश्चित धारणा है कि सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चल सकेगी और जो इस तरह की बात समय समय पर होती है वह पैदा नहीं होगी। यह मेरा एक सुझाव है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी खत्म करें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था जो शिक्षा जीवन को नहीं सुधार सकती, वह शिक्षा, शिक्षा कैसे कही जा सकती है? मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आज शिक्षा की हालत ठीक नहीं है। अगर छोटी-छोटी पाठशालाओं में अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, यह मैंने बार बार कहा है। जब शिक्षकों की तनख्वाह कम हो, शिक्षा को संवारने का ख्याल नहीं हो, जब शिक्षक ट्रान्सफर के मोहताज होते जा रहे हैं, उनके पास पढ़ाने के साधन नहीं हैं, ऐसी हालत में आप क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकते।

दूसरी बात बच्चों के चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जिस पर मेरा कट मोशन है। कल बड़े सुन्दर शब्द हमारे देश के कर्णधार, जो पूर्ण क्रान्ति लाने वाले हैं, जयप्रकाश बाबू ने कहे, उन शब्दों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जे. पी. साहब ने यह शब्द कहे कि भारतीयकरण की आड़ में अगर हिन्दू साम्राज्यवाद को फैलायेंगे तो देश के लिए खतरा होगा। उन्होंने यह कहा— "Mr. Jai Prakash Narain has advised the Rashtriya Swayam Sevak Sangh...."

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, इनका आर. एस. एस पर कट-मोशन है या शिक्षा के ऊपर?

श्री मूलचन्द डागा : फिर बोले, कहीं न कहीं दर्द है अन्दर।

श्री सभापति : इसका हिन्दी अनुवाद करके बोलिये, कृपया।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों साहब उनके शब्द ही नहीं पढ़ूं?

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, आप हमें भी एक घण्टा देंगे क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में 35 मिनट का व्यवधान हो गया था।

श्री रघुनन्दन व्यास : और अभी कट मोशन पर कुछ नहीं बोले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : either to....

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग यह अभिमान करते हैं कि हमको बड़ा ज्ञान है और दूसरों को नहीं है उनसे मेरा निवेदन है कि हमें अधर ज्ञान नहीं है तो हम स्वयं सीखेंगे। संसदीय

(श्री रघुनन्दन व्यास)

परम्पराओं के बारे में 30 वर्षों तक ये यही सीखें। मर्यादाओं का पालन करना हम अधिक जानते हैं। माननीय सदस्य बार बार इस अपमानजनक शब्द का प्रयोग न करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनकी मांग है कि इनको बराबर समय मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : "Mr. Jai Prakash Narain has advised the Rashtriya Swayam Sevak Sangh either to disban itself and merge with the youth and cultural organisation of the Janta Party."
इस पर मैंने यह बात कही है। विद्यार्थी परिषद् और दूसरी संस्थायें ऐसी हैं। हमारे राष्ट्र का जो चरित्र है, जिस पर हमें गर्व है, जो हमारी संस्कृति है उस पर हम नाज करते हैं–उस चरित्र और संस्कृति के आधार पर हमारे लोग— देश विदेशों में जाते हैं। आप इस आर. एस. एस. को बैन कर दें, सदा के लिए बैन कर दें। उन शाखाओं में हमारे शिक्षा मंत्री····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जब तक यह संकुचित प्रवृत्ति रहेगी तब तक ये सारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर यह एक आवाज नहीं देंगे कि हम एक हैं। इसलिए मैंने यहां पर 7 साल पहले बात कही थी कि अपनी शाखायें मत लगाओ। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं····

श्री सभापति : आप अपने कटौती प्रस्ताव पर आयें।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी मनोवृत्ति देख रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो कार्य कर रहे हैं मैं, शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक बात चाहता हूं, इस प्रकार की मनोवृत्ति को दूर रखने वाली जो कुछ एक्टिविटीज हैं उनको चालू करें और इन एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए आप सहयोग दें।

इसके अलावा एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि वहां एक स्कूल में 1900 विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसकी 3 शिफ्ट चलती हैं····

श्री प्रद्युम्नसिंह : फैक्ट्री है ?

श्री मूलचन्द डागा : एक शिफ्ट 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट शाम को 5 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम को 5 से रात के 9 बजे तक चलती है। मैं इस बात को मंजूर कर चुका हूं कि मेरे विभाजन क्षेत्र पर बड़ी कृपा की, एक स्कूल भी नहीं खोला बहुत बड़ी कृपा की। ऐसी एजूकेशन से क्या लाभ जिसको ऐसे शिक्षक पढ़ायेंगे। भगवान बचाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां ऐसा स्कूल है जिसमें तीन शिफ्ट चलती हैं और 10-12 वर्ष के बच्चे रात को 9-10 बजे पढ़ कर लौटते हैं। अगर शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, आपकी शिक्षा, आपके पूरे ज्ञान, आपकी सूझबूझ, से इस बात को अगर आप कहते हैं तो मेहरबानी करके पाली को देखिये वहां 70 हजार की जनसंख्या है, आप स्कूल खोलने की ओर कदम बढ़ाइए।

मैंने एक बात नोट की है कि जो इलाका बिल्कुल पिछड़ा था उस इलाके से स्कूल हटा दिये। जो जावर में एक दिन आदेश

(श्री मूलचन्द डागा)

किया स्कूल खोलने का, दूसरे दिन दूसरा आदेश निकाला गया कि नहीं खोला जाए। इस प्रकार की जो बातें होती हैं····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका समय हो गया।·

श्री मूलचन्द डागा : अभी मेरा समय नहीं हुआ है, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा।

श्री सभापति : आपस में बात न करें। भार्गव साहब, यदि आप बीच में बोलेंगे तो उधर से भी प्रत्युत्तर होगा।

श्री मूलचन्द डागा: एक बात और। जो 42वाँ संशोधन किया है उसके लिए मेरा निवेदन है, मुख्य मंत्री 25 बार दिल्ली होकर आए हैं, चतुर्वेदीजी आप भी दिल्ली जायं, और इस बात की सिफारिश करिये कि उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल पालिसी बननी चाहिए। उसके आप भी हामी होंगे क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नीति एक सी नहीं है। राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहे तो इस दिशा में करे····

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं अपनी बात तो 4–5 मिनट भी नहीं कह सका लेकिन सभी सदस्यों के प्रति मेरा वही सम्मान है और आदर है।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : सभापति महोदय, मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके द्वारा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा पहला प्रस्ताव प्राथमिक शालाओं और उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी के संबंध में है। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर विचार व्यक्त कर चुके हैं अत: मैं अधिक न कहकर इतना ही कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालायें चल रही हैं। कहीं-कहीं मिडिल स्कूलों में जहां एक एक, दो-दो अध्यापक हैं, और प्राथमिक शालाओं में जहां 100 से भी अधिक बच्चे हैं, एक भी अध्यापक नहीं है। अध्यापकों वाली इस कठिनाई की तरफ आप ध्यान दें नहीं तो केवल मात्र स्कूल खोलने से शिक्षा प्रसार नहीं होने वाला है। जब तक समय पर अध्यापक नहीं लगायेंगे तथा अध्यापक जाकर नहीं पढ़ायेंगे तब तक स्कूल खोलने से कोई फायदा भी नहीं है। आपके बजट में इस प्रकार के अध्यापकों के लिए सेंक्शन भी है। इस तरफ आप जरूर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, जो दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है उसके लिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री दोनों ने इस सदन में कहा था और सभी सदस्यों को अवगत कराया था कि राजनैतिक दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होगा और शिक्षा के प्रसार के दृष्टिकोण से सभी जगह स्कूल उचित मात्रा में खोले जायेंगे। इन स्कूलों को खोलने में कितना असन्तुलन पैदा किया गया इसका फैसला तो जनता करेगी या जिन लोगों पर सीधा असर पड़ा है वे महसूस करेंगे। जितने स्कूल मंत्री महोदय ने नए खोले हैं उसके 10 प्रतिशत तो अपने क्षेत्र कोटा में खोले है। क्या इसको क्षेत्रीय असंतुलन नहीं कहेंगे ? आप सोचते हैं कि जन संख्या के आधार पर और इलाके राजस्थान में पिछड़े हुए नहीं हैं जहां शिक्षा के प्रसार

(श्री रामरघुनाथ)

की आवश्यकता है ? आपने इस बात को कतई ध्यान में नहीं रखा, पूरी मनमानी की है और खुल्लमखुल्ला राजनैतिक दृष्टि से असन्तुलन पैदा कर सिर्फ अपने क्षेत्र को लाभ दिया है जो गलत प्रवृत्ति है।

मैं इसके साथ ही एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने एक पत्र भी कल प्रस्तुत किया था और निवेदन किया था कि डेगाना में एक हाई स्कूल है तथा वहीं एक और मिडिल स्कूल क्यों खोल दिया है ? आपने फर्माया था कि आप अधिकारियों से पता लगायेंगे। आप लम्बे समय तक डीडवाना में शिक्षक रहे हैं तथा आपका निरन्तर डेगाना आना-जाना लगा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेगाना जंक्शन में हाई स्कूल है। वहां की जनसंख्या सिर्फ पांच हजार है। वह एक जंक्शन स्टेशन है, वहां आप खुद डीडवाना आते-जाते रुकते रहे हैं। उस हाई स्कूल में डीडवाना जंक्शन के आसपास के गांवों के लड़के पढ़ने आते हैं क्योंकि वहां पर आगे हायर सैकण्डरी है। जहां पर आपको मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं थी वहां आपने मिडिल स्कूल विना आवश्यकता के ही खोल दिया और जहां आपको मिडिल स्कूल खोलना चाहिये था वहां पर आपने मिडिल स्कूल खोली नहीं। डेगाना जंक्शन पर आप मिडिल स्कूल खोलेंगे तो वहां के हायर सैकेण्डरी स्कूल के मिडिल सेक्शन की छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के सेक्शन्स को आपको हटाना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इससे वहां के बच्चों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह लगता है कि सिर्फ राजनैतिक प्रेशर से ही आपने वहां मिडिल स्कूल खोला है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वर्षों पूर्व डेगाना में जो हाई स्कूल खोला था वह इस कारण से खोला था कि डेगाना एक जंक्शन था, वहां आसपास के गांव, जो उसको रेवेन्यू की सीमा में लगते हैं, के बच्चों को तीन मील चार मील से पढ़ने के लिये आने में सहूलियत होगी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, असली डेगाना गांव तो जंक्शन से पांच या छः मील दूर है। डेगाना ग्राम में एक प्राथमिक स्कूल है और तीन सौ के करीब लड़के उस स्कूल में पढ़ते हैं। आपको अगर मिडिल स्कूल खोलना था तो वहां पर खोलना चाहिये था जिससे कि वहां के बच्चों को पांच छः मील चलकर डेगाना जंक्शन तक पढ़ने नहीं आना पड़ता। इससे वहां की जनता को काफी सहूलियत मिलती। इसके साथ में, मैं शिक्षा मंत्रीजी की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिये क्राइटेरिया फिक्स किया था और उसके लिये सूचना चाही थी तब जो लिस्ट नागौर जिले से इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने भेजी उसमें मिडिल स्कूल खोलने के लिये डेगाना गांव का नाम सबसे प्रथम स्थान पर था। लेकिन आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक प्रेशर में आकर डेगाना जंक्शन पर स्कूल खोल दिया। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जनता की भलाई के लिये अगर आप राजनैतिक प्रेशर से, राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं तो आपने जो डेगाना

(श्री रामरघुनाथ)

जंक्शन शब्द लिखा है उसे हटा कर आप डेगाना गांव में मिडिल स्कूल खोलने का आदेश दें। इस गलती को आप दुरस्त कर लें तो उचित होगा और जनता को लाभ होगा। नहीं तो वहां पर बच्चों की पढ़ाई तो होगी नहीं उल्टे अव्यवस्था हो जायेगी। बच्चों को पांच मील चल कर जहां हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ने के लिये आना पड़ता है वहां पर मिडिल स्कूल कक्षाओं में पढ़ने के लिये भी उनको 5 मील से आना पड़ेगा। वहां जो हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है उसमें भी छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। वहां बच्चे भी इतने अधिक नहीं कि नया स्कूल उसी स्थान पर और खोलना पड़े। फिर भी जो स्कूल खोला है उससे आपको आर्थिक हानि तो होगी ही साथ में जिस स्कूल के खुलने से वास्तविक रूप में गांव वालों को फायदा होने वाला है उससे महरूम रहेंगे। माननीय सभापति, ऐसा आदेश किस काम का जिससे न राज्य सरकार को फायदा हो न जनता को। इसलिये मेरा शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आप वह स्कूल डेगाना जंक्शन की जगह डेगाना गांव में खोलें।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने चार मिडिल स्कूल....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आपको पांच मिनट हो गये।

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में एक बात ही निवेदन करना चाहता हूं।

डेगाना के पास रीयां है वहां पर मिडिल स्कूल आजादी से पहले ही था। उसमें करीब 400 छात्र पढ़ते थे। उसके बाद में कांग्रेस का राज्य आया और हाई स्कूल में उस मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत किया गया। वह एक अच्छी जगह है। अजमेर का बोर्डर उसके पास पड़ता है। उसको बन्द कर दिया गया है। सभापति महोदय, उसके पास एक नदी है। साल में तीन-चार माह तक उसमें पानी रहने के कारण वहां कोई आ-जा नहीं सकता। क्योंकि बच्चे कहीं और जगह जा नहीं सकते इसलिये उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसको बन्द क्यों किया गया? जब कि रीयां के आस पास के गांवों से बच्चे भी उसमें पढ़ने आते हैं, स्ट्रेन्थ भी काफी है फिर क्या कारण है कि उसको बंद किया गया है? मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि एक तरफ तो जनता पार्टी की सरकार गांवों में स्कूल खोल रही है दूसरी तरफ आप आवश्यक होते हुए भी नहीं खोलते। मैं स्पष्टरूप से यह कह देना चाहता हूं कि जो पुराने खुले हुए स्कूल हैं उन्हें आप बन्द न करें। इस प्रकार आप क्षेत्रीय असन्तुलन को पैदा कर रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्षेत्रीय और राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठ कर काम करें तो जनता को अधिक लाभ होगा नहीं तो इसका नतीजा बुरा होगा।

(श्री रामरघुनाथ)

इसके साथ ही मैं एक बात अध्यापकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स को सीनियर टीचर्स बनाने के पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्शन कराने के लिये अनुभव जरूरी होता है, जिसके यह नियम बने हुए हैं कि पांच साल का हायर सैकण्डरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियन्स होना चाहिये या चार साल हैड मास्टर मिडिल स्कूल का रह चुका हो और तीन साल तक हायर सैकण्डरी स्कूल के अध्यापक का अनुभव भी हो। तो एक तरफ तो आपने हायर सैकण्डरी स्कूल के बच्चों का पांच साल पढ़ाने का अनुभव स्पष्ट रखा है, दूसरी तरफ आपने चार प्लस तीन, कुल सात साल का अनुभव रखा है। यह कैसा न्याय है? आप टीचर को चार साल हैड मास्टर नहीं रहने देते हैं या सैकिण्ड ग्रेड टीचर को पांच साल हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होने के पहले उसका ट्रान्सफर कर देते हैं। इस तरह उनका अनुभव पूरा नहीं होता है। और वह मास्टर हायर सैकण्डरी के सीनियर टीचर के लिए एलीजेबल नहीं होता है। जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पहले ही व्यवस्था कर देते हैं। आप कई टीचर्स का मिडिल स्कूल हैड मास्टर से 6-7 साल तक ट्रान्सफर नहीं करते हैं, इससे यह होता है कि कई लोग सीनियर टीचर बनने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह जो गड़बड़ चल रही है उसे आप ठीक करें तो उचित होगा।

इसी के साथ ही मैं एक पोइन्ट और निवेदन करना चाहता हूं कि आप नये स्कूलों में पार्ट टाइम चपरासी रखते हैं और उनको सिर्फ 75 रुपये मासिक ही देते हैं। 75 रुपये से मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति का पेट भरना मुश्किल है। वैसे तो वह चपरासी पार्ट टाइम होता है लेकिन हैड मास्टर उस को पूरे दिन छोड़ता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप उसे पांच रुपये रोज तो दीजिये, जो मिनिमम वेजेज है, ताकि वह गरीब अपना पेट पाल सके।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप न्याय की दृष्टि से, जनता के भले की दृष्टि से जो मिडिल स्कूल आपने डेगाना जंक्शन में खोला है उसे डेगाना जंक्शन से हटाकर डेगाना गांव में खोलें तो न्यायपूर्ण व ठीक रहेगा। बस यही निवेदन करना है कि आप यही आदेश कर दें कि डेगाना जंक्शन की जगह डेगाना गांव में मिडिल स्कूल खोला जाय।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात एक माननीय सदस्य के कट मोशन में आ जावे, उसको दूसरे माननीय सदस्य वापस रिपीट न करें तो सदन का समय बचेगा। जैसे कि 75 रुपये मासिक पर पार्ट टाइम चपरासी रखने की बात कही गयी। इसके सम्बन्ध में एक नहीं कई माननीय सदस्यों ने कह दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें तो सदन का समय बचेगा।

श्री शंकरलाल!

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी से मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा। समय की कमी को देखते

(श्री शंकरलाल)

हुए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला तो मेरा प्रश्न यह है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जो स्कूल खोले थे उन्हें किन आधार पर आपने खुलने से रोक दिया? इसमें आपने क्या आधार रखा ? क्या कोई राजनैतिक आधार था या कोई नियम बने हुए हैं ? इसके लिए क्या दृष्टिकोण आपका था ? अगर आप इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो, सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी पर इस सदन में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करने और राजनैतिक प्रेशर से काम करने के लाञ्छन सभी सदस्य लगाते रहेंगे। कई माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करने की बात कही है और राजनैतिक प्रेशर से काम करने का लाञ्छन लगाया है। मुझे भी सन्देह है कि आखिर क्या कारण थे, कौन से नियम थे जिनके अन्तर्गत आपने इन स्कूलों के खोलने के आदेशों को रद्द किया ? मन्त्री महोदय इस संबंध एक बुकलेट छपवाकर सभी माननीय सदस्यों को वितरित करें तो ठीक रहेगा। नहीं तो आपके ऊपर लगातार लाञ्छन लगते रहेंगे।

मेरे क्षेत्र में भी, सभापति महोदय, दो मिडिल स्कूल खुलने वाले थे। भूतपूर्व सरकार ने दो स्कूल खोलने की कार्यवाही की थी, एक तो जैतारण, जो कि मेरा क्षेत्र है, मेंगरणिया में स्कूल खुलने वाला था और दूसरी गानेरवा में। यह दोनों ही मिडिल स्कूल खुलने से रुक गये। इसके लिये मैंने शिक्षा मंत्रीजी को भी पत्र लिखा था। पर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं कि जो भूतपूर्व सरकार द्वारा स्कूल खोले गये थे उनके आदेश निरस्त कर दिये जायं?

दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने करीब एक हजार प्राथमिक स्कूल खोलने के आदेश निकाले थे पर आपने वह एक हजार प्राथमिक स्कूल काट कर 520 प्राथमिक स्कूल ही कैसे कर दिये ? किन नियमों के अन्तर्गत किये ? इसका स्पष्टीकरण भी दें।

तीसरी बात जो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के बजट में अडल्ट एजूकेशन के बारे में कुछ प्रावधान रखा जाता था। लेकिन आपने इस बजट में कोई प्रावधान अडल्ट एजूकेशन के बारे में नहीं रखा है। इसका क्या कारण है ? हमारे यहां गांवों में इल्लिटरेसी है आपने उसको समाप्त करने के लिये क्या योजना बनायी है ?

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में मैंने कई बार कहा कि प्राथमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उनको आप पंचायत समितियों के अधीन मत रखिये। सभापति महोदय, आज जो पंचायत समितियों के नीचे अध्यापक हैं, और शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक हैं उनकी दशा में बहुत फर्क है व दोनों स्कूलों के भवन में फर्क है, फर्नीचर में फर्क है। यह दो तरह की बात आप कैसे करते हैं? इसे आज ठीक करने की आवश्यकता है। जब से गांवों में प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों के नीचे दिया है तब से प्राथमिक शिक्षा की हालत खराब हुई है। इसमें न तो बच्चों की पूरी तरह पढ़ाई होती है न ही पंचायत समिति के टीचर्स को सन्तोष मिलता है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, हमारे यहां पर अध्यापकों की सर्विस बुकों की डुप्लीकेट सर्विस बुक बनाने का प्रावधान है जिससे उनको मालूम हो सके कि क्या वेतन

(श्री शंकरलाल)

है, उनके वेतन फिक्सेशन और प्रमोशन की क्या स्थिति है ? जो कमी है उसको डिपार्टमेंट से पूरी करा सके। बहुत से शिक्षकों ने डिपार्टमेंट में इस मांग को रखा है। आप उनकी मांग की पूर्ति कीजिये। पूरे राजस्थान में अधिकारियों को आप हिदायत कर दें कि अध्यापकों को सर्विस बुक की प्रति मिल जाया करे।

जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं या जो संस्थायें प्राइवेट स्कूल चलाती हैं उनमें सरकारी स्कूलों से अधिक फीस ली जाती है। आप यह प्रावधान करें कि सरकारी स्कूलों में जो फीस ली जाती है, उससे अधिक फीस न लें तो ही वास्तविक रूप से सुधार हो सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी यह नीति है कि पिछड़े जिले के लोगों को शिक्षा दी जाय। इस प्रकार के पुराने आदेश भी हैं। कई जगह आपकी इस नीति का पालन होता है और कई जगह नहीं होता है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आपका ध्यान बातचीत में है, यह महत्वपूर्ण विषय है आप इस ओर ध्यान दें। एक सक्यूलर निकला है "From Secretary to the Government of Rajasthan"

कई जगह उसका पालन होता है और कई जगह पालन नहीं होता है। आप यह देखें, यदि पालन नहीं होता है तो आखिर क्यों नहीं होता है? वह सक्यूलर है:

"Exemption from tuition fees for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes."

यह सक्यूलर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है लेकिन अदर पूअर कास्ट्स भी है, अदर देन दी शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स। कई स्कूलों में उसका पालन होता है और कई में नहीं होता है। कोई मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। समाज कल्याण विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड बेकवर्ड क्लासेज की एक सूची बनी हुई है फिर भी उसका पालन नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप चाहेंगे तो उसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा। उसको आप समस्त राजस्थान में प्रसारित करवाइये जिससे लोगों को फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपकी घंटी बज रही है इसलिये मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पाली में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोल रहे हैं उसके साथ वहां लॉ की ईवनिंग क्लासेज खुलवा दें तो अधिक सुविधा बच्चों को हो जावेगी। पाली वैसे भी एक बड़ा इन्डस्ट्रियल टाउन है। वहां से बच्चों को इसके लिये बाहर जाना पड़ता है वहां ईवनिंग लॉ क्लासेज खोल दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी ने सरकारी स्कूल खोलने में जो पक्षपात पूर्ण रवैया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अपनाया है वह बहुत ही दुःख का विषय है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि कोटा डिविजन में स्कूल खोले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के मुकाबले में कोटा डिविजन में अधिक खुले हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में खोले हैं।

राजस्थान बना उस समय 1।। करोड़ रुपये का शिक्षा का बजट था वह बजट अब 99 करोड़ का हो गया है। फिर भी कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा। कारण, पक्षपातपूर्ण तरीके से स्कूल खोले थे। उसके कारण कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा। वे ही परिस्थितियां आज प्रिवेल करती हैं।

स्कूलों के अन्दर, जिस दल से ये आते हैं, जिस शाखा से ये आते हैं, उसके विद्यार्थियों को प्रवेश देने का तरीका गलत है। जिस प्रकार का आपने अपना परिचय दिया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाय, जितनी आलोचना की जाय वह थोड़ी है।

श्रीमन् एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि हर चीज इधर से उधर की जा रही है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है और मेरी जानकारी में भी आया है कि एक जो फूल प्रूफ सिस्टम था कि टीचर्स का अपोइन्टमेंट मेरिट के आधार पर किया जाय उसको आप बदलने जा रहे हैं। आर. एस. एस. के लोगों को आप भर्ती करना चाहते हैं, जैसा कि उत्तर-प्रदेश में किया गया। जिसकी अधिक योग्यता है उसको लगाइये, यही सही तरीका हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है अपोइन्टमेंट करने का ?

आपने हिदायत दे दी है स्कूलों में आर. एस. एस. की शाखायें लगाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप एक भी नाम बता सकते हैं ? एक भी नाम बता दें—आपको बोलने की छूट मिली हुई है इसका मतलब यह नहीं कि मर्जी चाहे जैसे बोलो।

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य गुमराह कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हिन्दुस्तान सेक्युलर स्टेट है। यह अपने संविधान में दिया हुआ है कि हिन्दुस्तान सेक्युलर स्टेट है। आपका भी सेक्युलर प्रदेश है। क्या आर. एस. एस. में मुस्लिम और क्रिश्चियन की एन्ट्री है ? जयप्रकाशजी ने स्वयं ने कहा है कि आर. एस. एस. हिन्दू राष्ट्रवाद की बात करता है। तो, श्रीमन्, आप एक बीमारी फैला रहे हैं, स्कूलों में जो शाखायें लगा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, उसी संदर्भ में, मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षा को राजनैतिक अखाड़ा न बनायें, यह दुधारी तलवार है।

मैरिट के आधार पर कई घपले हुए हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिये मिनिमम पर्सेन्टेज फिक्स अप कीजिये। घूमर के नाम से सर्टिफिकेट इश्यू किये गये हैं। पहले कोई कार्य कम हुए होंगे। उनके जो सर्टिफिकेट थे वे ही स्कूल भर में इश्यू कर दिये उसके कारण 7 पर्सेन्ट नम्बर एक्स्ट्रा दे दिये। इसकी मुझे जानकारी है। उसी आधार पर प्रकाश डाल कर कहा है। उसके कारण 7 पर्सेन्ट नम्बर अधिक मिले। विद्यार्थी परिषद् के प्रेसिडेन्ट हुआ करते थे उन्होंने ये

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सर्टिफिकेट इश्यू किये फिर बाकी लड़कों का क्या होगा ? एक तरफ निष्पक्षता की बात करते हैं दूसरी तरफ इस तरह की कार्यवाही करते हैं। जवाब दीजिये, क्यों इस आधार पर लड़कों को भर्ती किया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, 5 मिनट का समय दे दीजिये।

श्री सभापति : 5 मिनट तो हो गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कुछ ही सदस्य बोलने वाले हैं। थोड़ा समय दे दीजिये।

तो क्या आप जांच करेंगे ? निश्चित-रूप से मेरा यह आरोप है कि इसमें आपकी कनाइवेन्स है। 'घूमर' का सर्टिफिकेट देने के कारण लड़कों का पर्सेन्टेज ऊपर आया है। जो लड़के एलीजिबल थे, उनका हक मारा है। जिनकी सिफारिश नहीं थी, उनके साथ अन्याय किया है।

ये छोटी-छोटी बातें हैं, सभापति महोदय, यह शुरुआत है। जहरीले पौधे की शुरुआत है। ऐसे प्रश्न विधान सभा में आते हैं तो आपको यह पूछा जावेगा, उस पेड़ पर जहरीले फल पैदा नहीं होंगे ? हमारे शिक्षा मंत्रीजी तो बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जांच कराओ और आदेश देकर जांच कराओ कि किस प्रकार से दाखिले हुए ? और किस प्रकार से स्केन्डल हुआ सर्टिफिकेट्स देने में ? अगर मंत्री महोदय की कनाइवेन्स से ऐसा हुआ तो आप दोषी हैं और इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा....

श्री मदनसिंह दांता : जांच किस बात की जब यह दोषी हैं तो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर, श्रीमन्, अभी तो तीन महीने ही हुए हैं शुरुआत ही है शिक्षा मंत्री के काल की और एक रिश्तेदार को ओ. एस. डी. लगा दिया। आज ही अखबार में पढ़ा है कि कोई अजमेर के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में थे उनको ओ. एस. डी. लगा लिया। आपके पास आइ. ए. एस. हैं, आपके पास और शिक्षा शास्त्री हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं लेकिन आपने उनको लाकर बैठा दिया। क्या आवश्यकता थी ? कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप आते थे कि भाई भतीजावाद चला रखा है लेकिन आपने तो आते ही यह सब कुछ करना शुरू कर दिया। आप तो दामन अपना साफ रखें।

यहां पर धौलपुर कालेज के लड़के आये। धौलपुर के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की बात है, लॉ क्लासेज खोलने की बात है, वहां छात्रावास नहीं हैं, वहां पीने का पानी नहीं है और यहां आपसे डेलीगेशन मिला। अगर आप व्यवस्था कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। आपके विधायक हैं और वही इस डेलीगेशन को लेकर आये थे। मेरी सहानुभूति है कि वह अपने मिशन में सफल हों। मुझे और अधिक इस मामले में कहने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात और है। आपने कहा कि एक हजार स्कूल खोलेंगे और कांग्रेस के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि एक हजार स्कूल खोलेंगे लेकिन पता नहीं आपने उसको कैसे 520 कर दिया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। उन्होंने नेशनल कौंसिल ऑफ इकानामिक एण्ड रिसर्च के आंकड़े भी प्रस्तुत किये थे उन्हीं के शिक्षा मंत्री ने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अपने ही मुख्य मंत्री की बात को काटने के लिए, अपने ही मुख्य मंत्री को बदनाम करने के लिए 520 प्राइमरी स्कूल कर दिये। अगर एक हजार स्कूल खुल जाते तो क्या परेशानी थी? इतना होते हुए भी आपने नहीं खोले। एक तरफ इसी सदन के अन्दर इस बात को कहा जाता है कि राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत कम है, राजस्थान के लोग अशिक्षित हैं दूसरी तरफ आप प्राइमरी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। बजट में प्राविजन था तो क्यों नहीं खोले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्रीमान्, यहां पंचायतों के अन्दर एक-एक मास्टर के स्कूल चल रहे हैं। लड़कों की संख्या किसी में 100 है तो किसी में 125 है। इतने लड़के आ रहे हैं तो ज्यादा मास्टरों को रखें तो ठीक है। अगर कुछ इन्तजाम कर सकते हैं तो करिये नहीं तो चल रहा है ढर्रा, चलने दें।

जिस तरह की शिक्षा है उसका मैंने हमेशा विरोध किया और आगे भी करता रहूंगा। एक पढ़े-लिखे बेरोजगार ने हमेशा कांग्रेस को तंग किया और वही बेपढ़ा-लिखा आपको भी तंग करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 50 करोड़ रुपया क्रेश प्रोग्राम के लिए रखा था। इस प्रकार यह बेरोजगारी समाप्त होने वाली नहीं है। सड़कें अधूरी पड़ी हैं और रोजगार न तो किसी पढ़े-लिखे को मिला और न दूसरों को। इस बढ़ती हुई आबादी में क्या होगा?

मैं तो आप से यह कहता हूं कि मैंने अभी आपसे एक बात कही, उसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि खेल के मैदानों की व्यवस्था आप कर सकें स्कूलों के अन्दर तो ठीक है वरना स्कूल तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे बच्चों के लिए आप सिलेबस चेन्ज कर दें। पांचवीं और छठी क्लास के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो आठ-आठ और दस-दस सब्जेक्ट्स के पोथे पढ़ने पड़ते हैं। ढेर सारा बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं। बोझ से वह दबे रहते हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ कर सकें तो सिलेबस चेन्ज करिये, कुछ विषयों की पढ़ाई आवश्यक नहीं है उन्हें मत पढ़ायें। जनरल नालेज के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। जनरल नालेज के सब्जेक्ट को आप कम्पलसरी कर दीजिये।

एक और असुविधा है बच्चों के स्कूलों में। अजमेर शहर में बहुत सारे स्कूल हैं वहां पीने के पानी की समस्या है। आप लड़कों को देखते होंगे कि घर से एक हाथ में बस्ता और दूसरे हाथ में बोतल लेकर स्कूल जाते हैं। एक तरफ बस्ते का बोझा और दूसरी तरफ बोतल लटकी हुई होती है, इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था आप कर दें तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कानसिंह।

श्री कल्याणसिंह सांखला : कल्याण सिंह होगा।

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट है उसमें कानसिंह लिखा हुआ है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : गलत है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : डिविजन नम्बर देख लें।

श्री सभापति : 38 है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : गलत है। कल्याणसिंह होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री कल्याण सिंह।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : सभापति जी, राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत और राज्यों के मुकाबले कम है। जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयत्न किये गये हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए। राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत कैसे ऊपर आये, बढ़े इस ओर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। शिक्षा का प्रतिशत कैसे बढ़े इसके लिए प्रारम्भिक शिक्षा की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज प्रारम्भिक शिक्षा किन लोगों के हाथों में है, कौन उसकी व्यवस्था करते हैं और प्रारम्भिक शिक्षा में कार्य करने वाले अध्यापकों की क्या स्थिति है, इस ओर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए ""...

श्री सभापति : मैं बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि 87 आदमी बोलने वाले हैं। इस तरह से आज पूरे नहीं बोल सकेंगे, अगर आप इसी बात को रिपीट करेंगे तो ? इस विषय पर चर्चा हो चुकी है इसलिए अन्य विषय पर यदि कटौती प्रस्ताव हो तो बोलें। 87 बोलने वाले हैं और अभी तक 12 ही बोले हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : मैं अपने ही विषय पर आ रहा हूं। सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था जिस विभाग के हाथ में है उसकी ओर विशेष ध्यान देने की बात मैं कह रहा था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की ओर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के डाइरेक्टर आफ एजूकेशन आते हैं वह आइ. ए. एस. अधिकारी होते हैं जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। शिक्षकों की क्या समस्यायें हैं, प्रारम्भिक शिक्षा में क्या अड़चनें आती हैं वह अधिकारी इस संबंध में कुछ नहीं जानते। एक-दो साल एक आइ. ए. एस. आफिसर रहता है और फिर दूसरा आ जाता है और उसके बाद तीसरा आ जाता है। वह यहां की समस्या के बारे में समझ नहीं पाते और प्रारम्भिक शिक्षा का उद्धार नहीं हो पाता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में शिक्षा के प्रसार के अन्दर जो भेदभाव बरता गया है इस संबंध में, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा। आज राजस्थान में 71 की जनगणना में अजमेर जिले में शिक्षितों का जो प्रतिशत है वह 30.20 है, जयपुर में 23.73 प्रतिशत है, जोधपुर में 21.38 प्रतिशत है और उदयपुर में 17.41 प्रतिशत है। माननीय सभापतिजी, अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अजमेर जिले के साथ कितना बड़ा भेदभाव बरता गया है। विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम गुंजाइश अजमेर में होनी चाहिये थी परन्तु राजनैतिक कारणों से वहां विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में आज तक किसी ने गौर नहीं किया। पिछली सरकार की नीति तोड़ फोड़ की नीति को बढ़ावा देने की रही है लेकिन अजमेर के शांति-प्रिय नागरिकों

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

ने ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया। अगर राजस्थान के दूसरे जिलों के अनुसार अजमेर कार्यवाही करता तो संभव है, अगर राजस्थान में चौथा विश्वविद्यालय खुलता तो वह अजमेर में अब तक कभी का खुल गया होता। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी विश्वविद्यालय अजमेर में शीघ्र खोलने के लिये सरकार विचार करे।

इसी तरह दूसरी ओर अगर हमें राजस्थान में शिक्षा का स्तर ऊंचा लाना है, महिलाओं का शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा लाना है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात तो आपके कटौती प्रस्ताव में है ही नहीं।

श्री कल्याण सिंह सांखला : मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : समय नहीं है इसलिये कह रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह सांखला : हमारे अजमेर में महिला शिक्षा का प्रतिशत 18.22 है जब कि राजस्थान में कोई जिला ऐसा नहीं है जिसका प्रतिशत 16 पर्सेंट से अधिक हो। आप अन्दाजा लगाइये, अजमेर के साथ किस तरह से भेदभाव बरता जा रहा है। शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं अजमेर में महिला कॉलेज खोलने के संबंध में निर्णय अवश्य लें। गवर्नमेंट कालेज, अजमेर के अन्दर मैरिट के हिसाब से जो एडमिशन्स होते है, छात्राओं को मैरिट के हिसाब से एडमिशन मिल जाता है छात्रों को जगह नहीं मिलती। उस लिहाज से छात्राओं के लिये अलग कालेज खोला जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और मुख्य बात निवेदन करना चाहता हूं वह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बारे में है। माननीय सभापति जी, शिक्षा का सरकारीकरण होना अत्यावश्यक है। जब तक शिक्षा का सरकारीकरण नहीं होगा, शिक्षा से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण शिक्षण संस्थाओं में अनियमिततायें करते हैं उन पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के वरदहस्त हैं। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही जाती है। अगर शिक्षा विभाग का आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये तो शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही मिनट और लूंगा।

सभापति जी, इसी तरह से कर्मचारियों का शोषण होता है उसके बारे में निवेदन है कि अगर शिक्षा का सरकारीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं तो गुजरात का फार्मूला अडाप्ट कर लें तो शिक्षा के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, आखरी बात यह कहना चाहूंगा, राजस्थान के कर्मचारियों को जो सुविधायें मिलती हैं वह शिक्षा विभाग के द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिये। न उनको पेन्शन मिलती है, न उनको ग्रेच्यूटी मिलती है, न मकान किराया भत्ता मिलता है और न मेडिकल भत्ता मिलता है। आपको निवेदन

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

करना चाहता हूं कि अजमेर राजस्थान में 1956 में मर्ज हुआ। उसके बाद 1969 तक वहां के शिक्षा कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलता था। लेकिन 1969 के बाद बिना कोई कारण बताये आपके विभाग ने मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह उनके साथ कितनी ज्यादती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य; मेरी बात सुनिये। आपने सारे कटौती प्रस्ताव एक विषय पर रखे है। आप पांच विषयों पर बोले हैं बार पर कटौती प्रस्ताव नहीं हैं। जिन विषयों पर कटौती प्रस्ताव नहीं हैं उन पर मैं माननीय सदस्यों को नहीं बोलने दूंगा। जिस विषय पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसी पर बोलने दूंगा। आप नाराज न हों, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा क्योंकि समय नहीं है। अन्य विषयों पर बोलेंगे तो मैं बीच में रोक दूंगा।

श्री कल्याण सिंह सांखला : एक ही मिनट तो चाहता हूं।

सभापति जी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जाता है। हमारे अजमेर जिले की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं कर्मचारियों का पी. एफ. 6¼ परसेंट काटती हैं, बाकी जगह 8 परसेंट काटते हैं। इस प्रकार का भेदभाव क्यों बरता जाता है? शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में अपनी स्पष्ट नीति बतायें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समस्त कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार हो।

श्री सभापति : माननीय श्री रामदेव जी।

श्री रामदेव (मूण्डवा) : सभापति जी, जो स्कूल खोले गए हैं नागौर जिले में वह और ज्यादा खुलने चाहिये थे। नागौर जिला बड़ा लम्बा है। शिक्षा मन्त्री जी, जो स्कूल खोले गये हैं वह किस क्राइटेरिया से खोले हैं मुझे ज्ञान नहीं है। पहले जो स्कूल खोले गये थे, 10-10 साल पहले से जो मिडिल स्कूल थे उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह ले गये। अपने हिसाब से खोले हैं। इस लिये शिक्षा मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जहां 10-10 और 15-15 मील पर स्कूल नहीं हैं वहां मिडिल स्कूल खोलें। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में कुछ स्कूलों के भवन गिर गये इसलिये स्कूल बन्द पड़े हैं। शिक्षा मन्त्री जी, यह रिपोर्ट मंगायें, कहां कहां स्कूल बन्द पड़े हैं। उन स्कूलों को चालू किया जाय।

तीसरी बात मास्टरों के बारे में है। मिडिल स्कूल में कहीं एक मास्टर है और कहीं दो लगा दिये हैं। दो मास्टरों से 6-7 कक्षाओं की कैसे पढ़ाई कराई जा सकती है। शिक्षा मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आपने शिक्षण संस्थाओं को पंचायत समितियों को सौंप दिया। लेकिन पंचायत समितियों के पास फण्ड्स नहीं हैं। नागौर में कई जगह स्कूल खुले ही नहीं इसलिए शिक्षा मन्त्री जी, इसके लिये कोई व्यवस्था करिये। बस इतना ही कहना है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): सभापति जी, मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जोधपुर जिले में जो स्कूल खोलने में अनियमितता और पक्षपात हुआ है उसके बारे में कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

सभापति महोदय, भारत में रावण की नीति का हजारों वर्षों से विरोध किया जाता रहा है और किया जायेगा। आपने अभी कहा कि एक बात कह दी जाती है तो दुबारा नहीं कहनी चाहिये लेकिन, माननीय सभापति जी, गलतियां और जो अनीति जनता और देश के साथ की जाती हैं उनका विरोध हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। मैं आपको एक ताजा उदाहरण जोधपुर जिले का दूं, बिलाडा शहर की आबादी 25 हजार की है, कांग्रेस सरकार ने वहां पर लड़कियों का हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। मथानियां गांव जोधपुर जिले में है वहां से भी कांग्रेस का विधायक जीता है, माननीय सभापति जी, उसकी आबादी केवल मात्र 4 हजार है और बिलाड़ा कस्बे की आबादी 25 हजार है, फिर भी इस स्कूल को रद्द कर दिया। इस स्कूल को रद्द कर आपने एक पक्षपात, राजनैतिक द्वेषता का अनुपम उदाहरण जनता पार्टी की सरकार को रखा है। जहां राजनैतिक द्वेषता व पक्षपात का 30 साल में उदाहरण नहीं मिलता है वहां हमारे मन्त्री महोदय श्रीमान ललित किशोर चतुर्वेदीजी ने दो महीने के कार्यकाल में करके दिखाया है। यह कह कर सदन को गुमराह किया है कि कोटा जिले के साथ शिक्षा के विषय में अन्याय हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक दृष्टि से अगर कोई उन्नत जिला है तो वह कोटा जिला है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा इस जिले का काफी ध्यान रखा है चाहे उसका प्रतिनिधित्व किसी के हाथ में रहा हो। कांग्रेस ने कोटा का हमेशा ध्यान रखा है लेकिन हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने ज्यों ही अपना पद सम्भाला, राजनैतिक द्वेषता, संकीर्णता और भेदभावपूर्ण भावना के वशीभूत होकर हमारे जोधपुर डिवीजन के साथ जो पक्षपात किया है उसकी हम भर्त्सना और विरोध करेंगे। माननीय सभापति जी, इन्होंने कोई कम अपराध नहीं किया है। राज्य में शिक्षा जगत के सबसे बड़े अधिकारी और नेता के रूप में इनके हाथों से इस तरह का जघन्य अपराध हो, यह जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। छोटे छोटे अपराध जो कांग्रेस के नेताओं ने किये वे हम भुगत रहे हैं लेकिन मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है इस प्रकार छोटे मोटे कार्य करवा कर अपनी पार्टी की सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप का एक कट मोशन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा एक निवेदन और है कि गांवों में हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं वहां साइन्स और कामर्स के विषय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांवों में साइंस और कामर्स के विषय खोले जायं। जब तक इन विषयों का अभाव रहेगा हमारे ग्रामीण लोग, हमारे किसान भाई शिक्षा जगत में आगे नहीं आ सकते है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा, गांवों में इस तरह की व्यवस्था अवश्य की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आखिर में एक बात और कहूंगा। आप की मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कि जो इन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है संकीर्णता का उससे ऊपर उठकर राजस्थान में तमाम गांवों में स्कूलों को व्यवस्था पर अधिक ध्यान दें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जहां राजस्थान में 5-5, 7-7 मील में गांव फैले हुये हैं वहां यदि यह मिडिल स्कूल की व्यवस्था हो जाती है तो गांव में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो प्रमोशन का मामला है, उसमें मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन होना चाहिये। अगर सीनियोरिटी के आधार पर पदोन्नति नहीं होगी तो उसमें पक्षपात, भाई भतीजावाद पनपेगा व कर्मचारी अपने अधिकारियों को हमेशा खुश करने में ही लगे रहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये प्रमोशन की व्यवस्था सिनियोरिटी के आधार पर ही आधारित होने का हो।

श्री सभापति: इस विषय का आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री सभापति: श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): माननीय सभापति जी, शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो मांग रखी गई है, उसमें मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं और मैं यह प्रयत्न करूंगा....

एक माननीय सदस्य: शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास: सदन में माननीय सम्पतराम जी बैठे हुये हैं वे नोट करेंगे इसलिये इसकी चिन्ता आप न करें।

माननीय सभापति जी, चार कटौती प्रस्तावों पर विचार प्रकट करूं इसलिये थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि घंटी बजाने में ध्यान रखें। मैं बिलकुल ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैंने संस्कृत शिक्षा की ओर राज्य सरकार का और शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करने का तय किया है। राजस्थान में जयपुर किसी जमाने में संस्कृत के बारे में काशी कहा जाता था और कमोवेस कोटा, उदयपुर और जोधपुर की भी यही स्थिति थी। यहां संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् मिलते थे। आज संस्कृत पाठशालायें सारी बन्द हैं। आज यह स्थिति हो गई है कि जिला केन्द्रों पर पुरातन ढंग से संस्कृत पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। संस्कृत के प्रति घोर रूप से उपेक्षा कर संस्कृति विरोध के रूप में संस्कृत की शिक्षा को समाप्त करने की नीति को लेकर कांग्रेस की सरकार चली। आज संस्कृति की बात करते हैं लेकिन संस्कृति के अनुरूप कोई विचारधारा नहीं है। कला के क्षेत्र में अवश्य आगे हैं

(श्री रघुनन्दन व्यास)

संस्कृत की उपेक्षा की और संस्कृत को रुष्ट कर दिया तो संस्कृति नष्ट हो गई। इसी तरह भारत को रुष्ट कर दिया तो भारतीयता नष्ट हो गई। हम पिछले जमाने में जब कांग्रेस में रहे तो देखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संस्कृत के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, महाभारत को कभी नहीं पढ़ा इसलिए उनका दिमाग मैजिनि और लेनिन की ओर गया। वे श्रेष्ठ पुरुष थे लेकिन उन्होंने इन ग्रन्थों को नहीं पढ़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा की ओर ध्यान दें और जो नीति में खामी रह गई है उस पर माननीय मन्त्री महोदय विचार करें और संस्कृत के शिक्षकों के वेतनमान का भी ध्यान रखें। हर जिले में एक संस्कृत की पाठशाला खोलें। यदि इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है तो आगामी बजट में इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय।

हम जिस प्रदेश में बैठे हैं उसका नाम राजस्थान है और जिन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है, गुजराती साहित्य को पढ़ा है, मराठी साहित्य को पढ़ा है कन्नड़ के साहित्य को पढ़ा है, तेलगू साहित्य को पढ़ा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थानी भाषा, राजस्थानी का स्वरूप उन सभी प्रान्तों में पहुंचा है और वहां की भाषायें राजस्थानी के माध्यम से ही पनपी हैं। आज गुजरात की भाषा के लिये किसी वरिष्ठ अध्यापक से पूछें तो वह यही कहेगा कि गुजराती का जन्म राजस्थानी भाषा से हुआ है। गुजरात के शिक्षा विद् दौलतराम मन्कर और गुजरात के कन्हैयालाल मुंशी के साहित्य को पढ़ें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अधिक समय नहीं लूंगा, माननीय सभापतिजी।

तो राजस्थानी की मां हिन्दी और गुजराती समृद्ध हो गई लेकिन राजस्थानी की उपेक्षा की गई है। राजस्थानी के नाम से कई अकादमी बन गई, इसको अपनाने वाले लोग समृद्ध बन गये लेकिन राजस्थानी भाषा न पनपी है और न ही समृद्ध हुई है। आज स्थिति यह है कि प्रेमचन्द के साहित्य को, रवीन्द्र नाथ के साहित्य को पढ़ना है तो हमें गुजराती में पढ़ना पड़ता है। उनके सुसंस्कृत साहित्य की इतनी हीन दशा यहां हुई है। इसके बारे में हम विचार करें जो अब तक नहीं हुआ है। मैं तो समझता हूं राजस्थान में जन्मा बालक मां-बाप के साथ जब घर में बैठता है तो वह भी अपनी धरती की भाषा को तिरस्कृत दृष्टि से देखता है। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी के जनक थे, अपनी धरती की भाषा के बारे में उनके अपने विचार थे। अतः मेरा भी निवेदन है कि हमारी भाषा पर गहराई से विचार होना चाहिये। तो राजस्थानी भाषा के बारे में आज दिन तक जो उपेक्षा की नीति रही है उस पर भी हमारा शिक्षा विभाग ध्यान दे। मेरे पास में यह पुस्तक है जिसमें साहित्य अकादमी का स्वरूप दिया हुआ है। इसमें बताया है कि अकादमी किन पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। इसमें संस्कृत का उल्लेख है, हिन्दी का उल्लेख है, उर्दू का भी है। हिन्दी की 'मधुमति' पत्रिका हरमाह नियमित प्रकाशित होती है लेकिन इसमें राजस्थानी पत्रिका का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि हम जिस भूमि में रहते हैं, जिस भाषा

(श्री रघुनन्दन व्यास)

के माध्यम से बोलते हैं उस भाषा की हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी के लोगों द्वारा भी इतनी उपेक्षा होती है। इस ओर भी शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है पंचायत समितियों के अन्दर जितने भी शिक्षक हैं उनको जितना जल्दी हो सके हटा लिया जाय, उतना ही अच्छा है। ये अध्यापक पंचायत समितियों से वेतन उठाते हैं और स्कूल से गायब रहते हैं। इतना नहीं कर पायें तो कम से कम जो शिक्षक पंचायत समितियों में हैं उनका कन्ट्रोल जिला परिषद् को दे दें। एक पंचायत समिति क्षेत्र का रहने वाला शिक्षक उसी में रहना ही नहीं चाहिए। उसका स्थानान्तरण दूसरी पंचायत समिति क्षेत्र में कर दें तभी काम चलेगा। आज तो शिक्षक मिल का मजदूर बन गया है। टाइम पर स्कूल गया और हाजरी करके वापस आ गया। वह भाग जाता है वहां से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा की हालत बिगड़ी है। इस ओर भी शिक्षा विभाग ध्यान दे यह मेरा निवेदन है।

अब दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कम्पलसरी एजूकेशन का जो बिल पहले विधान सभा में स्वीकार किया था उसको लागू करने के बारे में आज दिन तक हमने ध्यान नहीं दिया। अगर राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस विषय में आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति : लेकिन इसके बारे में नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : अच्छी बात है, इसको छोड़ देता हूं।

जो पुस्तकालय है उसके बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है उस पर निवेदन कर देता हूं। आज राजस्थान के जितने जिला पुस्तकालय हैं अगर उनको जाकर, सभापति महोदय, आप देखें तो पता चलेगा कि उनकी क्या हालत है। जब आप कोटा पधारें तो देखें कि वहां पर गत 25 वर्षों में कितनी पुस्तकें खरीदी गई। आज वहां कौन से अखबार आते हैं, कितने दैनिक पत्र आते हैं, कितने मासिक पत्र आते है, उनका बजट क्या है और आज के पुस्तकालयाध्यक्ष की, लाइब्रेरियन की स्थिति क्या है? क्या वह चपरासी हैं? मैं समझता हूं कि इस दयनीय स्थिति के बारे में भी आप सोचें। आज गांवों में पुस्तकें नहीं मिलती है, माननीय सभापति महोदय हर आदमी किताबें नहीं खरीद सकता है, हर आदमी अखबार

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

खरीद कर नहीं पढ़ सकता है, न साप्ताहिक पढ़ सकता है, न मासिक पढ़ सकता है। उनका बजट इतना थोड़ा है कि वे ये सब नहीं खरीद सकते। इसलिए अन्त में, मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि इन जिला पुस्तकालयों की स्थिति को सुधारिये, इसकी व्यवस्था कीजिये।

एक बात और रह गई, आर. एस. एम. के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया। मैं इस....

श्री सभापति : इस विषय का भी कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : पिछले आंदोलन के समय जो विद्यार्थी जेलों में गए उन विद्यार्थियों को पढ़ने से महरूम रखा गया है। जयपुर सेन्ट्रल जेल का एक उदाहरण आपको देता हूं। गैनाराम नाम के विद्यार्थी ने बी. काम. की परीक्षा दी और जेलर की मौजूदगी में परीक्षा दी लेकिन उसको गैर-हाजिर दिखाया गया है क्योंकि उस समय की यूनिवर्सिटी के लोग इसको पसन्द नहीं करते थे। बी. काम. की परीक्षा दी और उसको गैरहाजिर बताया गया। इस प्रकार की ज्यादती आन्दोलन में भाग लेने के कारण की गई है, सत्याग्रह में ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

भाग लेने के कारण हुई है। साल साल भर तक प्रवेश नहीं मिला। ऐसी ज्यादती विद्यार्थियों के साथ प्रवेश के बारे में की गई है। उनके साथ इस तरह की गड़बड़ हुई है क्योंकि वे किसी संस्था के सदस्य थे। कोई किसी शाखा में जाता है तो उसको यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया है उनको निकाला गया। लेकिन वे देश से तो निकलने वाले नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो जेलों में गए हैं, जिन्होंने कष्ट भोगे, जिनका जीवन खराब हो गया (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) जिन विद्यार्थियों को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिला, उनके बारे में मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप उनके बारे में विचार करें और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, sit down.

श्री रघुनन्दन व्यास : उनके साथ जो ज्यादती हुई है...

श्री सभापति : Sit down please.

श्री रघुनन्दन व्यास : इस तरह के शब्द आप काम में ले रहे हैं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उन विद्यार्थियों की ऐसी हालत हो रही है...

श्री सभापति : आप बैठिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिनको जेलों में भेजा गया...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि बैठिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : उनके प्रवेश की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि आप हां पक्ष के लोग ही कटौती प्रस्तावों के अनुरूप नहीं बोलें और संयम नहीं बरतें तो हम फिर अन्य माननीय सदस्यों से नहीं कह सकते कि वह न बोलें। मैं यह निवेदन करूंगा...

श्री रघुनन्दन व्यास : श्रीमान ने 'Sit down' शब्द का प्रयोग किया है। हम भी इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि आदेश देने वक्त आप भी गरम न हों और इस बात पर ध्यान दें।

श्री सभापति : " Sit down " असंसदीय नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिस रूप में कहा है उस पर मुझे आपत्ति है....

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय व्यासजी, अपने शासन को चैलेंज नहीं कर सकते, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान :)

श्री सभापति : मैंने आपसे निवेदन किया कि जिस विषय के कटौती प्रस्ताव रखे जावें उन्हीं पर बोलें। अगर ट्रेजरी बेंचेज के लोग ही इसका पालन नहीं करते हैं तो हम दूसरों से पालन कराने में समर्थ नहीं होंगे। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने जिन विषयों पर कहा, मैंने आपको उन पर बोलने दिया जिन पर कटौती प्रस्ताव थे लेकिन जिन पर नहीं थे मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बैठ जायं। 'Sit down' कहना असंसदीय नहीं है।

माननीय श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजपालसिंह।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि भीनमाल और मोरसोम के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के बारे में जो पक्षपातपूर्ण रवैया शिक्षा मंत्री जी ने अपनाया है उसके विषय में मैंने कटमोशन दिया है। भीनमाल में जो उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला है उसको पिछली सरकार ने माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया था, मगर मौजूदा सरकार जब शासन में आई तो उसने आते ही उसे रद्द कर दिया। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जहां 25 हजार की आबादी है और पूरे जिले के अन्दर मेरे खयाल से एक आध माध्यमिक कन्या पाठशाला है, वहां अगर कन्या पाठशाला खोल दी तो क्या अन्याय किया था? इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अगर यह सरकार अपनाती है और वह भी शिक्षा के क्षेत्र में तो यह बहुत दुःखद घटना है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, यह भ्रष्ट आचरण ही मेरे खयाल से संज्ञा में आता है। अब वे कहते हैं कि आबादी का सवाल है। अभी प्रश्न-काल के अन्दर जब इसका सवाल उठा था तो इतनी आबादी के ऊपर इतने विद्यालय होने चाहिएं, इस तरह के मेनीपूलेशन करके मंत्री महोदय ने कोशिश की। भीनमाल ऐसा स्थान है, जहां पर एस.डी.एम मुख्यालय है, जहां पर मुंसिफ कार्यालय है, तहसील हैड क्वार्टर है, जहां 25 हजार की आबादी है और पूरे जिले में एक भी कन्या पाठशाला नहीं है, उस जगह पर कन्या पाठशाला खोली गई तो उसमें कौन सा घोर अन्याय हो गया। बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया है जो शिक्षा मंत्री जी ने अपनाया है।

इसी तरह से मोरसोम में दूसरी उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत किया गया, वहां 16 मील के अन्दर आस पास में कोई अन्य माध्यमिक शाला नहीं है। वह ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों तरफ आने-जाने का साधन नहीं है। एक इस तरह से रेतीला एरिया है। अगर वह स्कूल क्रमोन्नत होता तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होती। एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रामीणों को सस्ती शिक्षा सुलभ हो और दूसरी

(श्री सूरजपालसिंह)

तरफ अभी तक ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब अगर इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को उपेक्षित किया गया तो यह आपकी कथनी और करनी का फर्क का बहुत ही जीता-जागता उदाहरण होगा-यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो ही तो स्कूल खोले गए और उन पर भी शिक्षा मन्त्रीजी ने यह कृपा कर दी क्योंकि यह कांग्रेस का क्षेत्र है। जनता तो किसी को भी चुन कर भेज देगी, इस पर आपका बस नहीं चलेगा। इस तरह से तो आपने 25 हजार लोगों को और अपने खिलाफ कर लिया है। इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। रघुनन्दनजी भी भीनमाल पधारे थे। उनको पता है कि क्या हालत हुई थी उनकी। यह उनसे ही पूछिए कि किस तरह से उनका स्वागत किया इस कन्या पाठशाला के विषय को लेकर। मैंने उनसे भी निवेदन किया था, वे हमारे गुरु हैं, आप विकास के कार्यों में कम से कम रोड़ा न बनें चाहें आप किसी दल से सम्बन्ध रखते हों। उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन भी दिया था परन्तु यहां आते ही चुप रहते हैं, वही दलीय भावना आ जाती है। वे राजनैतिक भावनाओं में चल रहे हैं। भाषण तो बहुत प्यारा देते हैं लेकिन दिल में भावना वह नहीं है। हमारे पड़ोसी रानीवाड़ा में जो स्कूल उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया था, उस पर कृपा हो गई है उसे रद्द कर दिया क्योंकि वहां से भी कांग्रेस पार्टी का विधायक है। इस कट-मोशन के जरिये से मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में आपका रवैया बिलकुल उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि भीनमाल की जो कन्या पाठशाला है उसको उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की तरफ ध्यान दिया जाये और क्रमोन्नत किया जाय अन्यथा वहां आंदोलन भी हो सकता है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल हादी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपने अब्दुल अजीज बोला है या अब्दुल हादी।

श्री सभापति : अब्दुल अजीज तो बोल गये हैं।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति महोदय, सरकार की जो तालीम की नीति है, और सरकार ने जो तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जह दी है उसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। मगर मुझे बड़े दुःख और अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है बाड़मेर जिला बोर्डर का इलाका है और चौहटन का इलाका सबसे ज्यादा बैकवर्ड है वहां पर शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वह सभी अनपढ़ हैं। पहली सरकार ने वहां पर दो-तीन स्कूल खोले हैं। हमने वहां पर खुलवाये हैं। लेकिन इस साल उनका कहीं नाम नहीं है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हमारा जो इलाका है। आप इसकी तरफ ध्यान दें। वहां पर एक

(श्री अब्दुल हादी)

दाचड़ा गांव है। वहां पहली सरकार ने एक सेकण्डरी स्कूल खोला था। उसके आस पास 4-5 मील तक कोई स्कूल नहीं है। एक विचरोल गांव है। वहां भी आप स्कूल खोल दें, यही मैं आप से अर्ज करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय सभापति जी, मेरा कटौती प्रस्ताव पर इतना ही अर्ज करना है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि कोई अन्याय नहीं होगा विकास के मामले में और समानता रखी जाएगी लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक कांग्रेस सरकार ने 30 साल के अन्दर जो कुछ किया.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसको शिक्षा मन्त्री जी ने मटियामेट कर दिया।

श्री माधोसिंह : शिक्षा मंत्री ने किसी जिले में 5 स्कूल खोले हैं। सिरोही जिले में एक मिडिल स्कूल, दो हाई स्कूल और चार आपके कारण प्राथमिक स्कूल खुले हैं, कितने अफसोस की बात है। जनता पार्टी से हम उम्मीद करते थे कि सबको समान अवसर देगी लेकिन जो स्कूल खोले गये हैं, उनके अन्दर राजनैतिक बू आती है। जो प्राथमिक शालाएं थीं वे एकदम सेकण्डरी हो गई हैं। और मिडिल स्कूल हैं, जो 40 से मिडिल स्कूल हैं वे अभी भी मिडिल स्कूल ही हैं। भूतपूर्व सरकार ने इन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर सेकण्डरी में परिवर्तित किया था, यह भी आपको ठीक नहीं लगा। मन्त्री महोदय ने उन स्कूलों को तोड़ कर समाप्त कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये से स्कूलों के बारे में सूचित करना चाहता हूं, सिरोही जिले में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी स्कूलों को खोला जाना चाहिए। दो हजार की पापुलेशन के ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल नहीं हैं। इतना होते हुए भी ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता नहीं दी है। इस तरह से सरकार ने राजस्थान की जनता के सामने अच्छा उदाहरण नहीं रखा है। मेरा निवेदन एक ही है राजस्थान सरकार को कि जो गांवों में लोग बैठे हुए हैं वह यह महसूस करते हैं कि उनके लिए मिडिल तक बच्चों को पढ़ाना भी कठिन है। गरीब से गरीब आदमी भी यह चाहता है कि उसका बच्चा आठवीं तक शिक्षा ग्रहण कर ले। उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वे दूर दूर तक बच्चों को भेज सकें। आज विज्ञान के युग में हर एक बच्चे को शिक्षा की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक मिनट और।

सरकार ने गवर्नर महोदय के भाषण में घोषणा की थी कि ऐसे स्थानों पर मिडिल स्कूल खोला जाएगा। क्या उसका कोई महत्व नहीं है? मैं निवेदन करूंगा कि दांताराई और सिलदर को भविष्य में प्राथमिकता दें जहां कि दो सौ की आबादी पर प्राथमिक स्कूल नहीं है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में प्राथमिक शालाओं को पूरे तौर से खोल देना चाहिये जिससे कि किसी को यह शिकायत नहीं रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं एक पाइण्ट पर कुछ और निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : इसमें ऐसा है·······

श्री माधोसिंह : मेरा निवेदन है कि कुछ और भी मामले हैं। मैं 16 साल प्रधान रहा हूं। पंचायत समिति के स्कूलों में स्थिति यह है कि वहां स्कूल अध्यापकों से साल भर खाली पड़े रहते हैं। उनमें शिक्षा की बराबर व्यवस्था नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पी. एस. सी. से चयनित होकर एस. टी. सी. ट्रेण्ड होने के बाद ही नियुक्ति दी जा सकती है। इतनी नफरी में अध्यापक पास होकर नहीं निकलते हैं कि पूरे प्राप्त हो सकें। मेरा निवेदन है कि एस. टी. सी. ट्रेण्ड अध्यापक पूरे प्राप्त नहीं हो सकें तब तक टेम्प्रेरी तौर पर पंचायत समिति को अध्यापकों की नियुक्ति के अधिकार होने चाहिए।

जब पंचायत समितियां स्थापित हुई थीं तब यह व्यवस्था थी कि अध्यापक नहीं होते थे तो 6 महीने के लिए पंचायत समिति द्वारा अध्यापक लगाए जाते थे, टेम्प्रेरी तौर पर लगाए जाते थे और उसके बाद 6महीने के लिए जिला परिषद से मंजूरी ली जाती थी। इसलिए ऐसी व्यवस्था पंचायत समितियों में की जाय जिससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, वे पढाई से वंचित नहीं होवें।

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरा दास जी माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करता यदि शिक्षा मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद होते। राज्य सरकार की तरफ से कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मगर जो मंत्री जी डील करते हैं वह सामने बैठे हों तो हम कुछ बातें उनसे इमोशनली इन्टीग्रेटेड होकर करते। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि उनको इस बात का ओलबा दूं कि आपने इतने स्कूल क्यों खोले? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि भूतपूर्व सरकार ने इतनी जगहों पर बिना सोचे-समझे स्कूल खोल दिये, यह क्यों खोले। मैं वापस इस चार्ज को दोहरा कर, जो हमारे पर लगाया गया था, कहता हूं कि आपने इतने स्कूल क्यों खोले? स्कूल खोलने की बहुत आवश्यकता होती है लेकिन एक साथ में इतने स्कूल क्यों खोले गये? चार-पांच साल के बाद इसका खर्चा बढ़ता जायगा, क्या उस खर्च को मीट करने की आपकी सरकार की क्षमता होगी? क्षमता नहीं होगी तो फिर आपको एकादशी करनी पड़ेगी। मुझे तो यह लगता है कि इलेक्शन में जीतकर लीडरी लेने के लिए आपने यह किया है।

आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज खोले हैं, आज तक इतने एक साथ नहीं खोले गये। आप गांव-गांव में पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज खोलने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटीज के कैम्पस में ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होनी चाहिए, यह स्पेशलाइजेशन है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलाजी में, साइन्स में, बोटेनी में, जूलोजी में। इनके लिए देहातों के अन्दर इक्विपमेन्ट्स नहीं आ सकते। ऐसी हालत में आपने शिक्षा का सत्यानाश किया है। यूनिवर्सिटीज के पास में ही पूरे इक्विपमेन्ट्स नहीं हैं, कोई खराब हो जाय तो फौरिन से मंगाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ भी आप कर रहे हैं वह शिक्षा के हित में नहीं है, पोलिटिकली आप कुछ भी कर रहे हों।

(श्री मथुरादास माथुर)

मेरे क्षेत्र में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कालेज नहीं है। जो भी है वह सेठ ने बनाये हैं। मुझे इसका भी ओलबा नहीं कि आपने वहां पर स्कूल नहीं खोले। लेकिन आप मास्टर-पीस सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो वैसे ही वहां पर प्रोफेसर भी होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं करके शिक्षा के साथ व्यभिचार किया है। इसके लिए आप पुन: चिन्तन न करें।

आपने तीन सौ प्राइमरी स्कूल खोले हैं, आपका शिक्षा का क्या स्टेन्डर्ड है, शिक्षा की क्या वेल्यू है। करीब-करीब हमारे यहां पर, श्रीमन्, 20639 गांव हैं जिनकी औसत आबादी तीन सौ से ज्यादा है। आपने 198.00 स्कूल तो खोल दिये लेकिन कई स्कूलों में अध्यापक नहीं है। शिक्षा का प्रसार अवश्य होना चाहिए, मगर स्टेन्डर्ड भी शिक्षा का होना चाहिए, वरना सब बेकार हो जायगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता था कि वह डीडवाना में लेक्चरार रह चुके हैं वहां से छोड़कर पालिटिक्स में आये।

एक माननीय सदस्य : आपकी ही देन हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे अफसोस है, उन्होंने कहा नहीं, मैं लाख दो लाख सेठ से दिलवा सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। शिक्षा पाने का अधिकार केवल कोटा के लोगों का ही नहीं है। यह धारणा लेकर कि जोधपुर डिवीजन से कांग्रेस जीत कर आई है इसलिये जोधपुर को स्टार्व किया जाय, बहुत कम स्कूल जोधपुर डिवीजन में खोले गये। स्कूल इस प्रकार खोले गये कि पहले प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को सैकन्डरी बना दिया, फिर कोरिजेन्डम और करेक्शन निकाल दिया। मेरे पास ये सब पोथे मौजूद हैं हम यह उम्मीद करते थे कि नौजवान शिक्षा मंत्री शिक्षा के विकास के लिए कुछ करेंगे लेकिन उन्होंने शिक्षा के मामले में घोटाला किया है। इच्छताईं उन्होंने यह काम किया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बारे में चिन्तन करें। जो कर दिया उसको ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो करें वरना राजस्थान की तवारीख में ब्लेक-लिस्ट होंगे।

दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा हूं कि शिक्षा की आज क्या स्थिति है ? यूनिवर्सिटीज के वी. सी. का घेराव हो रहा है। उनको बाथरूम में भी जाने की अनुमति नहीं, 24 घंटे का घेराव हो रहा है। स्टूडेन्ट्स हड़ताल कर रहे हैं। मैं यह अभी नहीं कहता कि इमर्जेन्सी में यह नहीं था, नहीं तो अभी तहलका मच जायगा, इससे तो इमर्जेन्सी अच्छी थी, उसमें यह काम नहीं हुए।

आपने बहुत जल्दी की, सम्पतराम जी, हमसे तीन एक्ट्स जल्दी जल्दी में पास करवाये, उदयपुर यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) एक्ट, जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) एक्ट और राजस्थान यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) एक्ट-तीनों एक्ट्स जल्दी जल्दी में पास करवाये, यह कहकर कि हम प्रजातन्त्र लाना चाहते हैं, सिण्डीकेट को रिआर्गेनाइज करेंगे। मगर यह बातें आपने जल्दी जल्दी में की, सिण्डीकेट कहां बनाई ? वाइस चान्सलर कहीं पर आफिशियेटिंग है। उनमें क्षमता नहीं है, डिसीजन लेते में डरते हैं, मैटर इस कारण पेन्डिग रखते हैं कि कहीं अकेले डिसीजन ले

(श्री मथुरादास माथुर)

लें तो गवर्नमेन्ट निकाल नहीं दे, सिण्डीकेट अप्रूव करे या नहीं करे। डेढ़ महिना हो गया आपने सिण्डीकेट नहीं बनाई। मैंने कहा भी था कि आप सिण्डीकेट नहीं बना सकेंगे। आज तीनों यूनिवर्सिटीज में वैक्यूम है। एजूकेशनल ईयर जुलाई से आरम्भ होता है, वाइस चान्सलर तमाशा देख रहे हैं, स्टूडेन्ट्स स्ट्राइक कर रहे है, स्टूडेन्ट्स को एडमीशन नहीं मिल रहे हैं, सिण्डीकेट अभी बनी नहीं है। आज मैं सदन में यह भी कहता हूं कि आप अगले तीन महीनों में भी सिण्डीकेट नहीं बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी, काम नहीं होगा और यूनिवर्सिटीज ठप्प हो जायेंगी।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह सब हड़तालें वगैरह जो हो रही हैं, स्टूडेन्ट्स में इन्डिसीप्लीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं...

श्री श्योरतसिंह मखासर : व्यवस्था की वजह से बढ़ी है।

श्री मथुरादास माथुर : उनमें इन्डिसीप्लीन है, पालिटिक्स है। हरएक का ग्रुप है, हरएक का खेमा है। यह कहता है कि मैं राजस्थानी हूं वह कहता है हम राजस्थान हैं। प्रमोशन्स, डिमोशन्स, कैरीयर्स, गोल्ड मैडल्स इसी पर डिपेंड करते हैं। मैं 100 मिसाल दे सकता हूं। यह लॉ एण्ड आडर की समस्या नहीं है। गृह मंत्री ने हम सबको इकट्ठा किया था। उन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों में डिसीप्लीन कैसे लाया जाए। मैंने कहा, केवल लॉ एण्ड आर्डर से डिसीप्लीन आने वाला नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि आपने यूनिवर्सिटी के अन्दर इन प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को छूट दे रखी है राजनीति में हिस्सा लेने की, वह किसी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, आफिस बेयरर्स बन सकते हैं, वे नगरपालिका और विधान सभा के सदस्य बन सकते हैं, इसको बंद करें। वरना हम लोगों में और उनमें क्या फर्क है। वे भी फर्स्ट क्लास बी. एस सी., एल एल. बी. हैं और हम भी हैं। साइकोलोजिकल अप्रोच होना चाहिए। आप कमीशन बिठायें, आप कमीशन बिठाने में माहिर हैं लेकिन जहां बिठाना चाहिए वहां नहीं बिठाते हैं। यह एक साइकोलोजिकल समस्या है। स्टूडेंट्स तो स्ट्राइक करेंगे। वाइस चांसलर से कहेंगे कि यह कर वह कर। यह नहीं तो वह—कोई न कोई प्राब्लम रखेंगे। जो यूनिवर्सिटीज में बढ़ता हुआ इन्डिसीप्लीन है वह एजूकेशन सिस्टम में कैंसर है। सारी शिक्षा पद्धति को खा जाएगा। Indiscipline has turned Master of Science into useless citizens. आप एक कमीशन बिठायें वह साइको स्टडी करें, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार लाने की कोशिश करें। समस्या को ढीला छोड़ेंगे तो उतनी ही बदतर स्थिति होगी क्योंकि सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर स्ट्राइक्स का महीना है फिर परीक्षा में नहीं बैठेंगे, वाक-आउट करेंगे, छुरे दिखायेंगे, वे खुद इनविर्जीलेटर्स बन जायेंगे। फिर जो शिक्षा मंत्री डींग हांकता है, वह नल एण्ड वाइड हो जाएगा।

अब मैं नई शिक्षा पद्धति का जिक्र करता हूं। शिक्षा मंत्री ने तो कुछ नहीं कहा, न बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है, न राज्यपाल महोदय ने ही कुछ कहा। मगर जब किताब पढ़ी तो उसमें जिक्र देखा। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने

(श्री मथुरादास माथुर)

10+2+3 वाली स्कीम को मंजूर कर लिया है? जनता पार्टी के नेताओं को सुनने से ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर वाले कुछ खिलाफ हैं, यहां वाले भी खिलाफ हैं। मैं चाहता हूं कि इस स्कीम पर सदन में डिबेट हो। पहले 10+2+3 का सिस्टम था जो आपने और हमने पास किया। फिर आये डाक्टर श्रीमाली एजूकेशनिस्ट, वह संसद के सदस्य थे उन्होंने स्कीम चलाई मल्टी पर्पज हायर सेकण्डरी स्कूल की। जगह जगह इसका एक्सपेरीमेंट शुरू हो गया, स्कूल खुल गये। लाडनूं में भी स्कूल खुल गया जहां किसी को टेक्निकल काम, किसी को चमड़े का काम, किसी को कपड़े सीने का काम सिखाने लगे, सुथार का काम भी सिखाने लगे। आखिर वह योजना बन्द हो गयी। अब कारखाना बन्द पड़ा है। लेथ मशीन बन्द पड़ी है। फिर आई 10+1+3 की शिक्षा पद्धति। मैंने कहा, मत करो। मेरे पास विभाग नहीं था वरना मैं नहीं करता। मध्य प्रदेश ने मना कर दिया, यू० पी० ने मना कर दिया, लेकिन राजस्थान में सामूहिक तौर से काम चलता है। अब हायर सेकन्डरी कर दिया है, आप का एक लड़का है पहले वह दसवीं पास करता था, और कोई पटवारी, कोई टीचर बन जाता था, नौकरी से गुजारा कर लेता था। 11वीं के अन्दर ऐसा कोर्स रखा कि गांव में 29-30 पर्सेंट पास होने लगे इससे ऊपर नहीं। 100 में से 30 पास होते हैं 70 फेल होते हैं तो विचार किया जाए, यह एजूकेशन क्या है? गांव वालों ने हायर सेकण्डरी पास किया नहीं, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाए। हर साल कैरीकुलम को बदल लेते हैं। पैरेंट्स का दम निकल जाता है।

उसके बाद आया 10+2+3 का सिस्टम। दसवीं तक की पढ़ाई होगी फिर वोकेशनलाइजेशन। अब 11वीं और 12वीं के लड़कों को क्या सिखायेंगे? कन्फ्यूजन है। इस साल तो रोक दिया है, कोई कैम्प खोल दिये हों तो मालूम नहीं। तो इस स्कीम को सदन में डिस्कस किया जाए। संसद में भी डिस्कस किया गया है। स्टूडेन्ट्स, टीचर्स व पैरेंट्स तीनों एजूकेशन सिस्टम में पार्टनर्स हैं। स्टूडेन्ट्स से पूछना नहीं चाहते, टीचर्स की कान्फ्रेंस में शिक्षा मन्त्री को बुला लेते हैं और जोर से बोल कर हां कर देते हैं। हम भी पैरेन्ट्स के प्रतिनिधि हैं इसलिए सदन में डिस्कस होना चाहिए ताकि इसके बैड एण्ड गुड पाइन्ट्स दोनों सामने आयें। एजूकेशनिस्ट्स में डिफरेन्स आफ ओपिनियन है। डिस्कस करके फिर फैसला करें नहीं तो खामाख्वाह जनता परेशान हो जाएगी।

अब एक नया सिस्टम निकाला है—एक्जामिनेशन सिस्टम। जोधपुर यूनिवर्सिटी में मार्किंग सिस्टम अलग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अलग है। वहां इन्टरनल असेसमेंट, इवेल्यूएशन के अन्दर जो मार्क्स का पर्सेंटेज होता है जब उसको देखता हूं तो ताज्जुब होता है। 100 में से 75-80 प्रतिशत मार्क्स लड़के ले आये हैं। इन्टरनल असेसमेंट में 100 प्रतिशत नम्बर ले जाते हैं। नौकरी में बराबर क्वालीफिकेशन्स हैं तो तीनों यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम इन्ट्रोड्यूज होना चाहिए।

अब एक नया सिस्टम शुरू किया है—रोटेशन आफ हैड का। कभी लेक्चरर भी हैड आफ डिपार्टमेंट बन सकता है, आपने सुना ही नहीं होगा। विभागाध्यक्ष तो

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर आदमी होते हैं। यहां मेडिकल कालेज में रोज देखता हूं, इससे कितना नुकसान हो रहा है। इस बारे में पुनर्विचार करें क्योंकि यह टीचर्स पोलिटिक्स है जिसने यह सिस्टम इन्ट्रोड्यूज कराया है। दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। हैड आफ डिपार्टमेंट के पद के लिए बड़ी क्वालीफिकेशन्स होती हैं। वे बाई प्रमोशन होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक साल यह रहेगा, एक साल वह रहेगा।

मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। आमेर में जो दुर्घटना हुई, उस पर हम सबने खेद प्रकट किया। कल ब्यावर में भी एक ऐसी ही घटना हो गई, उसमें पत्थर की छत नहीं गिरी, मलबा गिरा इस घटना में बच्चे घायल हो गये मरे नहीं। मुझे याद है, एक हायर सैकेण्डरी स्कूल की छत गिर गई थी दो, टीचर्स उस स्कूल के सस्पेंड हो गये थे। आप उस टीचर को निकाल देंगे जो सरकारी नौकर है। गैर सरकारी स्कूल के लिये कोई विधेयक नहीं हैं। आज कोई गैर सरकारी स्कूल है, किसी ने भी स्कूल खोल दिया, बैठ जाता है स्कूल खोल कर। जयपुर में जगह जगह स्कूल्स चलते हैं चाहे उसमें क्षमता हो या नहीं, क्वालीफिकेशन्स हों या नहीं। भवन किराये पर ले लेते हैं बाद में छत गिर जाती है तो सरकार पर जिम्मेदारी आती है। तो गैर सरकारी स्कूलों के लिये एक विधेयक लाया जाए। आज यदि कारखाने में बाइलर फट जाता है उसका इन्सपेक्शन भी इन्सपेक्टर करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहां पर बच्चे पढ़ते हैं ऐसे स्कूल भवनों का इन्सपेक्शन नहीं होता है चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे एडेड हो, चाहे गवर्नमेन्ट का हो।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को जो पावर्स हैं वह आप इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को दीजिये। वह इस बात की सेंक्शन दें कि स्कूल खोलना चाहिये या नहीं। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स प्राइवेट स्कूलों में जाकर इन्सपेक्शन करें। अगर इसमें किसी बात की कोई कमी हो तो उस स्कूल को रिकगनिशन कैंसिल कर दे।

श्रीमान्, इसके अलावा मैं थोड़ा उर्दू के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। पहले की सरकार की तो यह नीति रही थी, जहां रिक्वीजिट स्टूडेन्ट्स की नफरी हो जाय तो सरकार के यह स्पष्ट आदेश थे कि वहां उर्दू की क्लासेज खोल दी जायें। अब अगर इस सरकार ने आकर जैसे दूसरे आदेश पुरानी सरकार के रद्द किये उसी तरह कोई नयी नीति अपना ली हो तो पता नहीं। मेरे पास में कई जगहों से लैटर्स आये हैं, एक तो जोधपुर से दूसरा कोटा से। वहां पर लड़के उर्दू पढ़ना चाहते हैं पर वहां उर्दू की क्लासेज नहीं खोली जा रही हैं। उन लोगों ने यह चार्ज लगाया है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स जो हैं वह उर्दू की क्लासेज खोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास जो लैटर्स ज्ञापन के रूप में आये हैं मैं उन्हें शिक्षा मन्त्री जी के पास भेज देता हूं। वह चाहे जैसा करें। स्कूलों में या कालेजों में उर्दू की क्लासेज खोलना चाहते हैं या नहीं? यह जनता पार्टी की सरकार उर्दू को पनपाना नहीं चाहती है तो अलग बात है। अगर यह उर्दू को एन्कोर्स करना चाहती है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

करें अन्यथा वह चाहे जो करें। मैं तो सदन की मेज पर इन कागजों को रख देता हूं। वैसे भी मैं समझता हूं कि उर्दू एक माइनोरिटी के लोगों की लैंग्वेज है। वैसे दूसरी मेजर कोम्यूनिटी के लोग हैं वह भी इसको पढ़ना चाहते हैं। तो अब शिक्षा मंत्रीजी इसको देख लें।

श्रीमान्, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने शिक्षा में टैक्स्ट बुक ही रख दीं तो केवल टैक्स्ट बुक पढ़ने से ही सारी बातें हल नहीं हो जाती हैं। एक बच्चे के विकास के लिये अन्य बातें भी जरूरी हैं। एक्सट्रा करीकूलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स हैं, फुटबाल आदि और फिजीकल ट्रेनिंग है वह भी जरूरी है जिससे कि जो लड़का तैयार होकर निकले वह थोड़ा ठीक निकले।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय जब तक आज की मांग पारित नहीं हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज की मांग पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन यह है कि एजूकेशन डाइरेक्टर के अलावा एक पोस्ट डाइरेक्टर आफ गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स की और एक डाइरेक्टर फिजीकल एजूकेशन की क्रियेट की जाय। अब आपके जो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बीकानेर हैं वह अकेले आदमी हैं, सारी चीजों का वह कैसे ध्यान रखें। आज फिजीकल एजूकेशन नहीं होने की वजह से ही हिन्दुस्तान का नाम कहीं भी ओलम्पिक में नहीं सुनते हैं। वहां जब जाते भी हैं - तो हार कर आते हैं। उस समय मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप एक फिजीकल फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिये सेपरेट डाइरेक्टोरेट की स्थापना करें। इसमें जिम्नास्टिक वगैरह स्पार्ट्स में छात्रों को तैयार करें। स्पोर्ट्स कौंसिल तो बाहर के गेम्स-स्पोर्ट्स वगैरह से डील करता है, यह आपके स्कूलों और कालेजों को डील करेंगे। मैं समझता हूं यह एक अच्छी चीज होगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि यह थर्ड डिविजनर्स जो हैं इनको आप कभी भर्ती मत करिये। थर्ड डिविजनर्स आगे जाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं चाहे बी. ए., एम. ए. कर लें। आपको चाहिये, जैसा लॉ में है कि सैकिण्ड डिविजनर्स को ही पास किया जाय। उसी तरह आगे कालेजों में और यूनिवर्सिटी में आप सैकिंड डिविजन वालों को ही पास करें। वरना यह लोग आगे कालेजों में जाकर लीडरी करते हैं, और अपना और लोगों का समय नष्ट करते हैं। साथ ही घर वालों के पैसों

(128)

(श्री मथुरादास माथुर)

को बरबाद करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि थर्ड डिविजन को एब्रोलिश कर दिया जाय। वैसे आज थर्ड डिविजन कहीं भी एप्लाई कर नहीं सकते हैं सरकारी नोकरी में। यह एक न्यूसेन्स है। They are anti social. आप एल.एल.बी. की तरह सैकिण्ड डिविजन ही पास करिये, क्राइटेरिया में सैकिण्ड डिविजन ही पास हो यही व्यवस्था कर दें तो झगड़ा मिट जाये। They are fit for admission and service.

अब, सभापति महोदय, सदन में बोलने वाले अधिक हैं और समय कम है फिर भी एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास एक तार आया है। उसमें खास तौर से लिखा है, अजमेर में किसी मन्त्रीजी की डाटर पास हो गयी या कुछ ऐसा मामला है, कोई इरेंगुलेरिटी हुई है। इसमें यह लिखा है— 'Irregularities in teacher fellowship selection Rajasthan University Criterion made to suit daughter of Minister. Kindly intervene and insist for uniform criterion.

—Nathu Lal Agrawal.'

यह कौन से मिनिस्टर की डाटर है, यह आप देख लें। मेरी यह आदत नहीं रही है कि मैं ऐसी चीजें मेरे पास रख लूं। अगर आप इसको ठीक समझें तो एक्शन लें और ठीक नहीं समझें तो आप इसको फाइल कर दें। अगर मैंने यहां इसका उल्लेख नहीं किया तो वह लोग, जिन्होंने मुझे तार भेजा है, वह समझेंगे कि वह कागज दबा कर बैठ गये। तो यह आप देख लें। मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : समय का ख्याल कीजिये। इन्होंने 22 मिनट लिये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिये कि जो सदन के विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने अपना समय भी इनको बोलने के लिए दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : अब आपको तसल्ली हो गई।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, शिक्षा का विषय एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके साथ ही बहुत ही नाजुक विषय है। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षा मन्त्री जी ने यहां पर एक विषम स्थिति पैदा कर दी है। बजट भाषण में जो शिक्षा की मद के अन्दर 102.82 करोड़ का खर्च करने का प्रावधान किया है और इन्होंने जो मांग सदन में प्रस्तुत की है वह 101.91 करोड़ रुपये की है। तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि कौनसी बात को सही माना जाय ? जो वित्त मन्त्री महोदय ने बताई वह सही है या शिक्षा मंत्री जी ने जो मांग सदन में पास करने के लिए रखी है वह सही है ?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहती हूं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे कि समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है।

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

इसलिए शिक्षा एक अत्यन्त ही नाजुक और अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं समझती हूं कि वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी ने शिक्षा की नजाकत और नफासत को नहीं समझा है। इसीलिए जब पिछली बार मैंने शिक्षा की मांग पर अपने विचार व्यक्त किये थे तब भी एक बात कही थी कि शिक्षक की गलती लम्बे समय तक राष्ट्र में प्रतिबिम्बित होती रहती है। शिक्षा की नीति प्रदेश की क्या हो, शिक्षा का प्रसार कैसे किया जावे, यह जिम्मेदारी शिक्षा मन्त्री जी की होती है। मैं समझती हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने न विशाल हृदय का परिचय दिया और न राजनैतिक सूझ-बूझ का ही परिचय दिया है। इनमें तो राजनैतिक पक्षपात ही भरा हुआ है। मेरे पूर्व के वक्ताओं में से और अधिकांश ने विशेषतौर से विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा है कि इन्होंने राजनैतिक पक्षपात की भावना से स्कूल खोले हैं। उन्होंने इस बात की आम शिकायत की है कि इन्होंने जो स्कूल खोले हैं उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। जो भी पुराने क्राइटेरिया और नार्म्स स्कूल खोलने के लिए पुरानी कांग्रेस सरकार ने बनाये थे, जो भी नार्म्स फिक्स किये हुए थे इन्होंने उन सभी क्राइटेरिया और नार्म्स की भारी उपेक्षा की है। आज जो स्कूल खोले गये हैं उनसे ऐसी बू आती है। इन्होंने अपने ही क्षेत्र में स्कूल खोले हैं। यह तो वह बात हुई कि अन्धा बांटे रेवड़ी और फिर फिर अपने को ही दे। सारे के सारे स्कूल जो खोले हैं उसका अधिकांश कोटा में ही पूरा कर दिया। सारी शिक्षा का प्रसार आप कोटा में ही करना चाहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले हाउस में मुख्यमन्त्री जी ने यह कहा था कि शिक्षा का विकास हमारे हिन्दुस्तान में तो 21 प्रतिशत है लेकिन राजस्थान में सिर्फ 18 प्रतिशत है। इसके अलावा महिला शिक्षा का जहां तक सवाल है उसमें तो राजस्थान में सिर्फ 8 प्रतिशत है। राजस्थान में 6 साल से 11 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका प्रतिशत सिर्फ 57 पर्सेन्ट ही है जब कि केरल में यह 99 प्रतिशत है। शिक्षा का प्रसार केवल कालेज या हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने से ही नहीं हो जाता है। आपको प्राथमिक शिक्षा स्तर से शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आज केरल में 99 पर्सेन्ट बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में जाते हैं। जो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने एक हजार प्राइमरी स्कूल नये खोलने का आश्वासन दिया था इस साल के बजट में उसको आपने काट कर सिर्फ 520 ही स्कूल खोल कर सब्र कर लिया। यह आपने किन कारणों से किया है? क्या यह उचित है?

श्री नवनीत पालीवाल : कांग्रेस सरकार ने तो बातें बहुत कही थीं और की थीं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बाद में बोलिये मत। हम अपनी बात तो कहेंगे, मानिये या मत मानिये। मन्त्री जी के पास हमारी भावनायें तो हम पहुंचायेंगे। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। तब आप भी अपने विचार रखना।

तो, सभापति महोदय, यह स्कूल जो खुले हैं उनमें से 58 प्राइमरी स्कूल, 34 मिडिल स्कूल, 23 सैकण्डरी स्कूल कोटा जिले में खोले जाने के प्रावधान किये हैं। झुंझुनूं के अन्दर पिछली कांग्रेस सरकार ने 15 सैकण्डरी स्कूल रखे थे। वह आपने काट दिये। अब केवल 2 स्कूल रखे हैं। ऊपर से

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

यह कहा कि मुझे यह देखना पड़ेगा कि शिक्षा में असंतुलन हो गया था, उसको संतुलित करना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने यह जवाब दिया था इसलिए मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरे लिए कहना जरूरी हो गया, चम्बल कमाण्ड एरिया और चम्बल की नहरों के साथ औद्योगीकरण का फायदा किसने उठाया? क्या कोटा शहर और कोटा जिले ने नहीं? उस क्षेत्र के औद्योगीकरण को प्रोत्साहन किसने दिया? आप असंतुलन की बात क्यों कहते हैं? चाहे आप यह कहें, लेकिन जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिये उसके सब अंगों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है उसी प्रकार से चम्बल की नहरों का फायदा

(व्यवधान :)

श्री सभापति : बैठिये। बोलने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोटा शहर को ही नहीं हुआ है। चम्बल की नहरों से सिंचाई होती है कोटा की और सारा राजस्थान पोषण पाता है क्योंकि राज्य का उत्पादन बढ़ता है। लेकिन यह बात कहने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि पिछले 30 सालों में असंतुलन हो गया था उसको कम किया है। मैंने उनकी इसी बात का जवाब दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाह रही थी कि एक तरफ • • • •

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशन पर आई नहीं उससे पहले ही आपने घंटी बजा दी?

माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रही थी अपने कट मोशन के जरिये कि महिला शिक्षा में सबसे ज्यादा ··

(5.05 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

पिछड़ा, जम्मू कश्मीर के बाद, यदि कोई प्रान्त है तो वह राजस्थान प्रान्त है। बजट में 101.91 करोड़ का प्रावधान किया हैं शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए परन्तु शिक्षा में गुणात्मक विस्तार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। यह ठीक है, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खोल दें लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है वह उससे पूरा नहीं होता है। शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना पड़ेगा। बजट में क्या नई बात दी, क्या कार्यक्रम दिया जिससे विश्वास हो सके, 2।। करोड़ जनता को अहसास हो सके कि वास्तव में जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा को व्यवसाय से संबंध करने की कोशिश की है? कौनसी बात है बजट में जिससे महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और महिला शिक्षा क्षेत्र में राज्य प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, अधिक बात नहीं कहते हुए अपनी ओर से यह बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार ने जिन स्कूलों को खोला था किसी आधार पर, किसी नार्म्स के आधार पर, उन स्कूलों को आपने क्यों और कैसे काट दिया? विद्यालय निरीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो रिपोर्ट की थी, रिकमण्डेशन्स की थीं, क्या आपने उनकी बातों को ध्यान में रखा?

Page No 131

(131)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुझे बड़ा दुख है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह कहते हुए कि झुंझुनूं में 9 सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, उनमें से तीन स्कूल 5 मील के फासले पर हैं, दस मील की परिधि में 4 स्कूल हैं बाकी सम्पूर्ण जिले में 3 कन्या स्कूल तथा केवल दो अन्य सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं। बाकी आपने क्या किया ? अतः अन्य माननीय सदस्यों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहती हूं कि आपको ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी है, वह केवल कोटा के लिये नहीं है सम्पूर्ण राजस्थान के लिये है। ठीक है एम. एल. ए. के नाते अपने इलाके की तरक्की की बात सोच सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान के लिये है न कि एक कान्स्टीट्यूएंसी के लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, इस प्रकार के आर्गूमेंट्स पहले दिये जा चुके हैं। नवीन बात बताएं। दस मिनट हो गये आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ग्राम बुडानियां जिला झुंझुनूं में गांव वालों ने बहुत अच्छा मकान तैयार करा रखा है करीब 200 पेड़ स्कूल अहाते में लगा रखे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वहां के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत किया था परन्तु जनता सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया एवं ग्रामीणों की भावना पर तुषारापात कर दिया। मैं अपनी बात उनकी बात के साथ मिला रही हूं।

मैं अपनी बात समाप्त करती हूं यह कहते हुए कि राजस्थान में प्राथमिक शालाओं के, मकानों का जीर्णोद्धार करें। प्राइमरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, जिनमें लड़के पढ़ते हैं, का नजारा तो आप थोड़े दिन पहले देख चुके हैं। जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उनके मकान जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। आप स्कूलों का विस्तार करें लेकिन उसके साथ विद्यालय जहां जीर्ण शीर्ण मकानों में चलते हैं उनको ठीक करायें। कुछ तो करिये। यह जो आपने स्कूल खोले, राजनैतिक भावना और पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने इलाकों और क्षेत्रों में खोले हैं और उन क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की है, जहां से कांग्रेस जीत कर आयी है, उन क्षेत्रों को आपने इग्नोर किया है। इग्नोर करके अथवा उनकी घोर उपेक्षा करके आपने अपने क्षेत्रों में जो स्कूल खोले हैं उनके लिये और माननीय सदस्यों की वाणी के साथ अपनी वाणी को मिलाते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी को नवीन स्कूल खोलने तथा क्रमोन्नत किये जाने के लिये घोर भर्त्सना करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल

श्री भंवरलाल पेरन (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। नसीराबाद एक सैनिक केन्द्र है जहां पर दो ब्रिगेड आज निवास करती हैं। 20 हजार की आबादी वाला यह नगर है। इसके आस पास 110 गांव हैं और उन सब में एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय लड़कियों का है। वह उच्च माध्यमिक विद्यालय भी राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था है। जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति बिलकुल कमजोर है। सितम्बर का वेतन देने के बाद उसकी स्थिति यह हो जावेगी कि या तो उसको बन्द करना पड़े या आगे के लिये वर्ष भर के लिये वेतन चुकाने के लिये कोई साधन न हो। ऐसी स्थिति में शिक्षा

(श्री भंवरलाल ऐरन)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बालिका महा विद्यालय नसीराबाद में खोला जाय ताकि पूरे क्षेत्र की बालिकाओं की उच्च शिक्षा की समस्या हल हो सके। इसलिए मैने इस कटौती प्रस्ताव के जरिये निवेदन किया है कि इस कन्या विद्यालय को महाविद्यालय में परिणत कर दें। इससे कोई आपके अर्थ पर भी असर नहीं पड़ेगा और नसीराबाद क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग भी इससे पूरी हो जायेगी।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव अजमेर के के लिए है। अजमेर हमारे राजस्थान का हृदय है। 1956 से पूर्व यह राज्य था किन्तु 1956 में अजमेर के राजस्थान में विलय होने के पश्चात् वह एक जिला बनकर रह गया। राजस्थान की राजधानी का जब प्रश्न आया तो जयपुर को राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा वहां हाई कोर्ट था वह भी वहां से हटा दिया गया। मैने इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मांग की है कि अजमेर का महत्व कायम रखने के लिए वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये ताकि अजमेर का महत्व भी बना रहे। अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में किसी समय बहुत अग्रणी था लेकिन आज बहुत पिछड़ गया है इसलिये वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की जये। यह अजमेर की बहुत बड़ी बात है।

मेरे यही दो कटौती प्रस्ताव हैं। मैं अधिक समय नहीं लेकर शिक्षा मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन दोनों मांगों को यदि सम्भव हो तो इसी सत्र म ही पूरा कर दें। कम से कम नसीराबाद की मांग के लिए मेरा प्रस्ताव है कि इस सत्र मे सम्भव नहीं है तो जो केटेगराइजेशन विद्यालयों के लिए निश्चित किया गया था पिछली सरकार द्वारा, जो पहले कांग्रेस की सरकार द्वारा पक्षपात का केटेगराइजेशन किया हुआ था उसे समाप्त कर एक ही केटेगरी निश्चित की जाये। साथ ही उस कन्या विद्यालय को पूरा अनुदान दिया जाये ताकि नसीराबाद की जो मुख्य मांग है वह पूरी हो और उसे ठीक तरह से चलाया जा सके।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगीदेवी।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह कोशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शिक्षा मन्दिरों में मेधावी छात्रों के भाग्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास एक उदाहरण है। सूरतप्यारी व्यास नाम की एक छात्रा पी.एम.टी. की परीक्षा में बैठी। इसका थ्रू-आउट कैरियर फर्स्ट क्लास रहा है। इसके 70 प्रतिशत से कम अंक कभी नहीं आये। वह जब पी. एम. टी. की परीक्षा में बैठी और परीक्षा-फल निकला तो उसके केवल 38 पर्सेन्ट मार्क्स आये। उस मेधावी छात्रा के जीवन का एक उद्देश्य डाक्टर बनने का था। उसे बहुत परेशानी हुई और वह बीमार पड़ गयी। उसके पिता परेशान हुए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी कोई सहायता करें। उन्होंने री-टोटलिंग के लिए एप्लीकेशन दी। विश्वविद्यालय से उत्तर आया कि टोटल सही है। आखिर उनके पिता के मित्र सी. बी. आई. में थे, उनके

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वह रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। रजिस्ट्रार महोदय ने यह आश्वासन दिया और कहा कि बालिका को लेकर आ जाना। बालिका दूसरे दिन रजिस्ट्रार साहब के पास पहुंची। उस बालिका से एक पेज पूरा हैंड राइटिंग का स्पेसिमैन के बतौर लिखाया गया। बालिका को दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। सारी कापियों को देखा गया कि उसकी उत्तर पुस्तिका कौन सी थी। वस्तु स्थिति यह है कि उस छात्रा की उत्तर पुस्तिका एक चहेते लड़के की लीफ पेज के साथ लगा दी जिसके 30 प्रतिशत मार्क्स आये थे और जिससे विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे खाये थे। इस लड़के की उत्तर पुस्तिका इस मेधावी छात्रा के लीफ पेज के साथ लगा दी। जब मेधावी छात्रा को बुलाया गया और उसकी कापी बताई गयी तो छात्रा अपनी उत्तर पुस्तिका देखकर चक्कर खा गयी। माननीय सभापति जी, उस छात्रा ने देखा कि उसकी उत्तर पुस्तिका के लीफ पेज पर 38 प्रतिशत मार्क्स लिखे हुए हैं लेकिन जो ओरीजिनल उत्तर पुस्तिका थी उसमें 70 प्रतिशत मार्क्स थे। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, मार्क्स देने वाले ने ठीक मार्क्स दिये लेकिन स्पेशल सैल के अधिकारी हैं उन्होंने 70 प्रतिशत को 38 प्रतिशत मार्क्स करने के लिए क्या क्या किया, यह मैं आपको बताता हूं। 10 नंबर की बिन्दी काटी गई। 5 नम्बर को आधा नम्बर करने के लिए .5 किया गया। अब, सभापति महोदय, यदि आधा नम्बर देते हैं तो ½ लिखते हैं लेकिन आधा करने के लिए उसको .5 किया गया। उसका जो सही उत्तर था उसको लाल स्याही से काटा गया। रजिस्ट्रार महोदय ने उस बालिका से लिखवाया कि तुम शिकायत नहीं करोगी। रजिस्ट्रार महोदय ने यह भी आश्वासन उस बालिका से लिया कि तुम शिकायत नहीं करोगी तो अगली साल मैं तुम को पी. एम. टी. में सलेक्ट करवा दूंगा। वह बालिका अपनी कापी देखकर चक्कर खा गयी कि 70 प्रतिशत मार्क्स किस प्रकार से 38 प्रतिशत किये गये। सभापति महोदय, यदि शिक्षा मन्दिरों में मेधावी छात्रों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ होता रहा तो यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस साल के तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का स्थानान्तरण करें। मुझे मालूम है कि इसमें विश्वविद्यालय के उन भ्रष्ट अधिकारियों का बराबर हाथ है जो उत्तर पुस्तिका को बदला करते हैं। मुझे अफसोस है कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपने सामने छात्रा को उसकी कापी बताई और रजिस्ट्रार महोदय स्वयं कनविन्स थे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने उस छात्रा के प्रति कोई दया नहीं की। उन्हें यह भी दया नहीं आई कि उस छात्रा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। मैं आरोप लगाता हूं कि इसमें उनका हाथ इसलिए है कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का एक्सप्लेनेशन तक काल नहीं किया। ऐसे उदाहरण यदि शिक्षा मन्दिरों में रहेंगे तो मेधावी छात्र सड़कें नापेंगे और बड़े आदमियों के लड़के बोली लगाकर पास हो जायेंगे और उनको 70 प्रतिशत मार्क्स उत्तर पुस्तिकायें बदलवा कर दिये जायेंगे।

सभापति महोदय, यह छात्रा गवर्नर के पास पहुंची, केन्द्र के मंत्रियों को लिखा, मुख्य मंत्री महोदय को लिखा लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सारी कापियां डेस्ट्राय

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कर दी गयीं। यदि आज सारे रिकार्ड को देखा जाये तो मैं कहूंगा कि उस मेधावी छात्रा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। शिक्षा मंत्री जी, आप ज्यादा घबरायें नहीं यह पिछले साल की घटना है, इस साल की नहीं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस साल भी निश्चित रूप से यह हुआ है। पुस्तिकायें चार छः महीने में नष्ट कर दी जाती हैं इसलिए बाबू लोग निश्चिन्त होकर बैठे हैं और अधिकारी आंखें बन्द करके बैठे है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास अनेक छात्रों की अर्जियां हैं जिनके थ्रू आउट जीवन में 75 पर्सेन्ट मार्क्स आये हैं, कु. सरोज जैन, कु. शशि अग्रवाल के 73 पर्सेन्ट कु. कुलश्रेष्ठ 74 पर्सेन्ट, कु. शालिनी नानावटी 72 पर्सेन्ट ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। आप एक्शन लेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : केवल दो मिनट लूंगा। यह बहुत महत्व का विषय है। मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री सभापति : मैं आपकी वेदना को समझता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा मन्दिर से भ्रष्टाचार दूर नहीं करेंगे, यह बदबू आ रही है। भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे तो यह आपके राज्य को बचने नहीं देंगे। यदि आपने अधिकारियों को संरक्षण दिया तो मेधावी छात्रों के साथ बहुत खिलवाड़ हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

मैं शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने स्कूल और कालेज खोले जिसके कारण से गांवों में यह बात आई कि जनता पार्टी शिक्षा के लिए कुछ कर रही है मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप शिक्षा का विस्तार चाहते हैं तो मेरा कहना है कि जो लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स हैं उनको मानसिक सन्तोष होना चाहिये। यू.जी.सी. के पे स्केल चार राज्यों को छोड़कर सब ने लागू कर दिये हैं। मुझे दुःख है कि शिक्षा मन्त्री ने अनेक बार घोषणा की कि 30 जुलाई को होगी, फिर 30 अगस्त को होगी उसको भी आज 15 दिन गुजर गये लेकिन आज तक उनकी घोषणा केवल कागजों में है, रेडियो पर है, अखबारों में है, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। मै निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र यू. जी. सी. के पे-स्केल लागू करके यश कमायें जैसा आपने स्कूल खोलकर यश कमाया है।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

माननीय श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय सभापति जी, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिये शिक्षा ही सबसे मुख्य चीज है। अगर किसी भी राष्ट्र की शिक्षा गलत है तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा पद्धति जो हमें मिली है वह हमारे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

देश को अंग्रेजों से विरासत में मिली है। अंग्रेजों की हुकूमत में गरीबों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था और जो लोग साधन सम्पन्न थे उन लोगों के लिये शिक्षा की व्यवस्था थी। वही तरीका है वही रूप है केवल मैट्रिक की जगह सैकण्डरी हो गया, नाम बदल दिया। वही किताबें हैं, वहीं तरीका है और वही सारी व्यवस्था है अगर इस सारी शिक्षा पद्धति को नहीं बदलेंगे तो देश की प्रगति सम्भव नहीं है। अगर प्रदेश में नहीं बदलेंगे तो प्रदेश की प्रगति असंभव है। गांवों में शिक्षा का बेस क्या है? शहरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिशनरी स्कूल मिलेंगे आपको, बाल मन्दिर आपको मिलेंगे, बाल विकास मन्दिर, टैगोर मन्दिर आपको मिलेंगे। शहरों में अलग अलग तरह के स्कूल मिलेंगे। आज शहरों में यह सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। जितना बड़ा शहर है उतनी ही ज्यादा सुविधायें उपलब्ध हैं। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स कम हैं। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के अपने अपने तरीके हैं।

दूसरी मैं बात यह कहता हूं कि मेरा कट मोशन है प्राइमरी स्कूलों के बारे में गांवों के प्राइमरी शिक्षा के अन्दर बहुत गड़बड़ हैं। आपने पंचायतों को प्राइमरी शिक्षा सौंप दी, उन पंचायतों को सौंप दी जिनके सरपंच 15-15 साल से बैठे हैं। उनकी जिम्मेदारी है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचायतें तो अब भंग हो गई।

श्री सभापति : No interruption please.

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके 15 साल के शासन का नाम ले रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज गांवों में स्कूलों की क्या व्यवस्था है? अगर भवन बनाना है तो गांव वालों को बनाना पड़ेगा। अगर गांव में स्कूल खुलना चाहिये तो स्कूल भवन के लिये सारे का सारा पैसा देना गांव वालों की जिम्मेदारी है। यह तो बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन स्थिति यह है कि पंचायत ने शिक्षा कर लगा दिया। गांवों में शिक्षा कर वसूल होता है। शिक्षा कर के नाम से पैसा लिया जाता है और प्राइमरी स्कूल की मन्जूरी के लिये हमें जयपुर के चक्कर काटने पड़ते हैं, मिनिस्टर साहब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्यों, क्या बात है आखिर? इसके साथ साथ सबसे बड़ा गुनाह बेलज्जत यह है कि हमारा पैसा, हमारे प्राइमरी स्कूल के काम में नहीं आता, हमारा पैसा हमारे मिडिल स्कूल के काम में नहीं आता तो इसका फिर मतलब क्या? आज करोड़ों रुपया हमारे गांवों से वसूल होता है लेकिन गांवों के विकास में नहीं लगता है। आखिर यह व्यवस्था क्यों है? आपकी व्यवस्था यह है कि गांव के स्कूल में अगर 60 बच्चे हैं तो एक मास्टर होगा। इस देश की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में बैठी है। फिर भी गांव अधर झूल में लटका है। और बाकी के जो 25 पर्सेन्ट लोग हैं जो शहरों में रहते हैं उनके लिये बहुत बड़े सेंट जेवियर स्कूल खोल रखे हैं, उनके लिये बाल मन्दिर बना रखे हैं। इस

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

भेदभाव को समाप्त करिये। इस भेदभाव की पद्धति को खत्म करें। जैसे माथुर साहब ने कहा था, जो अलग प्राइवेट स्कूल खोल रखें हैं, अलग अलग संस्थायें चला रखी हैं, वह मर्जी से चलाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को खतम कीजिये। आप कहेंगे साधन नहीं हैं। अच्छी बात है जाने दीजिये गांव के सभी बच्चों को क्योंकि उनके लिये साधन बढ़िया नहीं हैं। जिनके लिये साधन ठीक हैं उनको छूट है सब चीजों की। फिर कौन लोग कम्पीटीशन में आयेंगे किस ढंग के लोग आयेंगे। गरीब का बच्चा आई० ए० एस० कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता उनके दर्द को कौन महसूस करेगा? जिसको कांटा लगे उसको मालूम होता है कांटे का दर्द कितना होता है। आज जो सारी चीजें हैं उन सब को बदलना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा मंत्री बहुत ही शिक्षाविद् हैं, राजस्थान की प्रगति के लिये मेरे ख्याल में आप संजीदगी से विचार करें·······

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : मेरे दो कट मोशन्स हैं।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल 250 कट मोशन्स हैं। मैं इसलिये समय का ध्यान रख कर चलना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सब से लास्ट में बोलने वाला हूं।

सभापति महोदय, देश में और राजस्थान में सन् 47 में, आजादी के ठीक बाद जितने अनपढ़ थे, उनकी गिनती बढ़ी है, पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़ो, देश के अन्दर अशिक्षित की गिनती ज्यादा हो गई। शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे, सन् 1947 में राजस्थान के अन्दर कितने अशिक्षित लोग थे और आज कितने हैं? आपने कितनी प्रगति की है।

एक माननीय सदस्य : पापूलेशन बढ़ी है।

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : पापूलेशन बढ़ी है। इसका मतलब आपने पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके साथ साथ मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि सवाल इस बात का नहीं कि आपने कहां स्कूल खोले हैं और कहां नहीं खोले हैं। आपने जो तमाशा किया वह बड़ा अजीब है। शिक्षा मंत्री जी, आप स्कूल नहीं खोलते तो समझ में आता है कि आपके पास फंड्स नहीं। आप किसी के कहने से स्कूल खोलें, कहीं खोल दें हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने जो मजाक किया है स्कूल खोलने की व्यवस्था में वह मैं बताता हूं। सीकर जिले के अन्दर फतेहपुर तहसील में अलखासर गांव में 16 तारीख को आदेश भेजा बच्चों को दाखिल कर दो। हमने आपके यहां सैकण्डरी स्कूल खोल दिया है। अलखासर के लोगों की मांग थी कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया जाय लेकिन आपने हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया। प्राइमरी से सीधे हायर सैकण्डरी तक पहुंचा दिया।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

उन्होंने अप्रोच की और कहा कि हमने मांगा मिडिल स्कूल और दे दिया हायर सैकन्डरी स्कूल। यह आपका आर्डर है जिसके द्वारा आपने उसको वापस प्राइमरी स्कूल कर दिया। इस तरह का मजाक करना चाहते हैं। लोगों ने बहुत सोचा था ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आफिसियल गलती है, इसको दुरुस्त कर लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आफिसियल गलती नहीं हैं।

सभापति जी, नोखा में जसरासर कस्बा है। नोखा तहसील में और बीकानेर जिले में सबसे बड़ा गांव है। उस गांव वालों ने अपना एक भवन निर्माण किया है मगर आपने यह चिट्ठी भेज दी .....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आखिर हमको कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सम-अप कर रहा हूं।

जसरासर गांव में बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बच्चों को एडमिशन के लिये बुला लिया गया और उसके बाद आपने यह चिट्ठी भेज दी। आप अपने दफ्तर वालों से यह चिट्ठी मंगा लीजिये। आपने कहीं स्कूल नहीं खोला तो नहीं खोला मगर जहां खोल दिया उसकी सजा तो फिर आप ही भुगतिये और कम से कम उसको वापस रद्द तो न कीजिये। सभापति महोदय, यह मेरे दल की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, आपकी सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरी तो कोई इतनी विशेष दिलचस्पी नहीं है लेकिन मैं कांग्रेस की तरह आपकी साख को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। इसी नजरिये से कहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अब क्लोज करें।

(व्यवधान)

मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भ्रष्टाचार का सवाल है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैं क्षमा चाहूंगा, माननीय सदस्य। अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुछ अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। शायद आप दिलचस्पी रखेंगे। पुस्तक लिखने का एक माप दण्ड होता है लेकिन एक शिक्षा विद् यहां पर हैं उन्होंने 1955 में एक किताब लिखी-भूगोल की मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। यह 1655 में लिखी थी और बिकी नहीं तो...

श्री सभापति : भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपका क्या कटौती प्रस्ताव है? कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। यह विषय सामान्य वाद-विवाद का है। माननीय सदस्य, आप तो पुराने सीनियर सदस्य हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक कालेज के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है कि कालेज तो आपने खोल दिये...

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

हनुमानगढ़ के अन्दर· · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यही बात है, और यही आपकी मशा है तो बहुत धन्यवाद के साथ बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति जी, मेरे सात कट मोशन हैं। सबसे पहले मैं वर्तमान शिक्षा के स्वरूप के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मुझे अफसोस हुआ कि वे 30 साल इस राज्य में रहे उस दौरान शिक्षा की जो नीति अच्छी लगती उस नीति को लागू करते तो दूसरी बात थी लेकिन उन्होंने वहां कौनसी नीति होनी चाहिये। राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस के 30 साल तक शासन में बने रहने के बाद भी यदि वे बहस करने की स्थिति मे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में शिक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में, उसकी नीति निर्धारण करने मे शिक्षा शास्त्रियों का हाथ होना चाहिये था। लेकिन शिक्षा शास्त्रियों का अधिकार हम राजनीतिज्ञों ने अनधिकृत चेष्टा करके ले लिया यह उसी का परिणाम है कि 30 साल बाद भी देश का साधारण आदमी यह नहीं कह रहा है कि देश में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, उसका क्या समाधान है। हमने कालेज शिक्षा तक अच्छी शिक्षा दी। मैं तो आपको यह बताना चाहूंगा कि गांवों में चले जाइये, आपको मुश्किल से ऐसा कोई घर मिलेगा जिस घर का व्यक्ति ग्रेजुएट बेकार नहीं हो। वह बड़ा परेशान है, राजनीतिज्ञों के पीछे रात-दिन जूती चटकाता फिरता है। इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा का कोई स्वरूप निर्धारित करिये और वर्तमान में जो स्कूलों में शिक्षा प्रणाली है उस पर विचारिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने इस शिक्षा को लागू करने की योजना बनाई थी। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार के सामने अर्थाभाव था या आयोग के जरिये परिवर्तन करना चाहती थी लेकिन मैं इतना ही कहूंगा जितना टाइम निकलेगा, आप मानकर चलिये उतनी ही इस देश के अन्दर बेकारी बढ़ेगी और बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन ज्यादा होती जायेगी।

दूसरा मेरा कटमोशन है नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पिछले लम्बे अर्से से एक अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति आई है जिसके कारण कांग्रेस को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी उसका यह परिणाम आज सबको भुगतना पड़ा कि ना पक्ष में बैठे हैं। इसलिए आपके पास अभी वक्त है। जब तक हम नैतिक शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, तब तक यहां का विद्यार्थी नैतिकता पर ध्यान नहीं देगा और नैतिकता का पालन नहीं करेगा तब तक हम कितनी ही योजनायें बनायें, हमारी कोई योजना चलने वाली नहीं है।

एक मेरा दूसरा प्रस्ताव है सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के बारे में। मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि कहीं तो प्राइवेट

(श्री नवरंग सिंह)

स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है और कहीं ऐसे भी स्कूल हैं जो व्यापारिक आधार पर चलते हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा वे इस तरह का बिल लायें कि इन स्कूलों का कन्ट्रोल सरकार अपने हाथों में लें। राज्य सरकार के पास अगर साधन हो तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों को भी अपने अधीन कर लें। इससे जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी चलती है वह सारी मनमानी भी दूर हो सकती है।

इसी तरह से मेरा एक यह अर्ज करना है, हमने संविधान में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है लेकिन 30 साल बाद भी इसको आज तक लागू नहीं कर सके। मैं अर्ज करूं, ऐसे कई सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जहां पर आठवीं, नवीं और दसवीं कक्षा के बच्चों से अनधिकृत फीसें ली जाती हैं। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के निदेशक उनको बराबर अनुमति देते जा रहे हैं। इसलिए, सभापति जी, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो अनधिकृत फीस ली जा रही है बच्चों से उसको बन्द करिये और तुरन्त रोकिये। जो बच्चे आठवीं से दसवीं तक, हायर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे फीस नहीं लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लें। हायर सैकण्डरी तक हर एक को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिये।

इसी के साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिला राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का देश की रक्षा के लिये सैनिक देने में पहले नम्बर का जिला है। इस जिले के लिए कई बार पिछली सरकार ने भी आश्वासन दिया कि वह इस जिले में सैनिक स्कूल खोलेगी। पिछले टाइम में वहां पर आर्मी के मुखिया रैना साहब आए थे वे भी घोषणा करके गए, भूतपूर्व सरकार के मंत्रीजी ने भी घोषणा की लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह दुःख होता है कि वह बात की बात रह गई, कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि वह केन्द्रीय सरकार से मिलकर जो झुंझुनूं सैनिक दृष्टि से अच्छा जिला है, जहां के बच्चे सैनिक शिक्षा के लिए बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं वहां शीघ्रातिशीघ्र सैनिक स्कूल खोलें।

एक मेरा यह अर्ज करना है कि हमारे सैनिकों के बच्चे चितौड़ स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन मुझे उन छात्रों के अभिभावकों से यह ज्ञापन मिला है कि 2400 रुपया छात्रवृत्ति राज्य सरकार देती थी लेकिन पिछली बार उसने घटाकर बाइस सौ रुपये कर दिया जबकि श्रीमान्, उस स्कूल का जो स्लेबस आया है उसमें जो पीस पहले 2400 रुपये लगती थी वही इस वर्ष जुलाई से 3500 रुपये कर दी गई। इसलिए, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह भी अन्य राज्यों की तरह 3500 रुपया प्रति छात्र छात्रवृत्ति दें ताकि गरीब सैनिक, साधारण सैनिक, गरीब किसान हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं उनकी सहायता हो सके। इस आवेदन-पत्र में यह भी लिखा है कि अगर राज्य सरकार यह छात्रवृत्ति नहीं देगी तो गरीब छात्रों की पढ़ाई-समाप्त करनी पड़ेगी।

(श्री नवरंगसिंह)

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा इस राज्य में अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में अभी तक जितने भी कायदे बने हैं, जितनी भी कार्यवाही की गई है वह पर्याप्त नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) उनको समान वेतन मिले। मेरा निवेदन है कि सैकण्डरी और प्राइमरी के अध्यापकों के लिए वेतन आयोग बने। इसी तरह से जो म्युनिसिपैलिटीज के अध्यापक हैं जिनको विभाग ने ले लिया उनके वेतन का स्थिरीकरण किया जाय, बकाया भुगतान आदि को तुरन्त दिलवाया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है इस सम्बन्ध में।

श्री नवरंगसिंह : उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार करे।

इन शब्दों के साथ में मैं पुनः शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना का प्रयत्न करें। तथा साथ ही उन छात्रों की छात्रवृत्ति के बारे में भी अर्ज किया है, वह महत्वपूर्ण मसला है। इस पर विचार करें और 3500 रुपया छात्रवृत्ति देने की घोषणा करें।

श्री सभापति : He has taken note of it.

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाषण को अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

माननीय श्री रणजीतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, मैं यह निवेदन करता हूं कि जहां शिक्षा की शुरुआत होती है पंचायत समितियों से वहां शिक्षा की हालत अत्यन्त शोचनीय है। मेरे अपने ही क्षेत्र में पंचायत समिति कोटड़ी, जिसमें दस पंचायतें आती हैं। उनमें चार स्कूलों की हालत बहुत खराब है वे चार गांव हैं, मिश्रजी का चौधरियाठ, जीवाखेड़ा, मनकड़ी, और खाटों का खेड़ा। वहां पर एक भी लड़का पिछले एक वर्ष से नहीं है लेकिन स्कूल चल रहा हैं। अब आप अन्दाजा लगाइये, अगर आप पूरी तरह से जांच करायेंगे तो कई स्कूलें पंचायत समितियों में ऐसे मिलेंगे। जिन पर व्यर्थ में पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए कृपया इन पंचायत समितियों के स्कूलों को पहले देखिए उनसे लेकर शिक्षा विभाग को दीजिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा, अच्छा होता कि आपने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया होता। अच्छा यह होता कि इस साल कोई भी सैकण्डरी स्कूल और कालेज नहीं खोलते। किसी भी कालेज को अपग्रेड नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता। मांडलगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल के अध्यापकों की हड़ताल हो गई। बिजौलिया हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि का अध्यापक नहीं लड़के यों ही बैठे हुए हैं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ये जितने भी पहले के स्कूल हैं उनको पूरी तरह के साधन दें। शिक्षा में आप नया परिवर्तन लाते तो अच्छा होता। अब आप देखिए, यह मानकर चलिए, केवल शिक्षा को बढ़ाने से कल्याण होने वाला नहीं है।

बांध बंधा बणवा सड़क, भली मदरसा खोल।
नैतिकता विन देश रो. नीं कोडी रो मोल।।

देश मिट्टी में मिल जायगा अगर नैतिकता की शिक्षा नहीं दी गई।

आज राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। टीचर का फेलोशिप के लिए चयन करना है तो जिसका चयन करना है पहले से ही उसका मापदण्ड तय हो जाता है। सारे हिन्दुस्तान की युनिवर्सिटीज का एक ही मापदण्ड है लेकिन यहां पर कला का अलग खण्ड है, विज्ञान का अलग खण्ड है। दस साल से पढ़ा रहा है और उसका नम्बर आने वाला है पदोन्नति का, उस समय कहेंगे कि टेम्परेरी को नहीं लेंगे क्योंकि अनुभव नहीं है। अरे! अगर अनुभव नहीं था तो क्यों तनख्वाह दी? आप पता लगायें कि वे क्या क्या कर रहे हैं?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फिर नए स्कूल खोल दिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर यह हो क्या रहा है—

देखो तो ई राज की, सूझ कहूं कन भूल।
एक ओर मदिरा चले, एक ओर स्कूल।।

स्कूल और मदिरा साथ साथ चल रही है। मदिरा भी चल रही है और स्कूल भी चल रहा है। कितना अच्छा होता अगर आपने किसी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया होता, और जो सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनके द्वारा बच्चों में नैतिकता को सुधारने के लिए आपने जोर लगाया होता। वित्त मंत्री जी साफ कह देते कि मैं स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं देता पहले शराब पर पूरी तरह से रोक लगाऊंगा—

श्री ईश्वरचन्द्र : एक मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कोई एक मिनट नहीं। कोई प्रश्न नहीं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : पहले और अब गुरु के मान में क्या अन्तर आया है यह देखिये।

गुरु ने गणता देवता, पगां देवता धोक।
आज शाल में छोकरा, गुरु ने देवे ठोक।।

अब आप बतायें ऐसी हालत में क्या हालत होगी। हम इधर आ रहे थे तो छात्र नारे लगा रहे थे। जैसा हम विधान सभा में हंगामा करते हैं उसकी नकल वे कर रहे हैं। पता नहीं, भगवान जाने, क्या होने वाला है देश का? इसलिए सबसे पहले शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए।

मुझे आप से यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से दो एक बातें कहना चाहता हूं। अभी जो नए स्कूल खोले गये राजस्थान में, प्राईमरी, मिडिल, सैकण्डरी सभी बड़ी संख्या में खोले हैं। इस संबंध में आपकी बहुत सराहना हुई है चारों तरफ वहां आपको अपयश भी मिल

(श्री रावतराम)

रहा है । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले यह व्यवस्था थी कि जितने स्कूल राजस्थान में खोलते थे वे जिला वाइज और जनसंख्या के आधार पर खोलते थे । उसके लिए जिले की कमेटी होती थी जिसमें एम. एल. ए. होते थे, कलेक्टर होते थे और आपके अपने आफिसर हुआ करते थे । तो वे सब बैठ करके बड़ी संजीदगी से किस इलाके में जरूरत है, किस जगह पर ज्यादा जरूरत है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, इन सब मसलों पर विचार कर निर्णय करते थे । इसमें समस्या का समाधान ज्यादा अच्छा होता था । फर्क इतना ही रहा कि आपने स्कूल तो बहुत खोल दिये लेकिन आप प्रायोरिटी नहीं दे सके कि कहां किस जगह पर ज्यादा जरूरत है कहां नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपने एक सैकण्डरी स्कूल खोलने की कृपा की है । बड़ी मेहरबानी की है । न मालूम वह कैसे गलती से खुल गई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने खोली है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर में भाडावास कस्बा पांच हजार की आबादी का है, नमक उत्पादन करने वाला एरिया है, इतनी बड़ी जगह है वहां बीकानेर स्टेट के टाइम से पहले, सन् 1942 के पहले से लड़कियों का मिडिल स्कूल है लेकिन उसको सैकण्डरी नहीं बनाया । लड़कियां बाहर जा नहीं सकती और आगे पढ़ नहीं सकती । वहां आपने सैकण्डरी स्कूल खोलने की कोशिश नहीं की । इसी तरह से कुहाड़िया ग्राम तहसील सुजानगढ़ का एक कस्बा है जिसके तीस तीस मील के एरिया में स्कूल नहीं है । दो-ढाई लाख रुपया लगा कर वहां एक दानदाता ने बिल्डिंग बनाई । उसकी भावना की तो कम से कम आपको कद्र करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की । इसमें आपका दोष नहीं है । यह सारी चीजें उलझन में हैं । आपके पास जिस तरह के प्रपोजल आए, जिसका धक्का लग गया तो लग गया, जिसका नहीं लगा तो नहीं लगा । उनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी । कोटा के बारे में आपको जानकारी थी कि कहां खोलने की आवश्यकता है वहां पर आपने खोला होगा । उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं तो इस समय यही कहना चाहता हूं कि प्रायोरिटी के आधार पर भविष्य में आपको स्कूल खोलने चाहिए । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले आपकी व्यवस्था थी, कोई भी विकास के काम हों, वाटर वर्क्स के काम हों उनकी प्रायोरिटी तय करने के लिये हर जगह जिलों में कमेटियां बनी हुई है । कमेटी प्रायोरिटी तय करती हैं । लोग उस कमेटी को एप्रोच करते हैं । भविष्य में आप इस प्रकार की कमेटी की व्यवस्था करें जो प्रायोरिटीज तय करें ताकि इससे शिक्षा मंत्रीजी की भी आलोचना न हो ।

आपने मेरे यहां पर कन्या मिडिल स्कूल खोला । आपकी लिस्ट में नाम है लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं है । न इन्सपेक्टर के पास है और न गांव वालों के पास है । आपने प्रचार के लिए सूचना दे दी कि कन्या मिडिल स्कूल खोल रहे हैं परन्तु वहां पर यह अभी तक नहीं खोला गया है । सालासर तहसील सुजानगढ़, यह आपकी लिस्ट में नाम है ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना

(श्री रावतराम)

चाहता हूं कि मैं अभी गांवों में होकर आया हूं। मेरे एरिया में मैंने यह देखा है कि करीब दस गांव ऐसे हैं जो एक एक हजार की आबादी के हैं। इन गांवों में प्राइमरी स्कूल हैं किन्तु तीन तीन महीने से वहां पर टीचर नहीं है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी से पूछा कि यह कैसी व्यवस्था है? वहां पर मास्टरों की, अध्यापकों की कमी है। यह हालत है। तीन तीन महीने से अध्यापक नहीं हैं। हमारे पास इसका क्या जवाब है जो हम गांव वालों को दे सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए तभी हम गांव वालों को विश्वास में ले सकते हैं।

इसके साथ ही मैंने एक कट मोशन दिया है। पांच-सात ऐसे गांव हैं जिनकी पापूलेशन 300 से 500 के करीब है। कहीं पर 400-450 की आबादी है। मैंने यह लिख कर भी दे दिया है। ये गांव वाले उपेक्षित हैं। इनके आस पास कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। इसके अलावा वहां पर स्कूल खोलने के लिए आपकी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। तो आपका स्कूल खोलने का क्राइटेरिया क्या है? मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नही कहना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने कह दिया है।

मैं एक समस्या के बारे में आपको कहना चाहता हूं। सुजानगढ़ की एक छोटी सी समस्या है। वहां पर एक कन्या महा-विद्यालय है। लड़कियों का कालेज है। वहां एक एडेड कालेज है श्रीमती सोनी देवी सेठिया कन्या महा विद्यालय बड़ा, अच्छा कालेज है। उसको आप 40 प्रतिशत एड देते हैं। इसके अलावा सारे जिले में कोई और दूसरा कन्या महा विद्यालय नहीं है। सरदारशहर के लिए आपने क्या निर्णय लिया, मुझे पता नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उस जिले में अभी और कोई कालेज नहीं है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि आपको इस संस्था की एड बढ़ानी चाहिए। इस संस्था का डेपूटेशन भी आपके पास आया था। यह एक अच्छी सक्रिय काम करने वाली संस्था है। इसके पास ही लाडनूं एक बड़ा कस्बा है। अभी तक इस संस्था को 40 परसेंन्ट से ज्यादा एड आपने नहीं दी है। इसकी एड आपको बढ़ानी चाहिए। श्रीमन्, आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ गांवों के लोग, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं। अब जो सेकण्डरी स्कूल खुले हैं, उनमें प्रधानाध्यापक की नियुक्तियां होंगी उनका चयन पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। परन्तु उन लोगों ने मुझे यह बताया है कि जो क्राइटेरिया बना रखा है, उसमें वे लोग नहीं आते हैं। इसके लिए उनका यह कहना है कि जो ग्रेजुएट होंगे जिनको पांच साल का सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा, उनको ही आप शामिल करेंगे। अन्यथा नहीं करेंगे। इन लोगों को इससे ऐतराज है। वे ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं परन्तु इनको पांच साल का एक्सपीरियंस नहीं है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। सैकण्डरी स्कूल कम हुआ करते थे। जो थे उनमें सिफारिश वाले आदमी हैं। शहरों के लोग ही ज्यादातर है। गांव के लोग ही अधिकतर मिडिल स्कूलों में काम करते हैं। उनको उनका हक नहीं मिलता है और इस प्रकार वे लोग अपने हक से वंचित रह जाते हैं। सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक की

(श्री रावतराम)

नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस आपने रखी है, उसको बदलना चाहिए। यह रखना चाहिए कि पांच साल का एक्सपीरियंस हो चाहे वह मिडिल स्कूल हो या सैकण्डरी स्कूल का हो। अभी जो क्राइटेरिया है, उसको बदलना चाहिए। ताकि गांव वाले भी इसमें आ सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा, श्रीमन् बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि मिडिल स्कूलों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको ढाई रुपया आप देते हैं। यह बढ़ाना चाहिए मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उनको कम से कम पांच रुपया तो मिलना ही चाहिए। इस पर भी आप सोचें।

श्री सभापति : श्रीमती श्यामा कुमारी

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज की शिक्षा के विषय में अपने विचार रखना चाहूंगी। श्रीमान्, मैं यह अर्ज करना चाहती थी कि आज की शिक्षा ने अथवा कहना चाहिये आज की शिक्षा प्रणाली ने मानवता का विकास किया है, इसको ज्ञान से विज्ञान की तरफ पहुंचाया है। इसने धरती से आकाश की तरफ, चन्द्रमा की तरफ बढ़ाया है। परन्तु, श्रीमन्, इसने मानव के गुण नहीं दिए हैं। अब यह जो मानव शब्द है, इसको मैं परिभाषित करना चाहूंगी। जिस प्रकार से पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, उसी प्रकार से मनु के पुत्र को मानव कहा गया। लेकिन हमारे संस्कृत शब्द के आधार पर मानव शब्द के हिज्जे करते हैं तो 'जो' अर्थ निकलता है, वह इस प्रकार है। संस्कृत में 'मा' 'मायने नहीं' और 'नव' इसको संख्या विषयक मान लिया। 'मा' मायने 'नहीं' और 'नव' 'माने' नौ। किसी व्यक्ति के अन्दर नौ प्रकार के अवगुण नहीं हो, उसको मानव कहा जाना चाहिए। तो ये जो नौ अवगुण हैं, वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। श्रीमान्, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में चाहे कितना ही सुधार किया जाए लेकिन जब तक हमारे शिक्षक हमारे बच्चो को मानवता का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक शिक्षा की सही उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे जो शिक्षक हैं, वे अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देने के अनुकूल हों। पहले वे स्वयं सही शिक्षक बनें। अपने शिष्यों को इन नौ अवगुणों में लिप्त न रहने का शिक्षक को उपदेश देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वे इन अवगुणों को अपने में से मिटा दें।

इसके साथ ही, श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे देश में 'सीखो-कमाओ' अभियान चल रहा है। इसका बहुत जगह दुरुपयोग हो रहा है। श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, उदयपुर में विद्या भवन नाम की एक संस्था है। उसमें 'सीखो-कमाओ' योजना के तहत हजारों रुपया लगा हुआ है। वहां पर लुहारी व दूसरे काम की अच्छी मशीनें लगी हुई हैं। वहां पर अच्छी तरह से बच्चों को ट्रेंड किया जाए तो वे अपनी पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं लेकिन अभी तक यह होता आया है कि उन पर ताले पड़े हुए हैं। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि एक राधा

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

स्वामी का मंदिर है। उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है। वहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अनेक प्रकार की चीजें बनाना गृह उद्योग के अन्तर्गत सिखाया जाता है, और फिर बनवाई जाती हैं। उसके साथ ही साथ उन चीजों का मार्केट भी अवेलेबल करवाया जाता है। श्रीमान, किसी चीज को बनाना आसान होता है किन्तु उसकी सेल करना मुश्किल है। तो जो यह राधा स्वामी सम्प्रदाय है, वह एक तरह से बच्चों को ट्रेंड करता है, रोजगार देता है और उनकी आगे पढ़ाई की भी व्यवस्था करता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 'सीखो-कमाओ' योजना के अन्तर्गत जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, वह उपयोगिता को ध्यान में रख कर किया जाए। बराबर काम हो रहा है या नहीं और उसी योजना के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं? जिस प्रकार से, श्रीमन्, कमजोर शरीर के अन्दर अच्छा दिमाग नहीं रह सकता, उसी प्रकार से शहरों के अन्दर अनेक इस प्रकार के विद्यालय हैं, जिनमें बच्चों को भर दिया जाता है, इस तरह से जिस तरह भेड़-बकरियों को भरा जाता है। उन स्कूलों में बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जिन नए स्कूलों का निर्माण हो, उनमें खेल का मैदान भी होना चाहिए ताकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर वे आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मान्यवर सभापति जी, देश की आजादी के बाद शिक्षा की दृष्टि से भी भारतवर्ष ने प्रगति की है। लगातार स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। इस बजट में भी शिक्षा के मद में शिक्षा के विकास के लिए काफी पैसा रखा गया है। हमने शिक्षित नौजवान अवश्य पैदा किए हैं। हम ने तीस साल के नौजवान के जीवन को देखा है। वह शिक्षा के साथ ही देश की सम्पत्ति को आग लगा रहा है। अपने देश की सम्पत्ति को फूंक रहा है। अपने देश की सम्पत्ति को अपने हाथों से लूट कर खा जाना चाहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति से जिस प्रकार व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति देशभक्त बनता है। मैं देखता हूं कि देश की शिक्षा में इस प्रकार की कमी क्यों आई, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति में यह भावना आये कि यह देश हमारा है, हम देश के लिए जियेंगे और देश के लिए मरेंगे। आज जिस दिशा में हम टटोलें उसी दिशा में भ्रष्टाचार है। मेरी धारणा है कि शिक्षा के क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार अपना स्थान बनाये हुये है। एक भ्रष्ट व्यक्ति उदयपुर में लाइब्रेरियन था। वहां उसने गबन और घोटाला किया। वह व्यक्ति कोटा में रहा वहां गाड़ी दुरुस्ती हेतु कारखाने में जिन दिनांकों को रही उन्हीं दिनों में पेट्रोल के बिल 25 हजार के उठाये। उसकी इन्क्वायरी हुई।

श्रीमती नारंगी देवी : पूर्व अनुमति बिना आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री सभापति : No interruption. किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरी समझ में नहीं आता है कि खड़ी हुई गाड़ी में इतना पेट्रोल कैसे खर्च हो गया। यह व्यक्ति महाराजा पुस्तकालय में भी रहा वहां पर 60 हजार रु० की पुस्तकों की खरीद हुई। बाद में जब जांच हुई तो उसमें गबन पाया गया। फिर भी उस व्यक्ति को निकाला नहीं गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका कटौती प्रस्ताव व्यक्ति के चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा उसी के बारे में निवेदन है।

श्री सभापति : Listen to me, please.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 60 हजार की पुस्तकों की खरीद के बारे में जब उसकी वापिस चैकिंग हुई तो कमी पाई गई। लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं निकाला गया। उसको सहायता दी, श्री राम गोटेवाला ने और उसको अन्यत्र नौकरी दी गई। फिर भी उसको नौकरी में रखा गया। उसको रिवर्ट नहीं करके एक वर्ष में उसकी और वरिष्ठ स्थान पर नियुक्ति की गई। ऐसा वह भ्रष्ट व्यक्ति सी. पी. गुप्ता है जो आज भी विधान सभा सचिवालय में पुस्तकालय अधिकारी है। मैं चाहता हूं ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तुरन्त निकाला जावे। शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को निकालने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें।

श्रीमती नारंगी देवी : इस प्रकार के प्रश्न पर स्पीकर की परमिशन से बोला जा सकता है। असेम्बली का प्रश्न हाउस में नहीं आना चाहिए।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बस मैं इतना ही कहूंगा।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री सूर्यनारायण चौधरी।

पाप का प्रकाशन करने से लाभ ही होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। देश में जब से स्वतन्त्रता आई है तब से आज तक निरन्तर यह घोषणा होती रही है कि हमको शिक्षा जगत में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब से स्वतन्त्रता आई तब से मैं विश्वविद्यालय से परिचित हूं। जो उपदेश नेतागण उस समय किया करते थे, वही भाषा आज भी बोली जा रही है। परन्तु हम लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि किस प्रकार से हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया के जो दूसरे देश हैं, वहां पर विद्यार्थी को स्वावलम्बी भावना के साथ विद्या अर्जित करने के अवसर प्राप्त हैं। इस प्रकार के अवसर हमारे देश में नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक भाषा का प्रश्न है, सभी जानते है कि इस देश में डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं जो कि अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन हिन्दी के बारे में ....

श्री किशन सिंह : आपकी भाषा में....

श्री सभापति : No interruption

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप चौंकते क्यों हैं ?

श्री सभापति : आप जारी रखें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन आज तक आप उच्च शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा को नहीं बना पाये हैं । जब तक आप मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनायेंगे तब तक इस देश की प्रगति असंभव है । यह जो जकड़न है, इसका यही कारण है । यही एक चीज है जो कि लाखों और करोड़ों लोगों को शिक्षा और ज्ञान से अलग किये हुए है । भाषा के भुलावे में यह सब कुछ हो रहा है । विपक्ष के माननीय नेता ऐसी जाति से आते हैं जो कि किसान है । आज विश्व विद्यालयों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी अंग्रेजी भाषा भूषा है । जिन लोगों के हाथ में यह शक्ति है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग आगे आएं, जो गरीब हैं और जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं । जहां तक हिन्दी के शब्द भण्डार की बात आती है मैं यह निवेदन करूं कि अंग्रेजी में केवल 26 हजार शब्द हैं जब कि हिन्दी में 2 लाख शब्द हैं । लेकिन हमारे इस अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हिन्दी के 2 लाख शब्द पर्याप्त हैं और अंग्रेजी के 26 हजार शब्द उनके लिए पर्याप्त हैं ।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कौनसा ऐसा देश है दुनियां में जिसने विदेशी भाषा के माध्यम से प्रगति की है ? चीन ने एटम बम बनाया और अब हाइड्रोजन बम बना रहा है । जापान को लीजिए, 1850-60 का किस्सा है, जापान के अन्दर अंग्रेजों ने प्रवेश किया, पश्चिमी सभ्यता ने जापान के किनारे को छुआ । वहां के लोगों ने कुछ लोगों को जापान से यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा । यूरोप से जो जापानी शिक्षा प्राप्त करके आए उन्होंने बताया कि वहां पर यह तरक्की हुई है, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नालोजी के क्षेत्र में और इसको जापान में भी फैलाना चाहते हैं लेकिन केवल अंग्रेजी के माध्यम से, यह उनका कहना था, इसका बड़ा विरोध हुआ जापान में । वहां की सरकार ने इस पर मनन किया, सात-आठ घंटे तक लगातार वहां की डायट में, जो वहां की केबिनेट है, इस पर विचार किया गया । उसके बाद यह तय हुआ कि जो भी ज्ञान दिया जाय वह जापानी भाषा के माध्यम से दिया जाय । अगर कोई समकक्ष शब्द जापानी भाषा में नहीं मिले किसी यंत्र का अथवा और किसी टेक्नालाजी का, जिसको लागू करना चाहते हैं, तो उस शब्द को यूरोप की भाषा में ही ले लिया जाय लेकिन लिपि जापानी होगी । जापान में सारी पढ़ाई जापानी भाषा में हुई, आज भी जापानी में होती है । चीन में चीनी भाषा में सारा काम होता है । रशिया में रशियन लैंग्वेज है । लेकिन यहां पर कुछ सिरफिरे लोगों के दिमाग में अंग्रेजी का ऐसा मोह है जो न शासन चला सकते हैं, न शिक्षा दे सकते हैं, न शिक्षा की प्रगति कर सकते हैं । तो मैं सबसे पहले यह निवेदन करूंगा कि अब तक जो सरकार थी उसमें और अंग्रेजी सरकार में कोई फर्क नहीं था । मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आज खुदा के लिए, भगवान के लिए घोषणा करें, साहस के साथ निर्णय करें कि कुछ भी हो चाहे मेडिकल साइन्स हो, चाहे इन्जिनियरिंग का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, हमारी

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मातृभाषा के अन्दर शिक्षा दी जानी चाहिए व दी जायेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो तीन सौ सालों के अन्दर हिन्दी के शब्दों में कोई सुधार नहीं हुआ, न उनका प्रयोग ही किया गया, सारा काम अंग्रेजी में होता था लेकिन जैसे ही आप घोषणा करेंगे, नये शब्द बनाए जाएंगे हिन्दी भाषा में और उसमें चमक आएगी।

श्री सभापति : आपका भाषण बहुत इन्ट्रेस्टिंग है, लेकिन टाइम बहुत कम है,

श्री सूर्यनारायण चौधरी : टाइम के लिए मुझे मत मारिये।

गांधीजी का जो विचार था वह आज प्रतिपक्ष को भी मान्य है और हमको भी मान्य है। निश्चित मानिये कि इस देश की जकड़न जब तक अंग्रेजी रहेगी, तब तक नहीं मिटेगी। हिन्दुस्तान में एक भी ऐसी कान्स्टीट्यूएन्सी है जहां के लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते है, उनसे वोट मांग सकते है और कामयाब हो सकते हैं? फिर आप सारा काम अंग्रेजी में क्यों करते हैं? जिस जनता से आप वोट लेकर आते हैं उससे आप यहां आकर कट जाते हैं। इसलिए आप अंग्रेजी का मोह हटाकर साहस के साथ निर्णय करिये कि अंग्रेजी का प्रयोग अमुक दिन से नहीं होगा चाहे हमको कालेज और यूनिवर्सिटीज कुछ दिनों के लिए बन्द ही क्यों न करनी पड़ें। आप घोषणा कर दीजिये, साहस के साथ।

दूसरी बात मैं साक्षरता सेवा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, वयस्कों में निरक्षरता दूर करने के लिए। यह मेरे कट मोशन में भी है।

श्री सभापति : आपके कट मोशन है लेकिन हम लोग अभी ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं अधिक से अधिक तीन-चार मिनट और लूंगा।

यह हमको आजादी का तोहफा मिला है। अंग्रेजों के जमाने में इतने लोग निरक्षर नहीं थे। निरक्षर लोगों की संख्या अंग्रेजों के जमाने से आज ज्यादा है, आज के दिन, तीस साल की आजादी के बाद भी जिस रफ्तार से आप निरक्षरता को दूर करने की कल्पना करते हैं, मेरे ख्याल में इसमें सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। इसके लिए हमको एक अभियान चलाना चाहिए। शिक्षा सैनिक बनाने चाहिए। हिन्दी भाषा को लोग समझें, हिन्दी को पढ़ लिख सकें इसके लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके लिए अगर शिक्षा मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं अलग से निवेदन कर दूंगा, अभी समय बहुत कम है, इसलिए अधिक नहीं बोल रहा हूं।

एक मिनट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय, आप घंटी नहीं बजावें।

एक विशेष निवेदन मुझे करना है शिक्षा मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं, लेकिन मेरी बात उन तक पहुंचा दी जाय

श्री सभापति : There is a collective responsibility of the Cabinet मैं अंग्रेजी में बोल गया क्षमा करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जो प्रार्थना स्कूलों में बोलाई जाती है, विरोधी दल के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं मेरे घर के सामने एक स्कूल है, वहां पर बच्चों से यह प्रार्थना बुलाई जाती है 'जिस देश-जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जायें' भावना इसकी बहुत अच्छी है लेकिन जो अबोध बालक है जाति के बारे में क्या समझते हैं, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण ? उसका मस्तिष्क इतना डवलप्ड नहीं है कि 'जाति' शब्द का अर्थ समझकर उसमें मानवता का समावेश कर सके। उनको बचपन से ही जाति पर बलिदान होना सिखाया जायगा तो तो यह ठीक नहीं है। यह एक साधारण सी चीज है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आप जातिवाद खत्म करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ छोटे-छोटे शिशुओं के अन्दर इस प्रकार से जहर फैलाते हैं तो इससे व्यवस्था सुधरेगी नहीं। यह तो आप तुरत-फुरत कर दें, इसमें कोई खर्चे का भी सवाल नहीं है।

दूसरी बात अंग्रेजी से शायद भूतपूर्व सरकार को मोह हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात ......

श्री सभापति : Will you please oblige me ?

माननीय श्री समरथ लाल.

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे इस राज्य के अन्दर जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं उनके अन्दर भारी भेदभाव बरता गया है। मैं इस सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एरिया हैं उनमें दूसरे एरिया के मुकाबले में बहुत कम स्कूल खोले गये हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अभी अभी 400 टीचर्स का हैडमास्टर के पद पर प्रमोशन किया है। सैकन्डरी के हैडमास्टरों का डिपार्टमेन्टल प्रमोशन किया गया है। उन चार सौ हैडमास्टरों में से एक भी अध्यापक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, राजस्थान में जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स शिड्यूल्ड कास्ट्स को संरक्षण दिया हुआ है, जो रिजर्वेशन दिया हुआ है उसके आधार पर शिक्षा विभाग के अन्दर जितनी संख्या के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी, अधिकारी और अध्यापक होने चाहिए, उतने न तो कर्मचारी हैं, न अधिकारी हैं और न अध्यापक हैं। इस सन्दर्भ में माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी कैसे गरीबों की बात करते हैं ? गरीबों की बात करना आसान है। पिछली सरकार भी गरीबों की बात करती थी। वही भाषा यह सरकार सीख रही है, गरीबों की बात तो कहते हैं लेकिन गरीबों का काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : यह नहीं सीखा है।

श्री समरथलाल : मैने उदाहरण दिया है, आप जांच कर लें। जितने विद्यालय खोले गए हैं वे शहरों में अधिक खोले गए, आवश्यकता नहीं थी तब भी खोले गए लेकिन गांवों में नहीं खोले गए।

मेरा दूसरा निवेदन है। अभी शिक्षक दिवस पर शिक्षा मन्त्री ने बहुत जोर से सरकार की नीति बताई थी। वह नीति क्या थी, वह मैं पढ़ कर बताता हूं—

"16 वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मन्त्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि मैं शिक्षक रहा हूँ अतः शिक्षकों के कष्टों से पूरी तरह परिचित हूं। अपने 13 वर्षों के सेवा काल में 11 बार स्थानान्तरित होने का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपने पिछली सरकार की स्थानान्तरण का राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं शिक्षक व शिक्षा मन्त्री होने के नाते शिक्षकों की समस्याओं को हल करने पर कटिबद्ध हूं शिक्षकों पर किए गए अत्याचारों को निश्चित रूप से समाप्त किया जायगा।"

सभापति महोदय, इस समारोह में मुख्य अतिथि थे श्री महबूब अली। श्री महबूब अली ने दृढ़ता के साथ कहा, अध्यापक राजनीति में भाग न लें, मैं इसका विरोधी हूं। ग्राम्य स्तर तक जाने वाला व्यक्ति अगर राजनीति से दूर रहेगा तो फिर ग्रास रूट लेवल तक चेतना कैसे आ सकेगी? अध्यापकों को राजनीति में रचनात्मक कार्यों के द्वारा भाग लेना चाहिए। पिछली सरकार ने शिक्षकों को राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया और स्थानान्तरण इसका आधार रहा। परन्तु जनता सरकार ट्रांसफर की राजनीति को नहीं अपनायेगी। जनता सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

26 जिलों के इस अधिवेशन में करीब 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें बैठकर शिक्षा मन्त्री ने एक प्रस्ताव और पास किया कि स्थानान्तरण हेतु राज्यादेश नहीं होने चाहिये।

सभापति महोदय, कल एक लिस्ट निकली है जिसमें 33 स्थानान्तरण हैं। तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं जिनको उनके जिलों के बाहर भेजा गया है।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आपका कटौती प्रस्ताव है क्या?

श्री समरथलाल : शिक्षा के अन्दर इस प्रकार का भेदभाव, शिक्षा के अन्दर राजनीति, गरीबों की बात कह कर उन्हीं की उपेक्षा करना, शहरों के अन्दर स्कूल खोलना, गांवों के अन्दर नहीं खोलना यह सब क्या है। मैं अपने इलाके का उदाहरण देना चाहता हूं। राजगढ़ एरिया में अनुसूचित जनजाति के लोग 47 प्रतिशत हैं और अनुसूचित जाति के करीब 25 प्रतिशत हैं, इस तरह 70 प्रतिशत लोग इन जातियों के हैं। वहां पर एक मिडिल स्कूल खोला है। प्राइमरी से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया है। उसका प्रस्ताव न तो अलवर के शिक्षा अधिकारी ने दिया था न मैंने ही दिया। जहां के लिए अलवर के शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव दिया वहां स्कूल नहीं खोला गया। यह स्कूल कैसे खुला? यह जिस जगह खुला, जिस गांव में खुला है, वहां केवल 60 परिवार रहते हैं। एक तिवारा है जहां केवल 10 लड़के ही मुश्किल से बैठ सकते हैं, 11 वां नहीं बैठ सकता। उस

(श्री समरथलाल)

स्कूल की छात्र संख्या केवल 50 हैं। अलवर के शिक्षा अधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया था वह नीमला के लिए था। वहां 250 लड़के हैं, 8 अध्यापक काम कर रहे हैं, उस स्कूल के भवन में 25 कमरे हैं।

एक दूसरा प्रस्ताव दिया था सैकण्डरी स्कूल का। वहां 1955 से मिडिल स्कूल है। उसमें करीब 800 लड़के पढ़ते हैं। एक किला है जिसको स्कूल भवन की शक्ल में बदल दिया है गांव के लोगों द्वारा, उसमें करीब 40 कमरे हैं। उस गांव की जन-संख्या करीब 1800 है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा मन्त्री ने जो स्कूल राजस्थान में खोले हैं, वे किस आधार पर खोले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हम कोई सुनिश्चित नीति नहीं अपनायेंगे और इस तरह से शिक्षा प्रसार करते रहेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही गलत होगा। शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी नीति न अपनाये। शिक्षा एक पवित्र कार्य है और वह स्वयं शिक्षक रहे हैं, इसलिए इस विभाग को पवित्र समझ कर इसका संचालन करें।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी।

अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो इस सदन को लाभ नहीं होगा। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो हिन्दी में बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी का संस्कृत में दिया गया भाषण अंश प्रतिवेदित नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : यही मेरी भावना थी।

श्री सभापति : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, संस्कृत की शिक्षा के प्रति पिछली सरकार ने जो घोर उपेक्षा की नीति अपनाई, मैं उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि जहां करोड़ों रुपए हिंदी और अन्य भाषाओं की शिक्षा पर खर्च किये गये, संस्कृत भाषा की शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया गया। संस्कृत शिक्षा के लिए पिछली बार थोड़ा ही प्रावधान किया, साथ में उस प्रावधान के साथ नोट भी लगाया, नया आइटम कुछ भी स्वीकृत नहीं किया गया। इस तरह पिछली बार संस्कृत भाषा के लिए कुछ भी नया आइटम स्वीकृत नहीं हुआ और आज भी वही स्थिति है। आज तक 5,10,000) रु. से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया गया है। जो संस्कृत भाषा देववाणी है, जिसने कवि कालीदास को जन्म दिया है जिसके काव्यों को पढ़कर सारी दुनिया आश्चर्यचकित है, जिसको पढ़ने के बाद सारा विश्व आश्चर्य करता है कि हिंदुस्तान की यह भाषा है जो सारे विश्व की भाषाओं को जन्म देने वाली है, इस संस्कृत भाषा के प्रति पिछली सरकार ने उपेक्षा बरती और उसी के पदचिन्हों पर यह सरकार चल रही है।

मुझे दुःख है कि राजस्थान में केवल मात्र दो संस्कृत कालेज चलते हैं। पिछले 30 वर्षों में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में केवल एक प्रवेशिका परीक्षा विद्यालय है। 10 वर्षों में इन चार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जिलों में एक भी विद्यालय नहीं खोला गया। निदेशक का एक पद विद्यमान है और एक हिंदी निरीक्षक है। इतना विस्तृत राजस्थान है और संस्कृत शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए मात्र एक निदेशक रखा गया है। मैंने ललित किशोरजी से निवेदन किया था लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में संस्कृत भाषा की शिक्षा के लिए अधिक प्रावधान नहीं है। प्रावधान न होने के कारण संस्कृत का प्रचार-प्रसार किस प्रकार होगा, यह प्रश्न है ?

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष जहां राजस्थान में, हजारों की तादाद में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खुलते हैं, वहां संस्कृत का एक भी विद्यालय न खुले, तो यह आश्चर्य का विषय है। हमारे यहां पर अनेक स्कूलों में संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है परन्तु संस्कृत शास्त्री, उपाध्याय, आचार्य स्तर के स्नातक बहुत ही कम निकलते हैं। संस्कृत के जो स्नातक हैं, उनकी संख्या आचार्य तक करीब 46 है। 46 व्यक्ति आचार्य में पढ़ रहे हैं। आगे की हालत और बुरी है। केवल 7 व्यक्ति आगे की संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अनुदान दिया जाता है, स्कालरशिप दी जाती है, उसी प्रकार की स्कालरशिप, या अनुदान संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। गरीब तबके का विद्यार्थी ही संस्कृत पढ़ता है। इतनी कम तादाद में संस्कृत शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं। हिन्दी स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है, वह काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में है। जहां राजस्थान में 18 बी. एड. कालेज चल रहे हैं, 27-28 एस. टी. सी. स्कूल चल रहे हैं.......

श्री सभापति : आपकी आवाज पहुंच गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। संस्कृत पर कोई नहीं बोलेगा।

राजस्थान में केवल मात्र एक बी. एड. समकक्ष कालेज चलता है और एक एस. टी. सी. स्कूल उपाध्याय स्नातक को ट्रेनिंग देने के लिए चलता है। इनकी भी संख्या बहुत कम तादाद में है। मेरी मान्यता है कि हमारे स्कूलों में संस्कृत अध्यापक हो, भली प्रकार से विद्यार्थी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, इस नाते मेरी मान्यता है कि कम से कम पांच एस.टी.सी. स्कूल उपाध्याय स्तर के खोले जाएं और पांच शिक्षा शास्त्री स्तर के बी. एड. के रूप में स्कूल खोलने की व्यवस्था राज्य सरकार करे।

संस्कृत के जो स्नातक हैं, उनके वेतन-मान 1972 से बराबर अवरुद्ध किए जा रहे हैं। गरीब संस्कृत शिक्षकों का वेतन भी अन्य शिक्षकों के बराबर नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी यह कहा है कि संस्कृत शिक्षक के वेतनमान में असमानता दंडनीय अपराध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संस्कृत के अध्यापकों का वेतनमान समान स्तर पर हो। केवल मात्र इससे राज्य सरकार पर बीस हजार का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। मैं समझता हूं हमारे शिक्षा मंत्री जी बीस हजार की रकम इधर-उधर से लाकर इस बजट में रख लेंगे और गरीब संस्कृत शिक्षकों को दे देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : इन लोगों ने हमको गालियां दी हैं....

श्री सभापति : यह गाली देने का समय नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : धन्यवाद तो दे दूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्याप्त हो गया है। आप जैसे समझदार माननीय सदस्य अगर इस तरह से आसन की बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा।

माननीय श्री नरपत राम।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : सभापति जी, मैं धौलपुर क्षेत्र के संबंध में कुछ शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करूंगा। धौलपुर की स्थिति यह है कि यू. पी. का बार्डर उससे 15 किलोमीटर पर है। इसकी लम्बाई चौड़ाई 150 मील और 70 मील है। इस क्षेत्र में आज तक केवल एक ही कालेज है, यह दुर्भाग्य की बात है। पिछली सरकार ने इस एरिया की उपेक्षा की है। आज तक उस कालेज ने पूरे विषय की क्लासेज नहीं खोली है। किन कारणों से वह क्लासेज नहीं खुली हैं? इससे वहां के स्टूडेन्ट में बड़ा भारी रोष है। शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

धौलपुर शहर की आबादी करीब 50 हजार है लेकिन वहां केवल एक सेकण्डरी स्कूल है और वह भी दो शिफ्ट में चलता है। बच्चे परेशान होते हैं और उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आइन्दा साल के लिए कम से कम धौलपुर शहर में एक और सेकण्डरी स्कूल बढ़ाया जाए। पचास हजार की आबादी में एक स्कूल से काम नहीं चल सकता है। यह असंभव सी बात है। शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

अभी कुछ दिन पहले आमेर में एक दुर्घटना हुई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसी ही दुर्घटना धौलपुर के मिडिल स्कूल में हुई लेकिन यह खुशकिस्मती की बात है कि वहां पर बच्चे नहीं थे और वे इस दुर्घटना से बच गये। अगर उस बिल्डिंग की देखभाल नहीं की गई तो उसके गिरने की संभावना है।

मैं यह भी कहता हूं कि हर क्षेत्र के अन्दर एक साथ ही स्कूल, कालेज खुल जाएं, यह संभव नहीं है। लेकिन तीस साल के अन्दर जो वहां पर कालेज बना, उसकी बिल्डिंग में एक भी कमरा ऐसा नहीं है, जैसा कि कालेज का कमरा होना चाहिए। जो स्टेट टाइम की डिस्टलरी थी, उसी डिस्टलरी को कालेज में बदल दिया गया है। उसके कमरे 30×25 फीट के हैं। जो उन कमरों की छतें हैं, वे डिस्टलरी टाइप की है जिससे बच्चों को भली प्रकार सुनाई नहीं देता है। वे पढ़ाते समय थम थम करती हैं। बच्चे भली प्रकार से आवाज को नहीं सुन सकते हैं। शायद उस कालेज की बिल्डिंग को आपके डाइरेक्टर महोदय ने भी देखा होगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा और मेरा यह सुझाव भी है कि जहां पर को-एजूकेशन की क्लासेज चलती हैं, वहां पर कम से

(श्री जगदीशसिंह)

कम वेन्चर टीचर को नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार की एक दुर्घटना धौलपुर में हुई है। आपातकालीन स्थिति के दौरान वहां के कालेज के एक लेक्चरार महोदय का कालेज की एक लड़की से लव हो गया। साथ ही अफसोस की बात तो यह है कि उसने रेप भी किया। लेकिन कांग्रेस शासन के अन्दर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती।

श्री सभापति : मंत्रिमंडल में भी वेन्चलर हैं।

श्री जगदीशसिंह: सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर में हाई स्कूल तक तो एग्रीचल्चर की क्लासेज हैं लेकिन इसके बाद में कालेज में अभी तक एग्रीकल्चर की क्लासेज नहीं खोली गई हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर एग्रीकल्चर कालेज खोला जाय या एग्रीकल्चर की क्लास कालेज में खोली जायं।

आज एक तरफ तो सरकार देहातों के विकास की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यह पता लगता है कि यह सिर्फ घोषणा मात्र ही है। अगर आप देखें तो पता लगेगा कि धौलपुर से 150 मील की दूरी में और आस पास के इलाकों में एक भी लड़कियों का कालेज नहीं है और न ही आसपास में कोई लड़कों का कालेज है। आप यह देखें, सभापति महोदय, आज न वहां पर कोई टेक्निकल कालेज हैं न कोई मेडिकल कालेज है, इसका क्या कारण है? आज आप जितने भी मेडिकल कालेज खोलते है, टेक्निकल कालेज खोलते हैं वह शहरों में खोलते हैं। तो फिर आप किस तरह से गांवों का विकास कर सकेंगे? आज गांवों से बच्चे पढ़ने को शहर में आ नहीं सकते क्योंकि वे गरीब होते हैं। इस तरह गांवों में एक तरफ कालेज नहीं है दूसरी तरफ यह दरार गांवों और शहरों के बीच में बढ़ रही है। तो इस दरार को कम करने के लिए आपको कम से कम वहां कालेज तो खोलने चाहिएं ताकि वहां के लोग शिक्षित हो सकें। मेरा राज्य सरकार के शिक्षा मन्त्री जी से यह आग्रह है कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है इसलिए उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। आज पंजाब के देहातों में आपको कालेज मिलेंगे पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज राजस्थान के देहातों में और खास तौर से हमारे धौलपुर जिले के गांवों में कोई कालेज नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं एक मिनट में।

आज आप देखेंगे, सभापति महोदय, कालेजेज में प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स पार्टी पोलिटिक्स बहुत चलाते हैं। मेरा शिक्षा मन्त्री जी को निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें। आज कालेजेज में खेमे बने हुए हैं जिसमें पार्टी पोलिटिक्स होती है। हर एक लेक्चरर और प्रोफेसर ने दस दस, बीस-बीस लड़के अपनी तरफ कर रखे हैं। वह आपस में लड़कों को लड़ाते रहते हैं जिससे कि बच्चे वहां पढ़ नहीं सकते हैं और पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री जी इसकी ओर विशेष ध्यान दें।

(श्री जगदीशसिंह)

इसके साथ साथ मैं यह भी शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर तहसील, बसेड़ी तहसील और आमेर तहसील में कम से कम एक एक हायर सैकण्डरी स्कूल तो खोला जाना चाहिये। हो सकता है कि किसी कारण से इस साल के बजट में स्कूल वहां नहीं खोले गये हों। आइन्दा के साल में वहां जरूर स्कूल खोले जाने चाहियें। वह एक ऐसा इलाका है जो कि आज तक शिक्षा विभाग की तरफ से उपेक्षित रहा है। अब आइन्दा साल में तो उपेक्षित नहीं होना चाहिये। इस साल चाहे बजट में साधनों की कमी की वजह से या और किन्हीं कारणों से आपने धौलपुर में स्कूल नहीं खोले पर आइन्दा के साल में आप वहां पर निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर कालेज खोलें और आस पास के गांवों में स्कूल खोलें ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई कर सकें।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज धौलपुर में जो कालेज है उसमें न पानी की कोई व्यवस्था है, न होस्टल की व्यवस्था है। इतना ही नहीं वहां लेक्चरारों के पीने के लिये पानी तक की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा मन्त्री से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नाइट क्लासेज चलती है लेकिन बिजली नहीं है। आप कम से कम उसकी तो व्यवस्था करें। आप शहरों में इतनी व्यवस्था करते हैं पर देहातों में आप कुछ नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज भी गांवों का विकास हो नहीं पा रहा है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा, धौलपुर के बच्चों के लिये होस्टल नहीं है जिससे बच्चे वहां नहीं रह सकते हैं। बेचारे बच्चे आने-जाने की तकलीफ के कारण या तो कालेज में पढ़ना बन्द कर देते हैं या फिर साइकलों से गांवों से आते हैं। अतः मेरा शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप वहां पर होस्टल बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करायें।

बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा की डिमान्ड पर बहस चल रही है। शिक्षा की मांग में हमने बहुत ही बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, आजादी के तीस साल बाद भी शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। सभापति महोदय, आप सभी को मालूम है कि हमारे देश भारतवर्ष की 85 प्रतिशत जनता किसान है और वह गांवों में रहती है। आपने शहरों में तो स्कूलों के भवन बहुत ही अच्छे अच्छे बना दिये हैं लेकिन गांवों में स्कूलों के भवनों के निर्माण की कोई कार्यवाही नहीं की है। इसका मतलब यह है कि अब आप सर्वोच्च प्राथमिकता गांवों में शिक्षा प्रचार को दें तथा साथ साथ वहां आप भवन भी बनायें। शिक्षा मन्त्री जी से मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो लोग रहते हैं वह गरीब हैं। हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका तो ऐसा है कि पूरा आदिवासी हरिजन भाइयों से भरा हुआ है। उन लोगों के लिए तो आपको अपनी नीति में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको वहां पर

(श्री नाथूराम)

मिडिल स्कूल खोलने चाहिये, गांवों में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। आपको भवन बनाने की नीति में परिवर्तन करना चाहिये, शिक्षा विभाग के द्वारा भवन निर्माण करना चाहिये। नहीं तो गांवों के लोगों के पास, खास तौर से हमारे बांसवाड़ा जिला में लोगों के पास इतना रुपया नहीं है कि वे स्कूलों के लिए भवन बना सकें।

सभापति महोदय, इसी तरह आपने 580 प्राइमरी और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत किये हैं पर, सभापति महोदय, मैं यह निश्चित और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इन स्कूलों को क्रमोन्नत करने में सरासर पक्षपात हुआ है। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन के लिए सरकार की तरफ से ट्राइबल बोर्ड बना है और ट्राइबल सब-प्लान में लाखों रुपये की स्कूलों के लिए स्वीकृति है। इसके लिए एक कमेटी शिक्षा मन्त्री जी ने बनाई है लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें भारी पक्षपात किया गया है। उस कमेटी में वहां के क्षेत्रीय विधायकों को भी नहीं लिया गया है। इस तरह से इसमें भी भारी पक्षपात हुआ है। ट्राइबल एरिया ऐसा बनाया कि दस किलोमीटर में कोई गांव में 5 हजार की पोपूलेशन है तो वहां मिडिल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल खोली जानी चाहिये पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ट्राइबल सब प्लान में जो नियम बने हुए हैं उसकी भी अवहेलना की गई है। बांसवाड़ा में 50-50 किलोमीटर दूर तक स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया गया। आज गोपीनाथ का गड़ा और शेरगढ़ की 30–40 हजार की पोपूलेशन है लेकिन वहां पर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया है। दूसरी जगह 2-3 किलोमीटर पर ही डड्ढ का स्कूल था, जो मिडिल स्कूल था उसे क्रमोन्नत कर दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गोपीनाथ का गड़ा और शेरगढ़ की जन संख्या 30-40 हजार की है फिर भी वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपने स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया है। इसमें भी आपके द्वारा सरासर पक्षपात हुआ है। इसके लिए एक डेपूटेशन भी वहां से लोगों का आया हुआ है जो कि शिक्षा मन्त्री जी से अपनी मांग मनवाने के लिए यहां पर घूम रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप आदिवासी क्षेत्र का विकास करने की बात कहते हैं वहां इस प्रकार से भयंकर पक्षपात हो रहा है और जनता के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां ट्राइबल कमीशन ने 95 मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने की सिफारिश की थी वहां स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। यह सरासर पक्षपात है। इसकी जांच की जानी चाहिये। ट्राइबल सब प्लान में गोपीनाथ के गड़े में मिडिल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करना चाहिये था वह अब क्रमोन्नत होना चाहिये। आज वहां पर 30-30 लड़के बैठे हुए हैं उनको काफी दिक्कत शिक्षा पाने में हो रही है। वहां पर बीच में एक नदी पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले एक महिला उस नदी में बह गई थी। छोटे-छोटे बच्चों को आप उस नदी को फांदने के लिए कहेंगे तो यह कहां तक उचित होगा? वहां पर कोई सड़क नही है। इसलिए जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, शीघ्रातिशीघ्र गोपीनाथ के गड़े और शेरगढ़

[redacted]

157

(श्री नाथूराम)

में मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाय नहीं तो वहां पर छात्र आठवीं कक्षा पास करके बैठ जायेंगे। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं इसलिए आदिवासी गरीब बच्चे अपने घर के खर्चे पर इतनी दूर पढ़ने जा नहीं सके। सभापति महोदय, 40-40 हजार लोगों की जनसंख्या है। अभी एक मुख्य मंत्री की स्पेशल लिस्ट भी निकली उसमें उसका नाम नहीं है। उसमें 31 स्कूलों का नाम है पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोपीनाथ के गड़े का व शेरगढ़ के स्कूलों को क्रमोन्नत करने का नाम नहीं है। यह तो ट्राइबल सब प्लान का धन है। आपका पैसा इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ देना भी नहीं है। आपको सिर्फ स्कूल खोलने हैं लेकिन वह भी आप नहीं खोल रहे हैं। इसमें भी आप सरासर पक्षपात कर रहे हैं यह कहां तक उचित है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने कट मोशन तक ही सीमित रहें। आपके कट मोशन में तो यह नहीं है।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैंने कुल सात कट मोशन दिये थे। उसमें से सिर्फ तीन कट मोशन ही आये हैं। पता नहीं, क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ ? मैंने कट मोशन परसों ही दे दिये थे।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें.

श्री नाथूराम : इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी शिक्षा विभाग में करीब 400 टीचर्स का प्रमोशन किया गया है लेकिन इसमें किसी भी आदिवासी टीचर का प्रमोशन नहीं किया गया जब कि शिक्षा विभाग में यह तय किया हुआ है कि फिफ्टी परसेन्ट आदिवासी हरिजन लोगों को संरक्षण व प्रमोशन मिलेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री जी इस तरफ खास तौर से ध्यान दें। जो यह पक्षपात हो रहा है वह तुरन्त रोका जाना चाहिये। आज यह क्या स्थिति हो गयी है कि अप्पाइन्टमेन्ट में पक्षपात हो रहा है, प्रमोशन में पक्षपात हो रहा है पर सरकार की तरफ से कोई भी बोलने वाला नहीं है। आज सैकड़ों ही नहीं हजारों की तादाद में भीलों के बी. ए. और एम. ए. पास लड़के बेकार घूम रहे हैं, उनको कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इधर हैड मास्टरों की पोस्ट्स निकलीं। उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में यह व्यवस्था की गयी है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र के लड़के शहरी लड़कों की अपेक्षा कमजोर होते हैं वह कैसे कम्पीट कर सकेंगे ? वैसे भी भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के लिये संविधान में यह प्रावधान कर रखा है कि कोई कानून जनहित में नहीं है तो कानून संशोधन होना चाहिये। तब विभागीय नियम भी बदल सकते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं।

मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से यही निवेदन है कि आप गांवों का विकास करें। खास तौर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर के आसपास जो आदिवासी

(श्री नाथूराम)

लोग हैं वह हमेशा से पिछड़े हुए है। पिछड़े हुए लोगों के लिये अगर यह व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से रही तो मैं समझता हूं कि उन आदिवासी क्षेत्रों की हालत नहीं सुधरेगी।

इसी के साथ मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शिक्षा मन्त्री जी से कुछ ट्रान्सफर्स के लिये कहा था पर उन्होंने मुझे यह कह दिया कि अभी ट्रान्सफर्स पर बैन लगा हुआ है। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे कहने के बाद करीब हजार टीचर्स के ट्रान्सफर्स हुए होंगे। इस प्रकार से ट्रान्सफर्स में पक्षपात शिक्षा मन्त्रीजी द्वारा बरता जा रहा है, नौकरियों में भी पक्षपात बरता जा रहा है।

शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्कूल खोलने में पक्षपात बरत रहे हैं लेकिन आखिर तबादलों में पक्षपात क्यों? शिक्षा विभाग तो एक पवित्र विभाग है। कम से कम शिक्षा विभाग में तो हरिजनों-आदिवासियों को मौका दें। नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अब हरिजन आदिवासी लोग बरदाश्त नहीं करेंगे।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री एच० एन० शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वर चन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : सभापति महोदय, जब माननीय मनोहरसिंहजी मेहता भाषण कर रहे थे तब उन्होंने एक लाइन दोहरायी थी कि एक ओर मदिरा चले तो एक ओर स्कूल, उस समय मैं खड़ा हुआ था जवाब देने के लिए। जब सदन इतना लम्बा चलता है तो कुछ रंगीनियां भी आनी चाहिए लेकिन जब आप आसन पर होते हैं तो लगता है जैसे मिलिट्री अकादमी में खड़ा हूं। सभापति जी, मैं कहने जा रहा था मनोहरसिंहजी मेहता को कि हमारी नीति सरकार की यह है 'शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज न हो' परसराम जी भी रहें और दाऊ जी भी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

शिक्षा नीति के बारे में मेरे चार कट-मोशन हैं। सब से पहले मैं बुनियादी शिक्षा नीति के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। इसके अलावा और भी दूसरे मसले हैं उनके ऊपर भी एक एक मिनट लूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा नीति है उसके ऊपर हमारे शिक्षा मंत्री जी सोचें। जो सामाजिक विषमताओं के अड्डे बने हुए हैं सैंट जेवियर और एम. जी. डी. ऐसे स्कूलों का अन्त्योदय वाले समाज के अन्दर कोई स्थान नहीं है। मुझे इस बात का दुःख है कि हम लोगों की कथनी और करनी में काफी अन्तर है। मुझे और भी ज्यादा दुःख इस बात का है कि हमारे मंत्री चाहे वह केन्द्र के हों या राज्य के हों अपने बच्चों को बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। माननीय सभापति महोदय, पब्लिक स्कूल की संस्थाएं न केवल भेदभाव को लेकर चलती हैं बल्कि ऐसी

(श्री ईश्वर चन्द्र)

पीढ़ी का निर्माण करती हैं, ऐसी पीढ़ी को जन्म देती हैं जो कि अंग्रेजी गिटपिट के सहारे हमारे यहां वर्ग संघर्ष को और बढ़ाती हैं। यह वही पीढ़ी है जिसने पिछले 19 महीनों में कांग्रेस सरकार की पगचम्पी की। यही सेंट जेवियर में पढ़ने वाले लड़के और एम. जी. डी. में पढ़ने वाली लड़कियों और बड़े बड़े लोगों ने इन्दिरा सरकार का साथ दिया। इसलिए यह जो पब्लिक स्कूल हैं जब तक इनके ऊपर चोट नहीं की जायेगी आपकी सारी अन्त्योदय की योजना खोखली रहेगी अधूरी रहेगी। जनता पार्टी के एम. एल. ए. या एम. पी. या मंत्री जब तक अपने जीवन में उस शिक्षा को स्थान नहीं देंगे, जब तक हरिजन, मंत्री का लड़का और मुख्य मंत्री का लड़का एक ही चटाई पर बैठकर शिक्षा नहीं लेगा तब तक आपकी शिक्षा की नीति और बड़ी बड़ी बातें हैं उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक स्कूल ने इन्दिरा जैसी तानाशाह को जन्म दिया है और गांव के स्कूल ने जयप्रकाश को विकसित किया है इसलिए शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो। मैं माननीय मंत्री महोदय को एक शेर के जरिये कहना चाहूंगा :

'अब तो इस तालाब का पानी बदल दो,
अब कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।'

कृपया इस पर सोचिये और विचार कीजिए।

दूसरा मेरा कट मोशन वरिष्ठ अध्यापकों के लिए है। जैसे कुछ लोग जिन्दगी भर एक ही स्थान पर रहते हैं और उनकी तरक्की नहीं होती वैसे ही वरिष्ठ अध्यापक भी जिन्दगी भर वरिष्ठ अध्यापक ही रहते हैं. उनको कोई प्रमोशन का चांस नहीं है। मंत्री महोदय स्वयं शिक्षा के क्षेत्र से आये हैं। इन वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान के ऊपर कई बार विचार हुआ है। राणावत पे कमीशन में भी सवाल आया, बरकतुल्ला साहब ने भी स्वीकार किया था और श्री खेतसिंह जी ने भी मन्जूर किया था लेकिन सारी चीजों के बावजूद वरिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान नहीं बढ़ा। उनकी कोई प्रमोशन का चांस भी नहीं होता, उनको लेक्चरार भी नहीं बनाया जाता और उनका कोई सम्मान भी नहीं होता। मुझे ऐसा बताया गया है कि जो हमारे मौजूदा शिक्षा आयुक्त हैं वह तो वरिष्ठ अध्यापकों के नाम से ही चिढ़ते हैं। जब भी उनका सवाल है तो अपनी कुर्सी से उछल जाता है। पता नहीं उनको कहां चुभन है।

ऊन के डाइरेक्टर को शिक्षा में ले आते हैं, डेयरी विकास वाले को शिक्षा में ले आते हैं। कहीं कोई तालमेल नहीं है। मेहरबानी करके आई. ए. एस. आफिसर्स को शिक्षा से मुक्त कीजिये। जब तक यह आइ. ए. एस. आफिसर्स रहेंगे तब तक न तो वे शिक्षकों की वेदना समझेंगे और न दुःख-दर्द समझेंगे। यदि ऐसा रहता है तो शिक्षक दमघोटू वातावरण में रहेंगे। सभापति, महोदय, इन आई. ए. एस. आफिसर्स के सम्बन्ध में बहुत मसला है मेरे पास लेकिन अभी समय नहीं है।

सभापति महोदय, अभी एक बात और बताऊंगा। जयपुर में एक लाल बहादुर शास्त्री कालेज चलता है। यह तिवाड़ी पन-पाऊ संयंत्र है या क्या है पता नहीं। इमर्जेंसी में यह इन्दिरा जी के गुणगान कर रहे थे और अब बाला साहब देवरस का

(श्री ईश्वर चन्द्र)

सम्मान करते हैं। उसकी कमेटी में भी आ जाते हैं। इससे यह मतलब है कि जो शिक्षा की नीति चलाई जा रही है वह गलत है। इस तरह के अवसरवादी लोगों को कोई प्रश्रय नहीं देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब इन्दिराजी संजय को प्रधान मंत्री बना सकती है तो मैं अपने भतीजे को क्यों नहीं प्रिन्सिपल बना सकता।

इसके अलावा विद्या भवन में भी बहुत बड़े घोटाले हैं। वहां पर एक बी. एस सी. अध्यापक को हैड आफ दी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। लाखों का घोटाला है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य

श्री ईश्वर चन्द्र: एक मिनट।

एक बहुत बड़े कवि और साहित्यकार हैं, श्री नन्द चतुर्वेदी, उसको सीनियर लेक्चरर के पद से अवनत कर दिया गया है। तीन तीन वाइस चांसलर हटाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप 30 आइ.ए.एस. आफिसर्स नहीं हटायेंगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूल खोलने के बारे में रात दिन मेहनत की गयी है। हर प्रकार के नार्म्स देखे गये, इन्सपेक्टर्स और जनता की रिपोर्ट देखी गयी। कहीं किसी को चुभन हो और यह कहें कि इसमें भेदभाव हुआ है तो यह गलत बात है। मैं भी उस प्रकिया से जुड़ा हुआ था इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें पूरा ध्यान रखा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास काफी बोलने के लिए है। आप कृपया घण्टी नहीं बजायें।

श्री सभापति: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट पर सामान्य चर्चा नहीं हो रही है। खास मुद्दों पर बोलें जिन पर आपके कटौती प्रस्ताव हैं और आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते है।

श्री ईश्वर चन्द्र: मैं इसी पर बोल रहा हूं।

मैंने कहा है कि देश में शिक्षा के मामले पर बुनियादी नीति में परिवर्तन कीजिए। तो यह सब बातें बुनियादी नीतियों से जुड़ी हुई हैं।

श्री सभापति: समय बहुत सीमित है अब समाप्त करें।

श्री नारायण जी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान के जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, आज से तीस साल पहले उसको छोटी काशी माना जाता था। काशी और छोटी काशी में कोई भेद नहीं किया जाता था लेकिन शिक्षा जगत के इस केन्द्र रतनगढ़ को गुजरे तीस साल में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट किया गया और कुचल डाला गया। तीस साल पहले वहां पर एक हाई स्कूल था। अब

Page No 161

(161)

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

तक वह स्कूल केवल मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी लेवल तक ही पहुंचा है। आश्चर्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण नगर में, जहां कालेज की मांग गुजरे 15 साल से होती आ रही है, कुछ नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार ऐसे नगर में, जिसे कभी छोटी काशी कहा जाता था, एक डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था करेगी।

100 मील के क्षेत्र में यही एक स्थान था जहां एक आयुर्वेद महाविद्यालय था, लेकिन वहां के उस आयुर्वेद महाविद्यालय को भी समाप्त कर दिया गया। संस्कृत का जो बहुत बड़ा केन्द्र था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। आज वहां से 157 छात्रों को टी. डी. सी. की शिक्षा के लिये 40 मील दूर जाना पड़ता है। उन में से 125 के करीब तो टी. डी. सी. फर्स्ट ईयर के लिये ही जाते हैं। 400 के लगभग छात्र ऐसे हैं जो बाहर पढ़ने के लिये गये हुए हैं। 40 हजार वाली आबादी के इस नगर में शिक्षा को समाप्त करने की योजना भूतपूर्व सरकार ने अपनाई क्योंकि इस नगर ने सदैव कांग्रेस का प्रचण्ड विरोध किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति जी, जब कालेजेज की लिस्ट निकली थी तब वहां के निवासियों को यह कभी भी आशंका नहीं थी कि रतनगढ़ का नाम उसमें नहीं होगा। वह कभी भी ऐसा मानने को तैयार नहीं थे कि उस छोटी काशी को जनता सरकार के समय में भी उपेक्षित रखा जायेगा। शिक्षा शास्त्रियों से जब हम मिले तो हमने यही कहा कि आप कहीं गलती से तो रतनगढ़ का नाम नहीं भूल गये। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, जिस नगर ने सदैव कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और जिसकी वजह से शिक्षा का क्षेत्र नष्ट-भ्रष्ट किया गया, वह नगर जनता सरकार के समय भी उपेक्षित रह जायेगा, ऐसी आशा कभी नहीं थी। मैं सरकार और हमारे शिक्षाविद् शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हम दस लाख का भवन बनाकर देने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इसी सत्र से डिग्री कालेज वहां पर आप स्वीकार करें और ऐसी घोषणा करें।

सभापति जी, एक बात मैं शिक्षा नीति के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। आज जब भारत की सभी भाषाएं प्रगति कर रही हैं, तब राजस्थान के तीन करोड़ निवासियों की भाषा राजस्थानी कहीं भी नहीं है। मातृ भाषा का शिक्षा से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जब तक राजस्थान में शिक्षा को राजस्थानी भाषा से नहीं जोड़ा जायेगा और राजस्थानी भाषा में ही प्रारम्भिक शिक्षा नहीं दी जायेगी, और राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा ...

श्री नवनीत पालीवाल : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हम राजस्थान की कौनसी भाषा मानेंगे ?

श्री सभापति : बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपना भाषण संक्षेप में समाप्त करें।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : जो राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थानी साहित्य

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

को और राजस्थानी भाषा को कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकती है, ऐसी साहित्य अकादमी को भंग कर देना चाहिये और उसकी जगह राजस्थानी साहित्य और भाषा की अकादमी बनानी चाहिये जो राजस्थानी साहित्य को आगे बढ़ाये। उसमें सिंधी, उर्दू और हिन्दी के भाग अलग अलग खोल दिये जायें। मैं आपके मार्फत राजस्थान के साहित्यकारों और शिक्षाविदों से यह कहना चाहता हूं कि जब तक मातृ-भाषा का सम्बन्ध शिक्षा से नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक निश्चित रूप से शिक्षा में प्रगति नहीं हो सकती।

श्री सभापति : माननीय श्री किशन सिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो मुद्दों पर संक्षेप में बात करूंगा।

एक माननीय सदस्य : बहुत संक्षेप में।

श्री किशनसिंह भाटी : बहुत संक्षेप में।

श्री सभापति : Please carry on.

श्री किशनसिंह भाटी : शिक्षा का जहां तक सवाल है, उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं। एक बात कल भी मैंने कही थी और आज भी कहना चाहूंगा, वह यह है कि राजस्थान के विकास की जहां बात है, वहां हर बात में जनसंख्या को ही आधार नहीं मानना होगा। जनसंख्या को ही अगर हमेशा आधार माना गया, तो राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं, और भारत के भी कुछ हिस्से हैं, जो सदा के लिये पिछड़े ही रह जायेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था कि जनसंख्या के आधार पर विकास किया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जनसंख्या के आधार पर अगर कोई विकास किया जाये, चाहे वह विकास सड़कों का ही क्यों न हो, तो जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका पिछड़ा ही रह जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या की कमी कोई प्राकृतिक कमी नहीं है, वह तो मानव निर्मित कमी है, मानव निर्मित कमी के कारण को लेकर अगर आप विकास न करें, तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

मैं एक बहुत ही प्यासे क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र में पानी की प्यास है, उद्योग की प्यास है और शिक्षा की भी प्यास है। उस प्यास को बुझाने के लिये मैं असेम्बली से दरख्वास्त करूंगा, और खासतौर से शिक्षा मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि आप जब जैसलमेर में शिक्षा के विस्तार की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा के विस्तार की बात करें, वहां पर स्कूलों और कालेजों के खोलने की बात करें, उस समय जनसंख्या को ही आधार न मानें। जनसंख्या मानव निर्मित कमी है, उसको आधार मानेंगे तो जैसलमेर का बहुत बड़ा अहित करेंगे। अगर जनसंख्या को ही आप आधार मानते हैं, तो जैसे दूसरी जगहों पर आप परिवार कल्याण की बात करते है वहां आपको जैसलमेर में रूस की तरह ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वीर माता और वीर पिता की उपाधि देनी चाहिये तो वहां पर भी जनसंख्या पूरी आयेगी और आपको

(श्री किशनसिंह भाटी)

भी शिक्षा के विस्तार के लिये आधार मिल जायेगा।

(व्यवधान:)

श्री प्रेमसिंह जी भी जैसलमेर के ही हैं जो अब जाकर कोटा में रह रहे हैं, उनका भी उद्धार हो सकेगा।

तो मैं मेरे कटौती प्रस्ताव पर इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का विषय बहुत ही डेलीकेट विषय है। इसके लिये जनसंख्या को आधार न मानकर पिछड़े हुए इलाकों का विकास किया जाये।

एक कटौती प्रस्ताव मैंने साइन्स फैकल्टी के बारे में रखा है। जैसलमेर में पिछले सात-आठ वर्षों से कालेज है, वह एक सेठ के दान दिये हुए पैसे से चल रहा है, सरकार का कुछ ही पैसा उसमें दिया हुआ है। पिछले आठ वर्षों से साइन्स के विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है वहां कामर्स और आर्ट्स की फैकल्टी तो है, पर साइन्स की कोई फैकल्टी नहीं है। हमारे कालेज के विद्यार्थियों को दो सौ मील दूर साइन्स पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। अगर आप हमारे यहां साइन्स फैकल्टी खोल दें, तो हमारे विद्यार्थियों को साइन्स पढ़ने के लिये दो सौ मील दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसलमेर का जिला 16062 वर्ग मील का है। वहां पर गांव भी दूर दूर फैले हुए हैं वहां पर साइन्स फैकल्टी प्रारम्भ करने से पूरे जिले की दो लाख की पापूलेशन को सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा हमारे यहां पूरे जिले में केवल एक ही कन्या पाठशाला है जो सैकन्डरी स्कूल है। अगर उसको आप इस साल हायर सैकन्डरी में क्रमोन्नत कर दें, तो वहां की जनता भी यह मानेगी कि आप उनके मामलों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। पोकरण की कन्या पाठशाला को क्रमोन्नत इस वर्ष ही किसी प्रकार किया जावे।

सभापति महोदय, मैं थोड़े में एक और बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : थोड़े में कहेंगे तो याद भी रहेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कटौती प्रस्तावों द्वारा बातें कही हैं, उन्हें आप मान लेंगे।

भाषा के बारे में भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था। भाषा के बारे में जो माननीय सदस्य बोलें है उनका मैं समर्थन करता हूं। अपनी भाषा की तरफ ध्यान देना चाहिये। शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है तो मातृ भाषा की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये व सारी कार्यवाही उसी में चलानी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति जी, आपकी मार्फत मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। एक समय था भारत मे देश विदेश के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिये आया करते थे और एक समय आज है जब यहां के लोगों को दूसरे स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना पड़ता है। कारण स्पष्ट है, हमारे यहां की शिक्षा समुचित नहीं है। इसलिये, माननीय सभापति जी, आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर

(श्री हीरालाल आर्य)

आकर्षित करना चाहता हूं कि आप शिक्षा का समुचित विकास करें जिससे अपने देश का समुचित विकास हो सके।

शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास। मुझे दु:ख है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी उन्नति हुई है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनका तो कहना ही क्या लेकिन शिक्षित लोग भी अपनी नौकरियों के लिये, महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आफिसेज के दरवाजे खटखटाया करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो इसके लिये कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। पहला मेरा सुझाव है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पंचायत समितियों से हटाया जाना चाहिये और शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये। दूसरा मेरा सुझाव है कि 10+2+3 की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ सुधार होना चाहिये। यह केवल परम्परागत एवं परीक्षणात्मक है। इससे शिक्षा जगत में कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं है। तीसरा मेरा सुझाव है कि जो उप जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका आफिस जिला हैडक्वार्टर में न होकर उसका जो अधिकारी क्षेत्र है उसमें किसी केन्द्रीय स्थान पर कायम किया जाये ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हो सके।

वरिष्ठ अध्यापकों के साथ वेतनमानों के बारे में बड़ा अन्याय हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों की जब दूसरे कर्मचारियों से तुलना करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वरिष्ठ अध्यापक काफी परिश्रम करते हैं फिर भी दूसरे कर्मचारियों की तुलना में उनका वेतन बहुत कम है। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के बीच का जो अन्तर है वह दूर होना चाहिये। इनकी शैक्षणिक योग्यता समान होती है। वरिष्ठ अध्यापकों को व्यवसायिक योग्यता और बढ़ानी पड़ती है, कार्य भार भी उन पर ज्यादा है लेकिन अफसोस है कि उनका वेतन उनकी तुलना में बहुत कम है। दूसरा 1961 की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। उस वक्त जिन कर्मचारियों का वेतनमान वरिष्ठ अध्यापकों के बराबर था आज उनका वेतनमान वरिष्ठ अध्यापकों से बहुत ज्यादा है जब कि वरिष्ठ अध्यापक बहुत ज्यादा काम करते हैं। मै आपकी मार्फत श्रीमान शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में वे सोचें और उनका वेतनमान बढ़ाने का जितना जल्दी प्रयत्न कर सकें, वह करें। समय-समय पर वरिष्ठ अध्यापकों के जो शिष्ट-मण्डल आते हैं वे आपसे मिलते रहते हैं। शिक्षक बहुत भोला है। वह केवल आश्वासन से चुप हो जाता है लेकिन आश्वासन की भी हद होती है। मैं चाहूंगा कि शिक्षक दूसरे तरीके से आपके सामने अपनी मांगें रखें उससे पूर्व ही आप वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाने पर विचार करें।

श्री सभापति : माननीय श्री ओम-प्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री निर्मल कुमार।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) । माननीय सभापति जी, शिक्षा पर बोलने के लिये यह मुबारक मौका है। हमारे राज्यपाल शिक्षक रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी भी एक शिक्षक रहे हैं। शायद यह पहला मौका है जब कि दोनों पदों पर ऐसे व्यक्ति हैं। राज्यपाल का चांसलर के हिसाब से महत्व-पद है। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री, दोनों पद शिक्षक के हाथों में हैं इसलिये मैं निश्चित तौर पर निवेदन करता सकता हूं कि शिक्षा में प्रगति होनी चाहिये। उसके बावजूद जो बाधायें हैं वे मैं संक्षेप में आपके सामने निवेदन करूंगा।

शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता बल्कि शिकायत करूंगा। मेरे क्षेत्र में बनीपार्क क्षेत्र में एक आदर्श विद्या मन्दिर नाम का स्कूल है। यह शायद पूरे प्रदेश का सर्वोत्तम स्कूल है। इमर्जेन्सी के दौरान कुल स्कूलों का कब्जा सरकार ने ले लिया। वे ऐसे स्कूल है जहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि चरित्र का निर्माण सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। इस तरह के जो स्कूल दूसरे इलाके में थे, प्रदेश के दूसरे भागों में थे, इमर्जेन्सी के दौरान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। उनके फंड को फ्रीज किया है। मेरा निवेदन है कि जो नुकशान उनको हुआ है उसकी पूर्ति की जाये। मेरी शिकायत यह है कि उनकी क्षति-पूर्ति के लिये कोई बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। उनकी क्षतिपूर्ति की जाये नहीं तो शिक्षा की जो मांग 102 करोड़ की है उस मांग को मैं उचित नहीं मानता। 102 करोड़ रुपयों की मांग में उन स्कूलों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई तो रुपये का सदुपयोग नहीं होगा।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में प्राथमिक और संकेण्डरी स्कूलों के डाइरेक्टर अलग हैं, कालेज एजूकेशन के डाइरेक्टर अलग हैं तो फिर शिक्षा विभाग में एज्युकेशन कमिश्नर का क्या काम है। शिक्षा मंत्रीजी विशेषरूप से अपना उत्तर देते वक्त बतायें कि जब प्राइमरी और संकण्डरी और कालेज एजूकेशन के अलग अलग डाइरेक्टर हैं तो एजूकेशन कमिश्नर का क्या काम है? जैसा मैंने निवेदन किया आपातकालीन स्थिति में शिक्षकों को जिन्होंने मजबूर कर दिया कि फैमिली प्लानिंग का आपरेशन कराओ वही लोग आज विभागाध्यक्ष हैं। जो उस वक्त उन स्कूलों को टेक ओवर करने की योजना बना रहे थे क्या जनता सरकार के पास वही लोग हैं? शिक्षाविदों की कमी नहीं हैं। फिर भी शिक्षा मंत्री जी ऐसे आदमियों को अन अवायडेबल मानकर चल रहे हैं। इसलिये मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके शिक्षा को शासन निदेशक से बचायें। राजस्थान की शिक्षा पर रहम कीजिये। राजस्थान के शिक्षा जगत के कृपया उनके चंगुल से बचाइये। यदि मैं उनकी बातों को पूरी तौर से निवेदन करूं तो शायद आप मुझे पूरा समय नहीं देंगे और पूरा समय नहीं देंगे तो न्याय नहीं हो पायेगा। काकस के कारण शिक्षा को काफी नुकसान भुगतना पड़ा है और इसी काकस के कारण अध्यापकों के वेतनमान के झगड़े चलते हैं, पदोन्नतियों के झगड़े चलते हैं, और न मालूम क्या क्या इस काकस के कारण शिक्षा को नुकसान होता है। आप जांच करके देख लीजिये, शिक्षा विभाग में ये वर्षों से जमे हुए हैं।

तीसरी बात भाई ईश्वरचन्द्र जी ने

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कहा, मेडिकल डाइरेक्टर हैं, इन्डस्ट्री डाइरेक्टर हैं और भी न मालूम कितने विभागों के निदेशक हैं। उन्हीं निदेशकों में से शिक्षा विभाग के निदेशक आते हैं और शिक्षा निदेशक कहलाते हैं। कालेज शिक्षा के डाइरेक्टर अलग हैं और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के डाइरेक्टर अलग हैं। मेरा मानना है, शिक्षा जगत में भी डाइरेक्टरों की भीड़ लगी है। सबसे बड़ा दुःख यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आइ. ए. एस. कैडर के हैं। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो इन शासकों की आवश्यकता नहीं है। आप और विभागों में रखते हैं, वह तो ठीक है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस आइ. ए. एस. कैडर के व्यक्ति का क्या काम है? शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ को ही इस पद पर आना चाहिए। भारत के शिक्षा मंत्री श्रीमाली हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के थे, प्रोफेसर चतुर्वेदी हुए हैं शिक्षा मंत्री और रघुकुल तिलक शिक्षा क्षेत्र के राज्यपाल हो गये, तो मेरा सवाल है कि राजस्थान के प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन के डाइरेक्टर क्या शिक्षा क्षेत्र के नहीं हो सकते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग के जो व्यक्ति शिक्षा देते हैं क्या उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो शिक्षा निदेशक का काम संभाल सके। मुझे किसी व्यक्ति के प्रति नहीं कहना है चाहे वह खन्ना साहब हों या कोई अन्य साहब हों। यह पालिसी की बात है इसलिए व्यवस्था यह होनी चाहिये कि शिक्षकों में से शिक्षा विभाग का निदेशक बने।

जब मिस्टर जोन कालेज एजूकेशन के डाइरेक्टर थे, उस समय एक पद्धति थी, जब कभी नये अपाइन्टमेंट्स होते थे तो जोन साहब कहते थे मैं नहीं करता हूं मेरा क्लर्क करता है। जो युनिवर्सिटी में मेक्सिमम मार्क्स ओब्टेन करता था, जो पोजीशन होल्डर होते थे, उनके जितने जितने मार्क्स होते थे उस आधार पर मेरिट के हिसाब से नोटिस बोर्ड पर सूची लगा देते थे। उससे अपाइन्टमेंट्स लेने वालों को तसल्ली होती थी कि हमारा अपाइन्टमेंट इसलिए नहीं हुआ और किसी को कोई शिकायत नहीं रहती थी। लेकिन जोन साहब के बाद इस पद्धति को पसन्द नहीं किया गया और इस उत्तम पद्धति को डिस-कन्टीन्यू कर दिया गया। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नोटिस बोर्ड पर इस तरह की लिस्ट लग जाय कि किन-किन व्यक्तियों ने युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में कितने कितने पर्सेन्टेज के हिसाब से मार्क्स प्राप्त किये हैं ताकि उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं हो। ऐसी कौनसी दिक्कत आ गई थी कि इस पद्धति को डिस्कन्टीन्यू किया गया? इस बढ़िया पद्धति को स्वार्थ के कारण बदल दिया गया।

इसके साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एडमिशन के बारे में काफी आपा-धापी होती है। पहले तो कह देते हैं कि 60 पर्सेन्ट वालों से नीचे को एडमिशन नहीं दिया जायगा। उसके बाद 50 पर्सेन्ट वालों तक को कह देते हैं कि इससे नीचे वालों को नहीं दिया जायगा और केवल उनके ही फार्म्स लिये जाते हैं। लेकिन उसके बाद और नीचे पर्सेन्ट पर उतर आते हैं और कहते हैं कि 45 पर्सेन्ट वालों को भी एडमिशन दे दिया जायगा। इस तरह, मेरा मतलब है, पर्सेन्टेज घटता जाता है। मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं फार्म्स एक साथ

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

ही लिये जाये और जितने पर्सेन्ट मार्क्स वाले लेने हैं उनकी एक लिस्ट, मय मार्क्स के, जो उन्होंने प्राप्त किये हैं, नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाय ताकि एडमिशन लेने वालों को कोई शिकायत भी नहीं रहे, एडमिशन में आपा-धापी भी खत्म हो जाय और किसी को एक्सक्लूड करने का सवाल भी नहीं रहे। कोई भी आदमी जान सकता है कि उसका एडमिशन का नम्बर इसलिये नहीं आया क्योंकि उस लिस्ट में उसका पर्सेन्टेज नीचा था। इससे विद्यार्थियों को काफी सन्तोष होगा और बेकार के जो कालेजों में एडमिशन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उससे भी बच जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, एक बात और कहनी है....

श्री सभापति : एक एक करके तीन तो हो गये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक एक करके तो, सभापति महोदय, हम 200 हो गये।

श्री सभापति : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. कुल 88 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इस वक्त आप 50 वें नम्बर पर बोल रहे हैं। इसलिए समाप्त कर दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, जितनी देर आपके आब्जर्वेशन में लगी, उतनी देर में तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता।

श्री सभापति : You belong to the ruling party.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं रिसर्च के लिए काफी पैसा राजस्थान में खर्च होता है लेकिन रिसर्च का काम राजस्थान के जीवन से संबंधित नहीं होता। जैसे हमारे यहां डेजर्ट एरिया काफी है, उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, खानों में किस प्रकार का खनन का काम हो, किस प्रकार खानों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी प्रकार फारेस्ट को कैसे डवलप किया जा सकता है। मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री एन्श्योर करेंगे, यह रिसर्च वर्क पर काफी पैसा खर्च होता है, यह हमारी लाइफ की नीड्स से ओरियेन्टेड हो। हमारी नीड्स को किस किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, उन बातों की ओर भी उनका ध्यान रहे तो ज्यादा होगा। रिसर्च यों ही नहीं हो जाती है, रिसर्च वर्क में काफी काम करना पड़ता है और काफी खर्च आता है अतः इतना ही निवेदन है कि रिसर्च नीड ओरियेन्टेड हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इतने कम समय में जो कुछ निवेदन कर सकता था, उतना किया। यह अवश्य है कि जो भाई बचे हैं वे भी बोलने वाले हैं और समय काफी हो गया है, आफिसर्स भी जाने लगे हैं लेकिन, मेरे भाई, समय की कमी के कारण मैं कुछ कह नहीं पाया। कुछ चटपटी बातें और दिमाग में थी। फिर कभी समय आयेगा तो निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : The Education Minister will please organise a symposium on Education.

श्री बजरंगलाल शर्मा : Kindly give him a firm direction.

श्री सभापति : We appreciate your suggestion.

श्री चुन्नीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रिड़मलसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पदमसिंह ।

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : सभापति जी, विद्या ददाति विनयं, विनयम् ददाति पात्रताम् । पात्रताम् धनमाप्नोति, धनात् धर्ममं जायते ।

विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता आ जाय तो धन कमाया जाय और धन कमाये तो धर्म पर लगाये । विद्या का यह एक छोटा सा उदाहरण है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने पिछली बार सदन को वायदा किया था कि आप अपने मुखारविन्द से हिन्दी में भाषण देंगे ।

श्री पदमसिंह राठौड़ : जैसा आदेश ।

श्री सभापति : मैं बड़ा आभारी हूं ।

श्री पदमसिंह राठौड़: सभापति महोदय, अनेक बातें संस्कृत भाषा के लिये राजस्थानी भाषा के लिये कह दी गई । मैं आपके सामने ग्रामीण बातों पर निवेदन करना चाहूंगा । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें छोटे छोटे गांव हैं और एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है—विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ और निम्बाहेड़ा का क्षेत्र । ये क्षेत्र इतने पिछड़े हुये हैं कि यहां के लोग वर्षों से कन्धे पर बन्दूक लादे, तीर-कमान गले में डाले, लंगोटी पहनकर अपनी जिन्दगी बिताते हैं । पुराने जमाने में राजस्थान की एक कहावत थी—नह पड़ोस कायर नरां, हेली वास सुहाय । बलिहारी उण देश री, माथा मोल बिकाय ।। जिस धरती पर, जिस राजस्थान में और जिस क्षेत्र में हमारे माथे बिका करते थे देश के लिये, उस स्थान के लिये, उस समाज को आज इतनी उपेक्षा है कि कुछ कह नहीं जा सकता है ।

सभापति महोदय, पहले माननीय सदस्यों ने बता दिया है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को सौंप दी गई है, उसको वापस लेने से काम नहीं चलेगा । प्राथमिक शिक्षा के लिये आपको एक विभाग अलग से कायम करना पड़ेगा । प्राथमिक शिक्षा जीवन की बुनियादी शिक्षा है । जीवन का निर्माण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए अध्यापक भेजे जाते हैं । केवल स्कूल खोल देने और अध्यापक भेज देने से ही काम नहीं चलेगा । ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की समस्याएं

*राजस्थानी भाषा का रूपांतरण ।

(श्री पदमसिंह राठौड़)

हैं, उनकी आजीविका की समस्या है। जिस ग्रामीण के सामने आजीविका की समस्या है वह अपने बच्चों को ढोर चराने भेजता है, पशु चराने को भेजता है, खेत के तोते उड़ाने और बैल बांधने को भेजता है। वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज देता है तो उस की हालत यह होती है कि उसके खेत की निगरानी करने वाला नहीं मिलता। तो, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने सुझाव रखूंगा कि 10 बजे से 4 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल चलाए जाते हैं उस समय को आपको बदलना होगा। गांवों के बच्चे किस समय में और किस तरह से पढ़ सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए आपको एक अध्ययन करना पड़ेगा और उसी हिसाब से अध्यापक लगाने होंगे। ग्रामीण स्कूलों में आप जो अध्यापक भेजते हैं वह शहरी क्षेत्र का होता है। वह गांव से घर भागने की इच्छा रखता है। मेरे से पूर्व अन्य माननीय सदस्यों ने, और भाइयों ने बोला कि जिन गांवों में, जिन पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में आप स्कूल खोलें वहां उसी समाज का, उसी क्षेत्र का अध्यापक लगावें ताकि वह उनके बीच में रह सकें। उनके रहन सहन से वह वाकिफ होता है। आप करते क्या हैं कि स्कूल तो गांव में खोलते हैं और अध्यापक शहर का भेजते हैं, शहर का अध्यापक उनमें घुलता मिलता नहीं है। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए आपको अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा और गांव की शालाओं के समय को बदलना होगा। आप यह नहीं करेंगे तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण उत्थान कभी नहीं होगा और आप की अन्त्योदय योजना में दिया हुआ अनुदान व्यर्थ जाएगा। इसलिए गांव गांव में प्राथमिक शिक्षा शाला होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की बढ़ोतरी के साथ साथ जो गांवों के बच्चे शहर में पढ़ने आते हैं वह या तो पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते और भाग्य से कहीं पढ़ गए, बढ़ गए, कालेज तक बढ़ गए तो कालेज के अन्दर एक रैगिंग की प्रथा होती है, भगवान जाने वह क्या प्रथा होती है लेकिन गांव के आये हुए बच्चे को धक्का मार कर निकाल दिया जाता है। जहां आठवीं, नवमीं, दसवीं तक गांव के बच्चे पढ़ लें उनके लिए आप कम से कम पोलिटेक्निक की व्यवस्था कीजिए। आज मैं यह किताब पढ़ते हुए देखता हूं कि कुल मिला कर पूरे राजस्थान में सात पोलिटेक्निक स्कूल हैं। उनमें सिर्फ 775 विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रवेश ले पाते हैं। आप बेकारी अगर मिटाना चाहते हैं तो यह बड़े बड़े कालेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थायें बन्द करिये। उनको बन्द न कर सकें तो चालू रहने दीजिए मगर अगली बार जो स्कूल खोलें वह ऐसे स्कूल खोलें जिनमें दसवीं करने के बाद टेक्निकल शिक्षा ले सकें, तभी जा कर बेकारी मिटेगी। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था, कापी जांचने के बारे में। नम्बरों के परसेंटेज की बड़ी भारी समस्या है। अगर आप...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

टेक्निकल स्कूल खोल देते हैं तो परसेन्टेज की बात नहीं रहेगी और बच्चे शिक्षा भी पा सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं एक मिनट और लूंगा।

क्षमापूर्वक आपसे मांग करता हूं कि

(श्री पदमसिंह राठौड़)

आप गांवों में और छोटे शहरों में कन्या शिक्षा को बढ़ोतरी दें। इसके बगैर मन्त्री तक कुंआरे रह जाते हैं और कई लोग कुंआरे रह जाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती नहीं। पढ़ लिख कर जो लोग आगे आ जाते हैं वे क्या करते हैं यह आप देख लीजिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कन्या शिक्षा को बढ़ोतरी दीजिए। मैं आपको अपनी ही एक बात बताता हूं, यह मैं अपनी बोली में बताऊंगा। जब मैं विधान सभा में आने लगा, जब विधायक बन गया और विधान सभा में आने लगा तो मैंने मेरी पत्नी को बोला कि अब मैं भी विधायक हो गया हूं चाल विधान सभा ने देख ले। वा बोली के थठे मने ले'षा लूंगड़ी में जावा देगा क नीं। मैं बोल्यो कि जावा देगा। फिर वा बोली कि चेहरा पर घूंघट राखवा देगा की नीं। मैं कयो कि या घूंघटा ने छोड़...

श्री सभापति: यह आप ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं।

श्री पदमसिंह राठौड़: तने घूंघट तो काढ़ेवा देशी पण मने लाज आवेली। तो सवाल यह है कि आज स्त्री शिक्षा की कमी है और सदन में स्त्रियों की कमी है। अगर स्त्री शिक्षा की बुनियाद को उठायेंगे तो इस राजस्थान का भला होगा। अब चूंकि समय की कमी है और मुझे मेरी बोली में नहीं बोलने देते इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रिड़मल सिंह: अभी आपने मेरा नाम बोला था।

श्री सभापति: उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे।

माननीय श्री विजयसिंह नदेरा

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवराजसिंह।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी): माननीय सभापति जी, आज शिक्षा की मांग के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मैं सर्वप्रथम यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से और बहुत साहस के साथ शिक्षा की ओर ध्यान दिया और शिक्षा का स्तर जो राजस्थान में बहुत पिछड़ा हुआ था उसको समझते हुए राजस्थान में काफी शालाओं को क्रमोन्नत किया। काफी नई शालाएं खोली और साथ ही साथ जो क्षेत्र पिछले तीस वर्षों से कांग्रेस शासन में शोषित क्षेत्र थे, दुर्भावना के कारण जिन क्षेत्रों को स्कूलों से वंचित रखा गया था, शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रखा गया था उनकी ओर शिक्षा मंत्री ने खासतौर से ध्यान देते हुए, उस क्षेत्र को अग्रणी मानते हुए ज्यादा तादाद में स्कूल क्रमोन्नत किये और स्कूल नये खोले। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा।

आगे मैंने दो कटौती प्रस्ताव इस मांग के सम्बन्ध में रखे हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी ने यह अभिलाषा जाहिर की है कि शिक्षा का स्तर राजस्थान में ऊंचा हो, काफी तादाद में

(171)

(श्री शिवराज सिंह)

शिक्षा फैले। बाकी जो बाधायें इस क्षेत्र में आती हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज राजस्थान में दो तरह की शिक्षा पद्धति है। दो क्षेत्र बने हुए हैं। एक तो शिक्षा विभाग के माध्यम से चलाई जाती है और दूसरी प्राइमरी शिक्षा पंचायत समितियों के द्वारा चलाई जाती है, उनमें भेदभाव की भावना जागृत है और वह सामने है। जहां शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलाई जाती हैं उनमें अध्यापकों की संख्या कक्षाओं के आधार पर निर्धारित की गई है लेकिन पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो प्राथमिक शालाएं चलाई जा रही हैं उनमें छात्रों की संख्या पर अध्यापक रखने की नीति निर्धारित की गई हैं। अगर चालीस छात्र होंगे तो चालीस छात्रों के ऊपर एक अध्यापक राजस्थान सरकार ने निश्चित कर रखा है। यह बहुत कम है। प्राइमरी शिक्षा में पांचवी कक्षा तक पढ़ाई होती है। एक ही अध्यापक है। एक एक क्लास में चालीस चालीस लड़के हैं। वह पांच कक्षाओं को पढ़ाता है तो औसत बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। यह अमूमन देखा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के अधीन चलाये गये है उनमें यह भेदभाव नजर आता है। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस भेदभाव को समाप्त कर समान बनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में स्कूल चलाए जाते हैं उसी आधार पर प्राइमरी स्कूलों के अन्दर भी व्यवस्था हो। अभी प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में आपने क्रमोन्नत किया है। एक प्राइमरी स्कूल में ढ़ाई सौ छात्र हैं वहां तो आप तीन या चार अध्यापक देंगे और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गांव में ही आठ अध्यापक देंगे। यह एक असमानता की भावना है। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफी फर्क पड़ता है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी एक समस्या सामने आती है अध्यापकों के मामले में कि जो महिला टीचर्स को बाहरी क्षेत्रों में भेजा जाता है उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने भी कहा है कि हम महिला अध्यापिकाओं को प्राथमिकता देंगे। अभी राजस्थान सरकार की तरफ से एक महिला वर्ष का आयोजन किया गया था उसमें जितनी महिला टीचर्स नियुक्त की गई वह पचायत समितियों के क्षेत्र में चलने वाले स्कूलों में नियुक्त की गई। वहां एक समस्या सामने आई। महिलाओं के लिए आने-जाने के साधन की व्यवस्था होनी चाहिए और बाहर गांवों में रखते हैं तो मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादातर प्राइमरी स्कूल छोटे छोटे गांवों में खुले हुए हैं जहां महिलाओं को रहने की सुविधा नहीं होती है। आवागमन के साधन नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि जो लेडी टीचर्स महिला वर्ष के अभियान में रखी गई थीं उनमें से बहुत कम तादाद मे वहां रहीं, बाकी वापस घर लौट कर गई। नतीजा यह रहा कि आज तक उन स्कूलों के अन्दर टीचर्स की बड़ी भारी कमी महसूस की जा रही है। प्राइमरी कक्षाओं में इस तरह से पढ़ाई पर पूरा जोर नहीं लगा और नतीजा खराब रहा।

मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाई कम होती है और बड़े

Page No 172

(172)

(श्री शिवराजसिंह)

की कक्षा में जब विद्यार्थी जाता है तो अमूमन वह फेल होता है।

(7.42 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिन बच्चों के पास कम साधन होते हैं, जो कम पूंजी वाले घर के होते हैं उनको घर पर बैठना पड़ता है। मेरी पंचायत समिति चाकसू से 140 बच्चे हायर संकन्डरी कक्षा में बैठे उन में से 40 लड़के ही पास हुए। नतीजा यह निकला कि पर्सेन्टेज भी कम हुआ और काफी बच्चों को नुकसान हो गया। इस समस्या की ओर भी मैं मंत्री महोदय का, श्रीमन्, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वह यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से शहरों में जो स्कूल चलाए जाते हैं उनमें सुविधाएं पर्याप्त होती हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं, जो स्कूल अभी क्रमोन्नत हुए हैं, उन स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। आज भी गांव वालों को ही स्कूल भवन बनाने पड़ते हैं। पंचायत समिति सहायता देती है। कई पंचायत समितियों ने अपने स्तर पर 'शिक्षा कर' की योजना बनाई है और अपने यहां पर शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया है। फिर भी एक समस्या सामने है। शिक्षा कर की रकम को पंचायत समिति प्राथमिक शालाओं पर व्यय कर सकेगी, इस प्रकार का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। शिक्षा कर हर गांव से वसूल किया जाता है और इस कर पर हर गांव का हक है। उस क्षेत्र में मिडिल स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं वे इससे वंचित रह जाते हैं। इससे भविष्य में दुर्भावना पैदा होगी। जो शिक्षा कर देते हैं तो उन को शिक्षा पाने का हक मिलना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि सैकन्डरी स्कूल में पंचायत समिति खर्च नहीं कर सकेगी। मैं शिक्षा मंत्री जी को यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देकर पंचायत समिति द्वारा जो भी शिक्षा कर की राशि वसूल की जाती है, वह सभी गांवों के लिए हो. सब तरह के स्कूलों को देने की व्यवस्था हो ताकि सभी को लाभ मिल सके।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट।

तीसरी बात, श्रीमन्, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, वह मकानों की व्यवस्था के बारे में है। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि गांवों और शहरों में यह जो भेद किया गया है, इसको मिटाया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि गांवों में जो शालाएं बनती हैं, उनके भवन के लिए राशि गांव वालों से जुटाई जाए। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार की ओर से जो गांव में शालाएं क्रमोन्नत हुई हैं, उनके लिए राशि रखी जाए और वह अनुदान के रूप में दी जाय। स्कूल में जो बैठने की व्यवस्था हो, वह सुचारुरूप से हो। ग्रामीण स्कूलों की तरफ राज्य सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामवासियों को ही सारा पैसा लगाना पड़ता है। इस पर शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें और ग्रामीण शालाएं चाहे मिडिल स्कूल हों, प्राथमिक शाला हो, सैकन्डरी स्कूल हो

(श्री शिवराज सिंह)

उसके भवन बनाने के लिए भी पैसा राज्य सरकार देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाल शंकर।

श्री लाल शंकर (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिला पिछड़ा हुआ है। सरकार ने जो स्कूल वहां पर खोले हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही कुछ स्कूल और खुलने चाहिए थे, स्कूल खोलने में कुछ कमी रही है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहां 90 प्रतिशत आदिवासी गरीब लोग रहते हैं वहां भी राज्य सरकार स्कूल खोलने के संबंध में ध्यान दे। मेरा निवेदन है कि जो विद्यालय, शालाएं वहां पर खोली गई हैं, उससे अधिक खोली जाएं। जो आदिवासी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। शिक्षा में इससे अवरोध होता है। उनकी शिक्षा की फीस भी बढ़ गई है। पाठ्यक्रम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक छोटा छात्र बोझ उठाकर अपने स्कूल नहीं जा सकता है। उसने माता पिता को भी किताबें खरीदने में असुविधा होती है। दूसरे, पाठ्यक्रम में बार बार परिवर्तन होता है। हर साल पाठ्यक्रम पुस्तकों में परिवर्तन रोका जाना चाहिए, वह वास्तविक नहीं है। गरीब लोगों को परेशानी न हो इसके लिये पाठ्यक्रम में भी कमी होनी चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो।

इसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार गांव में शिक्षा दी जाती है आदिवासियों के बच्चों के लिये ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बाद आपके दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े, उनके सामने बेरोजगारी की गम्भीर समस्या न आवे। मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए।

डूंगरपुर जिले में जो सागवाड़ा क्षेत्र है, उसकी तीन लाख की आबादी है। उसके इर्द-गिर्द जो क्षेत्र है वहां पर कोई कालेज नहीं है। जो कालेज में शिक्षा लेना चाहते हैं, कालेज में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं हैं, वे दूर शहर में जाकर मकान किराये पर नहीं ले सकते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वहां पर डिग्री कालेज खोलने की हमने मांग रखी है। आशा है कि जनता पार्टी की सरकार इसमें सहयोग कर अवश्य कालेज खोलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे पिछड़े क्षेत्र का अंधकार दूर होगा।

आज पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो स्कूल चलते हैं, वहां पर बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद वहां बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समितियों के स्कूलों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेना चाहिये।

खेरवाड़ा में अंग्रेजों के जमाने में भील मिलिट्री कोर थी। भारतवर्ष में आन्दोलन के समय भी आदिवासी आगे रहे। महाराणा प्रताप के युद्धकाल में भीलों ने साथ दिया। इसलिए एक सैनिक स्कूल खेरवाड़ा, डूंगरपुर में खोले जाने का मेरा सुझाव है। आदिवासी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे क्षेत्र का विशेष महत्व है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि भील बच्चों

(श्री लाल शंकर)

को मेडिकल, इन्जिनियरिंग कालेजों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। आपने मेडिकल में प्रवेश के लिए मार्क्स का पर्सेन्टेज 40 से बढ़ा कर 50 कर दिया है। यह 40% के बजाय घटाकर 35% कर दिया जाना चाहिए तभी हरिजन, आदिवासी बच्चे आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कानून के अनुसार ही आप उनको प्रवेश देंगे तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि जहां भी स्कूल, कालेज में आदिवासी विद्यार्थियों के आरक्षण का प्रावधान है, उसका पर्सेन्टेज 33 पर्सेन्ट बढ़ाया जाय। इसी प्रकार से नौकरी के अन्दर, प्रमोशन के अन्दर, अध्यापक और हैडमास्टर के लिए आदिवासी के लिए जो आरक्षण है, उसकी पालना नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें। इसका पूरा ध्यान रखा जावे कि उसकी पूरी पालना हो।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने अनुसूचित जन जाति और आदिम जाति के सदस्यों के साथ पक्षपात किया है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान सरकार निष्पक्ष होकर राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की ओर ध्यान दे। राजस्थान विधान सभा में जनजाति के 25 सदस्य हैं। हमारा भी प्रतिनिधित्व मन्त्रि मण्डल में होना चाहिये। अफसोस है, इस समय जनजाति के मंत्री नहीं हैं। न्याय व अनुपात की दृष्टि से तीन मंत्री होना जरूरी है।

शिक्षा के विषय में यह निवेदन करना चाहूंगा कि 400 प्रमोशन अध्यापकों के अभी हुए हैं। उसमें जनजाति को प्रमोशन नहीं दिया गया है। हर डिपार्टमेंट में पक्षपात किया गया जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। जो रिजर्वेशन का कोटा है, उसको पूरा किया जाना चाहिये। कांग्रेस ने इसका पूरा पालन नहीं किया है। राजस्थान सरकार ने प्रेक्टिकल कुछ नहीं किया है। इस ओर जनता सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत पालीवाल।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अन्त्योदय योजना के साथ साथ ज्यादातर गांवों में ज्ञान की रोशनी फैलाई है। अभी बहुत कम समय हुआ है सरकार को सम्भाले हुए। इसलिए आलोचना के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि पिछले 30 वर्ष से जो अब तक होता रहा है, वैसा ही अब जनता सरकार के समय में भी नहीं हो। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा का अर्थ कमरे की दीवारें या बालकों की भीड़ नहीं है। एक कमरे में दीवारें नहीं हों तो कमरा नहीं बन सकता है। शिक्षा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां शिक्षा की बात होती है तो यह मानकर चलते है कि शिक्षक की आत्मा के बारे में सोचना होगा। पिछली सरकार ने शिक्षा और शिक्षकों को अभिन्न नहीं माना। शिक्षकों को गुरु के रूप में नहीं माना। यही कारण है कि शिक्षकों को भी ट्रेड यूनियन की तरह से हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार उनको आत्म-विश्वास दे ताकि वह ज्ञान की रोशनी को अच्छी तरह से फैला सकें। अगर शिक्षकों

(श्री नवनीत पालीवाल)

को सुविधा नहीं देंगे, उनमें आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो शिक्षा को पंचायतों को दिया है, उनके ऊपर छोड़ दिया है, वह उचित नहीं। वहां अध्यापक सरपंच की हाजिरी देते हैं। उन्हें शिक्षा से कोई लगाव नहीं है। यदि सरपंच नाराज है तो शिक्षक का तबादला हो जाता है। शिक्षक को यह भय उनसे रहता है।

दूसरी एक बात यह है कि जो गांव में अध्यापक है वह गांव में ही रहते हैं और जो शहर में हैं वह शहरों में ही रहते हैं। आप इसका स्पष्ट अन्तर देख सकते हैं। 5 वर्ष का एक शहर का लड़का है और एक देहात का, गांव का लड़का है तो दोनों बच्चों में अन्तर स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। आप यह कर सकते हैं कि शहर वाले अध्यापक को गांव में भेज दें और जो गांव के अध्यापक हैं, उनको शहर में भेज दें। गाँव वाले जब शहर में आयेंगे तो उनको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी। गांव का एक बच्चा दसवीं और ग्यारहवीं भी पास कर ले तो भी वह एक शहर के लड़के के समान नहीं बन सकता है। गांव के छोटे छोटे बच्चों को हमने अध्यापकों के हाथों में छोड़ दिया है जो यह नहीं सोच सकते हैं कि वह गांवों में रह कर बच्चों को शिक्षा दें। 30 वर्षों से शिक्षकों के तबादले ही हुए हैं। मर्जी हुई जिसको गांव में भेज दिया। गांव में 100 बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। पिछली सरकार अध्यापकों की इस प्रकार से जन्मपत्री बनाकर गयी है कि जिस दिन से वह नौकरी में लगा है, शहर में है और रिटायर होगा तो शहर में रहेगा। किसी की पहुंच है तो शहर में है नहीं तो किसी गांव में पड़ा है। जिसके पीछे कोई मंत्री नहीं है, कोई नेता नहीं है, वह लावारिश है। उसको किसी इन्टीरियर में कोने में फेंक दिया गया है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षक एक जगह दो या तीन साल से ज्यादा नहीं रहे। शिक्षा पर चिन्तन शहर के अच्छे कमरे में बैठकर सेमिनार कर शिक्षा मंत्री जी के साथ में कर लिया जाय, यह सम्भव नहीं। शिक्षा का विकास गांवों में जाने पर होगा। 80% लोगों के पास जाने पर होगा। इस बारे में वास्तव में सोचना होगा, तब तो ठीक है वरना 30 सालों से जो रूटीन रहा है, हम भी वही करते रहेंगे और शिक्षा में जो कमियां हैं वह दूर नहीं होंगी। इतिहास में 30 वर्ष अधिक नहीं होते हैं लेकिन पिछले तीस साल में एक प्रकार से शिक्षा का सत्यानाश किया गया है। आपने कहा है कि हम स्थानान्तरण कर देते हैं तो उसको फिर बदलते नहीं हैं। ललित जी का आर्डर हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन आज राजनैतिक कारणों से रात दिन ट्रांसफर होते हैं। उनको टी. ए. भी देना पड़ता है और डी. ए. भी देना पड़ता है। परिणाम क्या होता है। शिक्षा का जो परिणाम चाहते हैं, वह नहीं होता है। एक गांव का आठवीं क्लास का बच्चा एक शहर के बच्चे से नीचा हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसका जीवन स्तर ही इस प्रकार का होता है। यह अंतर क्यों है, मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

मैं अनुदान प्राप्त कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान विद्या पीठ, विद्या भवन आदि के

(श्री नवनीत पालीवाल)

नाम से संस्थाएं उदयपुर में चल रही हैं, इन संस्थाओं में अध्यापक का शोषण होता है। वे दुकानदारी हैं। राजस्थान विद्यापीठ के जनार्दन राय नागर कुलपति हैं। इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि सरकार उसको 90% अनुदान देती है। क्या कभी शिक्षा मंत्री महोदय ने इसके बारे में सोचा है कि जिसको 90% अनुदान आप देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क वसूल किया जाता है। अगर कम पडता है तो सोवेनियर निकाली जाती है। बम्बई और कलकत्ता में चैरिटी शो किये जाते हैं। जो राशि अध्यापकों को वेतन भुगतान के रूप में देते हैं, उसमें से केवल 60 या 70% ही दी जाती है। बीच में जब चैक से देने की व्यवस्था हो गई थी तो पहले उनसे निश्चित राशि जमा करा लेते थे फिर चैक देते थे। अगर आप क्रास चैक से करते है तो उनसे घर से पैसे मंगवा कर जमा कराये जाते हैं। वह असल में राजनीतिज्ञों का अड्डा है। उस संस्था में राज्य के अनुदान का दुरुपयोग होता है। उसके द्वारा राजनैतिक लोगों का सम्मान किया जाता है। इस संस्था के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आपकी सीमा में यह आता है तो उस पर इन्क्वायरी बिठाई जाये। मैं बीमार को गोली मारने के पक्ष में नहीं हूं, मैं उसके इलाज के पक्ष हूं। ये संस्थाएं समाज को गति देने में सहायक हैं।

यह जो शुल्क प्रणाली है इसके संबंध में निवेदन है, हम तो प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दे रहे है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में चाहे जो शुल्क लिया जाता है। आप इसकी एक सीमा कर दीजिये। छठी क्लास का शुल्क एक जगह 65 रु. है तो दूसरी जगह पर 75 रु. लिये जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं इसकी रसीदें पेश कर सकता हूं। कहीं तो विकास के नाम पर और कहीं किसी और नाम पर शुल्क लिया जाता है।

इसी प्रकार से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो वायज फण्ड है, यह एक प्रकार से लावारिश फंड है। इस फण्ड का उपयोग इस प्रकार का होना चाहिये कि रचनात्मक लाभ हो। आज लाखों रुपया निष्क्रिय पड़ा है और उसका दुरुपयोग होता है। यह आवश्यक है कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। उसको पुराने भवन की मरम्मत के काम में लिया जा सकता है। पुराने भवन की मरम्मत न होने के कारण अभी आमेर की घटना हो गई थी। इसलिये इस बारे में कुछ किया जाये। अभी तक वह अधिकारियों का चाय-पान का फण्ड रहा है। उसका सही उपयोग हो सके, इसके लिए शिक्षा मंत्री जी निर्देश दें तो अच्छा होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी सरकार की जो प्रणाली थी वह नहीं चल सकी। उसमें जो जो दोष हैं उनका सुधार किस प्रकार हो यह जनता सरकार को सोचना चाहिये।

मैं एक बार पुनः शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी प्रशासनिक सुव्यवस्था लाने के लिये प्रयास करेंगे।

श्री सभापति : श्री हनवन्तसिंह

श्री हनवन्तसिंह (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत तीस सालों में तत्कालीन

(श्री हनवन्तसिंह)

राज्य सरकार ने जान बूझकर क्षेत्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया तथा शिक्षा सुविधा से लोगों को वंचित रखा, उसके कारण राजस्थान में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका तथा समस्त राज्य में अन्धकार ही पनपा। जिस तरह से इस बार जल्दी में कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इससे यह स्पष्ट प्रगट है कि पिछली सरकार के कदम पर ही हमारी जनता सरकार भी जा रहा है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बोजापुर में 1952 से एक मिडिल स्कूल चल रहा है और 1962 से एक गर्ल्स मिडिल स्कूल चल रहा है उसको सैकण्डरी स्कूल बनाने के लिये मैंने अर्ज की थी। वहां पर तीन साल से भवन पूर्णतया निर्मित है और छात्रों की संख्या भी इतनी है कि पूर्णतया सैकण्डरी स्कूल चलाया जा सकता है। पिछली सरकार ने पिछले दिनों ही सैकण्डरी स्कूल बनाने की स्वीकृति दे दी थी तथा किसी प्रकार का कोई न्यायोचित कारण नहीं है जिसके कारण उसको सैकण्डरी स्कूल नहीं बनाया जा सके। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि अगले वर्ष जब आप किसी एक विद्यालय को क्रमोन्नत करें तो बीजापुर का अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो मैं यह मानने के लिए मजबूर होऊंगा कि आपने पक्षपात किया है तथा हमको उदास किया है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अवश्य ही स्कूलों को क्रमोन्नत करके शिक्षा का प्रसार करें। इसके साथ ही जो स्कूल या कालेज चल रहे हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है उसकी तरफ भी अगर खास तौर से ध्यान देंगे तो उचित होगा। मेरे क्षेत्र में फालना कालेज है। उसमें दो साल से साइन्स की क्लासेज बन्द पड़ी हुई हैं। इसका कोई भी औचित्य किसी प्रकार से नहीं है। फिर क्या कारण है कि वे क्लासेज बन्द कर दी गई? कई बार मैं शिक्षा मन्त्रीजी से तथा सरकार से मांग कर चुका हूं कि इसके बारे में पता नहीं क्यों उपेक्षा बरती गई है। हमारे देश को हम शिक्षा के माध्यम से उन्नति करना चाहते हैं तथा साइन्स की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो फिर यह समझ में नहीं आता कि फालना के कालेज में साइन्स फैकल्टी को क्यों बन्द कर दिया गया? वहां पर छात्रों की संख्या बराबर है। मैं शिक्षा-मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की जानकारी दें और मुझको सन्तोष दें।

शिक्षा के अंग के रूप में जो संस्थायें चल रही हैं उनकी व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल नाम की एक संस्था चल रही है जो एक ही व्यक्ति श्री बी. एन. काक के हाथ में चल रही है। उसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। उस परिषद को या तो बन्द कर दिया जाय जिससे सारा बजट शिक्षा के प्रसार में और उन्नति के लिये लगाया जा सके या फिर उनको सुचारु रूप से चलाया जाय तो ठीक रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इन तीन बातों के लिये शिक्षा मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इनकी ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों से ब्यावर क्षेत्र की निकम्मी कांग्रेस सरकार ने उपेक्षा की है । वहां पर आज भी पांच सौ-छः सौ लड़कियां हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल पास करने के बाद आगे पढ़ नहीं सकती । इसका कारण यह है कि वहां पर कोई गर्ल्स कालेज नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष अवश्य ही वहां पर एक गर्ल्स कालेज खोला जाय ।

माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को विदित है कि ब्यावर एक ऐसा शहर है जो अजमेर जिले में सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स देता है । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि टाटगढ़ और लोटियाना के अन्दर जो सैकण्डरी स्कूल है उनमें एग्रीकलचर के सब्जेक्ट के लिए मैंने निवेदन किया था । इस बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह सब्जेक्ट वहां पर जरूर खोला जाय । वहां पर भूतपूर्व सैनिकों की डिमाण्ड रहती है और किसानों की भी मांग है कि सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए ।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गद्य-पद्य संग्रह की ओर, जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्वीकृत किया है । इसमें जो 'राहत की सांस' लेशन है उसको तत्काल हटाया जाय । इसकी एक लाख प्रतियां वितरित की गई हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह किताब तत्काल रद्द करें और इसके जो लेखक और प्रकाशक हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाय । इस पुस्तक के अन्दर आपातकाल की स्थिति, इन्दिरा गांधी की तारीफ और बीस-सूत्री कार्यक्रम का वर्णन किया है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तत्काल इसके लेखक और प्रकाशक, जो मिश्र ब्रदर्स हैं, के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाय । पहले भी राज्य सरकार ने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक निकाली थी जिसमें एक नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को चीन का हिस्सा बताया गया था । उसके कारण स्कूलों में उस नक्शे को फाड़ दिया गया था । मैं निवेदन करता हूं कि एक लाख पुस्तकें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं । उनको तुरन्त वापस लिया जाय और बच्चों को उसका मूल्य दिलाया जाय ।

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने हमारे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं खोला परन्तु आपने थोड़ा सन्तोष दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा । साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि जो डिमाण्ड हमारी स्कूलों के बारे में है वह अगले सत्र में अवश्य पूरी करें । अगले सत्र में हमारे यहां गर्ल्स कालेज अवश्य खोला जाय, इसकी ओर अवश्य ध्यान दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय समय के लिहाज से बोलना पड़ेगा, इसलिए मेहरबानी

(श्री रतनलाल वर्मा)

करके घण्टी नहीं बजायें। मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह जनता पार्टी के मन्त्री महोदयों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सभी लोग जो शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें बालिकायें हिस्सा लेती हैं उनमें कभी भी भाग नहीं लें। इन्हें इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने के लिये संकल्प कर लेना चाहिये और इस संकल्प की निश्चित तौर पर पालना भी इन्हें करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को इस बात के लिये स्पष्ट रूप से यह आदेश दे दें कि कोई भी मन्त्री इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ उनका नाम दिया जाता है, यह कांग्रेसी सरकार की देन है, कांग्रेसी सरकार के मन्त्री लोग हमारे बच्चे बच्चियों को अपने सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर उसी प्रकार नचाते थे जिस तरह कि राजा-महाराजाओं के जमाने में, जागीरदारों के जमाने में रन्डियों को नचाया जाता था। कांग्रेसी मन्त्री लोग समाजवाद का नारा देते थे उनके यह कर्म थे। इन्होंने हमारी बच्चियों को नचाया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जिस कांग्रेस ने समाजवाद का नारा दिया, सभी को बराबर करने का नारा दिया उसने भारी पक्षपात किया शहरों के साथ। और गांवों को हमेशा ही बरबाद किया। आज भी हर क्षेत्र में गांवों के साथ भेदभावपूर्ण नीति बरती जा रही है। कांग्रेस राज में पक्षपात हुआ लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि इतना पक्षपात जनता पार्टी की सरकार में भी होगा। अभी, उपाध्यक्ष महोदय, एस. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिये लड़कों को लिया गया उसमें भी 80-85 प्रतिशत शहरों के लड़के लिये गये और 15 प्रतिशत लड़के गांवों के लिये गये। आज भी यह सौतेला व्यवहार जनता पार्टी की सरकार में बरता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से मेरा निवेदन यह है कि जब राज्य सरकार यह जानती है कि हमारे भारतवर्ष में 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और जब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहती है तो यह होना चाहिये था कि 80 प्रतिशत लड़के गांवों के लिये जाते और 20 प्रतिशत लड़के शहरों के लिये जाते। इसी प्रकार भविष्य में भी टीचर्स अगर लिये जायं। 80 प्रतिशत ग्रामीण लिये जायं और 20 प्रतिशत शहर के लिये जायं। इसी प्रकार सभी पोस्ट्स में पक्षपात बरता जा रहा है। आखिर यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य के शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों का पहले बहुत भारी महत्व होता था लेकिन इस कांग्रेस राज्य में सभी खत्म हो गया। पहले गुरु की पूजा होती थी, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा होती थी लेकिन आज

(श्री रतनलाल वर्मा)

गुरु पूर्णिमा तो होती है लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा नहीं होती। आज अध्यापकों की हालत ऐसी है कि वह बच्चों के साथ शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और रंगरेलियां मनाते हैं। अगर बच्चे उनका विरोध करते भी हैं तो अध्यापक लोग उनको परेशान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ताजा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पिछले माह 6 तारीख को अजमेर रीजनल कालेज के लड़के और लड़कियों ने यह तय किया कि 15 अगस्त से कोई भी शराब नहीं पियेगा और वहां के प्रोफेसर व लेक्चरार भी शराब पीना बन्द कर देंगे। सभी को यह संकल्प लेना होगा। लेकिन 15 अगस्त को ही वहां पर झण्डा फहराने के लिए जब उस रीजनल कालेज के प्रिन्सिपल आये तो वह नशे में बहुत बुरी तरह से धुत थे। लोगों ने, वहां के स्टाफ ने उन्हें रोका पर वह नहीं माने। उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिये, उस रीजनल कालेज में बाहर से बच्चियां पढ़ने आती हैं कोई पंजाब से तो कोई हरियाना से इन पर इसका क्या असर पड़ा होगा? मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रिन्सिपल ने वहां पर बहुत भारी हंगामा किया और जो बच्चियां थीं उनका अपमान किया। इससे वहां पर दिनांक 16-8-77 से हड़ताल हो गई। आज भी वहां पर लगातार हंगामा हो रहा है। प्रिन्सिपल की हालत यह थी कि वह शराब पी कर लड़कियों के होस्टल में चला जाता था। इससे वह पहले ही परेशान थीं। बार बार विरोध करने पर भी वह नहीं मानते थे। इन्हीं सब कारणों के बाद यह हड़ताल चल रही है। वहां पर लोगों में बहुत भारी रोष है कि किस तरह के नालायक और शराबी अध्यापक लोग हैं। पर हड़ताल के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हालांकि यह रीजनल कालेज केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है फिर भी वह लोग यहां पर डेपूटेशन ले कर आये हैं। आज यहां पर शिक्षा मन्त्री जी मौजूद हैं, हालांकि मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं वह देहली गये हुए हैं। वहां स्थिति खराब हो रही है इसलिए मैं गृह मन्त्रीजी, जो यहां पर मौजूद है, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज रात को ही इस मामले के बारे में टेलीफोन पर दिल्ली से बात करें ताकि इस शराबी, कबाबी और नालायक प्रिन्सिपल के खिलाफ एक्शन सेन्टर गवर्नमेन्ट ले। सभी बच्चों के मन में भारी रोष है। हड़ताल सफलतापूर्वक चल रही है। आप दवे, जो प्रिन्सिपल है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौन है? क्या कह रहे हैं?

श्री रतनलाल वर्मा : यह मिस्टर दवे हैं काई शराबी, कबाबी प्रिन्सिपल, रीजनल कालेज। आप अगर हुक्म दें तो मैं यह पूरी फाइल, जो मेरे पास है, मैं आपको अभी दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर तक तो मैंने यह निवेदन किया है रीजनल कालेज में क्या हो रहा है। अब थोड़ा मैं अपनी बात आपको निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी यह कहते हैं कि हम शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन ही होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री रतनलाल वर्मा)

जापान में बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तब घड़ियां बनाते हैं। स्विटजरलैण्ड में घड़ियां बनाते हैं। जापान में छोटे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो रेडियो बनाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तब वह घड़ियां नहीं बनाते हैं, रेडियो नहीं बनाते हैं बल्कि कागज के फूल और खिलौने बनाते हैं जिनको बाजार में कोई चार पैसे में भी नहीं खरीदता है। वह बच्चे पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत शिक्षा मन्त्री जी से कि आप शिक्षा दें पर उनके साथ में छोटे मोटे उद्योगों की भी शिक्षा आप उन्हें दें। आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिये स्कूल में जिससे कि वह पढ़ाई समाप्त करने के बाद अपना पेट पाल सकें। ऐसा नहीं बनाइये कि पढ़-लिख कर वह पेन्ट-कोट और टाई लगायें, या पढ़-लिख कर वह यह भावना रखें कि हम अध्यापक बनेंगे या बाबू बनेंगे। नौकरशाही की जो आज भावना बच्चों में होती है उसको आप समाप्त कीजिये। सूट, टाई पहनने और मास्टर बनने के ख्वाब उनके मन में मत पनपने दीजिये। आप उन्हें क्लर्क मत बनाइये। आप हर साल जो स्कूल खोलते हैं वह चाहे दो चार साल मत खोलिये पर आप शिक्षा में परिवर्तन कीजिये और स्कूल में उद्योग का प्रशिक्षण दीजिये। आप स्कूल नहीं खोलेंगे तो हमें कोई गम नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की पढ़ाई का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अजमेर जिले में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बी० ए० तक पढ़ाया। उसके बाद उसकी शादी कर दी। उसका मुकलावा भी हो गया। उसके थोड़े दिन बाद दो बच्चे भी हो गये। अब उसके बाप पर पूरे चार व्यक्तियों का खर्चा पड़ गया। अपने लड़के की जब कोई नौकरी नहीं लगी तो बाप ने दुखी होकर उस को घर से बाहर निकाल दिया। वह लड़का बी० ए० पास है पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया यह हालत है आज पढ़े-लिखे लोगों की। मेरा निवेदन है कि आप बुनियादी शिक्षा दें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका मूड देख रहा हूं। सिर्फ दो मिनट में ही समाप्त करता हूं, आप घन्टी मत बजाना।

एक बात मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के नीचे दे दी। उनको यह कहा कि इनके भवन बनाने के लिये आप गांवों में शिक्षा कर लगाओ। वह शिक्षा कर सभी जगह लगाया गया पर उस कांग्रेसी सरकार ने पंचायत समितियों को यह हिदायत दी, आप एक हजार रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं और वह भी प्राइमरी स्कूल के भवन बनाने के लिये। अगर एक हजार से अधिक खर्च आप करते हैं तो आप जयपुर से पूछो, मिनिस्टर साहब से पूछो। हमारे पूछे बगैर कुछ मत करो। तो, पैसे गांव वालों के, गांव वाले करें, गांव के स्कूल के लिये खर्च करें पूछें उनको। यही कारण है, पूछा-पूछी करने से उस कांग्रेस सरकार के अन्याय का घड़ा भर गया और उसके बिस्तरे बंध गये। उस शिक्षा

(श्री रतनलाल वर्मा)

कर से हम गांव में सेकन्डरी, मिडिल स्कूल के भवन क्यों नहीं बना सकते हैं? जनता का पैसा है, जनता के काम लिया जा रहा है। यह क्या बात हुई, सरकार स्कूल का भवन बनाये नहीं, गांव वाले एक हजार से ज्यादा खर्च कर नहीं सकते हैं। हमको गांव वालों पर टैक्स लगाने को मजबूर करते है। पर उस कांग्रेस सरकार ने जनता के बच्चों के लिये पैसे खर्च करने पर रोक लगा दी। तो मेरा यह निवेदन है कि आप आज ही आर्डिनेन्स निकालें और यह आदेश दें कि उस रुपये को स्कूलों के भवन बनाने के लिए बिना सरकार से पूछे; बिना जयपुर से पूछे खर्च कर सकते हैं। यह मेरा खास तौर से निवेदन है कि कांग्रेस सरकार उस काले आदेश को रद्द करें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर अंग्रेजों के जमाने में अपना एक विशेष महत्व रखता था। वह शिक्षा का केन्द्र था। लोग बाहर से वहां पढ़ने आते थे। पर इस कांग्रेस राज्य ने उसको मलियामेट कर दिया, उसे बरबाद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा शिक्षा मंत्री जी से पुरजोर निवेदन है कि अंग्रेजों के जमाने में अजमेर का जो महत्व था उस महत्व को कायम कीजिये। एक आदेश निकाल कर आप अजमेर में यूनिवर्सिटी खोलिये। हम तो आपको कह सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है सिर्फ आपको निवेदन ही कर सकते हैं।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, समय का तकाजा है और घड़ी बहुत तेज चल रही है। मेरे पांच कटौती प्रस्ताव हैं। मैं संक्षेप में नहीं केवल संकेत मात्र से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, इस मांग के जरिये हम लोग शिक्षा विभाग को 102 करोड़ रुपये देने जा रहे हैं। इन 102 करोड़ रुपये का उचित लाभ तभी हो सकेगा जब हमारी जो इन्सपेक्टिंग आथोरिटीज स्कूल और कालेजेज के डिप्टी डाइरेक्टर, डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर्स वगैरह हैं वह जागरूक रहें। यह इन्सपेक्टिंग ऑथोरिटीज पर भी निर्भर करता है कि हमारे विद्यालयों में अध्यापक समय पर जाते हैं और अध्यापन ठीक तरह से करते हैं। मान्यवर, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है, खासतौर से गांवों में जो अध्यापक हैं वह समय पर स्कूलों में नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं, तो भी बहुत देरी से जाते है। कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि वह गैर हाजिर रहते हैं और उनकी हाजिरी भर ली जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1 सितम्बर को मेरे साथ में उप–सचिव, राजस्व थे श्री जे. सी. अग्रवाल और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी श्री मिश्रीलाल दीया थे। मेरे क्षेत्र में एक जस्साखेड़ा गांव आता है। वहां अभी प्राथमिक स्कूल को क्रमोन्नत करके माध्यमिक स्कूल बनाया गया है। मैंने सोचा कि चलो देखें, नया स्कूल बना है उसका क्या हाल है। मैंने देखा कि वहां पर 4 अध्यापक गैरहाजिर थे। जो श्री रतनलाल टांक कार्यवाहक हैड-मास्टर हैं वह छुट्टी लेकर चले गये। आप जानते हैं कि यह नियम है कि कोई हैड-मास्टर अर्जी देता है अवकाश की तो पहले अपने ऊपर के अधिकारियों को इत्तला भेजता है और तब अवकाश पर जाता है। मैंने देखा कि उस प्रार्थना–पत्र का डिस्पेच रजि-

(मेजर श्री फतहसिंह)

स्टर में कहीं कोई इन्दराज नहीं था। खैर! क्लास में हम गये तो वहां श्री बन्नासिंह गैर हाजिर थे बिना छुट्टी के। एक मालाराम मीना नाम का अध्यापक था उसकी हाजिरी भरी थी लेकिन वह हाजिर नहीं था। एक शंकरसिंह नाम के सहायक अध्यापक थे जो कि कार्यवाहक हैडमास्टर का काम कर रहे थे, मैंने उससे कहा कि तुम्हारा अटेंडेन्स रजिस्टर लाओ। तो, देखा कि मालाराम मास्टर की उस तारीख की हाजिरी भरी हुई है। जब रजिस्टर को वह सहायक अध्यापक लाया तो भरी हुई हाजरी पर लाल स्याही से सी. एल. लिखकर लाया। यह उसने मालाराम मास्टर को बचाने के लिए किया। तो, श्रीमान्, यह स्कूलों की हालत है। मैंने इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री जी को दी। उन्होंने हमारे शिक्षा आयुक्त के नाम आदेश प्रसारित किये कि इन अध्यापकों को तत्काल निलम्बित किया जाये। आपने कार्यवाही तो मंत्री महोदय जल्दी की लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बतायें, इस मामले में आगे क्या कार्यवाही हुई? मैंने तो केवल मात्र संकेत दिया है कि 102 करोड़ रुपये का वास्तव में फायदा उठाना है तो इन्सपेक्टिंग ऑथोरिटीज जागरूक होंगी तब तो अध्यापक काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे।

श्रीमान्, मेरिट फार्मूला पर समय समय पर इस सदन में चर्चा होती रही है। बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय भी, मैं इस पर बोला था और आज भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरिट फार्मूला का आविष्कार आपातकाल के दिनों में हुआ था। इससे अध्यापकों को और शिक्षा अधिकारियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनके साथ अन्याय हुआ। यह जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है और जनता से वायदा किया है कि आपातकाल में किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे साधारण नागरिक के साथ हुआ हो, अधिकारी के साथ हुआ हो उस अन्याय को दूर किया जायेगा। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि इस मेरिट फार्मूले के कारण जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको दुरुस्त करें। उसमें निर्णय आपका होना चाहिए, केबिनट का होना चाहिए। वही अधिकारी जो यहां बैठे हैं, जिनका कि श्री बजरंग लाल जी ने संकेत दिया था उन अधिकारियों को सलाह लेकर अन्याय को दूर नहीं करना है। आपको अपना ही विवेक काम में लाना है तभी यह प्रशासन चलेगा। मेरा सुझाव है कि मेरिट फार्मूला से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग बहुत जूनियर होते हुए भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गये हैं उनको नीचे लाकर रखा जाए मानो कि यह मेरिट फार्मूला आया ही नहीं था। इतना कदम आपको इस दिशा में उठाना पड़ेगा। जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है कि इस अन्याय को दूर किया जाये। मैं शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार के क्या निर्णय हैं उससे हमें अवगत करायें।

श्रीमान्, अब एक कटौती प्रस्ताव मेरा है, 29-30 और 31 अगस्त को टाटगढ़ में, जो कि अजमेर जिले में है, प्रधानाध्यापकों की एक कान्फ्रेंस हुई। टाटगढ़ अजमेर जिले के बिलकुल साउथ में है। रूपनगढ़ के हैडमास्टर वगैरह को भी 80-90 मील चलकर वहां पहुंचना पड़ा था। कितने हैडमास्टर पहुंचे होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्या [illegible]

184

(मेजर श्री फतहसिंह)

कह सकता। हो सकता है 150 200 हैड-मास्टर हों। सब वहाँ पहुंचे थे। अनुमान लगायें कि उनको कितना टी. ए. और डी. ए. देना पड़ा होगा। गम्भीरता से आप सोचिये। यह भी देखिये कि कान्फ्रेंस का प्रोग्राम क्या था। 29 तारीख को कोई मिनिस्टर उद्घाटन करें। या तो शिक्षा मंत्री करें या फिर मुख्य मंत्री करें। मेरे पास लोग आये और कहने लगे कि मैं शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री जी को इसके लिये निवेदन करूं कि वह टाटगढ़ में इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन करें। समापन के लिए 31 तारीख को शिक्षा मंत्री जी आये। मैंने कहा कि तुम्हारा सुझाव इतना एब्सर्ड है। हमारी जनता पार्टी के शासन में मिनिस्टर उद्घाटन, भाषण और चाटन के समारोह में नहीं जायेंगे। यह मैंने कहा था। एक दिन टाटगढ़ में और दूसरे दिन ददालिया महादेव, सेंदड़ापाटे के लिए गदारिया बांध देखने गये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को एक एक पाई की किफायत करनी है और देखना है कि कहां तक इन कान्फ्रेंसेज का औचित्य है। फिर यह कान्फ्रेंस अजमेर में क्यों नहीं हुई जोकि केन्द्र में पड़ता है? इतना टी. ए., डी. ए. तो नहीं देना पड़ता। इस पर भी आप गम्भीरता से विचार करें।

श्रीमान, मेरा एक कटौती प्रस्ताव इस बात का है, जनता ने मांग की है कि ग्राम कुंआथल, दवेर, कूकड़ा एवं कालादेह में माध्यमिक विद्यालय एवं बस्सी में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायें। सरकार की जो आर्थिक सीमायें हैं उनको मैं समझता हूं। श्रीमन्, दवेर एक स्थान है जहां आप कभी जायेंगे बस के जरिये या अपनी मोटर के जरिये तो मालूम होगा कि बहुत बड़ा गांव है। लाबोड़ी से 15 मील चल कर बच्चों को दवेर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। वहां पुलिस स्टेशन है और मिडिल स्कूल भी पहले से चल रहा है। करीब 100 वर्ष पहले वहां प्राइमरी स्कूल खुला था अंग्रेजों के जमाने में 1872 में और 1958 में जब मैं उस क्षेत्र का इस विधान सभा में प्रतिनिधित्व करता था तब मिडिल स्कूल बना था। अब तो कृपा करके उसको माध्यमिक विद्यालय बना दें। कुआथल वाले यदि देवगढ़ आयें तब जाकर उनको माध्यमिक विद्यालय मिलता है। वहां बड़ी सुन्दर इमारतें हैं और कूकड़ा में भी हैं, इस बारे में आप गम्भीरता से विचार करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। भीम क्षेत्र में लड़कियों का माध्यमिक विद्यालय केवल देवगढ़ में है। भीम सब-डिविजनल हेडक्वार्टर है और वहां कई अधिकारी रहते हैं। वहां पर बालिकाओं का माध्यमिक विद्यालय नहीं है। वहां पर भवन पर्याप्त है इसलिए कृपा करके इस जमाने में जब कि आप महिलाओं को और पुरुषों को समान अवसर देना चाहते हैं इस भीम के बालिका विद्यालय को भी माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार करें। मैं जानता हूं कि आपका हाथ घंटी की तरफ जाने वाला है।

भीम में पांच वर्षों से कामर्स, वाणिज्य विषय खोलने के लिए जनता की मांग होती रही है। उन्होंने पांच हजार रुपये इकट्ठे करके विद्यालय के फण्ड में जमा कर रखे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र वहां पर वाणिज्य विषय खोला जाये, यह जनता की मांग है।

(मेजर श्री फतहसिंह)

कटौती प्रस्ताव से बाहर जाते हुए मैं कहूंगा कि देवगढ़ में एक डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाये। आपसे वहां का प्रतिनिधि मण्डल मिल गया है। देवगढ़ में डिग्री कालेज खुलवाने की सरकार व्यवस्था करे। देवगढ़ की जनता जो भी खर्चा हो उसको जुटाने के लिए तैयार है। मुझे बताइये, उसकी व्यवस्था कब की जायेगी। मुझे इतना ही कहना है। मुझे समय दिया उस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की जो 102 करोड़ रुपये की मांग राज्य सरकार के द्वारा रखी गई है उसके ऊपर मैंने 16 कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि मुझे उसी हिसाब से बोलने का मौका दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं इतना ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री करतारसिंह : सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, को जिन्होंने इस वर्ष 520 प्राइमरी स्कूल खोले हैं, 400 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया है और 850 हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र में शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन काल के पिछले वर्ष में मेरे क्षेत्र में वहां का कांग्रेस का विधान सभा में प्रतिनिधि न होते हुए भी दो माध्यमिक स्कूल खोले थे और तीन उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमोन्नत करने के आदेश दिये थे। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूलों का आदेश भी दिया था। जिसकी जगह इस वर्ष आपके द्वारा केवल एक सैकण्डरी स्कूल खोला गया है और वह भी उस गांव में खोला गया है जहां 10-12 बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं हैं। और एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं खोला है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी विद्यालय खोलें जाएं तब इस चीज को ध्यान में रखें। आगे से मेरे क्षेत्र की उपेक्षा न करें। इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि जो नई शिक्षण संस्थाएं खुलें उनके बारे में निर्णय शिक्षा अधिकारियों पर ही छोड़ दें तथा निश्चित क्राईटेरिया बना दें। जहां जरूरत हो वहीं खोलें, आप इस प्रपंच में न पड़ें।

इसके साथ ही मेरे दो कटमोशन्स और हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की राज्य सरकार ने घोर उपेक्षा की है। केवल 520 प्राथमिक स्कूल खोलें हैं जब कि 420 मिडिल स्कूल खोलें हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि प्राथमिक शिक्षा की राज्य सरकार ने उपेक्षा की है। जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में नीति स्पष्ट की थी कि सब से ज्यादा तरक्की गांवों में की जाएगी। आज प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में है, उस जनता की तरक्की का बीड़ा जनता सरकार उठा रही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गांवों की कोई नहीं उठाया जा रहा है।

(187)

(श्री करतार सिंह)

मेरा निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दें। इन्टीरियर में जो गांव हैं वहां नये स्कूल खोले जायें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तीसरा मेरा कट मोशन है कि छात्रा शिक्षा की ओर राजस्थान सरकार की हमेशा उपेक्षा रही है। अब वह नहीं चलने वाली है। महिलाओं को बराबर का दर्जा दें। लड़कियों के लिए भी स्कूल, कालेज खोलें ताकि वे भी पढ़ सकें। अजमेर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र है लेकिन आज तक वहां पर लड़कियों के लिए कोई स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। केवल मात्र एक गवर्नमेंट कालेज है जहां भीड़ इतनी है कि आसानी से प्रवेश पाना सम्भव नहीं है। शिक्षा अधिकारी भी इससे परिचित हैं कि विद्यार्थियों को कितनी दिक्कत है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अजमेर में छात्राओं के लिए एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलें।

चौथा मेरा कटमोशन यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर के महत्व को देखते हुये अजमेर में विश्वविद्यालय तुरन्त खोला जाये। अजमेर का अपने आप में महत्व है। इसको देखते हुए अजमेर में अवश्य विश्वविद्यालय खोलना चाहिये।

पांचवा मेरा कट मोशन यह है कि अजमेर में छात्रावास के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में कठिनाई हो रही है। अजमेर में जाकर देखिये उनके ठहरने के लिये कोई साधन नहीं है। ग्रामीण छात्र किताबों व फीस का बोझ उठायें या मकानों का किराया दे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर एक ग्रामीण छात्रावास अवश्य खोलें।

छठा मेरा कटमोशन है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भवनों के अभाव में बालकों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण बच्चों के पढ़ने के लिये पर्याप्त भवन व अध्ययन सामग्री होनी चाहिये तभी वे तरक्की कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन है कि कट मोशन्स पढ़ लें।

श्री करतार सिंह : जो महत्वपूर्ण कट-मोशन है उस पर आ रहा हूं।

ग्रामों में 80 प्रतिशत आबादी है। फिर भी कृषि की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है। कृषि के काम के ज्ञान की आवश्यकता है। मेरा प्रेक्टिकल अनुभव रहा है ग्रामों में बच्चों की इसमें रुचि है। मेरा निवेदन है आप इस ओर ध्यान दें तथा बच्चों को कृषि शिक्षा की ओर प्रेरित करें।

इसके साथ ही अनौपचारिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसको बड़ा महत्व दिया जाना चाहिये। गांवों में मैंने प्रेक्टिकल देखा है कि गांव वासियों की इसमें रुचि है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के 8, वीं 10वीं पढ़े हुए हैं उनको अध्यापक की जगह लगाया जाना चाहिये न कि अध्यापकों को। इसमें एक दो नियम यह बना सकते हैं कि जब तक अध्यापक पांच आदमियों को साक्षर नहीं करेंगे उन्हें इन्क्रीमेंट नहीं मिले और जब तक 3-4 व्यक्तियों को साक्षर नहीं कर दें तब तक स्नातकों को स्नातक उपाधि न दिये।

(श्री करतारसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामों में जो अध्यापक लगाये जाते हैं उनको हाउस अलाउंस नहीं दिया जाता है इसलिये गांवों में वे नहीं जाते हैं। इसको व्यवस्था कीजिये तथा उन्हें भी शहरों के समान हाउस अलाउन्स दीजिये।

इसके साथ ही मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं एक तरह से उनको वापस लेता हूं। मैंने कटमोशनों द्वारा जो सुझाव दिये हैं शिक्षा मंत्री जी, उनकी ओर अवश्य ही ध्यान दें।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो से अधिक दशक में राजस्थान सरकार के द्वारा एक हजार लाख से अधिक राशि शिक्षा पर खर्च कर देने के बावजूद, राजस्थान राज्य के बजट का 22 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होने के बावजूद आज राजस्थान के किसी क्षेत्र में, राजस्थान में कहीं ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति नहीं है, ऐसा गुणवान, विद्वान या युगद्रष्टा व्यक्ति पैदा नहीं किया, जो वेद व्यास, पाणिनि, हेमचन्द्र सूरी को तो जाने दीजिये लेकिन विदेशी राज्य में जिन व्यक्तियों ने शिक्षा पाई, एम. जी. के मेनन, डा. नगेन्द्र सिंह, जगत मेहता, डा. महतसिंह उनके समकक्ष हो। उनकी कोटि के विद्वान भी पैदा करने में राजस्थान सरकार समर्थ नहीं हुई। इन तमाम हालात से यह सिद्ध होता है कि हमारी शिक्षा में दोष है, कोई कमी है, कोई भयंकर गलती है जिसके कारण से हम आज अपने आप यह महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान के 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत सैनिक होने हुए भी केवल एक प्रतिशत से कम राजस्थान के वरिष्ठ आफिसर भारतीय सेना में हैं। राजस्थान की आबादी हिन्दुस्तान की चार प्रतिशत होते हुए भी यहां के वरिष्ठ आई.ए.एस. आफिसर एक पर्सेन्ट या आधा प्रतिशत से भी कम है। इन तमाम का कारण केवल यही है कि राजस्थान की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। केवल यही निष्कर्ष है। आज राजस्थान की प्रतिभा के बावजूद आशंकित है। आज राजस्थान का युवक और विशेषतया पढ़ने वाला विद्यार्थी विद्रोह के कगार पर खड़ा है। केवल अपने आप यह अनुभव कर रहा है कि उसकी प्रतिभा के बावजूद जो उसका भविष्य है, वह उज्जवल नहीं है। आज राजस्थान का बुद्धिजीवी अपने मन में अपने आप यह सोच रहा है कि उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। आज यहां का अनुभवी चिन्तक इस बारे में मौन है कि यहां की शिक्षा प्रणाली उचित है, उसकी क्या उपलब्धि है। जो हालात हैं उनको 25 वर्ष के अन्तराल के झरोखे से देखें तो यह प्रतीत होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई मौलिक दोष है, कोई बुनियादी दोष है व उसको नहीं मिटाया गया है। थोड़े से वर्षों के बाद चाहे बजट कितना ही कर दें, कितने ही स्कूल खोल दें, कितने ही कालेज खोल दें, परन्तु यदि इन बुनियादी खामियों को नहीं मिटाया जाएगा, तो कोई खास उपलब्धि नहीं हो सकेगी। इन तमाम हालात में केवल एक ही दोष है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वह यूनिवर्सिटी या कालेज की शिक्षा हो, उसमें केवल एक ही नजारा सामने है, केवल एक ही हालत सामने है, पिछले 25 वर्षों में विशेषतया यह कहूंगा पिछले 15 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा और विशेषतया गांवों की

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

प्राथमिक शिक्षा केवल राजनेताओं के हाथ में रही, केवल उन व्यक्तियों के हाथ में रही जो पंचायत समितियों पर अधिकार जमाए बैठे थे। उनके हाथ में यह शिक्षा सुपुर्द कर दी। वह यह सोच कर सुपुर्द की गई थी कि ये सही दिशा में निर्देशन देंगे। प्राथमिक शिक्षा का सुचारु रूप से संचालन करेंगे। मगर दुख है, जिन अध्यापक से आशा थी कि वह बच्चों का शिक्षण करेंगे, वे चुनावों में पत्थर फेंकने वाले हो गए, जो राजनेता है, उनकी कमाई के साधन बन गये और बच्चों की शिक्षा में बाधक बन गए। प्राय: उन्होंने ट्रेक्टर ले लिया। वर्षा ऋतु में वे अपने घर पर रह कर खेती करवाते रहे हैं, जब मौका मिला, प्रधान और अन्य नेताओं का आश्रय ले लिया। इस प्रकार शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज यह स्पष्टरूप से साफ है कि गांव में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, प्राथमिक शालाओं में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, आज शहरों में जिनका शिक्षण हुआ, उनकी तुलना में, 80 प्रतिशत आबादी राजस्थान के गांवों में होते हुए भी, सैनिक स्कूल में नहीं जाता है। कम्पीटीशन चाहे सामान्य नौकरी का हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो, राजस्थान के गांव से आने वाला विद्यार्थी आज 80 प्रतिशत मात्रा में कम्पिटीशन में नहीं ठहरता है। कारण, तुलनात्मक दृष्टि से जो शहर में शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में होती है वह ठीक होती है। पंचायत समितियों में दोषपूर्ण वातावरण है। इस कारण गांव वाले पिछड़े हुए हैं। मेरी यह प्रार्थना है···

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। नीति के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। मैं अभी थोड़े समय में ही समाप्त कर दूंगा।

मेरा निवेदन है कि यह प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से हटाई जाकर तुरन्त इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए सही दिशा में, सही रूप में, प्राथमिक शिक्षा प्रचुर मात्रा में सही दिशा दे सके। जिसकी प्राइमरी शिक्षा ठीक होगी अन्त में उसकी उच्च शिक्षा ठीक होगी। विश्वविद्यालय में जाकर वे सही रूप से, ठीक ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हमारी शिक्षा का वातावरण है, जो अनुदान यूनिवर्सिटीज प्राप्त करती है, उसका सदुपयोग नहीं होगा मैं यह अर्ज कर रहा था कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में आग्रह किया था कि अजमेर में यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए. बीकानेर में खोली जानी चाहिए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, चाहे मुझे कोई प्रतिक्रियावादी कहे पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं व यह निवेदन करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में केवल एक ही विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्व विद्यालय रखा जावे और जो दूसरे दो विश्वविद्यालय है, उनको बन्द कर दिया जावे। वास्तव में यही सही स्वरूप होगा। दूसरी यूनिवर्सिटाज के स्थान पर एडवान्स कालेज हों, तमाम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को छात्रवृत्ति मिले तो सही रूप से शिक्षा होगी। आज जो वाइस चांसलर का सड़क पर लाकर अपमान होता है, वह बन्द होगा। दूसरा मेरा यह

(श्री वन्शीलाल सारस्वत)

निवेदन है कि यूनिवर्सिटी एफ्जामिनिंग बोडी हो और कोई रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी न हो।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय हो जिसमें तमाम प्रतिभावान छात्रों को, जो सही रूप से प्रतिभावान राजस्थान के हो सकते है, विद्यार्थी के रूप में, प्रोफेसर के रूप में या अन्य रूप में स्थान प्रतिभा के आधार पर मिले। वह न तो उनको मिला है और न मिल सकता है····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

थोड़ा समय और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल चुके हैं। आपका प्रस्ताव नहीं था। आप जल्दी समाप्त कर। आपने तो यह जनरल निवेदन कर दिया है।

श्री वंशीलाल सारस्वत : मैं थोड़ा जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यू जी. सी. से जो अनुदान मिला है यहां के शिक्षक छात्रों के शिक्षण के लिए, जो रकम मिली थी प्रशिक्षण के लिए, स्कालरशिप के लिए, उसमें जो शिक्षक विद्यार्थी लिए गए, वे राजस्थान से नहीं लिए गए। डा० मिश्रा ने भर्ती की यू पी. कालेज के अध्यापकों छात्रों की। उन अध्यापक छात्रों को लिया गया, जो उत्तर प्रदेश के कालेज अध्यापक हैं उनको राजस्थान बुलाया गया। राजस्थान के जो शिक्षक हैं, उनके भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए परन्तु उसमें से केवल पांच विद्यार्थी लिए गए। जो यहां पर प्रोफेसर हैं, वे यू. पी. के हैं और वे यहां पर शिक्षण प्राप्त कर यू. पी. को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार 85 प्रतिशत जोधपुर विश्वविद्यालय का स्टाफ बाहर का है। इस प्रकार आज राजस्थान के प्रतिभावान व्यक्ति कुंठित हैं। वे सड़कों पर फिर रहे हैं। मेरा वैसे कोई बाहर वालों से द्वेष नहीं है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की प्रतिभा को यदि सही रूप से काम नहीं मिला, सही रूप से उसको नौकरी नहीं मिली, सेवा नहीं मिली तो यह प्रतिभा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।

तीसरा मैं निवेदन कर रहा था, आन्तरिक परीक्षा प्रणाली यानि स्थानीय परीक्षा की जो यूनिवर्सिटी ने प्रणाली कायम की है, वह गलत है। वहां के स्थानीय प्रोफेसर होते है जो उनकी ट्यूशन करते हैं या जो विद्यार्थी उनकी चापलूसी करते हैं या जो विद्यार्थी याचना करते हैं उनको तो अच्छे नम्बर दे देते हैं और जिन्हें मेरिट पर अंक प्राप्त होने चाहिये, वे नहीं होते हैं। इसलिए यह जो सिस्टम कायम किया गया है वह तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो अकादमी हैं उनको भी सुशोभित कौन लोग कर रहे हैं जो केवल इन्टरमीडियेट पास हैं। जो मेधावी हैं उनको अवसर नहीं दिया जाता है। इस तरह उपेक्षा की प्रवृत्ति चलती रही तो उन्नति नहीं हो सकेगी। 1950 से जो बजट रहा है राजस्थान की शिक्षा का उसमें 22 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है, उसके लिये मैं प्रोफेसर साहब को बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से हम यह विचार कर रहे हैं और सबके सामने एक यही प्रश्न है कि हमारी शिक्षा में क्या आमूल-चूल परिवर्तन हो जिससे हम हमारे देश को आगे ले जा सकें। सारा समाज, सारा देश आज इस बात के लिये चिन्तित है कि जो शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दी जा रही है वह वास्तव में शिक्षा नहीं है। उस शिक्षा को प्राप्त कर न तो व्यक्ति कमाने खाने लायक बनता है और न उसको उचित ज्ञान ही मिलता है। यदि आज किसी बी. ए. पास विद्यार्थी को एक मामूली सा प्रार्थना-पत्र लिखने को कहा जाय तो हम सबको यह जानकारी है कि वह सीधा सा प्रार्थना-पत्र भी नहीं लिख सकता। इसलिये हमारी शिक्षा में हम जो आमूल-चूल परिवर्तन की बात करते हैं उस सन्दर्भ में हम आज सुबह से विचार करने के लिये बैठे हैं। शिक्षा में परिवर्तन के लिये सुझाव मांगे गये तो सुझाव आये कि स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जाय, स्कूलों की बिल्डिंग पुरानी हो गई हैं, उनको ठीक किया जाय, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पानी उपलब्ध किया जाय। 30 साल से जो शासन में धुरन्धर लोग बैठे थे, जिनसे हम यह आशा कर रहे थे कि वे अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा हमें ऐसी कोई बात कहेंगे जिससे हमारे सामने जो चिन्ता का विषय है--आमूल-चूल परिवर्तन की बात है, उसमें निश्चित रूप से हमको कोई मार्गदर्शन होगा। मैं बराबर यह सोच रहा था कि इस प्रकार का सुझाव विपक्ष की ओर से आयेगा लेकिन इस सारे विचार-विमर्श में इस प्रकार का सुझाव तो दूर रहा जो सारी नाराजगी थी शिक्षा मंत्रीजी पर, या जनता पार्टी की सरकार पर उसे कुछ कड़वी मीठी बात कहकर प्रकट करते रहे। किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि यह जो भयंकर समस्या है उसको हल करने के लिए हमारे अनुभव के आधार पर हम यह बहुमूल्य सुझाव देते हैं। ऐसा आचरण नहीं किया इसलिये मेरे मन को कष्ट है। हम आशा करते हैं आप विद्वान है, समझदार हैं इसलिये निश्चित रूप से इस विषय पर कोई गंभीर, कोई योग्य और कोई उपयोगी बातें करेंगे लेकिन आपने बातें कीं उनमें किसी माननीय सदस्य ने तो यह कह कर सन्तोष किया कि आपने बहुत स्कूल खोल दिये, क्या जरूरत थी इतने स्कूल खोलने की, तो किसी नीय दूसरे माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्कूल बहुत कम खोले और आपने जिन कामों की घोषणायें की थीं वह काम नहीं किये। जब इससे भी शांति नहीं मिली तो आयुर्वेद जैसे पवित्र संगठन को गाली निकाल कर सन्तोष किया। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह विचार का विषय था? क्या इससे जो ह देश की शिक्षा पद्धति में सुधार करना चाहते हैं, वह कर सकेंगे? वैसे आप स्वतन्त्र हैं, आप चाहे किसी को भला-बुरा कह सकते हैं लेकिन विचार का विषय यह नहीं है, आज का दिन इसके लिये नहीं है। ज्यादा अच्छा होता आप मार्गदर्शन करते, हमारी शिक्षा पद्धति में कोई ऐसे परिवर्तन का सुझाव देते जो आगे जाकर हमें लाभ पहुंचाता।

आज कई माननीय सदस्यों ने कहा, एयर कन्डीशन्ड स्कूल लगा दिये जायं, अध्यापक एक के बजाय चार कर दिये जायं। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं जो शिक्षा आज चल रही है उससे अमुक उद्देश्य हम प्राप्त

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर सकेंगे ? ऐसा नहीं होगा। इसलिये हमको और विचार करना होगा। मैं समझता हूं कि हमेशा से एक पद्धति रही है। बजट आता है और बजट पेश होता है, शिक्षा का विषय भी आता है, कुछ माननीय सदस्य इधर से बोलते हैं और कुछ माननीय सदस्य उधर से बोलते हैं और शिक्षा पर हमको कितना पैसा खर्च करना चाहिए यह कह कर उसकी इतिश्री समझते हैं। शिक्षा में सुधार करना होता था तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा, जो भी जगतगुरु थे, संसार के लोग उनके पास ज्ञान अर्जन करने आते थे। वे कहां गये, आज भी शिक्षाविद् लोग हैं, शिक्षा में रुचि है, शिक्षा में ज्ञान है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो, मेरे कहने का मतलब है कोई नीति-निर्धारण करनी पड़ती है, कोई मार्ग ढूंढना पड़ता है। मुझे लगता है वह यहां विचार का विषय नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति बनाइये। सुझाव लीजिये उनसे और सुझाव लेकर उन पर अमल कीजिये। फिर शिक्षा में परिवर्तन कीजिये जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो बार मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने संकेत कर दिया है लेकिन एक बात जो इस शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है, उसके बारे में कह कर समाप्त करूंगा।

खेल-कूद की राजस्थान में एक संस्था है। माननीय सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है। आप अपने बजट में से, शिक्षा में से कटौती करके इस संस्था पर करीब 16 लाख रुपया खर्च करते हैं। 16 लाख रुपया जो आप इस संस्था पर खर्च करते हैं, उस पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। आपके अधिकारी जाकर कोई चैक नहीं करते हैं। इस 16 लाख में क्या क्या घोटाले होते हैं उसका किसी को पता तक नहीं चलता है। वैसे तो मेरे पास पत्रावलियां हैं लेकिन कुछ बातों की ही ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप कृपया इस धन के दुरुपयोग को रोकिये, ऐसा मेरा आपसे पुरजोर आग्रह है। एक नमूने के रूप में मैं बात कहूंगा उससे आपको समझ में आएगी कि इस संस्था में किस प्रकार से घोटाले होते हैं। क्रीड़ा-परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष हैं उनके घरों पर दूरभाष दिए हुए हैं। उनका उपयोग किस लिए होना चाहिए ? इस संस्था की प्रगति के लिए होना चाहिये। मैं इन बिलों की रकम आपके सामने रखना चाहता हूं जो बिल्स ताजे हैं। दो बिल्स वाईस प्रेसीडेन्ट के हैं एक 1-1-77 से 31-3-77 तक का है, व दूसरा 1-4-77 से 30-6-77 तक का है। दो टर्म्स हैं, एक टर्म का बिल है 4,639) रुपये का और दूसरा टर्म का बिल है 4662) रुपये का। कोषाध्यक्ष के एक टर्म का बिल है 2154) रुपये का और अंतिम है 5086) रुपये का।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन्स के बारे में आपने पूरी जानकारी दे दी।

श्री परसराम मदेरणा : जब आप जगतगुरु की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप विद्वत्तापूर्वक भाषण देंगे और शायद शिक्षा में परिवर्तन के बारे में

(193)

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ मौलिक बातें प्रस्तुत करेंगे। आपने तो दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातें कहीं। आप टेलीफोन्स को जाने दीजिये, कट मोशन्स पर आइए, लंबा चौड़ा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसने क्या कहा उस पर मत जाइए। जिसमें जितनी समझ होगी उतनी ही बात कहेगा। आप तो अपने कट मोशन्स पर कहें। उस पर तो बोले नहीं। पहले तो बताया कि दूसरे क्या बोले और अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो बात शुरू में कर रहे थे उसके विपरीत बात कर रहे हैं। आप तो शिक्षा मंत्री से कहें कि जो आप शिक्षाविदों की कमेटी बनाने का सुझाव दे रहे हैं वह बनाकर क्या करेंगे वह बात तो आपने अपूर्ण रख दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिसके बारे में मैंने जिक्र किया वह आपके मित्र हैं। कट मोशन 231 में मैंने लिखा है, क्रीडा परिषद द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितता के कारण देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए। खैर यह आपके पास होगा। क्षमा करें। इसमें जो लोग होंगे निश्चित रूप से आपके परिवार के सदस्य होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : क्या कह रहे हैं आप? गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे है, मेरा कोई दोस्त नहीं। टेलीफोन वाली बात कहें, मुझे एतराज नहीं, अगर किसी ने गलती की है...

(व्यवधान)

आन ए पाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन! माननीय सदस्य, जो कुछ बात यहां कर रहे हैं, मैं उसका प्रतिवाद भी नहीं करता। लेकिन अभी उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे दोस्त होंगे या मेरे परिवार के सदस्य होंगे, यह बात निराधार और झूठ है। न तो मुझे उनसे मतलब है. न मेरा कोई दोस्त है। अगर किसी ने गवर्नमेंट टेलीफोन को गलत पर्पज के लिए यूज किया है, तो जांच करें। अगर दोषी है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं इसलिए आपको नहीं टोक रहा था कि आप टेलीफोन की बात मत करें। मैंने कहा, प्रारम्भ में जैसी आपसे भूमिका बांधी, उसके विपरीत एक छोटी सी बात आप भी कर रहे थे। वास्तव में जो आपके कट मोशन्स थे, वे यही थे। आपको क्रीड़ा-परिषद के बारे में पहले ही कुछ कहना चाहिए था। क्रीड़ा परिषद के सम्बन्ध में आपने कहा नहीं, बल्कि दूसरे सदस्यों ने जो सुझाव रखे उन पर आप बोलने लग गए।

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा विलम्ब मत करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो यह जो मैंने जिक्र किया है...

श्री उपाध्यक्ष : जिक्र बहुत हो चुका है। स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, मैं अपना भाषण विशेष लम्बा नहीं करूंगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विरोधी दल के नेता ने जैसा कहा, भले ही इन्कवायरी हो जाय · · ·

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं शिक्षा मंत्री को बताना चाहूंगा कि मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं, आप जांच कराएं। जो गबन है वह सामने आयेंगे, मैं बहुत से प्रमाण आपको दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा ।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्षजी, शिक्षा की मांग में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। यह राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा के मामले में अमीर लोग अच्छे से अच्छा पैसा खर्च करके पढ़ा सकते हैं लेकिन गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिये गांव वाइज स्कूलों का विस्तार होना चाहिए।

मैं थोड़ा सा मेडिकल कालेजों में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्व्ड सीटें रखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी सीटें बढ़ाने के लिए सुझाव दूंगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बहुत ही पिछड़े होते हैं। यदि उनके लिए सीटें रिजर्व्ड नहीं रखी गई तो उनको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा।

दूसरा तबादले के मामले में राज्य सरकार या शिक्षा विभाग द्वारा कोई ऐसी नीति निर्धारित की जाय, तबादले का कोई तरीका हो जिससे टीचर्स के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। राजनीति की बात भी इसमें नहीं आनी चाहिए। तबादले के मामले में जो मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ है उससे भी सुझाव लिए जाने चाहिए। सुझाव इकट्ठे करके एक नीति बनाई जाय कि तबादले किस तरह से हों, किस हालत में हों। नहीं तो तबादलों के संबंध में पक्षपात होता है। कई अध्यापक ऐसे हैं जो 10-10, 11-11 साल से दूर पड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे भी अध्यापक हैं जो अपने घरों के पास ही पढ़ाते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है। जिनकी कोई सिफारिश नहीं है उनके लिए व्यवस्था हो जाय तो अपने आप वे लोग लाभ उठा सकेंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है निजी संस्थाओं के बारे में। इन निजी स्कूलों में अध्यापकों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाती और मिलती है तो जैसा मेरे पूर्व-वक्ताओं ने बताया उसमें कई तरह के घोटाले होते हैं। उनको भुगतान चैक्स के जरिए हो तो वे पूरा फायदा उठा पायेंगे। साथ ही उनको मेडिकल आदि का लाभ भी नहीं मिल पाता। वे अपने बहुत से अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। वे अधिकार उनको दिलाने के लिए नियम बनाने चाहिए।

प्राइवेट स्कूलों में बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं जिनका आगे जाकर विद्यार्थियों पर असर पड़ता है और शिक्षक भी परेशान होते हैं, जैसे विद्याभवन, उदयपुर और शास्त्री कालेज, जयपुर। ये बीमार हालत में हैं, ऐसे कालेजों को शिक्षा विभाग को अपने हाथ में लेना चाहिए। अपने हाथ में लेकर उनको चलायें, नहीं तो धीरे धीरे करके उनकी हालत यह बन जायेगी कि स्कूल और कालेज बन्द होंगे जिसका असर बच्चों पर पड़ेगा और पढ़ाने वाले टीचर्स पर भी असर पड़ेगा। यह भी मेरे सुझाव रखे हैं,

(श्री तुरा)

जिनका मैंने अपने इन कटमोशन्स में जिक्र किया है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

साथ ही स्कूल खोलने के मामले में अभी शिकायतें हुई हैं। शिक्षा के मामले में सभी जगह स्कूल खोलने की मांग है। मधूदा भी ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर कॉमर्स की मांग थी, विजयनगर स्कूल का भी सवाल था। इन सारे सवालों को राजनैतिक ढंग से तय नहीं किया जाकर व्यक्तिगत ढंग से बैठ कर इन पर सोचा जाय और इनको हल किया जाय। पहले कहा जाता था कि स्कूल खोलने में पक्षपात होता था। अगर आज सही मायनों में जहां पर आवश्यकता है और जहां पर स्कूल खुलना चाहिये, वहां आवश्यकता के आधार पर स्कूल खोलने की बात होती है तो यह समझ में आ सकेगा कि इसमें बिना भेदभाव के काम हुआ है। नहीं तो पहले होने वाली बातों में और अब होने वाली बातों में फर्क महसूस नहीं होगा। यह फर्क तो आगे जाकर सामने आएगा और उसी से पता लगेगा। लेकिन अभी हर जगह पर डिमाण्ड है और हमारी डिमाण्ड भी है। मैंने पहले जिन बातों को कहा है उनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं बोलना तो और भी चाहता था लेकिन टाइम काफी हो गया है इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चिरंजीलाल।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ने मजबूत और मोटे हाथों से शिक्षा विभाग को जिस प्रकार सम्भाल रखा है सबसे पहले मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगा। हमारे इस बजट में गरीबों की बात भी की गई है और साथ साथ शिक्षा के प्रसार की बात भी की गई है। लेकिन महंगी किताब रख कर शिक्षा प्राप्त करने से गरीबों को वंचित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पास टेन्डर प्रणाली होते हुए भी बच्चों को महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। इससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 25 प्रतिशत की आमदनी होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि सबमिशन प्रणाली क्यों रख रखी है। इस प्रदेश के अन्दर सबमिशन प्रणाली से किताब चार रुपये में पड़ती है वही टेन्डर प्रणाली के माध्यम से छपवाई जावे तो गरीब बच्चों को पौने दो रुपये में प्राप्त होगी। इसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को किसी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ता है। हम यों तो बराबर गरीबों का नारा लगाते रहें और गरीबों के बारे में विचार न करें, यह ठीक नहीं है। हमारे इस प्रकार के अधिकारी जो इन संस्थानों पर बैठे हुए हैं उन्हें क्यों इस प्रकार के माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में बैठा रखा है? जो अधिकारी गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल अपने भरण-पोषण का ध्यान रखते हैं और सबमिशन प्रणाली से लाखों रुपया कमाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करना क्यों नहीं उचित समझती है? क्यों नहीं बोर्ड सबमिशन प्रणाली, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, को छोड़कर टेंडर प्रणाली अपनाता? उससे आधी कीमत में बच्चों को किताबें मिलेंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 25 प्रतिशत मुनाफा कमा सकता है और हमारी सरकार अपने दिवालियापन

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

को दर्शाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या हम समझें कि 25 प्रतिशत की आमदनी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार के खजाने में पैसा बहुत है क्यों नहीं इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिससे बच्चों को सस्ती किताबें मिल सकें तथा 25 प्रतिशत का मुनाफा प्राप्त कर सकें शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रणाली को शीघ्रातिशीघ्र अपने अधिकार से लागू करें तथा उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने इस प्रणाली को लागू करने में ढिलाई बरती है, कदम उठाने की कोशिश करें।

साथ साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं तो उसमें ढोंग नहीं होना चाहिये। हम इस प्रकार की पोस्टों का निर्माण करना छोड़ें जैसे उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिये कई प्रिंसिपलों की पोस्ट क्रियेट की जा रही हैं। कई प्रिंसिपल पहले से बैठे हैं, फिर क्या कारण है कि और प्रिंसिपलों की पोस्ट क्रियेट की जा रही हैं। एक हायर सैकण्डरी स्कूल का हैड मास्टर है, एक हायर सैकण्डरी में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को भी शिक्षा विभाग के उतने ही पत्रों का जवाब देना पड़ता है, जितने पत्रों का एक हैड मास्टर को जवाब देना पड़ता है पता नहीं क्यों इस प्रकार की पोस्टों का निर्माण किया जा रहा है और सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है? इस प्रकार के खर्चों में कटौती की जानी चाहिए जिससे शिक्षा का प्रसार कर सकें, गांवों के अन्दर प्राथमिक शालायें खोल सकें, पाठशालायें खोल सकें और अधिक मात्रा में बच्चों को शिक्षा दिला सकें।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इधर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और उधर अजमेर के सावित्री गर्ल्स कालेज के लिए यू. जी. सी. से केन्द्र से डेढ़-दो लाख रुपया मिलने वाला था आज तक वह पैसा मंगाया नहीं गया। क्या कारण है इसका? डेढ़-दो लाख रुपये की राशि कोई मामूली राशि नहीं है। अगर वह राशि सावित्री गर्ल्स कालेज अजमेर में आती तो गर्ल्स कालेज का विकास होता, पुस्तकालय का विकास होता। क्या सरकार इस बात को नहीं चाहती? क्यों नहीं आज तक वह पैसा मंगाया गया? मैं कहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को फुरसत नहीं है, उनको उस कालेज का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है। अगर उनको फुरसत नहीं है तो दूसरे आदमी को इसका भार देना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री का इस ओर ध्यान दिला कर कहना चाहता हूं कि यू. जी. सी. ग्रेड में राज्य सरकार को जो अपने शेयर का पैसा देना पड़ेगा वह पैसा मंगा लिया जाता है तो सावित्री गर्ल्स कालेज राज्य सरकार के शेयर का भार स्वयं उठा लेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) जल्दी इस पैसे को केन्द्र से मंगाया जाय।

इसके साथ साथ दो तीन लाइनों में ही अपनी बातें कह देता हूं। हमारे रीजनल कालेज के बारे में रतनलालजी बोल चुके हैं। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि वह कालेज बन्द है। हड़ताल चल रही है, विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। जो विद्यार्थी होस्टल में रहते हैं उनका मैस बन्द कर दिया गया है। कम से कम शिक्षा मंत्री इसकी व्यवस्था करें कि जब तक कालेज न खुले जो विद्यार्थी वहां पर रह रहे हैं उनके लिए मैस चालू

(४१)

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

कराया जाय। शहर से तीन मील की दूरी पर यह कालेज है, सुबह-शाम खाना खाने के लिये ये गरीब विद्यार्थी कहां पर जायेंगे। क्या आप इसकी, उनके खाने की कुछ व्यवस्था करेंगे? मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीनगर के अंदर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मिडिल स्कूल हैं लेकिन सैकण्डरी स्कूल नहीं होने से 25-30 छात्राओं के लिए शिक्षा की बड़ी प्राब्लम बनी हुई है। वहां के 20-25 लोग आए भी थे, बहुत परेशान थे। मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि श्रीनगर के अन्दर गर्ल्स स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये।

अब मैं तबीजा के लिए भी कहना चाहूंगा कि वहां शिक्षा की विकट स्थिति है। वहां मिडिल स्कूल है। वहां से करीब 30-40 बच्चे रोज बस में बैठ कर सात मील दूर जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहां के मिडिल स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाय।

इतना ही कहते हुए और जो मैंने आपका अधिक समय लिया है उसके लिए क्षमा मांगते हुए मेरा निवेदन है कि जो भी कुछ सुझाव मैंने दिए है, शिक्षा मंत्री उन पर ध्यान देते हुए बच्चों को सस्ती किताबें उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेश कुमार।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मूल प्रस्ताव दिया था, उसको अधूरा ही इसमें किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस भूल का इतना लाभ दें कि मैं इस अधूरे विषय पर न बोलकर एक दो शब्द और बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री सुरेशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया गया है कि एस.टी.सी. ट्रेनिंग करने वालों को 100 रुपया वजीफा दिया जाता है रोजगार की गारंटी के साथ। लेकिन 1974-75 में जिन लोगों ने ट्रेनिंग की थी उन लोगों को अभी तक भी कहीं पर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। इस तरह 600 प्रशिक्षित अध्यापकों की भरतपुर जिले में पूरी फौज बढ़ गई है। मुझे बताया गया है कि जिला शिक्षा निरीक्षक कार्यालय में ऐसी लिस्ट होती है जिसके आधार पर नियुक्तियां दी जाया करती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उस लिस्ट के आधार पर किस प्रकार से नियुक्तियां की जाती हैं उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे उनमें से

(श्री सुरेशकुमार)

11 नम्बर के बाद से 18 नम्बर तक के नामों वाले व्यक्तियों को नियुक्ति दे दी गई हैं। मैं उस लिस्ट को पेश करने को तैयार हूं। ऐसा क्यों किया गया है?मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में ध्यान दें। इसी प्रकार से नियम तो यह है कि जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से एस. टी. सी. प्रशिक्षित थे उनको भरतपुर जिले में ही नौकरी दी जाएगी। लेकिन भरतपुर के जिले के लोग पोकरण और बाड़मेर में वर्षों से पड़े हुए हैं।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का बाढ़ का पानी भरतपुर को डुबा रहा है। दूसरी तरफ यू पी. से बी. एड पास शिक्षक भरतपुर के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को राजस्थान में से छांटकर भरतपुर में भेजा जा रहा है यह बन्द होना चाहिये। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भरतपुर से एस. टी. सी. पास हुए हैं उन्हें भरतपुर जिले में ही रखा जाय। मैं यह नहीं कहता कि बाहर भेजे न जायं। यदि जिले में स्थान न हो तो यह नियम बना दें कि उनकी नियुक्ति 150 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं की जाये। इस सीमा के अन्दर ही रखा जाय।

श्रीमान्, 30 साल तक कांग्रेस ने भरतपुर जिले की बहुत उपेक्षा की है। हर काम में उपेक्षा की गई है। मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जनता सरकार भरतपुर की उपेक्षा नहीं करे।

मैं ट्रेनिंग प्राप्त लोगों के बारे में निवेदन करूंगा। यह कहा जाता है कि अभी नियुक्ति बन्द है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से बराबर नियुक्तियां हो रही हैं। मेरिट लिस्ट पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जनता सरकार ट्रेनिंग प्राप्त लोगों की इस प्रकार से उपेक्षा नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां की जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसकी नियुक्ति हुई है, आप बता दें।

श्री सुरेशकुमार : यह मुझे बताया गया है। मैं आप को बता दूंगा। मैं नोट करके नहीं लाया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोग रिटायर हो गये हैं लेकिन अभी तक उनके बकाया पैसे नहीं मिले हैं। उदाहरण के रूप में, मैं कहना चाहूंगा, श्रीमती सत्या चन्द्रा, गंगापोल स्कूल बीकानेर में अध्यापिका थीं। भरतपुर से जब वह गंगापोल, बीकानेर गई तब से उनको उनका पैसा नहीं दिया गया है। उनका 900/- रु० बकाया है। कृपया इस प्रकार के केसेज का निपटारा करने का प्रयास करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मैं वेतनमान के बारे में निवेदन करूंगा कि जब सारे देश में करीब करीब तीन चार प्रान्तों को छोड़कर....

श्री उपाध्यक्ष : इसकी चर्चा हो चुकी है।

श्री सुरेशकुमार : तो मैं निवेदन करूंगा कि वह लागू किये जायें।

मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पाठ्यपुस्तक प्रकाशन मण्डल में घोर अव्यवस्था है। अक्टूबर तक विद्यार्थियों

(श्री सुरेशकुमार)

को पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। विद्यार्थियों को रलेवस उपलब्ध नहीं होता है। उसका कारण यह है कि एक एक प्रकाशक को 40–40 पुस्तकें प्रकाशन के लिए दे दी जाती हैं। इससे बड़ी हानि होती है। इस मोनोपोली को क्रमशः समाप्त करें। दूसरे पाठ्य पुस्तकें हर साल बच्चों को खरीदनी पड़ती हैं। कारण यह होता है कि पुस्तकों में कोई मामूली हेर फेर कर नया संस्करण छपवाया जाता है। तो यह हो सकता है कि पुरानी किताबों के अन्दर जो भी नया परिवर्तन हुआ हो उसको पेम्फलेट के रूप में छाप कर दे दिया जाये। इससे लोगों के पैसों की बचत होगी।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं पुनः शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे भरतपुर जिले का इतना ध्यान तो रखा कि कुछ उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले और प्राथमिक शालाएं भी खोलीं। मैं अर्ज करूंगा कि जितनी पोपूलेशन अलवर की है, उतनी ही भरतपुर की है। लेकिन अलवर में 3 कालेज हैं जब कि भरतपुर में दो ही महाविद्यालय हैं। आशा है, माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और भरतपुर जिले में एक और महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशलकिशोर जैन।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 27 अगस्त, 1977 को शिक्षा आयुक्त महोदय के यहां से जिन हैड मास्टर्स को इन्सपेक्टर आफ स्कूल बनाया गया है, उनकी सूची निकली है। उसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। श्री के. जी. विजय का 1976 की वरिष्ठता सूची में 414 नम्बर पर नाम है, निहालसिंह का 438 नम्बर पर नाम है एस. एन राय ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रश्न पर आपका कटौती प्रस्ताव है, उसी को प्रमुखता दें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

राधाकृष्ण का नम्बर 441 पर, उपेन्द्रनाथ का नम्बर 444 पर, मठरूलाल का नंबर 460 पर, शिवदत्त शर्मा का नंबर 277 पर, केदारनाथ शर्मा का नम्बर 319 पर, शिवशंकर का नम्बर 480 पर है। मैं निवेदन करूंगा कि तीन व्यक्तियों की वरिष्ठता को समाप्त किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में 1 अगस्त, 77 को राज्यपाल महोदय ने मेरिट के आधार पर पदोन्नति करने पर प्रतिबन्ध लगाया, इस विषय में जो धांधली हुई है, उस पर ध्यान दिया जाये।

मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी मात्रा में स्कूल खोल कर, मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत कर शिक्षा को नयी दिशा दी है।

15 अगस्त को भीलवाड़ा में सुभाष नगर स्कूल में मैं झण्डा फहराने के लिए गया तो मैंने वहां पर देखा कि 480 बच्चे स्कूल में है। 90 रुपये महीना किराये पर एक

(श्री कौशलकिशोर जैन)

छोटा सा भवन स्कूल के लिए लिया गया है। उस छोटे से भवन में 480 बच्चे हैं। वहां के नागरिकों ने चन्दा करके चार अधूरे कमरे बनवाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चे कहां बैठेंगे। वहां पर बिल्डिंग नहीं है, इस बात को मंत्री महोदय ध्यान में रखें।

मेरा निवेदन यह है कि जब हम नये स्कूल खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं तो स्कूल भवन का ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए।

मैं एक बात की ओर माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में एक महावीर स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका मैं विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता। उसके बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा था और निवेदन किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए किन्तु अभी तक इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। शिक्षा मन्त्री महोदय ने शिक्षा आयुक्त महोदय को आदेश भी दिये कि इस स्कूल की जांच होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह वह स्कूल है जिसको राज्य सरकार के द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है किन्तु इस अनुदान का दुरुपयोग होता है। वहां के जो सेक्रेटरी महोदय हैं वे इस प्रकार से वहां के स्टाफ का शोषण करते हैं और मनमाने ढंग से उनको निकाल देते हैं। इसके बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय कृपया ध्यान दें।

मेरा एक और निवेदन है, भीलवाड़ा जिले के अन्दर शिक्षा अधिकारी ने कुछ एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापकों को लेने का आदेश किया था किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय, राजस्थान के आदेश से 16-12-76 को इसको निरस्त कर दिया गया था। उनको 2-8-76 को सेवा मुक्त कर दिया। जो लोग पंचायत समितियों में डेपूटेशन पर थे उनका डेपूटेशन निरस्त नहीं किया गया और आगे सेवा में भी नहीं लिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें। शिक्षा विभाग में जितनी भी गड़बड़ियां व्याप्त हैं उनकी ओर ध्यान देकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल।

श्री रामेश्वर दयाल (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा सम्बन्धी मांगों पर कटौती प्रस्तावों के बारे में बोलते हुए मैं उनकी ओर माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो गत तीस सालों के अन्दर भूतपूर्व सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था और जुल्म और ज्यादतियां हुई, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों को इस बात का ज्ञान हो जाय कि तीस सालों के बाद में जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने के बाद इस ओर ध्यान देगी। कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जिनकी ओर मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के साथ सौतेला

(201)

(श्री रामेश्वर दयाल)

व्यवहार स्कूल भवनों के बारे में किया जा रहा है, जो भवन शहरों में स्कूलों और कालेजों के लिये बनते है वह तो राज्य कोष से बनाये जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शालाओं या कालेजों के भवन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के चन्दे से बनाये जाते हैं। उनके लिये यह शर्त होती है कि जब तक भवन का निर्माण नहीं होगा, स्कूल नहीं खोले जायेंगे।

ठीक इसी तरह की स्थिति एडमिशन्स के बारे में है। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी या तो शिक्षा के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है जिस स्तर तक शहरों के विद्यार्थी पहुंच पाते हैं। अगर पहुंच भी जाता है तो मन्त्री स्तर तक या अधिकारियों तक उसकी पहुंच नहीं होने से राज्य की शिक्षा नीति की वजह से उसको दूर भेज दिया जाता है जहां पर पूरी तरह से उसको शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैंने तीन रोज पहले शिक्षा मन्त्री महोदय को दिया था। मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए पी. एम. टी. एग्जामिनेशन होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी पास हुआ उसको एडमिशन की नीति के अनुसार, उसका कन्ट्रावेन्शन करके जयपुर के बजाय अजमेर या जोधपुर भेज दिया गया। मगर न तो मुझे शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपने निर्णय से अवगत कराया कि उसमें क्या प्रगति हुई और न उसका कुछ पता नहीं लग सका।

ठीक इसी तरह से जो अध्यापकों की संख्या है उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय के पास जाता हूं तो बताया जाता है कि जयपुर, कोटा में कोई वेकेन्सी नहीं है। लेकिन जब यह सुनकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान देता है तो पूरे राजस्थान के अन्दर कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां एक या दो अध्यापकों से ज्यादा हों। शहरों में जितने भी स्कूल और कालेजेज हैं, उनमें पोस्ट क्रिएट हो जाती है, जितनी सेंक्शन्ड पोस्टें है उनके ऊपर उतने ही अध्यापक और लेक्चरार मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कालेजेज और स्कूल हैं उनमें एक या दो अध्यापकों से ज्यादा नहीं हैं। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, 480 लड़कों के लिए केवल तीन कमरे हैं। हो सकता है तीन कमरों में 480 लड़के बैठ तो सकते हों, लेकिन 5 सौ लड़कों पर एक या दो अध्यापक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वे उनकी हाजरी तक पूरी तरह नहीं ले सकते, तो पढ़ायेंगे क्या ?

तीन महीने तक जितने भी स्कूल और कालेजेज हैं, वहां अध्यापक नहीं हैं और छः महीने के बाद एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक प्रोफेसर होने के नाते और शिक्षा विभाग उनके पास होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सौतेले व्यवहार की जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही है उसको खतम करने की कृपा करेंगे।

जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिनको राज्य सरकार की तरफ से एड देकर चलाया जा रहा है, उनकी तरफ भी मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो भी प्राइवेट संस्थायें हैं, उनमें से, मैं तो यह कहता हूं, 75 फी सदी संस्थाएं ऐसी

(श्री रामेश्वर दयाल)

हैं शहरों के अन्दर जो कागजों पर हैं। उनकी अगर रिपोर्ट ली जाय तो पता चलेगा कि न तो कोई स्कूल है और न कोई कालेज है और न अध्यापक, लेकिन एक धंधा खोल रखा है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र का देना चाहता हूं और शिक्षा मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार घोटाले हो रहे हैं। जो संस्था को चलाने वाले हैं वे घोटाले कर रहे हैं लेकिन शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा आयुक्त तक उससे दूर नहीं हैं, उनके अन्दर उनका भी हाथ है। चौमू विधान सभा क्षेत्र के सामोद ग्राम के बारे में मैं बताना चाहता हूं, 1963 से लाल बहादुर शास्त्री व्यायाम शाला के नाम से संस्था चालू हुई कागजों में। उसके अंदर पी. टी. आइ. की ट्रेनिंग देते हैं। उसके संचालक मंडल में संयुक्त निदेशक भी हैं, जो पहले अजमेर थे, वे भी सदस्य हैं। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां से निर्वाचित होकर आया हूं। पिछले दस सालों के अंदर मैंने सन् 63 से चलने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं देखी लेकिन वहां से डेढ़ दो हजार लड़कों को फर्जी प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं और हजारों की तादाद में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर पी. टी. आइ. संस्कृत स्कूलों के अन्दर तैनात हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के जितने विद्यालय हैं उनकी और खास तौर से सामोद व्यायाम शाला की इन्क्वायरी हो। छठी या सातवीं कक्षा पास किए हुए लड़कों को पी. टी. आइ. के फर्जी प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं, संस्कृत विभाग के तहत जितने स्कूल व कायम किये हैं उनमें ज्यादातर पी. टी. आइ. की नियुक्ति फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई है। इस संस्था के अन्दर करीब 10 लाख रुपये का घोटाला है लेकिन उसकी आज तक राज्य सरकार या शिक्षा आयुक्त ने जांच नहीं करवाई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्षजी, मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूं। शायद मेरे बाद बोलने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और बहुत बोलने वाले हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : तो मैं सामोद वाली संस्था के बारे में बता रहा था कि आज तक उसकी जांच नहीं हुई। शिक्षा आयुक्त के ध्यान में यह घोटाला आ चुका है लेकिन 10 लाख के घोटाले के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई मैं इस मामले में पंचायत मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके संचालक मण्डल के सदस्य, जो सरपंच थे, को हाल ही में निलम्बित कर दिया गया है। इससे मुझे महसास होता है कि घोटाले की जांच हो सकती है।

इसी तरह से कुछ निजी संस्थायें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के दिमाग में नहीं हैं, शिक्षा विभाग के दिमाग में नहीं है। मेरे क्षेत्र में कालाडेरा में सहारिया एजूकेशन ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल चल रहा है। आज की तारीख में 976 लड़के वहां पढ़ते हैं, 20 लाख का भवन है। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को ज्यादा अनुदान दिया जाना चाहिए। लेकिन ज्यादा नहीं दिया जाता है और जो इस तरह की फर्जी चलने वाली संस्थाएं हैं उनको दिया जाता है।

(श्री रामेश्वरदयाल)

मुझे आशा है, शिक्षा मन्त्री इस तरह की शिकायतों पर विचार करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, उसको मिटायेंगे। वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70-80 प्रतिशत लोग रहते हैं उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा मन्त्री जी 70 प्रतिशत ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष जी, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तब यह सुनाई देता था कि अंग्रेज यहां क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा प्रणाली चला रहे है। कांग्रेस के 30 वर्ष के राज में भी उसी ढंग से शिक्षा प्रणाली चलती आई। मैं चाहूंगा कि आदि काल से जो शिक्षा मिलती थी उस ढंग की शिक्षा प्रणाली सादगी, सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा प्रणाली जनता पार्टी के राज्य में प्रारम्भ करनी चाहिए। वेशभूषा, पहनावा पढ़ाई, आचार-व्यवहार, खेलकूद और वाद-विवाद, जो भी चीज हो उसमें भारतीय संस्कृति की झलक होनी चाहिए। सभ्यता और संस्कृति के नाम से कई कार्यक्रम बच्चों के होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि विदेशी संस्कृति व सभ्यता के अनुसार अपने बच्चे खेलकूद करते हैं। कालेजों में रैगिंग चलती है। आज कल लड़कियां भी रैगिंग करती हैं। इस प्रकार अनुशासनहीनता बढ़ाई जाती है। इसके कारण भ्रष्टाचार और कई बातें बढ़ती हैं। भ्रष्टाचार तो भारत में जड़ पकड़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में, जैसा हम समय समय पर कहते हैं, आमूल-चूल परिवर्तन आना चाहिए। जनता पार्टी के राज्य में, मैं आशा करता हूं, सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अजमेर के लिए मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि अल्प भाषी एस. टी. सी. केन्द्र है उसमें अभी 15 सिंधी विद्यार्थी और 10 उर्दू के विद्यार्थी रखे गए हैं। अल्प भाषियों पर विशेषतौर से विचार करके 15 व 10 से नम्बर बढ़ा कर उनको शिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने की अनुमति दी जाए। काफी लड़के-लड़कियां है जिनके पिता शिक्षा के क्षेत्र में थे और अपने बच्चों को एस. टी. सी. की ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। राजस्थान में उर्दू और सिंधी बच्चों के लिए यही एक केन्द्र है।

इसके अलावा, मेओ कालेज में कम से कम 40 बंगले राजा-महाराजाओं के हैं। यह एक प्राइवेट संस्थान है लेकिन कालेज के नाम पर वहां केवल एक हायर सैकण्डरी स्कूल ही है। पिछले दिनों में वहां तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काफी शोषण हुआ था। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मैं भी वहां गया था।

(श्री नवलराय बच्चाणी)

काफी संघर्ष के बाद 12 लोगों का काम पर वापस लिया गया। मैंने मेग्रो कालेज का चप्पा 2 देखा है। कांग्रेस के 30 वर्ष के राज में सरकार का उसकी ओर ध्यान नहीं गया वहां जो प्रिन्सिपल है वह नाम का प्रिन्सिपल है। वह हायर सैकण्डरी क्लास के लड़कों को पढ़ाने की क्वालीफिकेशन्स रखता है और कम से कम 2500 या 3000 तनख्वाह ले रहा है। वहां के विद्यार्थी राजा-महाराजाओं के लड़के हैं। उन लोगों को, अगर कहा जाए तो अपने बंगले भी दे सकते है और विश्वविद्यालय के लिए आवास की समस्या है वह भी दूर हो सकती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाय जो अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिश दे सके और इस कालेज के भवनों का उपयोग सही मायने में हो सके।

श्री दिग्विजय सिंह : वहां का प्रिन्सिपल बी. ए. ट्रेंड है।

श्री नवलराय बच्चाणी : उनकी हायर सैकण्डरी क्लास को पढ़ाने वाले हैड मास्टर जैसी क्वालीफिकेशन्स हैं, ज्यादा नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं वहां का सदस्य हूं मुझे मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह कछवाह आपका नम्बर आ गया था लेकिन आप सिरदर्द की दवा लेने चले गए थे। मैं नहीं चाहता कि आप अपना सिर दर्द बढ़ायें, बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री नवनीत पालीवाल : हमारा सिर दर्द बढ़ने की संभावना है।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में शिक्षा के मामले में भावी नागरिकों की प्रगति का सवाल है। शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर मन्त्री महोदय तक जितने पदों की कतार है उन सबसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार की ओर से वार्षिक प्रगति विवरण 1976-77 का दिया गया है इसमें कई बातें बताई गई हैं लेकिन इसमें इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि कितने प्रतिशत परिणाम आते हैं, कितने लड़के किस किस स्तर पर परीक्षा देते हैं, परिणामों का क्या प्रतिशत होता है, कितने लाख छात्र असफल होते हैं और किस प्रकार उनकी दयनीय स्थिति होती है और क्यों होती है? राजस्थान मे प्राइमरी से लेकर आठवी कक्षा तक हमारे शिक्षक हैं, वे बच्चों को पढाई क जो कोस है उनको समय पर पूरा नहीं कराते हैं। साथ ही काफी लापरवाही बरती जाती है। बच्चों की बुनियाद के लिए तीसरी से सातवीं तक के लिए बच्चों को इस तरह तैयार करना होता है, उनका स्तर ऐसा हो कि 100 में से 70 प्रतिशत नम्बर प्राप्त कर सकें लेकिन वास्तव में ऐसा स्तर नहीं होता है। होता यह है कि उन बच्चों को यदा-कदा किसी प्रकार 50, 60, 70 प्रतिशत तक नम्बर दिये जाते हैं लेकिन उनका स्तर 20 प्रतिशत के योग्य भी नहीं होता। अध्यापक सोचते हैं कि रिजल्ट्स का प्रतिशत अच्छा रहा।

लड़कों के मां बाप भी खुश, लड़के भी खुश और, टीचर भी खुश। सभी खुश हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि 60 पर्सेंट और उससे ऊपर नम्बर लाने के बावजूद

(श्री मानसिंह कछवाह)

लड़का सैकण्डरी, हायर सेकण्डरी में जाकर फेल हो जाता है। सेकण्डरी और हायर सैकण्डरी में बच्चों का रिजल्ट 30 पर्सेन्ट, 40 पर्सेन्ट निकलता है। 45 पर्सेन्ट से ज्यादा तो रिजल्ट रहता ही नहीं है। लड़कों का स्तर ही कम है। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जोधपुर में एक सुमेर हायर सैकन्डरी स्कूल खुला हुआ है। वहां पर अंग्रेजी के टीचर की एक जगह खाली हुई। उसके लिए एक विज्ञापन निकाला कि इंगलिश के अध्यापक की वेकेन्सी है। मैं भी उस सलेक्शन बोर्ड में बैठा था। उसमें एक व्यक्ति, जो इंगलिश का अध्यापक बनने आया था, से हमने, एक प्रश्न किया कि 'मैं जाता हूं' की अंग्रेजी क्या होती है? उसने कहा, I am going। तो यह स्तर रह गया है जो लड़के पढ़कर आते हैं उनका। इतने पैसे राज्य सरकार शिक्षा के मद पर खर्च कर रही है लेकिन वे इंगलिश में इतने कमजोर हैं।

मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार का ध्येय शिक्षा देने का यह होना चाहिए कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा के तौर पर तैयार किया जाय। आज शिक्षा विभाग बुनियादी शिक्षा नहीं दे रहा है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी नये हैं। आपको शिक्षा विभाग को देखने का पूरा मौका नहीं मिला है। इसलिए जो भी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें प्रकट की हैं उनकी ओर आप ध्यान दें तो ठीक रहेगा। आप आमूल-चूल परिवर्तन शिक्षा में करना चाहते हैं पर आज हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें ही दोष है। आज स्कूल चल रहे हैं पर उनका माकूल निरीक्षण नहीं हो रहा है। आप निरीक्षण के लिए माकूल इन्तजाम कीजिये। आप और इन्सपेक्टर्स अपाइन्ट कीजिये जो कि इन शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट अलग से दें। उस रिपोर्ट पर कार्यवाही होनी चाहिये। आज आप लड़कों को 60 प्रतिशत नम्बर दे देते हैं पर वह आगे जा कर कुछ नहीं कर सकते हैं। यह हमें देखने की जरूरत है।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आज शिक्षा विभाग से एक पुस्तिका हमें मिली है इसमें प्रगति की रिपोर्ट दी हुई है। उसके पेज नम्बर 19 पर राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। इसके आगे पुरातत्व विभाग के बारे में कुछ बात कही गयी हैं। इसमें यह कहा गया है कि 'जून 1976 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के हल्दी घाटी शुभागमन के अवसर पर विभाग द्वारा स्वातन्त्र्य संग्राम की अमर ज्योति स्वर्गीय महाराणा प्रताप सबंधी अस्त्र शस्त्रों एवं राजपूत कालीन अन्य अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी की गयी।' इसका हमारी संस्कृति से क्या सम्बन्ध है? और संस्कृति का जो जिक्र इसमें होना चाहिये था वह जिक्र नहीं है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारे भारतवर्ष का जो ज्ञान है आत्मा से आत्मा का और आत्मा से परमात्मा का, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आज सारा संसार उस ज्ञान की ओर जा रहा है, पश्चिम के देश भी, पर हमारे यहां आत्मा से आत्मा की भाईचारे की बात बिलकुल ही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा की मांगों पर बोलने का समय दिया व आपने जो उदारता दिखाई मगर फतहसिंह जी होते तो शायद समय नहीं मिलता, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी उत्तर दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नवनीत पालीवाल : मांग पारित की जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, रात को दस दस बजे तक सदन की कार्यवाही चलती है तब तक हम यहां बैठे रहते हैं पर यहां पर हमारे लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। सब दिन बैठे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके स्टेमिना की दाद देता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही मौलिक प्रश्न यहां पर किया। उन्होंने कहा कि जहां मांग संख्या 24 से 101 करोड़ 90 लाख रुपये 88 हजार की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, सदन में प्रस्तुत की गई है वहीं दूसरी ओर श्रीमान वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के लिए 102 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांग क्रमांक 24, जो सदन में प्रस्तुत की गई है, 101 करोड़ 90 लाख 88 हजार की ही बजट में है। वित्त मंत्रीजी ने जो राशि बजट में बताई है उसमें केवल डिमांड नंबर 24 का ही उल्लेख नहीं किया है बल्कि उसके साथ साथ डिमान्ड नम्बर 25, 22 व 48 का भी जिक्र शामिल है। उनका शिक्षा विभाग से सम्बन्ध नहीं है पर वह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित वस्तुओं में खर्च किये जाने वाले पैसे से सम्बन्धित है, इसलिए बजट में 102 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि बताई गई है। मैंने जो सदन के सामने मांग संख्या 24 रखी है उसमें 101 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये की मांग प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में सदन में काफी समय तक कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा विभाग की मांग पर आ रहा हूं। शिक्षा, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय है जिसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिक्षा के मामले में हमारे देश के अत्यन्त ही पिछड़े हुए प्रांत में से हैं। इसका कारण कोई हो, चाहे इसका कारण आर्थिक कमी रहा हो, चाहे सामाजिक पिछड़ापन इसका कारण रहा हो या देशी रियासतों का पहले राजस्थान में होना इसका कारण रहा हो पर यह बात सही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के अन्य प्रांतों से अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शायद पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने के लिये कोई प्रयास भी नहीं किये होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विषय तो यह है कि जो जम्मू और काश्मीर शिक्षा के मामले में हमसे नीचे आता था, अभी चार-पांच वर्ष पहले ही जो तालिका निकली थी उसमें जम्मू और काश्मीर हमारे से नीचे आता था वह भी न मालूम किस प्रकार से तरक्की करके हमारे नीचे से निकल कर ऊपर आ गया और हम पंक्ति में सबसे नीचे रह गये। आपको आंकड़े मैं प्रस्तुत करूं, उपाध्यक्ष महोदय देश में 11 वर्ष की आयु के केवल 61.6 प्रतिशत बालकों को हम स्कूल में ला पाये हैं। 11 से 14 वर्ष की आयु के 26.9 प्रतिशत ही रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवस्था तो और भी सोचनीय है। आज इस आयु वर्ग के 14.6 प्रतिशत बच्चों का ही नामांकन हम विद्यालयों में कर पाये हैं। आज भी 6 से 11 वर्ष की आयु के 16 लाख बच्चे और 11 से 14 वर्ष की आयु के 15 लाख बच्चे विद्यालयों में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु के केवल 33 प्रतिशत और 11 से 14 वर्ष की आयु के 11 पर्सेन्ट बच्चे स्कूलों में आ पाये हैं। बालिकाओं को तो न्यून संख्या में हम विद्यालयों में ला पाये हैं। ऐसी अवस्था हमारे राजस्थान की है और बालिकाओं की दृष्टि से यदि देखने का प्रयत्न करेंगे तो 14 से 17 वर्ष की आयु की केवल 5 प्रतिशत बालिकाएं ही स्कूल में उपस्थित होती हैं। हो सकता है इसका कुछ कारण हमारे यहां की सोशियो-इकानामिक कन्डीशन हो। लेकिन यह बड़े खेद का विषय है और साथ ही दुःख का विषय भी है कि जब देश में स्वतंत्रता की झांकी देखी और हम स्वतंत्र हुए तो पता नहीं शिक्षा के सम्बन्ध में क्या पिछले 30 वर्षों में प्रयास किया गया। बालिकाओं का नामांकन इतना कम है उसके लिये कुछ प्रयत्न किया जाता तो बालिकाओं का नामांकन स्कूलों में ज्यादा होता। और तो और क्षेत्रीय असन्तुलन शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से सारे प्रदेश में भयंकर रूप से रहा है। आज कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा। विरोधी बेन्चेज में बैठने वाले अभी तो नहीं हैं बहुत कम हैं, वह अपनी बात तो कह गये, बहुत अच्छा होता वह यहां होते तो उनको सुनने का मौका मिलता और वह महसूस करते कि पिछले तीस वर्षों में कितना असन्तुलन उन्होंने शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में किया है। आबादी पर थोड़ा सा विचार किया जाय तो आपको देखना होगा और हम देखेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी के स्कूल खुलने के पहले अगर बांसवाड़ा जिले में आबादी के हिसाब से विचार किया जाता तो शायद 495 स्कूल होते किन्तु उसके बजाय 611 प्राथमिक विद्यालय थे। चित्तौड़ में शायद 715 स्कूल होते किन्तु उसके बजाय 802 थे। बीकानेर जिले में 430 प्राथमिक शालायें होतीं किन्तु 509 प्राथमिक शालायें हैं। उच्च प्राथमिक शालाओं में भी यही अवस्था रही है। आबादी के अनुपात से गंगानगर में 266 होतीं लेकिन है 280, जोधपुर में 220 होतीं लेकिन हैं 234, भीलवाड़ा में 201 होतीं और हैं 218, उदयपुर में 340 होतीं और हैं 360। अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर हम विचार करें तो अजमेर में 65 के स्थान पर 101 का रेशो है। झुंझुनूं में 52 के स्थान पर 91 का रेशो है। झुंझुनूं से आई हुई माननीय सदस्या कह रही थीं, अगर वह होतीं तो मैं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बता देता और यह दृश्य उपस्थित करता कि सीकर में 58 के स्थान पर 71, चूरू में 49 के स्थान पर 59 हैं और इसके विपरीत भरतपुर में आबादी के अनुपात से 84 प्राथमिक शालायें होनी चाहियें लेकिन वहां 61 थीं। नागौर में 72 होनी चाहिए लेकिन थीं 56। कोटा में 65 के स्थान पर 58 थीं। कोटा का नाम लेकर बड़ी गालियां दी गयीं, बड़ा कोसा गया। क्षमा करें, मैं शब्द वापस ले रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 6 में से 4 सैकण्डरी हैं और 2 उच्च प्राथमिक हैं। वहां पर दो विधान सभाई क्षेत्र हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन हैं और दूसरे विधान सभा क्षेत्र में एक है। बड़ी चर्चा हुई और बड़ा दृश्य खड़ा किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि गलतियां हो सकती हैं। समय कम था किन्तु पूर्ण प्रामाणिक और पूरी जानकारी करने का लगातार प्रयास किया गया। इस बारे में बहुत कहा गया कि पहले जो इन्स-पेक्टर आफ स्कूल्स के यहां से स्वीकृत होकर स्कूल आये थे, अकार्डिंग टू दी काइटेरिया उनका क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी सरकार ने जो स्कूल खोले थे उसका कोई काइटेरिया नहीं था। बीच में जो अवस्था आई उसमें स्कूलों को रोक दिया गया क्योंकि केवल स्कूलों के बारे में जजमेंट करने के लिए इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से पूछा गया था कि उनमें कौन-कौन से काइटेरिया थे। यह कहा गया कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने इतने स्कूल के लिये प्रस्ताव भेजे उनमें से क्यों नहीं खोले? तो राजस्थान के समस्त परिप्रेक्ष्य में उतने ही स्कूल अकार्डिंग टू दी काइटेरिया नहीं थे। बल्कि ऐसे बहुत से स्कूल थे जो कि अकार्डिंग टू दी काइ-टेरिया आते थे। उन सब की जानकारी मंगवाई गई और विचार किया गया। उनमें से इन स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया की गयी। उनके बारे में लगातार यहां आरोप लगाने की कोशिश की गयी? अकार्डिंग टू दी काइटेरिया कितने स्कूल राजस्थान के प्रत्येक जिले में हो सकते हैं उनका विवरण नहीं मंगाया गया बल्कि जो स्कूल खोले गये थे पिछली सरकार द्वारा उनका काइ-टेरिया मंगाया गया। पक्षपात का आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य यहां होते, तो मैं अधिक कहता।

यहां और भी बातें कहने का प्रयास किया, उनकी चर्चा आगे करूंगा.......

श्री करतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में माननीय मंत्री महोदय को इन्ट्रप्ट कर रहा हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देने दें। माननीय सदस्य, विराजिये। मैंने आपको मौका नहीं दिया है। आप विराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: एक और बड़ी समस्या है जिससे राजस्थान को जूझना पड़ रहा है, वह है अपव्यय। अपव्यय की समस्या बड़ी भयंकर है। हम जितने बच्चों को स्कूलों में ला पाते हैं उतने बच्चों को टिका नहीं पाते। ड्राप आउट उनमें से हो जाते हैं। ड्राप आउट इतने अधिक हैं कि जहां शुरू में सौ विद्यार्थी होते हैं कक्षा पांच में जाते-जाते शेष केवल 76 रह जाते हैं। 24 बालकों की शिक्षा पर जो व्यय होता

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

है वह अपव्यय के रूप में आकर खड़ा होता है। दूसरी बड़ी समस्या यह है।

तीसरी समस्या राजस्थान में साक्षरता की है। सारे देश में जहां 29.4 प्रतिशत साक्षरता है राजस्थान में केवल 19 पर्सेन्ट व्यक्ति ही साक्षर हैं और महिलायें केवल 8 पर्सेन्ट साक्षर हैं। इसका जिक्र मैंने आपके सामने किया है। इन समस्याओं का जिक्र करने का कारण यह था कि यह समस्या हमको विरासत में मिली हुई है, विरासत में दी गयी हैं हमको राज्य सरकार को इनसे जूझना पड़ेगा। उस नाते से कुछ कदम उठाने का निश्चित रूप से तय किया गया है। आवश्यकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे में भी ऐसा परिवर्तन किया जाये जिससे विद्यार्थियों का इन्वाल्वमेंट अधिक से अधिक हो। पहली दूसरी कक्षाओं मे बड़े कोमल विद्यार्थी रहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव आया था, 2। घंटे केवल उनको पढ़ाया जाये। शिक्षकों की हमारे यहां कमी है, यह मैं मानता हूं। उसके कई कारण हैं जिनको आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के विषय कम रखें और तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाने का प्रकरण प्रारम्भ करें तो अपव्यय भी रुकेगा और विद्यार्थियों का इन्वाल्वमेंट भी ज्यादा होगा। उसी प्रकार मल्टी पाईन्ट एन्ट्री शुरू की जाये। आवश्यक नहीं कि पहली कक्षा से ही भर्ती होता देखा जाये कि अगर 2-3 महीने में ही विद्यार्थी ने शिक्षा के नाते से प्रगति की है तो उसको दूसरी कक्षा में पहुंचाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार घर में पढ़ कर बच्चा आता है तो उसको दो तीन कक्षाओं के आगे पढ़ने की सुविधा दी जा सकती है उससे अपव्यय रुक सकेगा। पहली से पांचवी कक्षा तक शिक्षा इस रूप से चले। बच्चा फेल हो जाय तो यह नहीं हो कि उसका एक साल खराब हो जाय, उसको अवसर मिले, परीक्षा दे सके और अगली कक्षा में आ सके इस तरह से अपव्यय रोका जा सकेगा।

सबसे बड़ी आवश्यकता है यूनिवर्सला-इजेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेशन की। यह परम आवश्यक है। इस पर विचार हो रहा है और प्रयत्न हो रहा है। इस बार शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें तय हुआ कि छठी योजना के अन्त तक 75 प्रतिशत लोगों को हम स्कूलों में लायें, उनके लिये शिक्षा के द्वार खोलें। यह बहुत बड़ा काम है जिसको हमें करना होगा।

इसी संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया था कि पिछली सरकार ने एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने का तय किया था, फिर इस सरकार ने केवल 520 प्राइमरी स्कूल क्यों खोले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्थिति इस राजस्थान की है उसमें प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल और मिडिल के बाद सैकण्डरी स्कूल के लिये कुछ न कुछ प्रक्रिया पर विचार करना होगा। आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये अवसर बाकी न रह जायें, यह सोचना होगा। पिछली सरकार ने शायद एक हजार पांच सो स्कूल खोलने का निश्चय किया होगा पर उतने शायद खोल नहीं पायें पूरा विचार करने के बाद। पहले कई क्षेत्रों में स्कूल थे, लोगों ने प्रयास करके

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अपने अपने गांवों में भवनों का निर्माण किया था। एक भूख बढ़ी है उसका उलाहना भी दिया गया परन्तु स्कूल नहीं खोल सके। शिकायत हुई कि राजस्थान में भूख बढ़ी है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से लोग जागृत हैं। उसी सारे इन्वाल्वमेंट के बारे में विचार किया गया कि इससे गेप बहुत बड़ा हो जायेगा। पिछली सरकार ने घोषणा कर दी परन्तु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया बजट भाषण में घोषणा कर दी उन सारे स्कूल खोलने की परन्तु बजट प्रोविजन कुछ नहीं किया। आज कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, उनको मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी ने बजट में पूरा प्रावधान किया है, 350 सैकण्डरी 410 मिडिल और 520 प्राइमरी स्कूलों की क्रमिक व्यवस्था करके इस पर विचार करके सारी व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने जो जन सहयोग दिया है उसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। दो करोड़ रुपये का जन सहयोग प्राप्त हुआ है। लोगों ने भवन खड़े कर दिये। बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं जहां स्कूल नहीं खुल पाये हैं उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को दोषी मानता हूं। लोगों की भूख बढ़ी है शिक्षा के प्रसार के लिये वह स्वागत योग्य है। इतनी बात कहना चाहता हूं, शिक्षा के विस्तार में कोई कमी नहीं होगी, राज्य सरकार शिक्षा के विस्तार का पूरा प्रयत्न करेगी। बढ़ती हुई भूख, उसके लिये उनके सारे प्रयास, भवनों का निर्माण, पूरी शक्ति से साधन जुटाने वाली बात—यह जो सारा जन सहयोग मिला है उसको मैं आदर करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर यह सारा हमने विचार करने का प्रयत्न किया है।

माध्यमिक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की बात समझ में आती है। 10+2 की स्कीम इण्डिया स्तर पर तय हो चुकी है। राजस्थान प्रदेश में सिद्धांततः उसको स्वीकार कर लिया गया है किन्तु उसमें अभी बहुत अनुभव होना बाकी है। कुछ प्रारम्भिक तैयारी भी करनी होगी। दूसरे प्रदेशों ने 10+2+3 के अनुभव किये हैं, उसके जो परिणाम निकले हैं उनके कारण विचार किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत 10+2+3 नहीं केवल 10+2 की योजना सभी प्रदेशों में लागू की जाय। इस स्कीम को लागू करने का उत्साह हो सकता है लेकिन जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। हमको एक अवसर है कि दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उनके अनुभव से लाभ उठायें। अभी मुझे शिक्षा मन्त्रियों की बैठक में बैठने का मौका मिला था तब मुझे लगा था कि अभी अनुभव ज्ञान बाकी है। उन अनुभवों से जो सुधार किया जा सकता है उसकी आवश्यकता है। जल्दबाजी से काम नहीं चलता है। यद्यपि हमने इस प्रकार की तैयारी प्रारम्भ कर रखी है, कार्यानुभव और विज्ञान शिक्षण मूल अंग हैं उन्हें समुन्नत करने का प्रयास किया गया है। अनुभव का फायदा उठाया जायेगा और उनके आधार पर इस सारी योजना को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयत्न किया जायेगा। ऐसा न हो जो कठिनाई उन राज्यों में आ रही है उनकी पुनरावृत्ति यहां हो। इन सब बातों को नजर में रखते हुए सारी शिक्षा नीति पर विचार करने की आवश्यकता हुई है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जहां तक शिक्षा का व्यवसायीकरण किये जाने का प्रश्न है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, आइ. टी. आइ स्कूल और पोलिटेक्निक स्कूल खोलें। मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैन पावर कमेटी बनी हुई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर विचार किया जायगा। आज स्थिति यह है कि आइ टी. आइ. और पोलिटेक्निक से तैयार होकर जो छात्र निकलते है वे व्यवसाय चलाने लायक नहीं होते। यह बराबर देख रहे हैं कि नौकरी के लिये ज्यादा लोग आते हैं। शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी इतनी कचोटने वाली होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जल्दबाजी न करके शान्ति के साथ इस बात पर विचार करना होगा। अगर मैन पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी तो उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिये सारे देश में पहले 10+2 का सामंजस्य बैठाना होगा उसके बाद ही व्यवसायिक शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ा जा सकता है उतना इन्तजार हमें, अपने प्रदेश को करना होगा।

उच्च शिक्षा की दृष्टि से हमारे प्रदेश की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। ऐसे कई मुख्यालय थे जहां महाविद्यालय नहीं थे। सरकार ने प्रयत्न किया इस बार तो केवल कुछ जिलों को छोड़ कर जहां 300 विद्यार्थी थे उन प्रत्येक जिले में कालेज खोला है। सारी बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अपने यहां नये ग्रेजुएट कालेज और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की चर्चा की है। मै उनका आदर करता हूं, उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, जो उत्साह आया है वह भी आदर का विषय है लेकिन आखिर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को भी देखना होगा। उसकी चर्चा मुख्य मन्त्री जी ने की है और वित्त मन्त्री जी ने भी की है, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। उसके बावजूद 12 डिग्री कालेज और 15 पोस्ट डिग्री कालेजों की छलांग लगाई है। राजस्थान ने इस बार जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से यह छलांग लगाई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हम लोग 40 लाख रुपये की अनुदान की राशि लेने में सफल हो गये हैं जिससे महाविद्यालयों में पुस्तकालय, भवन, कक्षाओं के कमरों का निर्माण आदि में भरपूर सहायता मिल सकती है। मैं मुख्य मन्त्री जी को इस नाते बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने प्रयत्न किया और राजस्थान सरकार को शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से सहायता मिली है। उसके लिये राजस्थान के मुख्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

शोध कार्य हेतु 40 कालेजों में कार्य प्रारम्भ किया गया है और इनको विशेष आर्थिक अनुदान दिया गया है। शोध-कार्य हेतु शोध कर्ताओं को शोध विकास का अवकाश भी प्राप्त हो, इसका भी प्रयत्न अभी किया गया है। फैलोशिप की यहां चर्चा की गई। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, शिक्षक को शोध कार्य हेतु तीन साल के बाद छुट्टी मिलती है, राज्य सरकार से तीन साल बाद छुट्टी मिल सकती है। यह शर्त इसलिए लगाई है कि कोई भी एप्लाई करने वाला शिक्षक हो, उसको कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिये। जो परमानेन्ट हो उसी को एप्लाई करने का

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अधिकार है। हो सकता है तीन साल के अनुभव की शर्त के कारण कुछ लोग नहीं आ सकें। लेकिन इस तीन साल के अनुभव की शर्त लगाने का उद्देश्य यह है कि उस प्राध्यापक को छुट्टी मिल सके। बहुत सारे अध्यापक शोध कार्य की दृष्टि से बाहर गये हैं। अंत: इस तीन साल के अनुभव का भी अपना एक औचित्य है।

जिन अनियमितताओं की चर्चा की गई है उनके सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा के मामले में एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है जिसका जिक्र मैंने किया है, इस कारण जो तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक होनी चाहिए वह नहीं हुई है किन्तु फिर भी कुछ विशेष ध्यान दिया जायगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जनजाति के लोगों को तकनीकी शिक्षा देने की चर्चाएं कीं तो मेरा निवेदन है कि जनजाति का विशेष ध्यान रख कर कुछ तकनीकी शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है।

अजमेर पोलिटेक्निक में ड्राइवर कम फिटर विषय का विशेष पाठ्यक्रम चलाया गया जिससे जनजाति के लोगों को भारी वाहन चलाने का लाइसेन्स उपलब्ध हो सके उसी प्रकार उदयपुर में खनन परिचालक का विशेष पाठ्यक्रम जनजाति के लिये प्रारम्भ किया गया। उसी प्रकार टेक्सटाइल मेकेनिक का विशेष पाठ्यक्रम जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये चलाया गया है। इसके लिए महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली में प्रशिक्षण संस्थान को चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार कुछ ऐसे विषय हैं जो व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का भी प्रयत्न किया है। अजमेर पोलिटेक्निक में ट्रैफिक एन्ड ट्रान्सपोर्ट इन्जीनियरिंग का भी पाठ्यक्रम चलाया गया है। यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुसार बनाया गया है और गत वर्ष से ही आरम्भ किया गया है। जोधपुर में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र की स्थापना की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व विद्यालय शिक्षा पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि नये विश्वविद्यालय खोलने में बहुत पक्षपात किया गया है थोड़ा सा प्रकाश तो मैंने इस पर डालने की कोशिश की थी मैं समझता हूं कुछ लोगों को मिठाई खाने की आदत पड़ गई है। इम्बेलेन्स मिट गया इस साल इसलिये मिठाई नहीं मिली और केवल रोटी मिली तो कष्ट होना स्वाभाविक है। इसकी चर्चा मैंने पहले की है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमारे यहां तीन शिफ्ट चलती हैं, यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन्त्रीगण अपने विधान सभा क्षेत्रों में देर से पहुंच पाते हैं और माननीय सदस्य शायद उनसे जल्दी पहुंच जाते हैं। 23-8-77 से एक नया केन्द्र खोल दिया गया है। आज 15 और 7-22 दिन हो गये उस केन्द्र को खुले किन्तु खेद है कि माननीय सदस्य जिन को बड़ी शिकायत थी, को अभी तक इसका पता नहीं चला। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हूं कि उनको कुछ कष्ट होना स्वाभाविक था।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यार्थियों की संख्या, भवन की स्थिति, आसपास के विद्यालयों की स्थिति तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन आदि की चर्चाएं की और अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा रीजनल इम्बेलेन्स बताया। अब हमने सारी ओर प्रयत्न करना शुरू किया है। आपको आश्चर्य होगा 1875 की जनसंख्या पर एक मिडिल स्कूल इस बार खोला गया है। 1875 की जनसंख्या पर स्कूल, कभी माननीय सदस्य विचार करते हैं कि किस दृष्टिकोण से तीस साल तक इस रीजनल इम्बेलेन्स को लगातार बनाने की कोशिश की गई है। पचासों विद्यालयों को खोलने की चर्चा की गई। आखिर सीमित संख्या में ही स्कूल खोलने थे और साधन भी सीमित थे। उन साधनों का विचार करके स्कूल खोलने की कोशिश की गई। जो कुछ किया गया है, उसके लिये कहा गया है, मैं मानता हूं कि आखिर भूख बड़ी है और भूख बढ़नी भी चाहिए। जनता पार्टी का राज्य आया है, जनता पार्टी सरकार में आई है वह सोशलिस्टिक समाज के निर्माण में विश्वास करती है। अब जाकर लोगों को खुला वातावरण मिला है। 19 महीनों के बाद लोगों को खुला माहोल मिला है। आज लोगों में आशा और विश्वास जगा है जिसके आधार पर यहां पर भी चर्चाएं होती हैं और बाहर भी चर्चाएं होती हैं। यहां पर जो भी भावनायें प्रगट होती हैं मैं उन भावनाओं का आदर करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा प्रयास इस बात का किया जायगा, आगे बढ़ने की दृष्टि से, आगे की आवश्यकताओं को देख कर स्कूलों के विस्तार का प्रयास किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी और उचित व्यवस्था न होने के बारे में बताया गया। यह बात सच है। इसको मानने में कोई संकोच नहीं है। गांवों में अध्यापकों की कमी है। शहरों में कुछ अध्यापक ज्यादा हैं। रेशनेलाइजेशन की जरूरत है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यह रेशनेलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। जल्दी ही इस बारे में प्रयत्न किया जाएगा और शहरों में रहने वाले अध्यापकों को शहरों में किसी भी कीमत पर रहने नहीं दिया जाएगा, यह मैं दावा करता हूं। यह बात सच है कि इसमें भी वित्तीय संकोच की बात है। वित्तीय संकट है। वित्तीय संकोच बड़ा संकट पैदा कर रहा है। जो कुछ गेप निर्माण हो गया है आखिर वह एकदम तो भरा नहीं जाएगा। फिर चालीस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। इसका भी केलकूलेशन लगा कर, अध्यापकों की कुल संख्या को जोड़ कर, जिले के अध्यापकों को जोड़ कर और जिले में जितने विद्यार्थी हैं उनको जोड़ कर अध्यापकों को लगाना पड़ता है। यही कारण है कि यह कठिनाई उपस्थित हुई है कि एक जगह ज्यादा अध्यापक और कहीं कम विद्यार्थी हो गए। जहां पर कम विद्यार्थी हो गए वहां पर भी एक अध्यापक हो गया। अगर बीस विद्यार्थी हैं तो वहां पर एक अध्यापक लगा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हुआ है। इसकी पूर्ति करने के लिए जहां पर साठ विद्यार्थी हैं वहां पर भी एक अध्यापक लगाना होता है। यह एक विषमता है और इस विषमता को दूर करने की आवश्यकता है जिसके लिए प्रयत्न किया जाएगा।

इसी प्रकार जैसा मैंने प्रारम्भ से निवेदन किया कि पहली-दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए दो ढाई घंटे की कक्षाएं और तीसरी, चौथी, पांचवीं कक्षा के लिए प्रयत्न कर जितना कुछ सम्भव होगा हम व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे. इतनी ही बात मैं आपको कह सकता हूं।

पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी का प्रमुख कारण यह भी है कि अनवित्त-रूप से ब्रांच शालाएं खोली गईं। पता नहीं, कौन से क्राइटेरिया के आधार पर पिछली सरकार खोलती रही। राजनैतिक आधार पर छूट दे दी गई और ब्रांच शालायें खोली गईं। पंचायत समिति अपने साधनों से, अपने पैसे से चलाती रही और एक साल तक चलाती रही। इस प्रकार से जब स्कूल खोलने की बारी आई तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले के इतने सारे ब्रांच स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के माथे पर आ गई। कैसे बनेगा? क्या बनेगा? योजना गलत थी, तरीका गलत था। यदि योजनाबद्ध ढंग से शालाएं खुलतीं तो कठिनाई उपस्थित नहीं होती। एक बहुत बड़ी समस्या अध्यापकों की कमी की यह रही है। अब सारे प्रयत्न सामुदायिक विभाग से कराने होंगे।

शिक्षा के स्तर में गिरावट की भी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है। दौसा से आए हुए माननीय सदस्य ने, टौंक से पधारे हुए माननीय सदस्य ने, सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की। बात कुछ अंशों में सत्य हो सकती है किन्तु कुछ अंशों में दूसरी तरह से भी विचार करें। इस बार इण्टरनल असेसमेंट हुआ था, किन्तु आप देखिए, शायद इतना हाई पर्सेन्टेज राजस्थान को पहले कभी नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि गिरावट हो रही है। आखिर जनसंख्या बढ़ रही है। जहां जनसंख्या गिरावट वालों की है वहां जनसंख्या हायर पर्सेन्टेज वालों की भी है। यह जनरेशन गेप है। यह तो बिल्कुल जनरेशन गेप की लड़ाई है। मैं असत्य नहीं मानता हूं कि गिरावट हुई ही नहीं है किन्तु आप देख लीजिए पिछले सालों में और इस वर्ष भी बोर्ड की सैकन्डरी परीक्षा में 7 पर्सेन्ट और हायर सैकन्डरी में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वह तो बोर्ड की परीक्षायें थीं। इस प्रश्न पर केवल यह कह दें कि बहुत गिरावट आई है, तो यह बात कुछ अंशों में सही हो सकती है किन्तु सम्पूर्ण नहीं और इसको दूर करने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है।

विज्ञान समन्वय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठित करना, सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां केन्द्रीय छात्रवृत्ति में सबसे अधिक बालक चुन कर राजस्थान के आए हैं। यह राजस्थान का सौभाग्य है। इसलिए

Page No 214

(215)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

एकदम यह कहें कि गिरावट ही आई है तो कुछ अंशों में सही हो सकती है लेकिन इसके लिए जानकारी करनी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के व्यवसायीकरण की मैंने आपके सामने चर्चा की। आवश्यक व्यवसायीकरण हुआ किंतु जैसा मैंने निवेदन किया, इस व्यवसायीकरण के बारे में आज कल दो प्रकार की विचार धारा हैं। एक तरफ केन्द्रीय सरकार द्वारा 10+2 की पद्धति को स्वीकार किया गया। यह सारे देश की स्थिति है। दूसरा दृष्टिकोण और चला है वह है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक शिक्षा का। इसके लिए शिक्षाविदों को बिठाना होगा, केवल राज्य के सहारे नहीं होगा।

हवामहल से पधारे हुए माननीय सदस्य भंवरलालजी शर्मा ने जो बात कही, वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज स्थिति बड़ी विषम है। तीस वर्षों तक चर्चा होती रही कि आमूल-चूल परिवर्तन हो। यह कौनसा मूल है और कौनसा चूल है, पता नहीं चला। किन्तु निश्चितरूप से समय-बद्ध कार्यक्रम, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम लेकर विभिन्न स्तर के शिक्षाविदों से चर्चा करवा कर इसका निष्कर्ष निकालना होगा। उस में से मक्खन कौनसा निकलता है उसको लेने की आवश्यकता है। मै व्यक्तिगत रूप से इसको नहीं लेता, सरकार में आने के बाद, मिनिस्टर हो जाने के बाद चार महीने में हो जाएगा, तीन महीने में हो जाएगा, यह कहना ढोंग है. मैं इसकी चर्चा नहीं करता। यह प्रक्रिया का प्रश्न है और इस पर विस्तृत विचार करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्ध, मूक, बधिर बालकों की शिक्षा की चर्चा भी यहां पर की गई। मैं मानता हूं कि ये समाज के उपेक्षित अंग रहे हैं। इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करनी होगी। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग सचेष्ट है और जयपुर जोधपुर, उदयपुर अजमेर जिलों में विकलांग बालकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था, उनके लिए विशेष प्रबन्ध करने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल राजस्थान में सात विद्यालय हैं जहां इन छात्रों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाएगा।

निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार तुरन्त हस्तगत करे, इसकी चर्चा यहां पर की गई। मैं मानता हूं और मैं स्पष्टरूप से निवेदन करना चाहता हूं, स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि कई प्राइवेट संस्थायें हैं जो केवल मात्र दुकानें बन कर रह गई हैं और उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है। वहां अध्यापकों का विशेष रूप से शोषण हो रहा है। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जल्दी ही एक एजूकेशन बिल लायेगी। इस प्रकार की जो शोषण करने वाली संस्थाएं हैं, उन पर उस एजूकेशन बिल के आधार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। 90% जब सरकार द्वारा दिया जाता है, तो शिक्षा पर सरकार का आधिपत्य है। इसलिये किसी भी प्रति-क्रिया से करने की बात नहीं है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जिस प्रदेश में सारे स्कूलों का सरकार पर भार पड़ा हुआ है। अकेली राजस्थान सरकार और राजस्थान ही हिन्दुस्तान के मंच पर इस प्रकार से है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सारा खर्च सरकार के माथे छोड़ दिया गया है। इतने बड़े क्षेत्र में जहां 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों का भार सरकार पर है आप चाहते हैं, वह बच्चे सेकन्डरी स्कूल में आयें, विश्वविद्यालय में आयें। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, यह सही है कि प्रयत्न किया जाएगा।

जिन घोटालों की चर्चा की जा रही है, पूर्ण सूचना उपलब्ध होने के बाद चाहे वह लालबहादुर शास्त्री कालेज हो, चाहे वह फालना का कालेज हो, जिसकी चर्चा की गई है, जांच की जाएगी। मैं गारण्टी से कहता हूं कि शिकायत आने पर जांच की जाएगी। उनको कठघरे में खड़ा कर दिया जाएगा।

मैं आज शिक्षा की मांग पर बोल रहा हूं, इसलिये मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार केवल अपने ही प्रयत्न से शिक्षा को नहीं चला सकती। इस क्षेत्र में सभी को सहयोग देना होगा। धनपतियों को आगे आना पड़ेगा, पंचायतों को आगे आना पड़ेगा, विविध प्रकार से लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसमें शोषण नहीं हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। सारे स्कूलों को सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये, यह उचित नहीं है। जितने स्कूल सिक हो जायेंगे, जितने स्कूल गिर जायेंगे उनको सरकार हाथ में ले लेगी, राज्य सरकार आगे आयेगी। स्कूल अगर चल नहीं सकेंगे तो सरकार आगे आयेगी और तो ऐसे स्कूलों को सरकार अक्सर हाथ में लेगी।

आंकड़ों के आधार पर जो शिक्षा की स्थिति है वह बताई है। पहले 50 सेकण्डरी स्कूल लड़कियों के खोले। शायद 75-77 विद्यालय खोलने में सफलीभूत हो सके। राजस्थान की सोशियो-इकानामिक कण्डीशन ऐसी है, जिसके कारण से हम सभी के लिये यह बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए हमें जन-जागृति करनी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जिनको गर्ल्स स्कूलों में जाने का मौका मिले, वहां यह अपील कर उनको सहयोग कर सकते हैं। आगे जो हमारी नई योजना है, जो महिलाएं हैं, वे उसमें सहयोग कर सकती हैं। गांवों का पूरा विकास करने में समय लगेगा इसलिये योजना बनाई है ग्राम माताओं की। पहले गांव गांव में ऐसी माताएं रहती थीं जिनको दादीजी बोलते थे। उनका सभी कहना मानते थे। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ढूंढे ऐसी ग्राम माताओं को। ग्रामों में ऐसी औरतें हो सकती हैं जिनको आगे लाया जा सकता है। वह लोगों को प्रोत्साहन दे सकती हैं और बालक-बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश दिला सकती है। आगे आने वाले वर्ष में उनको कुछ निश्चित रुपया दिया जा सकेगा इसी दृष्टि से जो अध्यापिकाएं स्कूलों में रहती हैं, वह भी अवश्य सहयोग दे सकती हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह काम पैसे के बल से या राज्य के बल से नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को विचार करना पड़ेगा। अगर इसे अपनाया गया तो मुझे आशा है, इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के आवास की चर्चा की गई है। कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य और लाडनूं से आने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में चर्चा की है। सचमुच गांवों में मकानों की समस्या है। किन्तु मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, जब राजस्थान सरकार के सामने वित्तीय संकोच है तो एक ही दिशा में प्रयत्न किया जा सकता है? और भी दिशाओं में प्रयत्न करना होगा। इस समय 13 स्थानों में से 11 में मुझे जाने का मौका मिला है। जितने गांवों में रहने वाले शिक्षक हैं क्या वे उन घरों में नहीं रह सकते हैं जिनमें ग्रामीण रहते हैं। इसके लिए मानसिकता को बदलना होगा। अध्यापकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह साक्षरता को बढ़ाएं गांवों में जाएंगे तो आगे चलकर सरकारी भवन बनाने की बात भी सोची जाएगी। वित्तीय सकोच स्वीकार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है।

इसी प्रकार से तकनीकी पुस्तकों को हिन्दी में उपलब्ध कराने की चर्चा भी हुई। इस संबंध में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की योजना है। हिन्दी मानक ग्रन्थों को लिखाने की योजना है।

स्पोर्ट्स कौंसिल की चर्चा की गई है। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है। पूर्ण आंकड़े वह रख नहीं पाये हैं। यह सारे आंकड़े उपलब्ध करायेंगे तो आंकड़ों के आधार पर स्पोर्ट्स कौंसिल की निश्चित जांच की जाएगी।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, और भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि कुछ ऐसे अध्यापकों को प्रमोशन दिया गया है, कुछ मास्टर बनाये गये जो नीति से प्रमोशन पाने की श्रेणी में नहीं आते हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो आपने नियुक्तियां की हैं उनमें बहुत धोखा हुआ है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, भरतपुर में मेरिट के अनुसार नियुक्तियां नहीं हुई, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक फुलप्रूफ योजना बनाई है प्राइमरी स्कूल से कालेज लेवल तक की। सबके अंक तय किये हुए हैं, पिछला अनुभव कितना है उसके अंक, और मेरिट के अंक, इस तरह से सबके अंक निश्चित हैं। उसी के हिसाब से नियुक्तियां दी जा रही हैं।

राजाखेड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो आपका फरमान है यह आर. एस. एस. के लोगों के लिए है। मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा प्रमाणिकता से काम किया है और जीवन में प्रमाणिकता को लेकर आये हैं, कभी भी अप्रामाणिकता रही तो छोड़ कर चले जायेंगे, एक क्षण भी नहीं रहेंगे।

बीच में कौशल किशोर जी ने मेरिट की स्कीम की चर्चा की जो पुरानी सरकार की स्कीम है। वह सरकार के विचाराधीन है यह स्कीम चालू रखी जाय या इसको बन्द कर दिया जाय। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जो प्रमोशन्स हो गये है उनके लिए मैं निवेदन करूं कि अभी अभी जो नये स्कूल और कालेज खोले गये है, क्या वे बिना अध्यापकों के चलाये जा सकते हैं? जो भी एडहॉक प्रमोशन्स किये गये हैं, उनमें किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है। जिस दिन भी इनका मामला तय हो जायगा, एडहॉक प्रमोशन वापिस नीचे आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो चुका है, आप बिराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नियुक्तियों के बारे में कोई भी गलतियां हुई हैं वे ध्यान में लाई जाने पर चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसको उसी दिन सस्पेन्ड किया जायगा, यह मैं घोषणा करता हूं। इसलिए ऐसे मामले मेरी जानकारी में लाये जायं जिनमें कोई अनियमितताएं हुई हैं। उनके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जायेगी। एक फूलप्रूफ प्लान नियुक्तियों के लिए बनाया जायगा।

श्री श्रवणलाल : एस. टी. के प्रमोशन्स के बारे में भी......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन्स किये जाते हैं।

स्थानान्तरण के बारे में भी राज्य सरकार ने पालिसी घोषित की है। इसको और अच्छी बनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसको और स्पष्ट किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य के हुक्म से स्थानान्तरण की पालिसी हमने बनाई है जिसमें उनकी सलाह ली जा सकेगी। नये स्कूल सक्षम बनें, इसके लिए प्रयत्न किये जायेंगे। बाहर गैर जिलों के अन्दर रहने वाले अध्यापकों को अपने जिले में लाया जायगा। जितना रिटेन्शन जिले के बाहर होगा वह अपने जिले में लाया जायगा। जिनके प्रमोशन होंगे, प्रमोटेड लोगों को शहर छोड़ कर गांवों में जाना पड़ेगा। खाली जगह बाहर के लोगों से भरी जायगी। पति और पत्नी को एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जायगा हार्ट पेशेन्ट, टी. बी. या इसी प्रकार की अन्य बीमारियों के इलाज की जिनको आवश्यकता है, उनको उन स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जायगा जहां चिकित्सा उपलब्ध हो। हो सकता है स्थानान्तरण की पालिसी फूलप्रूफ नहीं हो, इसको फूलप्रूफ बनाने का प्रयत्न किया जायगा। जो भी शिकायतें आयेंगी उन पर विचार किया जायगा और उनको ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता था, किन्तु समय बहुत हो गया है, इसलिए इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं। स्कूलों में यह आदेश जारी किया जाय कि बालिकाओं से अध्यापिकाएं नाच गाना नहीं करायें।

श्री रामरघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री महोदय ने क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की बात कही। जहां पर असन्तुलन हुआ है वहां पर आपने दूर करने का प्रयास किया है और कोटा की कमी को दूर करने हेतु और स्कूल खोल कर आपने असन्तुलन को दूर किया। लेकिन उसके साथ साथ में मन्त्री महोदय से यह भी आशा करता था कि अगर कहीं अधिक स्कूल खुले

(श्री रामरघुनाथ)

होने से असन्तुलन हो तो वहां कतई स्कूल नहीं खोले। पर इसके विपरीत आपने कुछ और भी जगहों पर स्कूल खोले है जहां असन्तुलन का सन्तुलन करने के लिये खोलने की आवश्यकता नहीं उनके बारे में आपने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

दूसरे आपने स्पोर्ट्स कौसिल के बारे में कोई बात नहीं कही। आपने प्रेस नोट में यह बताया कि खेल-कूद परिषद के लिए एक अलग मन्त्री होना चाहिए। इसके बारे में आपने विस्तार से नहीं बताया कि इसकी प्रगति किस प्रकार से हो सकती है या आप क्या करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया बिराजिये, समय बहुत हो गया है।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि कालेजों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाइये।

श्री रामरघुनाथ : सन्तुलन तो आपने बिगाड़ दिया, लेकिन जो पंचायत समितियों के तहत फिडर स्कूल हैं जैसे आपने कहा क्या उनको आप बन्द करना चाहते है? अगर ऐसा है तो फिर वहां के बच्चे कहीं पढ़ने जायेंगे? छोटे छोटे स्कूलों को खोलने की आप की योजना है उसकी प्रगति नहीं के बराबर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिडर स्कूल चलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,01,90,88,000) रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ना कहने वाला एक भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मांग पारित की गई। स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही आगामी सोमवार दिनांक 19 सितम्बर 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.01 बजे सोमवार दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के म०पू० 11.00 बजे तक स्थगित की गई)

(220)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची)

कोटा शहर में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत

विद्यालयों की सूची—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीमगंज मण्डी
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पाटनपोल
3. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, नयापुरा
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुनाड़ी

सत्र 1977–78 में कोटा शहर में प्राथमिक विद्यालयों से क्रमोन्नत कर

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची—

1. सिन्धी स्कूल, गुमानपुरा (कन्या)
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बृजराजपुरा द्वितीय (लाडपुरा)

भीलवाड़ा नगर में हुए गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट

210. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में 28 अक्टूबर, 1974 को जो गोली काण्ड हुआ उसके लिये एक सदस्यीय जांच आयोग राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. 3 (5) गृह (ग्रुप-5), 21 नवम्बर, 1974 में स्थापित किया गया ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) श्री परसराम समदानी का हत्यारा कौन था ?

(3) उक्त मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट की एक प्रति अंग्रेजी में भेजी है। अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसका अनुवाद कराया जा रहा है। उपलब्ध होने के पश्चात् हिन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखी जा सकेगी।

(2) श्री परसराम समदानी के हत्यारे का पता अभी तक नहीं लग पाया है।

(3) जांच आयोग द्वारा जो तथ्य प्रकाश में लाये गये तथा इस घटना के सम्बन्ध में जांच आयोग ने जो सुझाव दिये उनको दृष्टिगत रख कर राज्य सरकार ने निम्न प्रकार से कार्यवाही की :—

(221)

(गृह मंत्री)

(1) तत्कालीन जिलाधीश, भीलवाड़ा, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भीलवाड़ा व पुलिस उप-महानिरीक्षक, उदयपुर रेन्ज के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये जो सन्तोषजनक पाये गये।

(2) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. जे. एन. माथुर व मैडीकल ज्यूरिस्ट डा. बी. एस. लोढ़ा के स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं जो लिये जाकर उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये चिकित्सा विभाग को लिखा गया है।

(3) मृतक घनश्याम के साथ पुलिस अभिरक्षा में किए गए अमानवीय व्यवहार के लिये दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करने के लिये महानिरीक्षक पुलिस को निर्देश दिये गये हैं।

जालोर व सिरोही में कांसी के गृह उद्योग

211. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर व सिरोही जिले में कांसी के गृह उद्योग कितने हैं ? इन गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग विभाग ने क्या प्रयास किया ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे उद्यमियों ने विद्युत् चालित छोटे हथोड़े का प्रयोग शुरू किया है ?

(3) क्या यह सही है ऐसे उद्योग पर भी एक्साइज ड्यूटी लगादी है जो बड़े रोलिंग मिलों पर लगायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त छोटे उद्योगों पर से इसे समाप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

सिरोही जिले में कांसी के गृह उद्योग की इकाइयां हैं। इनको कच्चे माल के लिये ऋण सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये थे परन्तु बैंकों द्वारा लिये जाने वाले 12% ब्याज पर ऋण लेने में उद्योगों ने असहमति प्रकट की।

(1) जालोर जिले के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) सिरोही में पार्टी ने विद्युत् चालित हथोड़े का प्रयोग किया है।

(3) इन पर उत्पादन शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जिस पर निर्णय लिये जाने के लिये केन्द्र सरकार ही सक्षम है।

आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के अध्यापकों की बकाया का भुगतान

212. श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल की घोषणा के पश्चात् जयपुर स्थित आदर्श विद्या मन्दिर को अवैधानिक तरीके से राज्य सरकार ने अपने नियन्त्रण में लेकर वहां के अध्यापकों को बिना किसी नोटिस के जबरन सेवा से निकाल दिया।

(2) क्या अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं में भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया ?

(श्री हरिश कुमार शर्मा)

यदि हां, तो राज्य सरकार की नीति इनके बकाया वेतन के बारे में क्या है ? यदि वेतन का भुगतान करना है, तो इनके बकाया वेतन का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इन अध्यापकों को बकाया वेतन दिलाने के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

राजस्थान भू-गृहादि (किराया, बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम, 1952 में संशोधन हेतु समिति का गठन

213. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972 में राजस्थान भू-गृहादि (किराया, बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था ?

(2) इस समिति में कितने सदस्य थे, इसके सभापति कौन थे तथा इस समिति ने कितनी बैठकें की एवं कब इनका प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया ? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या समिति के पास किराया बढ़ाने हेतु कोई प्रतिशत के आधार पर सुझाव आये थे ? यदि हां, तो समिति ने प्रतिशत के आधार पर किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया ? क्या वर्तमान अधिनियम में इस आधार पर संशोधन किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस समिति के 9 सदस्य थे। गृह राज्य मन्त्री इसके अध्यक्ष थे। इस समिति की 13 बैठकें हुई। समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) (क) मकान मालिकों की ओर से यह प्रस्ताव आया था कि मकानों का किराया मूल्यों के सूचकांक से सम्बन्ध किया जाय।

(3) (ख) इस प्रस्ताव को समिति ने स्वीकार नहीं किया।

(3) (ग) जी नहीं।

(3) (घ) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रतनगढ़ तहसील में कार्यरत मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थाएं

215. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ तहसील में कुल कितनी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(223)

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

(2) सन् 1975-76 एवं 1976-77 में रतनगढ़ तहसील की किन किन शिक्षण संस्थाओं को कितना कितना वार्षिक अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अनुदान प्राप्त इन शिक्षण संस्थाओं के लेखों की शिक्षा विभाग द्वारा अन्तरिम ऑडिट करवाई गई है। यदि हां, तो इन संस्थाओं की वर्ष 1975-76 व 1976-77 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ऐसी 14 संस्थाएं हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष हर अनुदान प्राप्त संस्था के लेखों का विभागीय स्तर पर ऑडिट करवाया जाना संभव नहीं है किन्तु इन संस्थाओं के लेखों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है, तभी अनुदान वितरित किया जाता है।

रतनगढ़ तहसील में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की सूची

1. श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़
2. श्री ऋषि कुल माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़
3. श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजलदेसर
4. सनातन धर्मसभा स्कूल, रतनगढ़
5. उत्तर रेल्वे प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़
6. बाल विद्या मन्दिर, रतनगढ़
7. बालभारती, राजलदेसर
8. श्री मंगलदत्त प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़
9. श्री महावीर विद्यालय, रतनगढ़
10. श्री हनुमान बालिका उ. मा. वि., रतनगढ़
11. श्री हनुमान बालिका प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़
12. गांधी बाल निकेतन, रतनगढ़
13. अभिनव बाल भारती, राजलदेसर
14. सेन्टर आफ कोस्मिक एजूकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, राजलदेसर

सन् 1975-76 व 76-77 में रतनगढ़ तहसील की शिक्षण संस्थाओं को दिये गये अनुदान की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 75-76	वित्तीय वर्ष 76-77
1.	हनुमान बालिका माध्यमिक, रतनगढ़	60%	31547	34503
	1-4-76 से प्रतिशत	70%		
2.	हनुमान बालिका मा. वि. रतनगढ़	60%	10374	8743
3.	गांधी बाल निकेतन, रतनगढ़	60%	44988	49260
	1-4-76 से	80%		
4.	हनुमान बालिका प्रा. वि. रतनगढ़	66%	13623	14020
5.	रघुनाथ उ. प्रा. वि. रतनगढ़	70%	167103	178668
6.	अभिनव बाल भारती, राजलदेसर	70%	49331	46503
7.	ग्रामोदय मा. वि. खीचीवाला	70%	37006	35775
8.	सरस्वती उ. प्रा. वि. राजलदेसर	50%	20489	30178

पुलिस थाना, चीतलवाना में दर्ज मामला

216. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार जालिमसिंह, ग्राम आकोली, तहसील, सांचोर ने ग्राम सिवाड़ा के एक गरीब सुथार की शादीशुदा औरत को फरार कर अपने घर पर रखा था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सुथार ने पुलिस थाना चीतलवाना, जिला जालोर में मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस द्वारा औरत बरामद कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत सांचोर में पेश की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं उस औरत को अदालत द्वारा किसको सुपुर्द किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मुलिजम श्री जालिमसिंह ने पेशी पर आती हुई औरत को बस में से दुबारा फरार करने को कोशिश की थी एवं इस बारे में मारपीट हुई, जिसका मुकदमा जुर्म जेर दफा 326 आई. पी. सी. का पुलिस थाना गुढ़ा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मालानी, जिला बाड़मेर में दर्ज किया गया था ? अगर हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(4) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर पुलिस द्वारा उक्त मामले में समय पर कोई सक्रिय कार्यवाही कर मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया ? अगर हां, तो क्यों ? इसमें क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्ड देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उसी मुल्जिम श्री जालिमसिंह से उक्त गरीब सुथार की शादीशुदा औरत को फिर थाना धोरीमना, जिला बाड़मेर हल्के से फरार कर लिया है ? अगर हां, तो कब ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले का मुकदमा थाना धोरीमना, जिला बाड़मेर में दर्ज करवाया गया है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) क्या जिला पुलिस बाड़मेर उक्त मामले की शीघ्र तफतीश पूरी करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर अदालत में चालान करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? क्या पुलिस बाड़मेर उक्त गरीब सुथार की औरत को शीघ्र बरामद करवा कर उसके पति को सुपुर्द करना चाहेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। थाना चीतलवाना में दिनांक 23-12-76 को श्री हरजी ने अभियोग नं० 10/76 धारा 380,366 आई. पी. सी. में दर्ज करवाया था जिसमें मुल्जिम मुस.लहरी को धारा 379के अपराध में गिरफ्तार कर दिनांक 26-2-77 को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सांचौर की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर आजाद कर दिया गया था, अदालत द्वारा किसी के सुपुर्द नहीं किया गया था।

(3) इस घटना से सम्बन्धित मुकदमा संख्या 38 थाना गुडामालानी में दिनांक 17-5-77 को धारा 148, 149, 326, 324, 353, 323, ता० हि० के अन्तर्गत श्री भंवरू वल्द हरा सुथार निवासी सिवाड़ द्वारा कायम करवाया गया था।

(4) अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(5) जी हां। दिनांक 5-7-77 को इस औरत को फरार करने का अभियोग थाना धोरीमना में दिनांक 17-7-77 को दर्ज कराया गया था।

(6) जी हां। इस बारे में थाना धोरीमना पर दिनांक 17-7-77 को मुकदमा नं० 14 धारा 366 ता० हि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ था। तफतीश के दौरान मु० लहरी ने स्वेच्छा से जालिमसिंह के साथ जाना ए. एम. एन. बाड़मेर के समक्ष बयान दिये, जिसके कारण मुकदमे में एफ. आर. अदम वकुआ दे दी गई है।

(7) मुसम्मात लहरी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयानों को दृष्टिगत करते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

पंचायत समिति, बनेड़ा के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच

217. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दानी ग्राम महुआ खुर्द पंचायत समिति, बनेड़ा के भू. पू. सरपंच श्री बालूराम जाट ने जालिया उर्फ अक्षयपुरा की कुई के निर्माण के लिए पंचायत समिति कार्यालय से सत्र 73-74 में धनराशि रु. 1081/-व राशि रु. 1034/- तथा सत्र 76-77 में राशि रुपये 1200/- कुल धनराशि रु. 3315/-अनुदान दिया जिसका फर्जी हिसाब पंचायत समिति, बनेड़ा को पेश किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि 90 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 मजदूरों के 360/-रु. अब भी शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश कार्यालय ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है जिसमें जांच के दौरान बकाया राशि के लिए मजदूरों के बयान हुए हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि महुआ खुर्द में भीलों की कुई के लिए तारीख 9-5-60 को 500/-व 16-3-61 को 300/- रु. कुल 800 रु. पंचायत को अनुदान के रूप में मिले ।

(5) क्या यह सही है कि कुई के नाम पर केवल खड्डा मात्र बना है ? पानी नहीं होने से पाने के पानी की समस्या बनी हुई है । अगर यह सही है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) श्री बालूराम जाट सरपंच महुआ खुर्द को जालियां की कुई के लिये दिनांक 30-11-73 को 900/-रु. एवं दिनांक 30-1-74 को 1104/-रु. दिये गये । श्री बालूराम द्वारा जो हिसाब पंचायत समिति में प्रस्तुत किया गया उसकी शिकायत होने पर विकास अधिकारी बनेड़ा से जांच करवाई गई तथा अब कनिष्ठ अभियंता को कुई का नाप कर (Measurement) तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं ।

(2) विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान ग्रामवासियों ने 4 मजदूरों के 360 रुपया बकाया होने के बयान दिये हैं ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) कुई में पानी होना बताया गया है किन्तु पूरी नहीं बनने के कारण पानी की समस्या अवश्य बनी हुई है । इस समस्या के लिये कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

नेहरू बाजार, जयपुर व्यापार मण्डल को चन्दे के रूप में दी गई राशि

218. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल):-क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3-2-77 को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. के एक बैंक के ड्राफ्ट से कुछ राशि नेहरू बाजार व्यापार मण्डल, जयपुर को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

श्री संजय गांधी के जयपुर आगमन पर चन्दे के रूप में दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर के एक संचालक श्री महेन्द्र शास्त्री को टी. ए. टू डाईरेक्टर्स के मद से श्री संजय गांधी के जयपुर आने पर कांग्रेस की रैलियां आयोजित करने हेतु 15,000/-का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो बैंक द्वारा इस राशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। राशि पुरुषार्थी भूमि होल्डर्स यूनियन (रजिस्टर्ड), जयपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-1-77 पर गेट सजावट हेतु देय पात्र के रूप में दी गई है।

(2) जी नहीं।

हाटमिक्स प्लाण्ट की खरीद

219. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महुआ के पास हाटमिक्स प्लाण्ट व अनेक मशीनें लगाई गई हैं ? यदि हां तो ये किन किन फर्मों से व कैसे कैसे और किन किन कीमतों पर खरीदी गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये मशीनें अक्सर खराब भी रहती हैं ? अगर हां, तो क्यों और किन किन कारणों से ?

(3) उपरोक्त मशीनों को खरीदने से राज्य सरकार को क्या लाभ हानि हुई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर महुआ आगरा सड़क पर पाटौली ग्राम के पास तीन हाटमिक्स संयंत्र लगाये गये हैं ? ये तीनों संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदे गए है। अतः इनकी खरीद के बारे में विस्तृत सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(2) ये तो नवीन प्रकार की मशीन हैं जो अभी परीक्षण अवधि में चल रही है, कभी कभी खराब भी हो जाती हैं।

(3) चूंकि ये मशीनें केन्द्र सरकार द्वारा उनके कार्यों हेतु खरीदी गई हैं अतः राज्य सरकार को इनसे लाभ अथवा हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर के फैसले के अनुसार अधिकारियों की वरिष्ठता

221. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर शहर ने श्री तेजसिंह मेहता के वरिष्ठता सम्बन्धी मामले में अपने निर्णय दिनांक 23-9-76 में यह तय पाया था कि राज्य सरकार द्वारा श्री आर. एन. भंडारी को एब्जोपशन नियम 15 अथवा राजस्थान एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज सर्विस रूल्स, 1960 के नियम 27 के अन्तर्गत श्री तेजसिंह मेहता से वरिष्ठ घोषित करना बिल्कुल गलत, न्याय विपरीत, नियमों के विपरीत तथा अवैधानिक है ? यदि हां, तो

(228)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

क्या इस प्रकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार का यह नैतिक कर्तव्य नहीं था कि उन अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता को नियमों के अनुसार पुन: निर्धारण करती ?

उत्तर

यह सही है कि श्री तेजसिंह मेहता ने मुंसिफ, जयपुर के न्यायालय में एक दावा श्री आर. एन. भण्डारी एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध किया था जो दिनांक 22/4/75 को राज्य सरकार व श्री भण्डारी के पक्ष में खारिज हुआ इसकी प्रथम अपील श्री मेहता ने जिला न्यायाधीश जयपुर शहर, जयपुर के न्यायालय में की जो भी दिनांक 23/9/76 को राज्य सरकार व श्री भंडारी के पक्ष में खारिज कर दी गई। इस निर्णय के विरुद्ध श्री मेहता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील न० 55 सन् 1977 कर रखी है जो कि अभी विचाराधीन है। इस प्रकार यह मामला सबज्यूडिस है तथा न्यायाधीश के निर्णय के दिए गए मुद्दों पर कोई टिप्पणी देना संभव नहीं है।

निरीक्षक, बाट व माप के पद

222. डा गंगासहाय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निरीक्षक बाट व माप के कितने पद स्वीकृत हैं तथा माप तोल चैकिंग के अन्तर्गत वर्ष 1973 के पूर्व क्या कार्य उनके जिम्मे था?

उत्तर

उद्योग विभाग में 45 पद बाट व माप निरीक्षक के स्वीकृत हैं। वर्ष 1973 के पूर्व राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 व नियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां एवं कर्तव्य निर्वाहन का निम्न कार्य निरीक्षकों के जिम्मे था।

1. बाट व माप की जांच व मुद्रांकन
2. संस्थानों का निरीक्षण
3. निर्धारित शुल्क वसूल करना
4. अभिग्रसित वस्तुओं की सुरक्षा
5. गौण एवं व्यवहारिक प्रमाणीकृत बाट व माप की सुरक्षा
6. निर्धारित रिकार्ड को रखना व उसकी सुरक्षा
7. अधिनियम व नियम के अन्तर्गत अभियोग बनाना, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर उनकी पैरवी करना।

पुलिस को कानून व व्यवस्था कायम रखने हेतु मुलजिम को हथकड़ी लगाने का अधिकार

223. श्री माधवसिंह (सोजत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस को कानून व व्यवस्था कायम रखने हेतु मुलजिम को हथकड़ी लगाने का अधिकार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस इज्जतदार नागरिकों को हथकड़ी लगाकर बाजार व गली शहर व गांवों के केवल मात्र उन्हें बेइज्जती करने व अपने नाजायज लाभ हेतु घुमाया करती है जिस पर अंकुश होना लाजमी है ?

(श्री माधवसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस केवल टेक्निकल जुर्म चोरी के या डकैती के जुर्म बनाकर कई मामलों में चालान कर देती है व उन्हें हथकड़ी लगाकर बेइज्जत करती है ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि पुलिस केवल टेक्निकल ऐसे जुर्म या जहां सिविल नेचर के मामले हों वहां पुलिस इस तरह का हथकड़ी का प्रयोग नहीं करे व ऐसे मामलों की तफतीश में दोनों पक्षों की मुकम्मल साक्षी लेकर ही मुकदमे का नतीजा दे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रत्येक मामले में साक्षी लेने व जुर्म साबित होने पर ही चालान किया जाता है।

इण्डस्ट्रियल एरिया, पाली का पानी

224. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाली में जो इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमें न सड़कें बनी हैं न ड्रेनेज बनी है और इस कारण फैक्ट्रीज का सारा पानी गरीब मजदूरों के घरों के इर्द गिर्द जमा रहता है ? यदि हां, तो इन समस्याओं का निराकरण कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

औद्योगिक क्षेत्र पाली में सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस क्षेत्र में कच्ची नालियां बनी हुई हैं रेल्वे विभाग से जल वितरण की पाइप लाइन रेल्वे की पटरी के नीचे से निकालने की अनुमति प्राप्त होने पर नगरपालिका की ड्रेन से जोड़ दिया जायेगा, जिसके लिये कार्यवाही जारी है। पक्की ड्रेन का कार्य करने हेतु स्थानीय अधिकारी को निर्देश दे दिये हैं और कार्य के लगभग 6 माह में पूर्ण होने की संभावना है।

पाली मण्डिया रोड पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। यहां व्यापक मात्रा में, जल उपलब्ध कराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

जिलाधीश, डूंगरपुर के कार्यालय में विचाराधीन लावारिश सम्पत्ति के मामले

225. श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर, ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिलाधीश, डूंगरपुर के कार्यालय में कितने लावारिश सम्पत्ति के मामले पिछले तीन सालों से विचाराधीन थे ?

(2) पूर्ववर्ती सरकार ने कितने मामलों का निपटारा करवा दिया है ? सूची तहसील-वाइज सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के फैसलेशुदा मामलों में काफी असन्तोष व्याप्त है ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(4) क्या सरकार इन मामलों का पुनरीक्षण करेगा ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) ऐसे मामलों की संख्या 11 थी।

(2) उन 11 मामलों में से 8 का निपटारा जिलाधीश के न्यायालय से हो चुका है। तीन मामले वर्तमान में उनके यहां विचाराधीन है।

जिलाधीश के यहां से निर्णित 8 मामलों में से 5 में अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा की अदालत में कार्यवाही चालू हुई। इन में से एक का निर्णय हो चुका तथा 4 अभी विचाराधीन है।

तहसीलवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

231

लाबारिसो के निपटाये गये प्रकरणों की तहसील वाईज सूची

क.सं. 1	नाम तहसील 2	प्रकरण संख्या 3	पंजीयन दिनांक 4	निर्णय दिनांक 5	प्रकरण का विवरण 6
1	तहसील, डूंगरपुर	4|75	27-11-75	जिलाधीश के समक्ष कार्यवाही जारी है।	श्री हलिया ब.हांडिया दीपा निवासी लगड़का
2	,,	1|76	15- 4-76	सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा में कार्यवाही जारी है।	मुसम्बी पार्वती बेवा कैलाशगिरी बैरागी साधु
3	,,	3|76	17- 6-76	जिलाधीश के समक्ष कार्यवाही जारी है।	मानुन बेका स्वामी श्री शिवशंकर तीर्थगुरु गोविन्दचन्द साधु नि. गनढी
1	तहसील, सागवाड़ा	13|72	18-12-72	4-3-74	श्री भगवान पिता गंगवली लुहार बांसवाड़ा
2	,,	1|73	3-12-73	17-1-77 सत्र न्यायालय के 22-7-74 जिलाधीश से	श्री नाथू पिता नेमजी पटेल निवासी खुरेला
3	,,	1|74	6- 7-74	15 6-76	श्री नेमीचन्द गुलाबचन्द महाजन निवासी सागवाड़ा
4	,,	2|76	14- 6-76	16-5-77	श्री गुलाबचन्द सोनी निवासी सागवाड़ा
5	,,	4|76	20- 7-76	सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा में कार्यवाही जारी है।	श्री इच्छाशकर-पिता कृपाशंकर ब्राह्मण नि.नागड़ा
1	तहसील, मालपुर	2|75	26- 6-75	कार्यवाही सत्र न्यायलय में जारी है।	श्री थावरा खानीगा निवासी बरियगा
2	,,	3|75	1- 7-75	कार्यवाही सत्र न्यायाधीश में जारी है।	श्रीमती सबू बेवा मलचा दरोगा नि. भालई
3	,,	5|76	29-11-76	कार्यवाही जिलाधीश न्यायालय में जारी है।	श्री गंगाराम पिता भावजी नि. खेड़ा प्रातपुर

(232)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची)

आपातकाल के दौरान राजनैतिक बंदियों द्वारा की गयी शिकायतों का विवरण

(25-6-75 से 29-1-77)

क्र.सं.	शिकायत करने वाले राजनैतिक बंदियों का नाम	शिकायत का विषय	कारागृह का नाम जहां से शिकायत की गयी	अन्य विवरण यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1	श्री गुरुदयाल सिंह सिन्धु एम. एल. ए.	पीने का पानी टोंटी से असुविधा, बिजली के पंखे की कमी।	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।	
2	सामूहिक जांच बंदी	स्पेशल क्लास देने हेतु ज्ञापन।	,,	
3	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल	मेडिकल एक्जामिनेशन बाबत असुविधा।	कैम्प जेल, बैराठ।	
4	श्री शशी शेखर पाराशर	डा० अन्सारी द्वारा भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी।	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।	
5	श्री भैरोंसिंह शेखावत	जोधपुर प्रशासन द्वारा ज्यादतियों व अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग।	कैम्प जेल, खातीपुरा जयपुर।	
6	मीसा बंदी	ज्ञापन बाबत पुलिस द्वारा पिटाई।	,,	
7	संयुक्त मीसा बंदी	भोजन में किरकिर।	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।	
8	श्री भैरोंसिंह शेखावत	श्री नन्द लाल को गलत ढंग से बन्द करना व सी.आई. भारद्वाज व जगदीश पारीक एस. आई. हैड कांस्टेबिल द्वारा अमानुषिक पिटाई बाबत ज्ञापन पत्र।	कैम्प जेल, खातीपुरा।	

1	2	3	4	5
9	श्री अजय कुमार शर्मा	छोटी चौपड़ कोतवाली पर पुलिस द्वारा पिटाई।	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।	
10	संयुक्त मीसा बंदी	थानेदार रामकुमार द्वारा निर्मम पिटाई।	,,	
11	श्री महेश चन्द्र शर्मा	जेलरों व अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार व नवलगढ़ पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकी।	,,	
12	संयुक्त मीसा बंदी	चाकसू, नवलगढ़, झुंझुनूं पर पुलिस द्वारा बंदियों की अमानुषिक पिटाई व यातनाएँ देने के संबंध में।	,,	
13	श्री भैरोंसिंह शेखावत	ज्ञापन पत्र बाबत पुलिस द्वारा पिटाई।	कैम्प जेल, खातीपुरा।	
14	श्री वीरुमल	सैनी डी. एस. पी. द्वारा पिटाई।	के. का., जयपुर।	
15	श्री अजीत सिंह सागर;	डा० अंसारी द्वारा भ्रष्टाचार	,,	
16	श्री अजीतसिंह सागर	अस्पताल में चिकित्सा अव्यवस्था।	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।	
17	संयुक्त मीसा बंदी	पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय अमानुषिक पिटाई।	,,	
18	श्री मधुसूदन मंडल	गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई।	,,	
19	,, नन्दलाल गुप्ता	,,	,,	
20	,, बलराम मल्हन	बिदाई के समय उसकी पुत्र और पुत्री के साथ दुर्व्यवहार।	,,	

1	2	3	4	5
21	श्री हीरालाल पोखरणा	श्री खां के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं मनमानी की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में ज्ञापन (भीलवाड़ा जेल)	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
22	,, अजीतसिंह सागर	मीसा बंदी के घर वालों को परेशान करने बाबत।	,,	
23	,, हरीशंकर गोयल	श्री राधाकान्त सक्सेना द्वारा अभद्रता व अन्यायपूर्ण व्यवहार।	,,	
24	,, माणकचन्द कागदी	श्री राधाकान्त सक्सेना जेल अधीक्षक व श्री जयसिंह राना कारापाल द्वारा बंदियों की सी. ओ. से पिटाई करवाना।	,,	
25	,, मोहन पूनमियां	श्री जयसिंह राणा जेल व श्री बिरधाराम हैडवार्टर द्वारा राजनैतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट।	,,	
26	,, अनिल कुमार पंजवानी।	जेल अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत।	,,	
27	मीसा बंदी	जोधपुर में बंदियों को हथकड़ी लगाने बाबत।	कैम्प जेल, खातीपुरा।	
28	मीसा बंदी	पुलिस द्वारा मार-पिटाई व अभद्र व्यवहार व हस्तनामे को रोका जाना।	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर।	
29	श्री प्रेम गहलोत	जेल रजिस्टरों को, चार्टों को छिपाने बाबत।	,,	
30	संयुक्त मीसा बंदी	अधीक्षक आरक्षी ने इलेक्ट्रिक शॉक व अमानुषिक मारपीट की।	,,	

1	2	3	4	5
31	संयुक्त मीसा बंदी	पुलिस व जेल अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार।	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर।	
32	श्री लक्ष्मीचन्द	श्री रामप्रसाद जोशी उप खण्ड अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत।	,,	
33	,, चांदमल राकावत	गिरफ्तारी के समय थानेदार द्वारा घड़ी व नकद रुपये छीन लेना।,	,,	
34	संयुक्त मीसा बंदी	श्री लक्ष्मीनारायण व अशोक बंदी की अमानुषिक मारपीट।	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर।	
35	श्री भैरोंलाल लखारा	अण्डरट्रायल बंदी की समुचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु।	,,	
36	,, नगजी उर्फ नवनीत लाल	दानपुर थानेदार श्री फतेह मोहम्मद व 6 कांस्टेबिल द्वारा नंगा कर बेतहाशा पिटाई।	,,	
37	,, हरचन्द सिंह एडवोकेट	कारागृह अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार।	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर।	
38	,, हेतराम बेनीवाल	फर्नीचर व फैमिली अलाउन्स देने बाबत।	,,	
39	,, मोहुराम	भादरा पुलिस की चालानी गार्ड के भ्रष्ट, रिश्वतखोर गैर जिम्मेदार सिपाही श्री मालाराम को निलम्बित किए जाने बाबत।	,,	
40	,, श्योपतसिंह व ,, हेतराम बेनीवाल	डा० मोटबिया की मदद से पाकिस्तानी बंदी भागने में सफल।	,,	

1	2	3	4	5
41	संयुक्त मीणा बंदी	डी. एस. पी. श्री कल्याण मल व थानेदार श्री जगदीश द्वारा अमानुषिक पिटाई।	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
42	"	श्री गोविन्दसिंह व श्री रामदयाल बंदी को थानेदार जगदीश द्वारा अमानुषिक यातना देना।	"	
43	"	पुलिस द्वारा मार पिटाई।	"	
44	"	कारागृह अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार।	"	
45	"	जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़नाएं अभद्र व्यवहार।	"	
46	"	जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण व्यवहार।	"	
47	"	पुलिस द्वारा जेल कम्पाउण्ड व अदालत में ले जाते समय मारपीट।	"	
48	श्री मथुरासर	खाने पीने की चीजों में गड़बड़।	"	
49	संयुक्त मीणा बंदी	श्री सवाईसिंह अधीक्षक कारागृह, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत।	"	
50	श्री सागरमल शर्मा	भोजन में मिलावट व जेल अधिकारियों द्वारा राशन में गड़बड़।	"	
51	" किशन मतवाला	जिलाधीश, बीकानेर द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग।	"	

Page No 236

(237)

1	2	3	4	5
52	श्री सागरमल शर्मा	श्री सवाईसिंह जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत।	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर।	
53	,, हेतराम बेनीवाल	श्री सवाईसिंह व जिलाधीश द्वारा रंजिश से स्थानान्तरण।	,,	
54	,, हेतराम बेनीवाल	घटिया किस्म का फर्नीचर सप्लाई करने के संबंध में।	,,	
55	,, सागरमल शर्मा	श्री सवाईसिंह अधीक्षक के विरुद्ध सी. बी. आई. द्वारा जांच हेतु ज्ञापन।	,,	
56	,, सागरमल शर्मा	सहायक अध्यापक श्री यशपाल शर्मा के विरुद्ध शिकायत	,,	
57	,, सागरमल शर्मा	जेल अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच हेतु मांग	,,	
58	,, सागरमल शर्मा	श्री महपाल शर्मा अध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत	,,	
59	,, सूर्यनारायण चौधरी ,, मोहन पूनमियां	अजमेर कारागृह के शोचालय व नहाने की असुविधा तथा दूध फल गेम्स व राशन सभी में अव्यवस्था	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर। (के. का. अजमेर की शिकायत)।	
60	,, कैलाश मेघवाल	श्री नबाब अली कम्पाउण्डर जेल द्वारा दवाइयां व दूध, दही दलिए में गड़बड़	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।	
61	,, समस्त मीसा बंद (19)	"बी" क्लास व प्रथम श्रेणी की सुविधा देने के सम्बन्ध में भूख हड़ताल	जिला कारागृह, भरतपुर।	

1	2	3	4	5
62	संयुक्त मीसा बंदी	खाद्य सामग्री, घी व वेजीटेबल कम दिए जाने बाबत	जिला कारागृह, भरतपुर।	
63	संघर्ष समिति मीसा बंदी	असम्मानजनक व्यवहार, प्रशासन एवं जेल अधिकारियों द्वारा	,,	
64	श्री दाताराम मंत्री	चिकित्सा व्यवस्था में भ्रष्टाचार	,,	
65	संयुक्त मीसा बंदी	बिना वारन्ट गिरफ्तार करना	,,	
66	श्री हरीश शर्मा	श्री अंसारी प्रधीक्षक कारागृह की गतिविधियां साम्प्रदायिकवादी एवं जमाते इस्लामी समर्थक होने	,,	
67	संयुक्त मीसा बंदी	जेल अधिकारियों द्वारा उदासीनता निष्क्रीयता पूर्ण व्यवहार	,,	
68	श्री कैलाश मेघवाल	जेल अधीक्षक अंसारी द्वारा पद का दुरुपयोग व दुर्व्यवहार कर्मचारियों से बेगार लेना व परेशान करना एवं भ्रष्टाचार	,,	
69	श्री परमेन्द्रनाथ ढंडा व श्री कन्हैया लाल जैन	श्री शांतिलाल उप अधीक्षक द्वारा अराष्ट्रीय, अनैतिक व भ्रष्टाचारिक व्यवहार	,,	
70	श्री परमेन्द्रनाथ ढंडा व श्री कन्हैया लाल जैन	श्री शांतिलाल अधीक्षक के विरुद्ध अराष्ट्रीय अनियमिततायें भ्रष्टाचार कर्मचारियों से दुरुपयोग की जांच हेतु स्मरण-पत्र	,,	
71	गंगानगर मीसा बंदी	जेल अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार	जिला कारागृह, गंगानगर।	

(239)

1	2	3	4	5
72	श्री गुरुदयाल सिंह सिधु	जेल अधिकारियों द्वारा मार-पिटाई व गाली गलौच	जिला कारागृह, गंगानगर ।	
73	,, माणक चन्द महेश्वरी	थानेदार श्री जगमोहन सिंह व हेड कांस्टेबिल श्री सोहनसिंह व तीन सिपाहियों द्वारा अमानुषिक पिटाई	जिला कारागृह, टोंक ।	
74	,, कंवर महेन्द्र सिंह	श्री रामसिंह उप अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार गबन, गोलमाल व गैर सरकारी कार्यों की जांच हेतु ज्ञापन	,,	
75	,, शोभाराम, श्री रामदेव, श्री नाथू सिंह व श्री टीकम सिंह	वार्डर श्री गणेशनारायण द्वारा अभद्र व्यवहार व गाली गलौच	जिला कारागृह, धौलपुर ।	
76	,, राजेन्द्र कुमार	रिलीज आर्डर समय पर देना	जिला कारागृह, कोटा ।	
77	,, जिलाधीश, कोटा	श्री भवानी सिंह अधीक्षक कारागृह का शराब के नशे में धुत होकर स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार	,,	
78	संयुक्त मीसा बन्दी	अधीक्षक कारागृह का शराब पीकर गलत आदेश देना	,,	
79	,,	थानेदार श्री रघुनाथ सिंह द्वारा पिटाई करने व मेडीकल एक्जामिनेशन न करने देने	,,	
80	श्री विरधीचन्द जैन	निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मताधिकार से वंचित करने का आरोप	जिला कारागृह, भीलवाड़ा ।	

1	2	3	4	5
81	संयुक्त मीसा बन्दी	श्री खां प्रभाराधिकारी द्वारा डाक नष्ट किए जाने बाबत	[illegible]ला कारागृह, भीलवाड़ा ।	
82	श्री घासीराम पुत्र श्री चेतराम जाट	प्रथम श्रेणी मीसा बंदी मान कर सुविधा देने बाबत भूख हड़ताल	उप कारागृह, झुन्झुनूं ।	
83	श्री महेन्द्र ब्रह्मचारी	उप कारापाल द्वारा भ्रष्टाचार व राशन की चोरी	उप कारागृह, पाली ।	
84	संयुक्त मीसा बन्दी	जेल में वार्डरों द्वारा अमानवीय व्यवहार व पिटाई	,,	
85	संयुक्त राजनैतिक बन्दी	छात्रों की नियमित पिटाई व चिकित्सा का अभाव	उप कारागृह, दौसा ।	
86	संयुक्त मीसा बंदी	कारापाल द्वारा अभद्र व्यवहार	उप कारागृह, खेतड़ी ।	
87	श्री श्यामलाल व श्री राधेश्याम	जेल कर्मचारियों द्वारा शराब पीकर मारपीट व गोली मारने की धमकी	उप कारागृह, रतनगढ़ ।	
88	श्री हमीर सिंह	थानेदार श्री उत्तम सिंह द्वारा मारपीट, अभद्र व्यवहार व फसल को नुकशान पहुंचाने बाबत	उप कारागृह, सिरोही ।	